इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी
कानपुर

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961
(1961 का सं० 59)

विषय सूची

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
2.	कुल संस्थानों का राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया जाना ।	1
3.	परिभाषाएं	2

अध्याय 2

संस्थान

4.	संस्थानों का निगमन	4
5.	संस्थानों के निगमन का प्रभाव	4
6.	संस्थानों की शक्तियां	5
7.	संस्थानों का सभी मूलवंश, पंथ और वर्गों के लिए खुला होना ।	7
8.	संस्थान में शिक्षा	7
9.	कुलाध्यक्ष	7
10.	संस्थानों के प्राधिकरण	8
11.	शासक बोर्ड	8
12.	बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते ।	9
13.	बोर्ड के कृत्य	9
14.	सिनेट	10
15.	सिनेट के कृत्य	11
16.	बोर्ड का अध्यक्ष	11
17.	निदेशक	11
18.	उपनिदेशक	12
19.	कुल सचिव	12

धाराएं

20. अन्य प्राधिकरण और अधिकारी 12
21. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान 13
22. संस्थान की निधि 13
23. लेखा और लेखापरीक्षा 13
24. पेंशन और भविष्य निधि 14
25. नियुक्तियां 15
26. परिनियम 15
27. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे 16
28. अध्यादेश 17
29. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे 18
30. माध्यस्थम् अधिकरण 18

अध्याय 3

परिषद्

31. परिषद् की स्थापना 19
32. परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते 20
33. परिषद् के कृत्य 21
34. परिषद् का अध्यक्ष 22
35. इस अध्याय के विषयों के बारे में नियम बनाने की शक्ति 22

अध्याय 4

प्रकीर्ण

36. रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना 23
37. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
38. संक्रमणकालीन उपबन्ध
39. निरसन और व्यावृत्ति

अनुसूची

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) अधिनियम 1956 के वे उपबंध जो प्रवृत्त रहेंगे।

1. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना। 25
2. परिभाषाएं
3. निगमन
4. खड़गपुर स्थित इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण 26

उपाबंध

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 27
2. धारा 2 (1961 का अधिनियम 59) का संशोधन 28
3. धारा 3 का संशोधन 28
4. धारा 4 का संशोधन 28
5. धारा 12 का संशोधन 28
6. धारा 38 का संशोधन 28
7. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली का दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज न रहना 29

विधि मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1961, अग्रहायण 29, 1883 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 19 दिसम्बर, 1961 को प्राप्त हुई और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए वह इसके द्वारा* प्रकाशित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 59)

(19 दिसम्बर, 1961)

कुछ प्रौद्योगिकी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं और इंडियन इंस्टींच्यूट आफ टेक्नालाजी खड़गपुर से संबंधित कुछ विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।**

---

* भारत का राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 सं. 63 तारीख 20 दिसम्बर, 1961 में प्रकाशित।

** भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3 सं. 13, तारीख 31 मार्च 1962 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ 24-35, 61 टी 6 तारीख 23 मार्च 1962 द्वारा 1 अप्रैल, 1962 से प्रवृत हुआ।

कुछ संस्थानों का राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया जाना।

2. इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, बम्बई, कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली***, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर और इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास नामक संस्थाओं के उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि वे उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अतः इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इनमें से प्रत्येक संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'बोर्ड' से किसी संस्थान के संबंध में उसका शासक बोर्ड अभिप्रेत है,

(ख) 'अध्यक्ष' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) 'तत्समान संस्थान' से अभिप्रेत है:—

(i) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी बम्बई नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी बम्बई,

(iक) कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी दिल्ली नामक सोसायटी के संबंध में, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी दिल्ली,

(ii) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (कानपुर) नामक सोसायटी के संबंध में इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर, और

(iii) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास नामक सोसायटी के संबंध में, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास,

*** भारत का राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 सं. 27 तारीख 12 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम 1963 (1963 का 29) द्वारा, जो भारत का राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3 सं 38 तारीख 21 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ 24-19, 63-टी 6, तारीख 12 सितम्बर, 1963 द्वारा 13 सितम्बर, 1963 से प्रवृत हुआ, अन्तः स्थापित।

(घ) "परिषद" से धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद अभिप्रेत है,

(ङ) "उपनिदेशक" से किसी संस्थान के संबंध में उसका उपनिदेशक अभिप्रेत हैं,

(च) "निदेशक" से किसी संस्थान के संबंध में उसका निदेशक अभिप्रेत है,

(छ) "संस्थान" से धारा 2 में उल्लिखित संस्थानों में से कोई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी खड़गपुर भी है। 1956 का 5

(ज) "कुलसचिव" से किसी संस्थान के संबंध में उसका कुलसचिव अभिप्रेत है,

(झ) "सिनेट" से किसी संस्थान के संबंध में उसका सिनेट अभिप्रेत है,

(ञ) "सोसायटी" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित सोसाइटियों में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात :— 1860 का 21

(i) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी बम्बई,

(iक) कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी दिल्ली,*

(ii) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (कानपुर) सोसाइटी,

(iii) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी मद्रास,

(ट) किसी संस्थान के संबंध में, "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से उस संस्थान के, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत है।

* भारत का राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 सं. 27 तारीख 12 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 29) द्वारा, जो भारत का राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3 सं. 38 तारीख 21 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित अधिसूचना सं एफ 24-19,63-टी 6, तारीख 12 सितम्बर, 1963 द्वारा 13 सितम्बर, 1963 से प्रवृत हुआ, अन्त: स्थापित।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थानों का निगमन ।

4. (1) धारा 2 में उल्लिखित संस्थानों में से प्रत्येक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा और उक्त के नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(1क) ऐसे निगमन पर कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली को इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी दिल्ली कहा जाएगा ।*

(2) उक्त संस्थानों में से प्रत्येक को गठित करने वाले निगमित निकाय में एक अध्यक्ष, एक निदेशक और संस्थान के उस समय के बोर्ड के अन्य सदस्य होंगे ।

संस्थानों के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही–

(क) (इस अधिनियम से भिन्न) किसी विधि में या किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में किसी सोसायटी के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायेगा कि वह तत्समान संस्थान के प्रति निर्देश है,

(ख) सोसायटी की या उसके स्वामित्व में की सभी सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, तत्समान संस्थान में निहित होगी,

(ग) सोसायटी के सभी अधिकार और दायित्व तत्समान संस्थान को अन्तरित हो जाएँगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे,

---

* भारत का राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 सं. 27 तारीख 12 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम 1963 (1963 का 29) द्वारा, जो भारत का राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3 स. 38 तारीख 21 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ 24-19-63–टी 6 तारीख 12 सितम्बर, 1963 द्वारा 13 सितम्बर, 1963 से प्रवृत हुआ, अन्तः स्थापित

(घ) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले सोसायटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समान संस्थान में उसी सेवावृत्ति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसा कि वह उस दशा में धारण करता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता और तब तक इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी सेवावृत्ति, पारिश्रमिक और निबन्धन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक्तः परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा कर्मचारी से की गई संविदा के निबन्धनों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबन्ध नहीं किया गया है तो, स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में तीन मास के पारिश्रमिक के के बराबर और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर देकर संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकता है ।

संस्थानों की शक्तियां

6. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कला की ऐसी शाखाओं में जो संस्थान ठीक समझे, शिक्षण और अनुसन्धान की और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना,

(ख) परीक्षाएँ लेना और उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां या पदवियां प्रदान करना,

(ग) सम्मानिक उपाधियाँ या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना,

(घ) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी माँग करना और प्राप्त करना,

(ङ) छात्रों के आवास के लिए छात्रनिवास और छात्रावास स्थापित करना, उनका अनुरक्षण और प्रबन्ध करना,

(च) संस्थान के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण और उनके अनुशासन का विनियमन और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना,

(छ) संस्थान के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के यूनिटों के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना,

(ज) अध्यापन और अन्य पदों की स्थापना करना और (निदेशक के पद को छोड़कर) उन पदों पर नियुक्तियाँ करना,

(झ) परिनियम और अध्यादेश बनाना और उनका परिवर्तन, उपान्तरण और विखंडन करना,

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का ऐसी रीति से व्यवहार करना जो संस्थान अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक समझे,

(ट) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना और, यथास्थिति, वसीयत कर्ताओं, संदान-कर्त्ताओं या अन्तरकों से स्थावर या जंगम संपत्ति की वसीयत, संदान और अन्तरण प्राप्त करना,

(ठ) विश्व के किसी भी भाग के ऐसे शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य संस्थानों के उद्देश्यों से पूर्णतः या भागतः समान है, शिक्षकों और विद्वानों

के आदान प्रदान द्वारा और साधारणतः ऐसी रीति से सहयोग करना जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों,

(ड) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और मैडल संस्थित करना और प्रदान करना, और

(ढ) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) उपधारा (1) में किसी बात होते हुए भी, कोई संस्थान कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर संपत्ति का किसी रीति से व्ययन नहीं करेगा।

संस्थानों का सभी मूलवंश, पंथ और वर्गों के लिए खुला होना।

7. (1) प्रत्येक संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश या उनकी नियुक्ति करने में या किसी भी अन्य बात के संबंध में धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) कोई संस्थान किसी संपत्ति की कोई ऐसी वसीयत, संदान या अन्तरण स्वीकार नहीं करेगा जिसमें परिषद की राय में इस धारा के भाग और उद्देश्य के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यता अन्तर्ग्रस्त है।

संस्थान में शिक्षा।

8. प्रत्येक संस्थान में शिक्षण-कार्य, संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा।

कुलाध्यक्ष।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष किसी संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट ऐसी रीति से

देने के लिए, जैसी कुलाध्यक्ष निर्देश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है ।

(3) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह रिपोर्ट में चर्चित किन्हीं विषयों के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान उन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

संस्थानों के प्राधिकरण । 10. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात :—

(क) शासक बोर्ड,

(ख) सिनेट, और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

शासक बोर्ड । 11. किसी संस्थान के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

(क) अध्यक्ष जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम विर्दिष्ट किया जाएगा,

(ख) निदेशक, पदेन,

(ग) जिस क्षेत्र में संस्थान स्थित है उसमें समाविष्ट राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से, जो उस सरकार की राय में, ख्याति-प्राप्त प्रौद्योगिक-बिद् या उद्योगपति हैं, नामनिर्दिष्ट एक-एक व्यक्ति,

(घ) शिक्षा, इंजीनियरी या विज्ञान का विशेष या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति जो परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, और

(ङ) संस्थान के दो आचार्य जो सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

स्पष्टी करण-इस धारा में 'क्षेत्र' पद से, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समय अभ्यांकित क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें सदेय भत्ते ।

12. (1) इस धारा में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक होगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

(3) धारा ११ के खंड (ङ०)* के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस वर्ष की जनवरी के पहले दिन से दो वर्ष होगी जिस वर्ष में वह नामनिर्दिष्ट किया जाता है ।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक होगी जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य, परिषद द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जाने की दशा में तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है ।

(6) बोर्ड के सदस्य, संस्थान से ऐसे भत्ते लेने के, यदि हों, हकदार होंगे जो परिनियमों में उपबन्धित किए जाएं किंतु धारा ११ के खंड (ख) और (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई सदस्य इस उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

बोर्ड के कृत्य ।

13. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी संस्थान का बोर्ड संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग

* भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग स. 27 तारीख 12-9-1963 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 29) द्वारा प्रतिस्थापित और संशोधन के निबंधनों के अनुसार सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है और उसको सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी संस्थान का बोर्ड,—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा,

(ख) संस्थान में पाठ्यक्रम संस्थित करेगा,

(ग) परिनियम बनाएगा,

(घ) संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगा और उन पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगा,

(ङ) अध्यादेशों पर विचार करेगा और उन्हें उपान्तरित या रद्द करेगा,

(च) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण सहित परिषद को प्रस्तुत करेगा।

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड को ऐसी समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

सिनेट।

14. प्रत्येक संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :–

(क) निदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा,

(ख) उपनिदेशक, पदेन,

(ग) संस्थान में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा नियुक्त या उस रूप में मान्यता प्राप्त आचार्य,

(घ) ऐसे तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, और जिन्हें निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा, विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी के क्षेत्रों मे से प्रत्येक क्षेत्र के लिए ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, और

(ङ) कर्मचारिवृन्द में से ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें परिनियमों में अधिकथित किया जाए।

सिनेट के कृत्य।

15. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी संस्थान की सिनेट संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

बोर्ड का अध्यक्ष।

16. (1) अध्यक्ष सामान्यतया बोर्ड के अधिवेशनों की और संस्थान के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों का क्रियान्वयन हो रहा है।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

निदेशक।

17. (1) परिषद प्रत्येक संस्थान के निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से करेगा।

(2) निदेशक संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन के लिए और शिक्षा प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक, बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

उपनिदेशक।

18. प्रत्येक संस्थान का उपनिदेशक ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

कुलसचिव

19. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और यह संस्थान के अभिलेख, उसकी सामान्य मुद्रा, विधि और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जो बोर्ड उसके भार साधन में सौंपें।

(2) कुलसचिव बोर्ड, सिनेट, और ऐसी समितियों का सचिव होगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम या परि-नियमों या निदेशक द्वारा सौंपे जाएं।

अन्य प्राधिकरण और अधिकारी।

20. इसमें इसके पूर्व वर्णित प्राधिकरणों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

21. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात, प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से संदाय करेगी जो वह ठीक समझे।

संस्थान की निधि।

22. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित धन जमा किए जाएँगे—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए सभी धन,

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार,

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन, और

(घ) किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त संस्थान द्वारा सभी धन।

(2) किसी भी संस्थान की निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जायेंगे जो संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन संस्थान की शक्तियो के प्रयोग और कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

लेखा और लेखा परीक्षा।

23. (1) प्रत्येक संस्थान लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखा का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी और ऐसी लेखापरीक्षा

के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को सदेय होगा ।

(3) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के तथा संस्थान के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्र को पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक संस्थान के यथाप्रमाणित लेखे तद्विषयक लेखापरीक्षा-रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

पेंशन और भविष्य निधि ।

24. (1) प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों, के जिनके अन्तर्गत निदेशक भी हैं, फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियां स्थापित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहाँ ऐसी कोई भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की गई है वहाँ केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि है ।*

---

* ऐसी घोषणा इस धारा के अधीन इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर में गठित भविष्य निधि के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत का राजपत्र, भाग II, अनुभाग 3, उप अनुभाग 2 सं. 9, तारीख 2 मार्च, 1963 में प्रकाशित वैज्ञानिक, अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 23-8161-टी 06 तारीख 16-2-63 के माध्यम से की गई है ।

नियुक्तियां ।

25. किसी संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियाँ निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित के द्वारा की जाएंगी :–

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में प्राध्यापक के या उसके ऊपर के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति शैक्षिणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न किसी ऐसे काडर में की जाती है जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रुपया प्रतिमास से अधिक है तो बोर्ड द्वारा,

(ख) किसी अन्य दशा में निदेशक द्वारा ।

परिनियम ।

26. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(ख) शिक्षण विभागों का बनाया जाना,

(ग) संस्थानों में पाठ्यक्रमों के लिए प्रभार्य फीस और संस्थान की उपाधियों और डिप्लोमाओं की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य फीस,

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, मेडल और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना,

(ङ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति का ढंग,

(च) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं,

(छ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग और उनकी सेवा की शर्तों और निबन्धनों का अवधारण ।

(ज) संस्थान के अधिकारियों, और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना,

(झ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य,

(ञ) छात्र-निवास और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण,

(ट) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण,

(ठ) बोर्ड के सदस्यों में रिक्तियों को भरने की रीति,

(ड) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को सदेय भत्ते,

(ढ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन,

(ण) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(त) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा विहित की जानी है या की जा सकती है।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

27. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम कुलाध्यक्ष के पूर्वामोदन से परिषद द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नया अतिरिक्त परिनियम बना सकता है या इस धारा में इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकता है।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में वृद्धि या किसी परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा। कुलाध्यक्ष उसके लिए सहमित दे सकता है या सहमति रोक सकता है या उसे बोर्ड को विचारण के लिए भेज सकता है।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष उसके लिए सहमति नहीं दे देता है।

अध्यादेश।

28. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात :—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश,

(ख) संस्थान के सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम,

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को उपाधि तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधि तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे,

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदक और पुरस्कारों के दिए जाने के लिए शर्तें,

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग और उनके कर्त्तव्य,

(च) परीक्षाओं का संचालन,

(छ) संस्थान के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, और

(ज) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जानी है या की जा सकती है।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

29. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड को ऐसा कोई अध्यादेश संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और संकल्प की तारीख से ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तदनुसार उपान्तरित या रद्द हो जाएगा।

माध्यस्थम् अधिकरण

30. (1) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला विवाद, संपृक्त कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देश किए जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।

अध्याय 3

परिषद्

परिषद् की स्थापना।

31. (1) ऐसी तारीख से,* जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक केन्द्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा जिसे परिषद् कहा जाएगा।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार में तकनीकी शिक्षा का भार-साधक मन्त्री, पदेन, अध्यक्ष के रूप में;

(ख) प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष, पदेन;

(ग) प्रत्येक संस्थान का निदेशक, पदेन;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, पदेन;

(ङ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का महानिदेशक, पदेन;

(च) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ साइंस, बंगलौर की परिषद् का अध्यक्ष, पदेन;

(छ) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ साइंस, बंगलौर का निदेशक; पदेन;

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, एक तकनीकी शिक्षा से सम्बद्ध मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला, दूसरा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला और तीसरा किसी अन्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला;

---

* परिषद् की स्थापना भारत का राजपत्र सं. 20 के भाग 11, अनुभाग 3, उपअनुभाग (ii) तारीख 19 मई, 1962 में प्रकाशित वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 24-5/62-टी. 6 तारीख 9 मई, 1962 द्वारा 15 मई 1962 से की गई थी।

(झ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ञ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कम से कम तीन या अधिक से अधिक पांच व्यक्ति जो, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे;

(ट) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होगा।

परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते।

32. (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद् के सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।

(3) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट परिषद् का सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंन्त पद धारण करेगा।

(4) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, उसके उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया था, सदस्य न रहने पर तत्काल समाप्त हो जाएगी।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक होगी जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा, अन्यथा निदेश न दिए जाने की दशा में तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(7) परिषद् के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, किन्तु, इस उपधारा के कारण कोई सदस्य किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

परिषद् के कृत्य।

33. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :—

(क) पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों, प्रवेश स्तर और अन्य शैक्षिक विषयों से संबंधित बातों पर सलाह देना,

(ख) कर्मचारियों के काडर, उनकी भर्ती के ढंग और सेवा की शर्तों, छात्रवृत्तियां देने और फीस माफ करने, फीस के उद्ग्रहण और समान हित के अन्य मामलों के बारे में नीति अधिकथित करना,

(ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की जांच करना और उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय परिणामों को भी मोटे तौर से उपदर्शित करना,

(घ) प्रत्येक संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करना और केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजन के लिए निधि आबंटन करने की सिफारिश करना;

(ङ) कुलाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में उस दशा में सलाह देना जिनमें ऐसी अपेक्षा की जाए; और

(च) ऐसे अन्य कृत्य करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सौंपे जाएं।

परिषद् का अध्यक्ष।

34. (1) परिषद् का अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता सामान्यतया करेगा।

(2) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों का क्रियान्वयम होता है।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधितियम द्वारा सौंपे गए हैं।

इस अध्याय के विषयों के बारे में नियम बनाने की शक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम* बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे वियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकते है; अर्थात :–

(क) परिषद् के सदस्यों में रिक्तियों को भरने की रीति;

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के संबंध में निरर्हताएं;

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें और वे प्राधिकारी जिनके द्वारा सदस्य हटाए जा सकते है;

* भारत का राजपत्र, भाग 11, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) सं. 23 तारीख 9 जून 1962 में प्रकाशित वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 25-2/62-टी. 6 तारीख 2 जून 1962 के अधीन बनाए गए परिषद् (प्रौद्योगिकी संस्थान) वियम, 1962

(घ) परिषद् के अधिवेशन और उनमें कामकाज के संचालन की प्रक्रिया;

(ङ) परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते; और

(छ) परिषद् के कृत्य और वह रीति जिससे ऐसे कृत्य किए जा सकते हैं।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

36. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद्, या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा :–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, अथवा

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि, अथवा

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

37. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा उपबंध कर सकती है या ऐसा निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

संक्रमणकालीन उपबंध।

38. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी संस्थान के शासक बोर्ड के रूप में कार्य करने वाला शासक बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं

कर दिया जाता है किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हों, पद धारण नहीं करेंगे ।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली के संबंध में गठित कर्मचारी समिति और किसी अन्य संस्थान के संबंध में गठित किसी विद्या परिषद्* को अधिनियम के अधीन गठित सिनेट तब तक समझा जाएगा जब तक उस संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन सिनेट गठित नहीं कर दिया जाता है ।

(ग) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं तब तक, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले यथाप्रवृत्त इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर के परिनियम और अध्यादेश, उस संस्थान को लागू होते रहेंगे और वे आवश्यक उपांतरों और अनुकूलनों सहित किसी अन्य संस्थान को भी उस निस्तार तक लागू होंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

निरसन और व्यावृत्ति। 1956 का 5

39. (1) इसके द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) अधिनियम, 1956, निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के उपबंध, जो अनुसूची में दिए गए हैं प्रभावी बने रहेंगे :

परन्तु उक्त उपबंधों में, "इस अधिनियम" पद से उक्त उपबन्ध अभिप्रेत हैं ।

* भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1, सं 27 ता. 12-9-63 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 29) द्वारा जो भारत का राजपत्र भाग II अनुभाग 3 सं 38 तारीख 21-9-63 में प्रकाशित अधिसूचना, सं. एफ. 24-19/63-टी. 6 तारीख 12-9-63 द्वारा 13-9-63 से प्रवृत्त हुआ, प्रतिस्थापित ।

अनुसूची
(धारा 39 देखिए)

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ के वे उपबंध जो प्रवृत्त रहेंगे ।

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी (खड़गपुर) को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना।

2. पश्चिमी बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में खड़गपुर में इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के नाम से ज्ञात संस्था के उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि वे संस्था को राष्ट्रीय महत्व का बनाते हैं, अत: इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर के नाम से ज्ञात संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(ख) "बोर्ड" से संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(छ) "संस्थान" से इस अधिनियम के अधीन निगमित इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर के नाम से ज्ञात संस्थान अभिप्रेत है ।

4. (1) बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम निदेशक और प्रथम सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति होंगे, और सभी व्यक्ति जो बोर्ड के अधिकारी या सदस्य इसके पश्चात् हो जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण करते रहेंगे उनको सम्मिलित करके इसके द्वारा इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर के नाम से निगमित निकाय गठित किया जाता है ।

(2) संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

खड़गपुर स्थित इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अन्तरण ।

5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले खड़गपुर स्थित इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी में स्थायी रूप से नियोजित हैं, ऐसे प्रारंभ से ही, संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उससे अपना पद या सेवा उसी सेवा-वृत्ति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर उस दशा में धारण करता जिसमें वह अधिनियम पारित नहीं किया जाता ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी की शर्तों और निबंधनों को परिवर्तित कर सकता है और यदि परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नही हैं तो संस्थान उसका नियोजन, कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या, यदि इस निमित्त कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, तो उसको तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर देकर समाप्त कर सकता है ।

(3) खड़गपुर स्थित इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी में नियोजितऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही ऐसी शर्तों और निबंधनों, पर जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं और जब तक ऐसा उपबंध नहीं कर दिया जाता है तब तक ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले उसको लागू होने वाली शर्तों और निबंधनों पर, संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा ।

उपाबंध

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1963/भाद्र 21ए 1885 (शाका)

संसद् के निम्नलिखित अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 12 सितम्बर, 1963 को प्राप्त हुई और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए वह इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।*

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963

(1963 का सं. 29)

(12 सितम्बर, 1963)

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा,** जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

---

* भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 सं. 27 तारीख 12 सितम्बर, 1963 (पृष्ठ 309/310) में प्रकाशित ।

** यह अधिनियम भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3, सं. 38 तारीख 21 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ 24-19/63-टी. 6 तारीख 12 सितम्बर, 1963 द्वारा 13 सितम्बर, 1963 से प्रवृत्त हुआ ।

धारा 2 का संशोधन 1961 का 59

2. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में "इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, बम्बई" शब्दों के पश्चात "कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनिय की धारा 3 में,–

(क) खण्ड (ग) में उप-खण्ड (i) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(क) कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली नामक सोसायटी के संबंध में, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, दिल्ली ।"

(ख) खंड ब में, उपखंड (i) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली ।"

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) ऐसे निगमन पर कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली कहा जाएगा ।"

धारा 12 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, "खड (ग)" शब्द, कोष्ठक, और अक्षर के स्थान पर "खंड (ङ)" शब्द कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

धारा 38 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 38 में, खंड (ख) में, "किसी संस्थान के संबंध में गठित किसी विद्या परिषद्" शब्दों के स्थान पर "कालेज आफ इजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली के संबध में गठित कर्मचारी समिति और किसी अन्य संस्थान के संबंध में किसी विद्या परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली, का दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज न रहना ।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का 8) या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों की किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन निगमित कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, दिल्ली इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 2 के खंड (क) के अर्थ के अन्तर्गत "सम्बद्ध कालेज" नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के संबंध में जो ऐसे संबद्ध न रहने के पूर्व की गई हैं या जिनके किए जाने में लोप किया गया है ।

परिनियम

(31 जनवरी, 1984 तक संशोधित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम	1
1क. परिभाषाएं	1
2. बोर्ड	2
3. बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन	4
4. सिनेट	4
5. वित्त समिति	8
6. निर्माण और कर्म समिति	9
7. अध्यक्ष	11
8. यात्रा भत्ते	12
9. निदेशक	12
10. उप निदेशक	16
11. संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्यों का वर्गीकरण	16
12. नियुक्तियां	17
13. स्थायी कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें	22
14. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें	33
15. संविदाओं पर नियुक्ति	33
16. अभिदायी भविष्य निधि	34
16क. अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम	35
16ख. साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम	39
17. दीर्घावकाश और छुट्टी	42
18. कर्मचारिवृन्द के लिए निवास स्थान	43
19. विभाग	44
20. विभागाध्यक्ष	45
21. अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों मेडलों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना।	46
22. फीस	48
23. छात्र निवास और छात्रावास	53
24. सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना	54
अनुसूची–"क" : सेवा संविदा	55
अनुसूची–"कक" : चिकित्सीय परिचर्या	61
अनुसूची–"ख" : आचरण नियम	72

		लागू होना	72
		परिभाषाएं	72
		साधारण	73
		राजनीति और निर्वाचन में भाग लेना	74
		प्रेस रेडियो या पेटेंटों से संबंध	74
		संस्थान की आलोचना	75
		समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य	76
		जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना	77
		उपहार	77
		प्राइवेट व्यापार और नियोजन	77
		विनिधान, उधार देना और उधार लेना	77
		दिवालियापन, आभ्यासिक और ऋणिता दाण्डिक कार्यवाही	78
		जंगम, स्थावर और बहुमूल्य संपत्ति	78
		कर्मचारी के कार्यों और चरित्र की रक्षा	79
		विवाद आदि	79
		अभ्यावेदन	79
		दण्ड, अपीलें आदि	80
		निर्वचन	80
अनुसूची–"ग"	:	अभिदायी भविष्य निधि	81
		परिभाषाएं	82
		निधि का गठन और प्रबन्ध	85
		नाम निर्देशन	86
		अभिदाता का लेखा	89
		अभिदाय की शर्तें और दरें	89
		अभिदायों की वसूली	91
		संस्थानों द्वारा अंशदान	91
		ब्याज	92
		निधि से अग्रिम	94
		निधि से प्रत्याहरण	98
		बीमा पालिसियों और परिवार पेंशन निधि लेखे संदाय	101
		पालिसियों के वित्त पोषण संबंधी उपबंधों के निर्बंधन	107
		परिस्थितियां जिनमें संचित धन संदेय है	108
		निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम	112
		कटौतियां	115
		प्रक्रिया	117
परिशिष्ट 1	:	घोषणा का प्ररूप	119
परिशिष्ट 2	:	नामनिर्देशन के प्ररूप	120
परिशिष्ट 3	:	अभिदायी भविष्य निधि खाता	124
परिशिष्ट 4	:	अभिदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन का प्ररूप	126
परिशिष्ट 5	:	समनुदेशन के प्ररूप	128
परिशिष्ट 6	:	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी द्वारा पुनः समनुदेशन और समनुदेशन के प्ररूप	132
परिशिष्ट 7	:	अभिदाता का वर्ष के लिए लेखा विवरण	134
अनुसूची घ	:	छुट्टी सम्बन्धी उपबंध	136
		लागू होना	136
		परिभाषाएं	136
		छुट्टी का अधिकार	137
		छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	137
		छुट्टी का आरम्भ और समापति	137
		छुट्टी का संयोजन	133
		सेवानिवृत्ति के परे और पदत्याग की दशा में छुट्टी का मंजूर किया जाना	138
		एक प्रकार की छुट्टी का अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन	140
		चिकित्सीय आधार पर छुट्टी से लौटने पर ड्यूटी पुनरारम्भ करना	141
		साधारण	141
		छुट्टी के प्रकार	141

		आकस्मिक छुट्टी	142
		विशेष आकस्मिक छुट्टी	143
		विशेष छुट्टी	143
		अर्धवेतन पर छुट्टी	144
		परिवर्तित छुट्टी	145
		अर्जित छुट्टी	145
		असाधारण छुट्टी	147
		प्रसूति छुट्टी	148
		अस्पताल छुट्टी	149
		करंतीत छुट्टी	150
		अर्जन शोध्य छुट्टी	151
		अध्ययनार्थ (सेबेटिकल) छुट्टी	151
		दीर्घावकाश और छुट्टी वेतन	153
		छुट्टी के दौरान वेतनवृद्धि	154
		कुल अनुपस्थिति की सीमा	154
		कुछ मामलों में छुट्टी वेतन का नकदी समतुल्य	154
		सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले में नकदी संदाय	155
अनुसूची "ङ"	:	अभिदायी भविष्य निधि और उपदान	156
		स्कीम लागू होना आदि	156
		परिभाषा	159
		निधि का गठन और प्रबंध	159
		नामनिर्देशन	160
		अभिदाता का लेखा	162
		अभिदायों की शर्तें और दरें	163
		अभिदायों की वसूली	164
		संस्थान द्वारा अंशदान	165
		ब्याज	166
		निधि से अग्रिम	167
		बीमा पालिसियों और परिवार पेंशन निधियों लेखे संदाय	175
		परिस्थितियां जिनमें संचित धन संदेय है	182
		निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम	185
		कटौतियां	189
		प्रक्रिया	191
		उपदान	192
परिशिष्ट 1	:	प्ररूप 1–विकल्प के लिए आवेदन	197
		प्ररूप 2–घोषणा	198
परिशिष्ट 2	:	नामनिर्देशन का प्ररूप	199
परिशिष्ट 3	:	अभिदायी भविष्य निधि खाता	203
परिशिष्ट 4	:	अभिदायी भविष्य निधि से स्थायी अग्रिम के लिए आवेदन का प्ररूप	205
परिशिष्ट 5	:	समनुदेशन के प्ररूप	207
परिशिष्ट 6	:	पुनःसमनुदेशन और समनुदेशन के प्ररूप	211
परिशिष्ट 7	:	वर्ष के लिए अभिदाता का लेखा विवरण	213
परिशिष्ट 8	:	नामनिर्देशन का प्ररूप	215
अनुसूची – "च"	:	साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम लागू होना	222
		अभिदायी या अनभिदायी भविष्य निधि में संचय का अंतरण	222
		घोषणा	222
		परिभाषाएं	222
		साधारण भविष्य निधि	230
		नामनिर्देशन	230
		अभिदाता का लेखा	233
		अभिदाय की शर्तें और दरें	233
		अभिदाय की दरें	234
		ब्याज	235
		निधि से अग्रिम	237
		निधि से प्रत्याहरण	241

निधि में संचयों का अंतिम प्रत्याहरण 243
अभिदाता की सेवा निवृत्ति 243
अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया 244
लेखा विवरण 246
अधिवर्षिता, अशक्त और प्रतिकर पेंशन 247
अर्हक सेवा 248
पेंशन का मापमान 249
पेंशन का संराशीकरण 251
मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान 252
नाम निर्देशन 253
अस्थायी कर्मचारियों के लिए उपदान 256
निक्षेप सह बीमा 267
साधारण 270
परिशिष्ट और प्ररूप
साधारण भविष्य निधि के लिए
नामनिर्देशन के प्ररूप 1 से 12 तक 272

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी कानपुर

परिनियम

1. **संक्षिप्त नाम :**

इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर, परिनियम है।

परिनियम। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-24-42/63 टी. 6 (जिल्द 3) तारीख 22-8-1975 के अनुसार अंतःस्थापित।

1क **परिभाषाएं :**

(क) 'अधिनियम' से प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

(ख) इंस्टीच्यूट (संस्थान) के छात्रनिवास के संबंध में 'सहायक वार्डन' से उसका सहायक वार्डन अभिप्रेत है;

(ग) 'प्राधिकारी', 'अधिकारी' और 'आचार्य' से इंस्टीच्यूट के क्रमशः प्राधिकारी, अधिकारी और आचार्य अभिप्रेत है;

(घ) 'बोर्ड' से इंस्टीच्यूट का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) 'निर्माण और कर्मसमिति' से इंस्टीच्यूट की निर्माण और कर्म समिति अभिप्रेत है;

(च) 'अध्यक्ष' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) 'परिषद्' से इंस्टीच्यूट की परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) 'उपनिदेशक' से इंस्टीच्यूट का उप-निदेशक अभिप्रेत है;

(झ) 'निदेशक' से इंस्टीच्यूट का निदेशक अभिप्रेत है;

(ञ) 'वित्त समिति' से इन्स्टीयूट की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ट) 'इन्स्टीच्यूट' से, अधिनियम के अधीन निगमित इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर नामक संस्थान अभिप्रेत है;

(ठ) 'अध्यादेश' से इन्स्टीच्यूट के अध्यादेश अभिप्रेत है;

(ड) 'रजिस्ट्रार' से इन्स्टीच्यूट का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ढ) 'सिनेट' से इन्स्टीच्यूट का सिनेट अभिप्रेत है;

(ण) इन्स्टीच्यूट के छात्र निवास के संबंध में 'वार्डन' से उसका वार्डन अभिप्रेत है।

2. **बोर्ड :**

(1) बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित या निर्वाचित करने के हकदार निकायों को, उचित समय के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यह समय उस तारीख से जिस तारीख को उसके (रजिस्ट्रार) द्वारा ऐसे आमंत्रण जारी किए जाते हैं आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा। बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन एक कैलेण्डर वर्ष में साधारणतया चार बार होंगे।

(3) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा या स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध पर या ऐसी अध्यपेक्षा पर जिस पर बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों, बुलाए जाएंगे।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-24-9/64-टी 6 ता. 7-9-1967 के अधीन संशोधित।

(4) बोर्ड के अधिवेशन के लिए छह सदस्य गणपूर्ति करेंगे। परन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई अधिवेशन स्थगित कर दिया जाता है तो वह अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय और स्थान पर अथवा अन्य ऐसे दिन और ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष निश्चित करे, आयोजित किया जाएगा और यदि ऐसे अधिवेशन में, अधिवेशन को आयोजित करने के लिए नियत समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थिति नहीं है तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति होंगे।

(5) बोर्ड के अधिवेशन में विचार किए गए सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, मतों की बहुसंख्या से तय किए जाएंगे। यदि मत बराबर बराबर विभाजित हों तो अध्यक्ष को एक दूसरा या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

(6) यदि अध्यक्ष उपस्थित है तो वह बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(7) प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को, अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी। उस सूचना में अधिवेशन का स्थान तथा उसकी तारीख और समय बताया जाएगा।

परिनियम2 (7) का परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी 6 ता0 26-19-1977 के अनुसार अंतस्थापित (22-10-77 से प्रभावी)

परन्तु अध्यक्ष अत्यावश्यक विशेष बातों पर विचार करने के लिए, बोर्ड का अधिवेशन अल्प सूचना पर बुला सकेगा।

(8) सूचना बोर्ड के कार्यालय में अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर दस्ती तौर पर परिदत्त की जा सकेगी या रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकेगी और यदि वह इस प्रकार भेजी जाती है तो उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय सम्यक रूप से परिदत्त की गई है जिस समय वह सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त की जाएगी।

(9) कार्यसूची, अधिवेशन से कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

(10) कार्यसूची में किसी विषय के सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव की सूचनाएं रजिस्ट्रार के पास अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवश्य पहुंच जानी चाहिए। तथापि अध्यक्ष ऐसे किसी विषय के सम्मिलित किए जाने

की अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक् सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होगी।

(12) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा लिखा जाएगा और बोर्ड के भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त और उसके साथ वह संशोधन जिसका सुझाव दिया गया है, बोर्ड के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात उसे एक कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा जो कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर बोर्ड के सदस्यों और परिषद् के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

शिक्षामंत्रालय के पत्र सं. एफ 24-9/64 टी 6 ता. 7-9-67 के अधीन संशोधित।

(13) यदि बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड से अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त किए बिना लगातार तीन अधिवेशनो में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा।

3. बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन

बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय रजिस्ट्रार के या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

परिनियम 4 (1) (क), शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी-6, ता. 26-10-1977 के अनुसार संशोधित (22-10-77से प्रभावी)

4. सिनेट

(1) अधिनियम की धारा 14 में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित, सिनेट के सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) आचार्यों से भिन्न, विभागों, केन्द्रों, विद्यालयों या प्रभागों के अध्यक्ष;

(ख) इंस्टीच्यूट का पुस्तकालय अध्यक्ष;

(ग) वार्डन के रूप में सेवा में ज्येष्ठता क्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से एक वार्डन;

(घ) इंस्टीच्यूट का कर्मशाला अधीक्षक;

(ङ) कर्मचारिवृन्द के अधिक से अधिक छह अन्य सदस्य जो निदेशक से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने विशेष ज्ञान के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

(2) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेट को–

(क) विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण बनाने और उनका पुनरीक्षण करने की शक्ति होगी;

(ख) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने, परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी;

(ग) परीक्षाफलों की घोषणा करने अथवा ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां या पदवियां प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करने की शक्ति होगी;

(घ) इंस्टीच्यूट के विभागों के लिए विभाग के काम काज से संबंधित शैक्षणिक विषयों पर सिफारिश करने के लिए सलाहकार समितियां या विशेषज्ञ समितियां या दोनों नियुक्त करने की शक्ति होगी। संबंधित विभागाध्यक्ष ऐसी समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(ङ) सिनेट के सदस्यों; संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर के विशेषज्ञों में से समितियां ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक विषयों पर जो सिनेट द्वारा ऐसी किसी समिति को निर्देशित किए जाएं सलाह देने के लिए नियुक्ति करने की शक्ति होगी;

(च) विभिन्न विभागों से सम्बद्ध सलाहकार समितियों की और विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करने और ऐसी कारंवाई (जिसके अंतर्गत बोर्ड को सिफारिशें करना भी है) करने की शक्ति होगी जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो;

(छ) विभागों के क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करने और समुचित कारंवाई (जिसके अंतर्गत बोर्ड बोर्ड की सिफारिशें करना भी है) करके की शक्ति होगी;

(ज) पुस्तकालय के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी;

(झ) संस्थान के भीतर अनुसंधान की अभिवृद्धि करने और ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करने की शक्ति होगी;

परिनियम 4 (2) (न) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी 6 तारीख 26-10-77 के अनुसार संशोधित (22-10-1977 से प्रभावी)

(ञ) कक्षाओं और छात्र निवासों के, उनमें शिक्षण और अनुशासन के संबंध में निरीक्षण के लिए, संस्थान के विद्यार्थियों के पाठ्यचर्या के साथ क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करने और उस पर बोर्ड को रिपोर्ट भेजने की शक्ति होगी;

(ट) अध्यादेशों और ऐसे अन्य शर्तों के जो पुरस्कारों के साथ जोड़ी जाएं, अनुसार वृत्तिकाएं, छात्रवृत्तियां, मेडल और पुरस्कार, प्रदान करने की शक्ति होगी;

(ठ) बोर्ड को (i) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द पर पदों का सृजन करने और उनको समाप्त करने के, तथा (ii) ऐसे पद से संलग्न उपलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करने की शक्ति होगी।

(3) सिनेट का अधिवेशन जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु एक कलैण्डर वर्ष के दौरान कम से कम चार बार होगा।

(4) सिनेट के अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपनी पहल पर या सिनेट के सदस्यों में से कम से कम 20% द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर बुलाए जाएंगे। अध्यपेक्षा अधिवेशन कार्यसूची की केवल उस मदों पर, जिनके लिए अध्यपेक्षा की गई है, चर्चा करने के लिए एक विशेष अधिवेशन होगा। अध्यपेक्षा अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा ऐसी अध्यपेक्षा की सूचना दिए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर उस तारीख को और समय पर जो उसके लिए सुविधाजनक हो, बुलाया जाएगा।

परिनियम 4 (4), शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी 6 तारीख 26-10-77 के अनुसार संशोधित (22-10-77) से प्रभावी)

(5) सिनेट के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य सिनेट के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति करेंगे।

परिनियम 4 (5) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/78-टी 6 तारीख 21-7-1979 के अनुसार संशोधित (7-7-79 से प्रभावी)

(6) यदि निदेशक उपस्थित है तो वह सिनेट के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उप-निदेशक अध्यक्षता करेगा तथा निदेशक और उप-निदेशक, दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(7) प्रत्येक अधिवेशन की एक लिखित सूचना, कार्यसूची के साथ, रजिस्ट्रार द्वारा सिनेट के सदस्यों को, अधिवेशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जाएगी। सिनेट का अध्यक्ष किसी ऐसी मद के सम्मिलित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकी।

(8) उप-परिनियम (7) के उपबंधों के होते हुए भी, निदेशक अत्यावश्यक विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सिनेट का आपात अधिवेशन बुला सकेगा।

(9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होगी।

(10) सिनेट के अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और भारत में उपस्थित, सिनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा, परन्तु यदि सिनेट ऐसे परिचालन को संस्थान के हितों के प्रतिकूल समझती है तो ऐसा कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा। कार्यवृत्त और यदि उसमें कोई संशोधन सुझाए गए हैं तो वे भी सिनेट के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे। कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा जो सिनेट, बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर खुली रखी जाएगी।

5. वित्त समिति

(1) इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि वित्त समिति जिसें इसमें आगे उप-परिनियम में "समिति" कहा गया है, भी अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण होगा और वह निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात :–

(क) अध्यक्ष, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति,

(ग) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, और

(घ) निदेशक

(2) समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी :–

(क) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की समीक्षा और संवीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ख) संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर बोर्ड या निदेशक की प्रेरणा से या स्वप्रेरणा से अपने विचार प्रकट करना और बोर्ड को सिफारिशें करना।

(3) समिति का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होगा।

(4) समिति के अधिवेशन के लिए, समिति के तीन सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(5) यदि अध्यक्ष उपस्थित है तो वह समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में सदस्य स्वयं अपने में से एक सदस्य को उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(6) अधिवेशन की सूचना कार्य सूची में मदो के सम्मिलित किए जाने और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशनों को लागू इन परिनियमों के उपबंधों का जहां तक हो सके समिति के अधिवेशन के संबंध में अनुसरण किया जाएगा।

(7) समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी

6. निर्माण और कर्म समिति

(1) इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निर्माण और कर्म समिति भी, जिसे इसके पश्चात इस उप-परिनियम में "समिति" कहा गया है और जो कम से कम पांच और

अधिक से अधिक सात सदस्यों से जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएं मिलकर गठित होगा. अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण होगा।

(2) वह समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) वह बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् सभी बड़े पूंजीगत संकर्मों के, बोर्ड के निदेशन के अधीन, निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी।

(ख) उसे छोटे संकर्मों और अनुरक्षण तथा मरम्मत से संबंधित संकर्मों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और इस प्रयोजन के लिए संस्थान के व्ययनाधीन रखे गए अनुदान के भीतर व्यय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(ग) वह भवनों और अन्य पूंजीगत संकर्मों, छोटे संकर्मों, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की लागत के प्राक्कल तैयार करवाएगी।

(घ) वह ऐसी तकनीकी संवीक्षा जो वह आवश्यक समझे करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) उपयुक्त ठेकेदारों के नाम सूचीबद्ध करने और निविदाओं को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी तथा उसे, जहां भी आवश्यक हो, विभागीय संकर्मों के लिए निदेश देने की शक्ति होगी।

(च) उसे वे दरें जो निविदा के अंतर्गत नहीं है, तय करने तथा ठेकेदार के साथ दावों और विवादों को तय करने की शक्ति होगी।

(3) समिति भवनों के निर्माण और भूमि के विकास के विषय में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड उसे समय-समय पर सौंपे।

(4) आपातिक मामलों में, समिति का अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसे मामलों की रिपोर्ट वह समिति और बोर्ड के अधिवेशन में समिति और बोर्ड को देगा।

(5) समिति का अधिवेशन जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किंतु वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(6) तीन सदस्य, समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति करेंगे।

(7) अधिवेशन की सूचना कार्य सूची मे मदों के सम्मिलित किए जावे और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशन को लागू इन परिनियमों के उपबंधों का जहां तक हो सके समिति के अधिवेशन के संबंध में अनुसरण किया जाएगा।

(8) समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।

7. **अध्यक्ष**

(1) अध्यक्ष को, उन पदों के बारे में जिन पर नियुक्तियां अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा की जा सकती हैं चयन समिति की सिफारिशों पर किसी पदधारी का आरंभिक वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से उच्चतर प्रक्रम पर नियत करने की शक्ति होगी।

(2) अध्यक्ष को संस्थान के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिकथित की जाएं, भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए या प्रशिक्षण के अनुक्रम के लिए भेजने की शक्ति होगी।

(3) संस्थान और निदेशक के बीच सेवा की संविदा लिखित होगी, जैसा कि अनुसूची "क" में उपदर्शित है और वह संस्थान के नाम से की गई कही जाएगी तथा ऐसी प्रत्येक संविदा अध्यक्ष द्वारा निष्पादित की जाएगी किन्तु अध्यक्ष ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के बारे में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 10-1/75-टी6 तारीख 26-11-1976 के अनुसार संशोधित (29-11-1976 से प्रभावी)

(4) आपातिक मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए दे सकेगा।

8. यात्रा भत्ते

(1) सरकारी कर्मचारी या संस्थान के कर्मचारियों से भिन्न, संस्थान के बोर्ड या अन्य प्राधिकरणों के सदस्य और अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित या बोर्ड द्वारा और अन्य प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्य प्राधिकरणों और उनकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिकथित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) संस्थान के और अन्य प्राधिकरणों तथा समितियों के सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अनुज्ञेय दरों पर, उसी स्रोत से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते प्राप्त होगा जिससे वे अपने वेतन लेते हैं। यदि अपेक्षित हो तो संस्थान संबंधित विभाग/सरकार की प्रतिपूर्ति करेगा।

परिनियम 8 (2) के नीचे का पैरा शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी. 6 तारीख 26-10-77 के अनुसार अंतः स्थापित (22-10-1977 से प्रभावी)

किन्तु यदि सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो तो संस्थान संबंधित सदस्यों को तब जब कि वे घोषित करें कि वे अन्य स्रोत से यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते का दावा नहीं करेंगें, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा :–

परन्तु संस्थान उपर्युक्त सरकारी कर्मचारियों को, उन्हें अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय कर सकेगा यदि समुचित सरकार ने उन्हें ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है।

9. निदेशक

(1) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए बजट उपबंध के अधीन रहते हुए, निदेशक को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए, व्यय करने की शक्ति होगी।

(2) निदेशक को आवर्ती बजट गठित करने वाली विभिन्न मदों के बारे में, प्रत्येक मद के लिए, 10,000 रुपयों की सीमा तक, निधियों का पुनर्विनियोग करने की शक्ति होगी परन्तु ऐसे पुनर्विनियोग में भावी वर्षों में कोई दायित्व अंतर्वलित नहीं होगा। ऐसे प्रत्येक पुनर्विनियोग की सूचना बोर्ड को यथाशीघ्र भेजी जाएगी।

(3) निदेशक को कर्मचारिवृन्द के किसी ऐसे सदस्य को जिसका मूल वेतन 500* रु० प्रति मास या उससे कम है, पाँच सौ रुपए तक के अतिसंदाय की, जिसका पता उस संदाय के चौबीस मास के भीतर नहीं लगा है, वसूली का अधित्यजन करने की शक्ति होगी।

शिक्षा संत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76-टी. 6, ता. 26 10-1977 के अनुसार संशोधित (22-10 1977 से प्रभावी)

(4) निदेशक को 1000 रु० तक की अवसूलनीय हानियों और किसी व्यष्टिक मामले में ऐसे भंडारों के जो नष्ट हो गए हैं या उचित टूट फूट के कारण अनुपयोगी हो गए हैं, 5000 रु० तक के अवसूलनीय मूल्य को, ऐसे अनुबंधों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए जाएं, बट्टे खाते डालने की शक्ति होगी।

(5) निदेशक को उन पदों के बारे में जिन पर नियुक्तियां, अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की जा सकती हैं, किसी पदधारी का मूल वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से उच्चतर प्रक्रम पर, किंतु जिसमें पाँच से अधिक वेतन वृद्धियां अंतर्वलित न हों, चयन समिति की सिफारिशों पर, नियत करने की शक्ति होगी।

(6) निदेशक को ऐसे तकनीशियनों और कर्मकारों को नियोजित करने की शक्ति होगी जिन्हें आकस्मिक निधियों से संदाय किया जाता है और जिनकी नियुक्ति में 7 (सात) रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक उपलब्धियां अंतर्वलित नहीं हैं।

(7) निदेशक को कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएं, भारत के भीतर प्रशिक्षण या प्रशिक्षण के अनुक्रम के लिए भेजने की शक्ति होगी।

(8) निदेशक को, पूर्णतः या भागतः अनुपयुक्त हो गए भवन के किरायों की माफी या उनमें कमी करने की मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(9) निदेशक को किसी भवन का उस प्रयोजन से जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अस्थाई आवटन मंजूर करने की शक्ति होगी।

(10) आपवादिक मामलों में, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए निदेशक को अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिक से अधिक दो वर्ष की कालावधि के लिए अनुमोदित वेतनमानों पर अस्थाई पदों के सृजन की शक्ति होगी और उसे उसकी रिपोर्ट बोर्ड को भेजनी होगी परन्तु ऐसा कोई पद इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा जिसका नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक नहीं हैं।

(11) निदेशक को लेखा सहिता के नियमों, मूल और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के, जहाँ तक वे संस्थान के काम काज के संचालन को लागू है या लागू किए जाते हैं, प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी।

(12) यदि किसी कारण रजिस्ट्रार एक मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थाई रूप से अनुपस्थित है तो निदेशक रजिस्ट्रार के कृत्यों में से किसी को, जैसा वह ठीक समझे, ग्रहण कर सकेगा या संस्थान के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सौंप सकेगा। परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रार की अस्थाई अनुपस्थिति एक मास से अधिक हो जाती है तो बोर्ड, यदि वह ठीक समझे, निदेशक को रजिस्ट्रार के कृत्य को ग्रहण करने या उपर्युक्त रूप से सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(13) संस्थान और निदेशक के बीच संविदा को छोड़कर संस्थान के लिए और उसकी ओर से की गई सभी संविदाएं, तब जब कि उन्हें इस निमित्त बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित होंगी और संस्थान के नाम से की गई कही जाएगी और प्रत्येक संविदा निदेशक द्वारा संस्थान की ओर से निष्पादित की जाएगी किंतु निदेशक ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के बारे में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा।

(14) निदेशक मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान उपनिदेशक या संकायाध्यक्षों में से किसी एक को या उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य को कर्मचारिवृन्द के यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्ययों और चिकित्सीय उपचार के लिए अग्रिम मंजूर करने तथा उसकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा उसे निदेशक की ऐसी शक्तियां संभालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो उसके द्वारा उपनिदेशक या संकायाध्यक्षों में से एक या उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य को लिखित रूप में विनिर्दिष्टतः प्रत्यायोजित की जाए। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-5/82 टी-6 ता. 4-3-83 के अनुसार प्रतिस्थापित (11-2-1983 से प्रभावी)

(15) निदेशक स्वविवेकानुसार, ऐसी समितियां गठित कर सकेगा जिन्हें वह समुचित समझे।

(16) यदि अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो या यदि अनुपस्थिति, रुग्णता के कारण या अन्यथा अध्यक्ष अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो निदेशक परिनियम 7 के अधीन अध्यक्ष को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(17) निदेशक अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसमें निहित अपनी शक्तियों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों में से कोई, संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द के एक या अधिक सदस्यों को बोर्ड के अनुमोदन से प्रत्यायोजित कर सकेगा। परिनियम 9 (17) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7 76 टी 6 तारीख 26-10-1977 के अनुसार अंतः स्थापित (22-10-1977 से प्रभावी)

10. उपनिदेशक

उप-निदेशक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य में और उच्चतर ज्ञान और अनुसंधान के अन्य संस्थानों के साथ तथा औद्योगिक उपक्रमों और नियोजकों के साथ भी संपर्क बनाए रखने में, निदेशक की सहायता करेगा।

11. संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्यों का वर्गीकरण

उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिन्हें आकस्मिकता निधियों में सदाय किया जाता है, संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्य निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे :–

(क) शैक्षणिक—जिस पद के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे अर्थात् निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सह-आचार्य सहायक आचार्य प्राध्यापक, कर्मशाला अधीक्षक, सह-प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अनुदेशक, वैज्ञानिक अधिकारी, अनुसंधान सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, उप-पुस्तकालय अध्यक्ष और अन्य ऐसे शैक्षणिक पद जो बोर्ड द्वारा तय किए जाए।

(ख) तकनीकी–जिस पद के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात्–फार्म अधीक्षक, फोरमैन, पर्यवक्षक (कर्मशाला) मैकेनिक, फार्म ओवरसियर, उद्यान-कृषि सहायक, तकनीकी सहायक, नक्शानवीस, व्यायाम शिक्षक और ऐसे अन्य तकनीकी पद जो बोर्ड द्वारा तय किए जाए।

(ग) प्रशासनिक और अन्य–जिस पद के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे अर्थात् रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, सम्पदा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, हाउस सर्जन और अन्य चिकित्सा कर्मचारिवृन्द, मुख्य भंडारी, स्टुवर्ड, कार्यालय अधीक्षक और अन्य ऐसे प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द जो बोर्ड द्वारा तय किए जाएं।

12. नियुक्तियां

(1) संस्थान के सभी पद सामान्यतया विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे किन्तु बोर्ड को, निदेशक की सिफारिश पर यह विनिश्चय करने की शक्ति होगी कि कोई विशिष्ट पद आमंत्रण द्वारा या संस्थान के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरा जाए।

(2) नियुक्तियां करते समय संस्थान, बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार अनुसूचित जाति और जन जातियों के पक्ष में पदों के आरक्षण की आवश्यक व्यवस्था करेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/74-टी 6. ता. 3-10-74 के अनुसार संशोधित (5-9-74 से प्रभावी)

(3) संस्थान के अधीन (संविदा के आधार पर पदों के भिन्न) पदों को विज्ञापन द्वारा या संस्थान के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए चयन समिति नीचे अधिकथित रीति से गठित की जाएगी, अर्थात् :–

(क) उप-निदेशक और आचार्य के पदों के मामलों में, चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) निदेशक	— अध्यक्ष
(ii) कुलाध्यक्ष का एक नाम-निर्देशिती	— सदस्य
(iii) बोर्ड के दो नाम-निर्देशिती जिनमें से एक विशेषज्ञ किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न होगा	— सदस्य
(iv) सिनेट के सदस्य से भिन्न सिनेट द्वारा नाम निर्देशित एक विशेषज्ञ	— सदस्य

(ख) सहायक आचार्य, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और प्राध्यापक के पदों के मामले में चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) निदेशक — अध्यक्ष

(ii) बोर्ड के दो नाम–निर्देशिती जिनमें से एक विशेषज्ञ किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न होगा — सदस्य

(iii) सिनेट द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ, और — सदस्य

(iv) यदि वह पद जिसके लिए चयन किया जा रहा है, विभागाध्यक्ष द्वारा धारित पद से निम्नतर प्रास्थिति का पद है तो संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य

परिनियम 12 (3) (खख) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 10-60/74-टी. 6 ता. 1-10-75 के अनुसार अंतःस्थापित (26-9-1975 से प्रभावी)

(खख) सहायक प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक से प्राध्यापक के पदों पर या प्राध्यापक से सहायक आचार्य के पदों पर वैयक्तिक प्रोन्नति के मामलों में चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) निदेशक — अध्यक्ष

(ii) बोर्ड के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विशेषज्ञ किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न होगा — सदस्य

(iii) सिनेट द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ — सदस्य

(iv) प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद् के अध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती — सदस्य

(v) यदि वह पद जिसके लिए चयन किया जा रहा है विभागाध्यक्ष द्वारा धारित पद से निम्नतर है तो संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य

(ग) पुस्तकालय अध्यक्ष और कर्मशाला अधीक्षक के पदों के मामले में चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(i) निदेशक — अध्यक्ष

(ii) बोर्ड के दो नाम निर्देशिती जिनमें से एक विशेषज्ञ किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न होगा। — सदस्य

(iii) सिनेट द्वारा नाम निर्देशित एक एक विशेषज्ञ — सदस्य

(घ) रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, सम्पदा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पदों के मामले में चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) निदेशक — अध्यक्ष

(ii) उप-निदेशक — सदस्य

(iii) बोर्ड के दो नामनिर्देशिती — सदस्य

(iv) रजिस्ट्रार के पद के लिए छोड़कर, रजिस्ट्रार — सदस्य

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-7/76 टी. 6 ता. 26 10-1977 के अनुसार संशोधित (22-10-1977 से प्रभावी)

(ङ) उक्त कोटियों (क), (ख), (खख), (ग) या (घ) अंतर्गत न आने वाले अन्य पदों के मामले में जिनका वेतनमान ऐसा है कि उसका अधिकतम 900 रु० प्रतिमास से अधिक है, चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) निदेशक या उसका नामनिर्देशिती — अध्यक्ष

(ii) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती — सदस्य

(iii) यथास्थिति संबंधित विभागाध्यक्ष या रजिस्ट्रार — सदस्य

(iv) संस्थान के कर्मचारिवृन्द में से निदेशक द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ — सदस्य

(च) अन्य पदों के मामले में, निदेशक, स्वविवेकानुसार ऐसी चयन समितियां गठित कर सकेगा जो उसके द्वारा समुचित समझी जाएं।

(4) निदेशक की अनुपस्थिति में, संस्थान के कर्मचारिवृन्द का ऐसा कोई सदस्य जो निदेशक के नित्य प्रति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, निदेशक के स्थान पर, चयन समितियों का अध्यक्ष होगा।

(5) उप-निदेशक की अनुपस्थिति में, निदेशक, संस्थान के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को चयन समिति में उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नामनिर्देशित कर सकेगा।

(6) जहां कोई पद संविदा के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है वहां अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार ऐसी तदर्थ चयन समिति गठित कर सकेगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(7) जहां कोई पद संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा या अनधिक बारह मास की अवधि के लिए अस्थाई रूप से भरा जाना है वहां बोर्ड अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(8) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड को "अनुमोदित" कार्यक्रमों के अधीन प्रशिक्षित व्यक्तियों की ऐसी रीति में जो वह समुचित समझे, नियुक्तियां करने की शक्ति होगी। बोर्ड ऐसे "अनुमोदित" कार्यक्रमों की अनुसूची बनाए रखेगा।

(9) यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है तो उस पद के निबंधन और शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

परन्तु चयन समिति इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर, पर्याप्त कारण से विचार कर सकेगी।

(10) चयन समिति उन सभी व्यक्तियों के प्रत्यय पत्रों की समीक्षा करेगी जिन्होंने आवेदन किया है और ऐसे अन्य उपयुक्त नामों पर भी विचार कर सकेगी, जिनका सुझाव यदि कोई हैं; चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा दिया गया है या जो अन्यथा, चयन समिति के ध्यान में लाए गए हैं। चयन समिति ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का, जिसे वह ठीक समझे, साक्षात्कार कर सकेगी और अध्यक्ष के विवेकानुसार सभी या कुछ अभ्यर्थियों के लिए जिन्हे अध्यक्ष ठीक समझे, लिखित परीक्षा या परीक्षाएं आयोजित करवा सकेगी तथा अपनी सिफारिशें, यथास्थिति, बोर्ड को, या निदेशक, को चुने गए अभ्यर्थियों के नाम योग्यता क्रम से व्यवस्थित करके, भेजेगी।

(11) किसी चयन समिति का कोई भी कार्य या उसकी कोई भी कार्यवाही चयम समिति के किसी भी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति मात्र के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। परन्तु यदि चयस समिति का कोई अधिवेशन आवश्यक पाया जाता है तो रजिस्ट्रार उस अधिवेशन की सूचना समिति के सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक पखवारा पूर्व देगा।

(12) इन परिनियमों के अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, किसी पद पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति उस पद के संबंध में, नियुक्ति किए जाने के समय तक, अपने कृत्यों का का प्रयोग करने की पात्र होगी।

(13) संस्थान के अधीन किसी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से नीचे बताई गई दरों पर आवेदन फीस प्रभारित

की जाएगी :-

(क) ऐसे वेतनमान वाला पद जिसका आरंभिक वेतन 210रु0 प्रतिमास से कम है — 1.00 रु0

(ख) ऐसे वेतनमान वाला पद जिसका आरंभिक वेतन 210रु0 या अधिक किन्तु 400रु0 प्रतिमास से कम है — 3.00 रु0

(ग) ऐसे वेतनमान वाला पद जिसका आरम्भिक वेतन 400 रु० प्रतिमास या उससे अधिक है — 7.50 रु०

परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी और विस्थापित व्यक्तियों को आवेदन फीस के संदाय में ऐसी रियायतें मंजूर की जा सकेंगी जो बोर्ड द्वारा समय समय पर तय की जाएं।

(14) संस्थान के अधीन किसी पद के लिए साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को ऐसे यात्रा भत्ते दिए जा सकेंगे जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त समय - समय पर अवधारित किए जाएं।

(15) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट बोर्ड को उसके आगामी अधिवेशन में दी जाएगी।

13 **स्थायी कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें :**

संस्थान के स्थायी कर्मचारियों को निम्नलिखित निबंधन और शर्तें लागू होंगी :

(1) प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि नियुक्त व्यक्ति को बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भारत में सेवा के लिए स्वस्थ और शारीरिक दृष्टि से योग्य घोषित किया जाए।

परन्तु बोर्ड, पर्याप्त कारणों से, किसी विशिष्ट मामले या मामलों में स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगा अथवा किसी मामले या मामला वर्ग में, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगा।

(2) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियाँ साधारणतया एक वर्ष की अवधि की परिवीक्षा के अधीन होंगी, जिस अवधि के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति, यदि उसकी उस पद पर पुष्टि हो जाती है तो, अपने पद को, अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन, उस मास के अंत तक, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, धारण करता रहेगा।

परिनियम 13 (2) और उसके अधीन परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र स. जे - 11011/1/77-टी. 6 तारीख 2-6-77 के अनुसार हैं।

परन्तु जहाँ बोर्ड यह समझता है कि विद्यार्थियों के हित में तथा शिक्षण और अनुसंधानविदों के मार्गदर्शन के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को पुन: नियोजित किया जाना चाहिए तो वह ऐसे सदस्य को, सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र के अन्त तक के लिए, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में समुचित समझा जाए, ऐसे सदस्य को पुन:नियोजित कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि जहां ऐसे किसी सदस्य को, यथास्थिति, सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र के अन्त के परे पुन: नियोजित करना आवश्यक हो जाता है वहाँ बोर्ड कुलाध्यक्ष के पूर्व-अनुमोदन से, ऐसे किसी सदस्य को, प्रथम बार में तीन वर्ष तक की अवधि और तत्पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए पुन: नियोजित कर सकेगा और किसी भी दशा में उक्त अवधि उस शैक्षणिक सत्र के जिसमें वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अन्त से परे की नहीं होगी।

परन्तु यह और कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा सदस्य शिक्षण और अनुसंधानविदों के प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पुन: नियोजित नहीं किया जाएगा।

(क) बीस (20) वर्ष की अर्हक सेवा के पूरा होने पर सेवानिवृत्ति

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11 - 6/78-टी. 6 तारीख 23-9-81 के अनुसार अंत:स्थापित (17-9-1981 से प्रभावी)

कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लिए जाने के पश्चात् किसी भी समय वह कम से कम तीन मास की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देकर, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अधिकथित निबंधनों और शर्तों पर, सेवा से निवृत्त हो सकेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी को संस्थान के किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि ऐसी कालावधियों के लिए बढ़ाने की शक्ति होगी जो आवश्यक पाई जाएं परन्तु यदि परिवीक्षा अवधि के पश्चात उस पदधारी की पुष्टि नही होती है और उसकी परिवीक्षा भी औपचारिक रूप से बढ़ाई नहीं जाती है तो उसे अस्थाई आधार पर बना रहा समझा जाएगा और तब उसकी सेवाए एक मास की सूचना दे कर या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करके समाप्त की जा सकेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र स. एफ - 24—30/64-टी. 6 तारीख 7-9-1969 के अनुसार संशोधित।

(3) (क) 1 जुलाई, 1969 को या उसके पश्चात् संस्थान में नियुक्ति प्रत्येक स्नातक इंजीनियर, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो, भारत में या विदेश में किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर, यदि कोई हो, बिताई गई अवधि भी है, सेवा करने का दायी होगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति से—

(i) ऐसी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष बीतने के पश्चात् उपर्युक्त रूप से सेवा करने की अपेक्षा साधारणतया नहीं की जाएगी और,

(ii) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उपर्युक्त रूप से सेवा करने की अपेक्षा साधारणतया नहीं की जाएगी।

(4) संस्थान का कर्मचारी अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में लगाएगा और वह किसी ऐसे व्यापार या कारबार या किसी अन्य काम में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नहीं लगेगा जो उसके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में हस्तक्षेप कर सकता हो किन्तु इसमें अंतर्विष्ट प्रतिषेध निदेशक की पूर्व अनुज्ञा से, जो पारिश्रमिक को स्वीकार करने के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, दी जा सकेगी, आरंभ किए गए शैक्षणिक कार्य और परामर्शी व्यवसाय को लागू नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान, सूचना दिए बिना और कोई कारण बताए बिना, समाप्त करने की शक्ति होगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाएं तीन मास की सूचना देकर, या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करके समाप्त करने की शक्ति होगी यदि बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सीय आधारों पर उसको सेवा में बनाए रखना ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवांछनीय समझा जाता है।

(7) बोर्ड को कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाएं छंटनी या मितव्ययिता के आधारों पर, संबधित व्यक्तियों को छह मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में छह मास के वेतन का संदाय करके समाप्त करने की शक्ति होगी।

(8) संस्थान का कोई कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की सूचना देकर अपने नियोजन को समाप्त कर सकेगा परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी प्रर्याप्त कारण से या तो इस अवधि को कम कर सकेगा या संबंधित कर्मचारी से मांग कर सकेगा कि वह उस शैक्षणिक सत्र के अंत तक कार्य करता रहे जिसमें वह सूचना प्राप्त हुई है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-7-76 टी. 6 तारीख 26-10-1977 के अनुसार संशोधित (22-10-1977 से प्रभावी)।

(9) निदेशक, संस्थान में नियुक्त कर्मचारिवृन्द, के किसी सदस्य को निम्नलिखित स्थिति में निलम्बित कर सकेगा :–

(क) जहां उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही सोची गई है या लम्बित है, या

परिनियम 13 (9) (ख) के नीचे का परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/75 टी. 6 तारीख 5-11-1976 के अनुसार संशोधित (8-10-1976 से प्रभावी) परिनियम 13 (9) (ख) के परन्तुक के नीचे वाला भाग शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-7/76-टी 6 तारीख 26-10-1977 के अनुसार अंत.-स्थापित (22-10-77 से प्रभावी)।

(ख) जहां किसी दांडिक अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण या विचारण के अधीन है, परन्तु जहाँ कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य किसी दांडिक अपराध के संबंध में या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है वहां ऐसे कर्मचारिवृन्द सदस्य को उस तारीख से जिस तारीख को वह ऐसे निरुद्ध किया गया था, निदेशक द्वारा निलम्बित किया गया समझा जाएगा।

निलम्बन की अवधि के दौरान, कर्मचारिवृन्द सदस्य निम्नलिखित संदायों का हकदार होगा, अर्थात् :–

(क) एक निर्वाह भत्ता जिसकी रकम उस छुट्टी वेतन के बराबर होगी जो वह कर्मचारिवृन्द सदस्य तब आहरित करता जब कि वह आधे औसत वेतन पर या आधे वेतन पर छुट्टी पर होता और इसके अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर वह अनुज्ञेय हो।

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि छह मास से अधिक है वहां निदेशक को प्रथम छह मास की अवधि की पश्चातवर्ती किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नलिखित रूप मे परिवर्तन करने की शक्ति होगी :

(i) यदि निदेशक की राय में निलम्बन की अवधि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से जो सीधे उस कर्मचारिवृन्द सदस्य

के कारण हुए नहीं माने जा सकते हैं, बढ़ाई गई है तो निर्वाह भत्ते की रकम में ऐसी उपयुक्त रकम की वृद्धि की जा सकेगी जो प्रथम छह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की 50% से अधिक नहीं होगी :

(ii) यदि निदेशक की राय में निलम्बन की अवधि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से जो सीधे उस कर्मचारिवृन्द सदस्य के कारण हुए माने जा सकते हैं बढ़ाई गई है तो निर्वाह भत्ते की रकम में ऐसी उपयुक्त रकम की कमी की जा सकेगी जो प्रथम छह मास की अवधि के दौराब अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं होगी;

(iii) मंहगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उपखंडों (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या कम की हुई रकम पर आधारित होगी।

(ख) ऐसे भत्तों के आहरण के लिए अधिकथित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए, उस वेतन के आधार पर जो कर्मचारिवृन्द सदस्य निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था समय समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकारात्मक भत्ता।

किन्तु कोई भी सन्दाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारिवृन्द सदस्य इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

किसी भी कर्मचारिवृन्द सदस्य पर निम्नलिखित शास्तियां ठोस और पर्याप्त तथा इसमें आगे उपबंधित कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी :–

(i) परिनिन्दा;

(ii) वेतनवृद्धियां या प्रोन्नति का रोकना,

(iii) उपेक्षा या आदेश भंग द्वारा संस्थान को पहुचाई गई किसी संपूर्ण धनीय हानि या उसके भाग की वसूली।

(iv) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर अथवा किसी निम्नतर काल वेतनमान में या किसी काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति,

(vi) सेवा से हटाया जाना जो संस्थान के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी।

(vii) सेवा से पदच्युति जो संस्थान के अधीन भावी नियोजन के लिए साधारणतया एक निरर्हता होगी।

किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य पर उपर्युक्त (iv) से (vii) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश उस प्राधिकारी के जिसके द्वारा वह नियुक्त हुआ था, अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा और तब तक जब तक कि संबंधित कर्मचारिवृन्द सदस्य को नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया गया हो, पारित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में, ऊपर वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा :–

(क) जहां कोई कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर जिसके परिणामस्वरूप किसी दांडिक आरोप पर उसे दोषसिद्ध किया गया है, पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्ति में अवनत किया गया है;

(ख) जहां व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता कि उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कुछ कारणों से उस व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं हैं; या

(ग) जहां कुलाध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं है।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उक्त खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य है तो उस पर ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, पदच्युत करने, हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) वह कर्मचारिवृन्द सदस्य जो निदेशक द्वारा उसके विरुद्ध पारित शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, उस आदेश के विरुद्ध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई और अपील नहीं होगी तथा वह कर्मचारिवृन्द सदस्य जो बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध पारित उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, उस आदेश के विरुद्ध कुलाध्यक्ष को अपील करने का हकदार होगा।

इस उप-परिनियम के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से जिस तारीख को अपीलार्थी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति प्राप्त करता है, तीन मास की अवधि के भीतर निवेदित न की गई हो, परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास, समय से अपील प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह प्राधिकारी उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् उस अपील को ग्रहण कर सकेगा।

(11) उप-परिनियम (10) के अधीन, शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील जिस प्राधिकारी को हो सकती है वह किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले के अभिलेख मंगा सकेगा, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश, जो वह ठीक समझता है, पारित कर सकेगा मानों संबंधित कर्मचारिवृन्द सदस्य ने ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की हो।

परन्तु इस उप-परिनियम के अधीन कोई भी कारंवाई पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश की तारीख से छह मास से अधिक पश्चात् आरंभ नहीं की जाएगी।

(12) इस परिनियम की किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष मामले के अभिलेख को स्वप्रेरणा से या अन्यथा मंगाने के पश्चात् ऐसे किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा जो इस परिनियम के अधीन किया गया है या जो उसके अधीन अपीलनीय है, और–

(क) उस आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा,

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त, कम, पुष्ट या संवर्धित कर सकेगा,

(ग) वह मामला उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को यह निदेश देते हुए प्रेषित कर सकेगा कि वह आगे ऐसी कार्यवाई या जांच करे जो उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, या

(घ) ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, परन्तु–

(i) किसी शास्ति को अधिरोपित या इसमें वृद्धि करने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन जो वह करना चाहे, करने का अवसर न दे दिया गया हो :

(ii) यदि कुलाध्यक्ष ऐसे किसी मामले में जिसमें उचित जांच नहीं की गई है उप-परिनियम (9) के खंड (iv) से (vii) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है तो वह ऐसी जाँच की कार्यवाही पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित कर्मचारिवृन्द सदस्य को ऐसी शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(13) उप-परिनियम (10) या (11) के अधीन अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उप-परिनियम (12) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(14) (i) जब संस्थान का कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य जो पदच्युत, हटाया या निलम्बित कर दिया गया है, बहाल कर दिया जाता है तब बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के विषय में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश करेगा :–

(क) संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्य को ड्यूटी से उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए सदेय वेतन और भत्तों के संबंध में, और

(ख) क्या उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि माना जाएगा या नहीं।

(ii) चाहे ऐसा सक्षम प्राधिकारी वह अभिनिर्धारित करे कि संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्य को पूर्णरूपेण माफी दे दी गई है या निलम्बन के मामले में यह कि वह पूर्णतया अनुचित था, संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्य को वह पूरा वेतन दिया जाएगा जिसके लिए वह तब हकदार होता यदि वह, यथास्थिति, पदच्युत, हटाया या निलबित न किया गया होता, और उसके साथ उसे ऐसा भत्ता भी दिया जाएगा जो वह अपनी पदच्युति हटाए जाने या निलम्बन से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(iii) अन्य मामलों में, संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्य को ऐसे वेतन और भत्तों का वह अनुपात दिया जाएगा जो ऐसा सक्षम प्राधिकारी विहित करे।

परन्तु खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं।

(iv) खंड (ii) के अधीन आने वाले मामलों में, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः यह निदेश नहीं देता है कि उसे किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उस रूप में माना जाएगा।

(15) संस्थान के कर्मचारी, बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिकथित मापमान के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

(16) संस्थान के कर्मचारी, स्वयं उन पर और अनुसूची "कक" में उपवर्णित अपने परिवारों पर उपगत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(17) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची "ख" में अधिकथित आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे।

(18) यह विनिश्चय करना परिषद का काम होगा कि संस्थान का कौन सा कर्मचारी वर्ग दीर्घावकाश का हकदार होगा।

14. अस्थाई कर्मचारियों के सेवा निबंधन और शर्तें

(i) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा, या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को दी गई लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी जब तक कि संस्थान और कर्मचारी द्वारा अन्यथा करार न हुआ हो।

(ii) ऐसे कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए।

15. संविदाओं पर नियुक्ति

(1) इन परिनियमों की किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विशेष परिस्थितियों में किसी प्रख्यात व्यक्ति को अनधिक 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर, इस उपबंध के साथ, नियुक्त कर सकेगा कि वह नियुक्ति अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। परन्तु ऐसी प्रत्येक नियुक्ति और उसके निबंधन, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी भी व्यक्ति को, सुसंगत पद को लागू निबंधनों और शर्तों पर अनधिक 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदा

पर इस उपबंध के साथ नियुक्त कर सकेगा कि वह नियुक्ति अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। ऐसी नियुक्तियां करने के लिए, अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, ऐसी तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकेगा जो प्रत्येक मामलो की परिस्थितियों से अपेक्षित हों।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-10/68-टी. 6 तारीख 24 5-1969 के अनुसार (22-5-1969 से प्रभावी)

(3) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किसी प्रख्यात व्यक्ति को अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर इस उपबंध के साथ निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी कि वह नियुक्ति अतिरिक्त अवधियों के लिए नवीकृत की जा सकेगी परन्तु ऐसी प्रत्येक नियुक्ति और उसके निबंधन कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

16. अभिदायी भविष्य निधि

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 24/23/65-टी. 6 ता. 6-1-1971 के अनुसार संशोधित।

(1) संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य अभिदायी भविष्य निधि, अनुसूची "ग" में उपवर्णित उपबंधों के अनुसार गठित की, बनी रखी और प्रशासित की जाएगी। इन परिनियमों के प्रारंभ से तुरंत पूर्व संस्थान के कर्मचारियों के फायदे के लिए रखी गई अभिदायी भविष्य निधि में अभिदायों के सभी सचय इस परिनियम के अधीन गठित अनिवार्य भविष्य निधि को अंतरित हो जाएगे और इस प्रकार गठित निधि में उनके हकदार कर्मचारियों के लेखाओं में जमा कर दिए जाएंगे। अभिदाता इस प्रकार गठित निधि में अपनी उपलब्धियों के कम से कम $8\frac{1}{3}\%$ के बराबर रकम का अभिदाय करेगा किन्तु उक्त निधि में संस्थान का अभिदाय अभिदाता की उपलब्धियों के $8\frac{1}{3}\%$ तक सीमिति होगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-2/71-टी-6 तारीख 24-11-71 के अनुसार संशोधित।

(2) अनुसूचा "ग" के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संस्थान के ऐसे सभी स्थायी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1971 के पूर्व नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने अन्यथा परिनियम 16 क में निर्दिष्ट अभिदायी भविष्य निधि और

उपदान स्कीम या परिनियम 16 ख में निर्दिष्ट साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, अभिदायी भविष्य निधि में सम्मिलित होंगे।

(3) संस्थान का ऐसा कोई भी कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि के फायदों का हकदार नहीं होगा जिसकी संस्थान में सेवाओं ने उसे पेंशन और उपदान के लिए हकदार बनाया है या जिसके लेखे, संस्थान पेंशन के मद्दे अभिदाय करता है या जो संस्थान द्वारा किसी समेकित वेतन पर या विशेष निबंधनों पर जो भविष्य निधि के फायदों को अपवर्जित करते हैं, नियुक्त किया गया है।

(4) परिनियम 16 क या परिनियम 16 ख में जैसा अन्यथा विहित है उसे छोड़कर, ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में जो संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय को किसी अन्य संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पदग्रहण करने के लिए छोड़ रहा है, अभिदायी भविष्य निधि में उसका संचय, यथास्थिति, उस संस्थान या विश्वविद्यालय को जिसमें वह पदग्रहण करता है, अंतरित कर दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र स. एफ. 10-20/76-टी. 6 तारीख 20-2-1979 के अनुसार संशोधित (15-2-1979 से प्रभावी)

16-क अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम

(1) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी,

(i) जिसके प्रति परिनियम 16 के खंड (2) में निर्देश किया गया है, या

(ii) जो स्थाई आधार पर नियुक्ति धारित करता है किन्तु अनुसूची "ग" के उप-पैरा (2क) के निबंधनों के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय कर रहा है या उससे उसमें अभिदाय करने की अपेक्षा की जाती है, या

(iii) जो 1 जनवरी, 1971 को या उसके पश्चात् या तो प्रथम बार नियुक्त या पुन:नियुक्त किया जाता है, संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए प्रायोजित अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा,

परन्तु ऐसे किसी विकल्प का प्रयोग ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाएगा जो संस्थान द्वारा किसी समेकित वेतन पर या विशेष निबंधनों पर जो अभिदायी भविष्य निधि के फायदों को अपवर्जित करते हैं, नियुक्त किया गया है या जिसने परिनियम 16 ख में निर्दिष्ट साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया है।

(2) ऐसे किसी विकल्प का प्रयोग अनुसूची ङ के परिशिष्ट 1 में इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप 1 में निम्नानुसार किया जाएगा—

(i) उपखंड (i) में (1 अप्रैल, 1962 के पूर्व नियुक्त या पुन:नियुक्त स्थायी कर्मचारी से भिन्न) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में, 1 जनवरी, 1971 से तीन मास की अवधि के भीतर।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-2/71-टी. 6 ता. 24-11-1971 के अनुसार संशोधित।

(i) (क) 1 अप्रैल, 1962 से पूर्व नियुक्त या पुन:नियुक्त कर्मचारी के मामले में, 1-12-1971 से तीन मास की अवधि के भीतर, और

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-6/76-टी. 6 तारीख 16-7-1978 के अनुसार संशोधित।

(ii) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में, एक वर्ष की स्थायी निरन्तर सेवा के पूरा होने या पुष्टिकरण की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, तीन मास की अवधि के भीतर।

(3) उपखंड (i) या (ii) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से ऐसे विकल्प के प्राप्त होने पर, ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने के तुरन्त पूर्व संस्थान के कर्मचारियों के फायदे के लिए रखी गई अभिदायी भविष्य निधि में ऐसे कर्मचारी के सभी संचय संस्थान के अभिदाय के एक तिहाई प्रतिशत और उस पर ब्याज को घटा कर, जो संस्थान को वापस मिल जाएगा और उसकी निधि में जमा हो जाएगा, नई अभिदायी भविष्य निधि को अंतरित हो जाएंगे।

(3क) (क) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी—

परिनियम 16क (3क) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-6/76-टी. 6 ता. 16-7-1978 के अनुसार अंत:स्थापित।

(i) जो परिनियम 16 द्वारा शासित है या जिसने परिनियम 16 ख के उप-परिनियम (1) और (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, या

(ii) जो 1-7-1977 को या उसके पश्चात् या तो प्रथम बार नियुक्त या पुन: नियुक्त किया जाए, संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए प्रायोजित अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

परन्तु ऐसे किसी भी विकल्प का प्रयोग ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाएगा जो संस्थान द्वारा किसी समेकित वेतन पर या विशेष निबंधनों पर जो सेवानिवृत्ति फायदा स्कीमों के फायदों को अपवर्जित करते हैं, नियुक्त किया गया है।

(ख) ऐसे किसी भी विकल्प का प्रयोग अनुसूची ङ के परिशिष्ट 1 में इस प्रयोजन के लिए विहित प्रारूप 1 में, इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और एक बार प्रयोग कर लेने पर ऐसा विकल्प अन्तिम होगा।

(ग) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से ऐसे विकल्प के प्राप्त होने पर, ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने के तुरन्त पूर्व संस्थान के कर्मचारियों के फायदे के लिए रखी गई अभिदायी भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीमों में, ऐसे किसी कर्मचारी के सभी संचय, परिनियम 16 द्वारा शासित कर्मचारियों की अभिदायी भविष्य निधि में से संस्थान के अभिदाय के एक तिहाई प्रतिशत और उस पर ब्याज को घटाकर, जो संस्थान को वापस मिल जाएगा और उसकी निधि में जमा हो जाएगा, अभिदायी भविष्य निधि को अंतरित हो जाएंगे।

(4) ऐसा कोई भी कर्मचारी इस प्रकार गठित निधि में अपनी परिलब्धियों के अन्यून आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत रकम का अभिदाय करेगा किंतु उक्त निधि में संस्थान का अभिदाय उसकी परिलब्धियों के आठ प्रतिशत तक निबंधित होगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 11-6/76 टी. 6, ता. 16-7-1973 के अनुसार संशोधित (1-11-1973 से प्रभावी)

(5) इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी कर्मचारी परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने या तीस हजार रुपयों को, जो भी कम हो, अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए, सेवा की संपूरित छह मास की प्रत्येक अवधि के लिए अपनी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर उपदाय का भी हकदार होगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 10/20/76-टी. 6 तारीख 20-2-1979 के अनुसार संशोधित (15-2-1979 से प्रभावी)।

(6) किसी अन्य संस्थान या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मे पद ग्रहण करने के लिए, इस संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ने वाला कर्मचारी, यथास्थिति, नए संस्थान या विश्वविद्यालय की तत्समान स्कीम में सम्मिलित होगा और निधि में उसके संचय, नए संस्थान या विश्वविद्यालय की तत्समान निधि को अंतरित हो जाएंगे।

(7) ऐसे किसी कर्मचारी को अंततोगत्वा संदेय कुल उपदान का दायित्व प्रत्येक संस्थान में अर्हक सेवा की अवधि के अनुपात में, संस्थानों के बीच वितरित किया जाएगा।

(8) इस परिनियम में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसे छोड़कर, अन्य सभी दृष्टि से इन परिनियमों की अनुसूची ङ के उपबंध इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

16ख साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम

(1) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी—

(i) जिसके प्रति परिनियम 16 के खंड (2) में निर्देश किया गया है, या

शिक्षा मंत्रालय के पत्र स. एफ. 24-23/65/टी. 6 तारीख 24-11-1971 के अनुसार संशोधित।

(ii) जो अस्थाई आधार पर कोई नियुक्ति धारित करता है किंतु अनुसूची "ग" के उप-पैरा (2क) के निबंधनों के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय कर रहा है या उससे उसमें अभिदाय करने की अपेक्षा की जाती है, या

(iii) जो 1 जनवरी, 1971 को या उसके पश्चात या तो प्रथम बार नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाता है, कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

परन्तु ऐसे किसी विकल्प का प्रयोग ऐसे कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाएगा जो संस्थान द्वारा किसी समेकित वेतन पर या विशेष निबंधनों पर, जो अभिदायी भविष्य निधि स्कीम के फायदों को अपवर्जित करते है, नियुक्त किया गया है या जिसने परिनियम 16क में निर्दिष्ट अभिदायी भविष्य निधि और उपदाय स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया है।

(2) ऐसे किसी विकल्प का प्रयोग अनुसूची "च" के परिशिष्ट में इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप । में निम्नानुसार किया जाएगा—

परिनियम 16ख(2)(i) और (ik) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-2/71-टी. 6 तारीख 24-11-1971 के अनुसार संशोधित।

(i) उपखंड (i) में (1 अप्रैल, 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनः नियुक्त स्थायी कर्मचारी से भिन्न) या उपखंड

(ii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में, 1 जनवरी, 1977 से तीन मास की अवधि के भीतर ।

(iक) 1 अप्रैल, 1962 से पूर्व नियुक्त या पुनः नियुक्त कर्मचारी के मामले में, 1-12-1971 से तीन मास की अवधि के भीतर, और

परिनियम 16ख (2) (ii) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-6/76-टी.6 तारीख 16-7-1978 के अनुसार संशोधित ।

(ii) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में, एक वर्ष की अस्थायी सेवा के पूरा होने की या पुष्टि की, जो भी पूर्वतर हो, तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ।

(3) उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से ऐसे विकल्प के प्राप्त होने पर, अभिदायी भविष्य निधि में उस कर्मचारी के खाते में जमा संस्थान का अभिदाय और उस पर ब्याज संस्थान को प्रतिवर्तित हो जाएगा तथा अभिदायी भविष्य निधि में कर्मचारी का अपना अभिदाय, उक्त निधि से लिए गए अग्रिमों के, यदि कोई हों; और उस पर ब्याज के समायोजन के पश्चात्, संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए खोली जाने वाली साधारण भविष्य निधि में उसके अभिदाय के रूप में रखा जाएगा ।

परिनियम 16ख (3क) शिक्षा मंत्रालय के पत्र स. एफ. 11-6/76 - टी. 6 ता. 16 - 7 - 1978 के अनुसार अतःस्थापित ।

(3क) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी–

(i) जो परिनियम 16 द्वारा शासित है या जिसने परिनियम 16क के उप-परिनियमों (1) और (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, या

(ii) जो 1-7-1977 को या उसके पश्चात् या तो प्रथम बार नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाए, कर्मचारियों के फायदे के लिए, संस्थान द्वारा प्रायोजित साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा ।

परन्तु ऐसे किसी भी विकल्प का प्रयोग ऐसे किसी कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाएगा जो संस्थान

द्वारा किसी समेकित वेतन पर या विशेष निबंधनों पर जो सेवानिवृत्ति फायदा स्कीमों के फायदों को अपवर्जित करते हैं, नियुक्त किया गया है ।

(ख) ऐसे किसी भी विकल्प का प्रयोग, अनुसूची "च" के परिशिष्ट 1 में इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप 1 में, इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग किए जाने पर वह अंतिम होगा ।

(ग) खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से ऐसा विकल्प प्राप्त होने पर, अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम में उस कर्मचारी के खाते में जमा संस्थान के अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम संस्थान को प्रतिवर्तित हो जाएगी और उसको निधि में जमा कर दी जाएगी और अभिदायी भविष्य निधि अथवा अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम में कर्मचारी का अपना अभिदाय, उक्त निधि से लिए गए अग्रिमों के, यदि कोई हों, समायोजन के पश्चात् उस पर ब्याज सहित संस्थान द्वारा उस प्रयोजन के लिए खोली गई अभिदायी भविष्य निधि में उसके अभिदाय के रूप में रखी जाएगी ।

(4) स्थायी कर्मचारी को या खंड (i) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ऐसे कर्मचारी को जो 1 अप्रैल, 1970 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1971 से पूर्व, अभिदायी भविष्य निधि के फायदों सहित सेवानिवृत्त हो गया है या सेवा निवृत्त होता है यदि वह अनुसूची "च" के परिशिष्ट 1 में इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप 2 में किसी विकल्प का प्रयोग 1 जनवरी, 1971 से तीन मास की अवधि के भीतर करता है तो, साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम का फायदा मंजूर किया जाएगा और उसकी भविष्य निधि में संस्थान का अभिदाय और उस पर ब्याज; यदि दिया जा चुका

है, उक्त स्कीम के अधीन उसे अनुज्ञेय मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान में से समायोजित किया जाएगा और यदि कोई अतिशेष है तो उसका संस्थान को नकदी में प्रतिदाय किया जाएगा ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/67 - 6 टी ता. 16-7-78 के अनुसार संशोधित (1-11-1973 से प्रभावी)

(5) इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई कर्मचारी, परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने या तीस हजार रुपयों की, जो भी रकम हो, अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए सेवा की संपूरित प्रत्येक छह मास की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर उपदान का भी हकदार होगा ।

(6) अधिनियम के अधीन निगमित किसी अन्य संस्थान में पदग्रहण करने के लिए इस संस्थान को छोड़ने वाला ऐसा कोई कर्मचारी नए संस्थान की तत्समान स्कीम में सम्मिलित होगा और निधि में उसके संचय नए संस्थान की तत्समान निधि को अंतरित हो जाऐंगे ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 10-20/76 - टी. 6 ता. 20 - 2 - 1979 के अनुसार संशोधित (15-2-79 से प्रभावी)

(7) ऐसे कर्मचारी को अन्ततोगत्वा संदेय कुल उपदान और पेंशन और दायित्व प्रत्येक संस्थान या संस्थान और विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा की अवधि के अनुपात में संस्थान और विश्वविद्यालय के बीच वितरित किया जाएगा ।

(8) इस परिनियम में अन्यथा जैसा उपबंधित है, उसे छोड़कर अन्य सभी दृष्टि से इन परिनियमों की अनुसूची "च" के उपबंध इस स्कीम के प्रयोजन के लिए लागू होंगे ।

17. दीर्घावकाश और छुट्टी

(1) संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची "घ" में अधिकथित दीर्घावकाश और छुट्टी का हकदार होगा ।

(2) संस्थान की सेवा में किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य के खाते में 1 अप्रैल, 1962 से ठीक पूर्व बकाया संचित छुट्टी, उसे उस तारीख के पश्चात्, छुट्टी की विहित सीमा के अधीन रहते हुए उपलभ्य हो जाएगी ।

(3) जब कोई कर्मचारी किसी अन्य संस्थान या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से आकर इस संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पदग्रहण करता है तब ऐसे पदग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को उसके खाते में बकाया छुट्टी अग्रनीत की जाएगी और उस संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जिसमें वह पदग्रहण करता है, उसके छुट्टी खाते में, छुट्टी के संचयन की विहित सीमा के अधीन रहते हुए, जमा की जाएगी ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 10-20/76 टी. 6 तारीख 20-2-1979 के अनुसार संशोधित (15 - 2 - 1979 से प्रभावी)

18. कर्मचारिवृन्द के लिए निवास स्थान:

(1) संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को संस्थान के कैम्पस (निवेश) के भीतर आवासीय उपयोग के लिए असज्जित मकान, यदि उपलब्ध हो तो, आंबटित किया जा सकेगा जिसमें ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, निवास करने की उससे अपेक्षा की जाएगी ।

(2) संस्थान के ऐसे कर्मचारी से जिसे आवासीय उपयोग के लिए मकान आबंटित किया गया है, उसकी कुल परिलब्धियों के दस प्रतिशत की या उसके द्वारा दखल किए गए मकान की (नगरपालिका प्रभारों सहित) पूँजीगत लागत के छह प्रतिशत की दर से, जो भी कम हो, अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी ।

परन्तु ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करता है और जिसकी परिलब्धियाँ 440 रु0 से कम हैं, अनुज्ञप्ति फीस उसकी कुल परिलब्धियों के साढ़े सात प्रतिशत या उसके द्वारा दखल किए गए मकान की पूँजीगत लागत (जिसके अंतर्गत नगरपालिका प्रभार भी हैं) के छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, जो भी कम हो, प्रभारित की जाएगी ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-1 / 70-टी. 6 ता. 26 - 10 - 77 के अनुसार संशोधित । (20 - 2 - 1977 से प्रभावी)

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-7 / 76-टी. 6 ता. 26-10-1977 के अनुसार संशोधित (22-10-1977 से प्रभावी)

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जिसके पुनरीक्षित वेतनमान में कुल परिलब्धियां 440 रु०* से कम नहीं हैं, अनुज्ञप्ति फीस की कटौती करने के पश्चात् शुद्ध परिलब्धियां 421.55* रु० से कम नहीं होंगी।

(ख) कर्मचारी से अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त जल, विद्युत और की गई किसी अन्य सेवा के लिए प्रभार ऐसी दरों से वसूल किए जाएंगे जो निदेशक द्वारा और निदेशक के मामले में, बोर्ड द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएं।

(3) यदि बोर्ड संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह कर्मचारिवर्ग के किसी प्रवर्ग को, कोई अनुज्ञप्ति फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करके, सज्जित या असज्जित निवास स्थान आबंटित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस परिनियम के प्रयोजन के लिए "आनंटित करना" पद से संस्थान के किसी कर्मचारी को संस्थान के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए किसी मकान या उसके भाग को निवास स्थान के रूप में उसके द्वारा उपयोग के लिए अधिभोग में लेने के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है।

19. विभाग

संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे :

(क) वैमानिक इंजीनियरिंग

(ख) रसायन शास्त्र

(ग) रासायनिक इंजीनियरिंग

(घ) सिविल इंजीनियरिंग

(ङ) विद्युत इंजीनियरिंग

(च) मानविकी और सामाजिक विज्ञान

(छ) गणित

(ज) यांत्रिक इंजीनियरिंग

(झ) धातुकर्म इन्जीनियरिंग

(ञ) भौतिक शास्त्र

(ट) कम्प्यूटर विज्ञान और इन्जीनियरिंग।

परिनियम 19(ट) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 11-83/82-टी 6 ता. 30-3-1983 के अनुसार अंत:स्थापित (24-3-1983 से प्रभावी)

परन्तु इसके अतिरिक्त, बोर्ड, सिनेट की सिफारिशों पर एक या अधिक अनुसंधान स्कूल या केन्द्र स्थापित या उत्सादित कर सकेगा।

परिनियम 19 के नीचे का परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-7/76–टी. 6 ता. 26–10–1977 के अनुसार अंत:स्थापित (22–10–1977 से प्रभावी)

20. विभागाध्यक्ष

(1) संस्थान का प्रत्येक विभाग एक अध्यक्ष के भारसाधन में रखा जाएगा जो निदेशक द्वारा आचार्यों, सह-आचार्यों में से चुना जाएगा।

परन्तु जब निदेशक की राय में परिस्थिति की ऐसी माँग है तो निदेशक किसी विभाग का अस्थायी भारसाधन स्वयं ले सकेगा या उसे उपनिदेशक अथवा अन्य विभाग के किसी आचार्य के भारसाधन में अनधिक छह मास की अवधि के लिए रख सकेगा।

परिनियम 20 (i) का परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ–24–43/64–टी. 6 ता. 4/5-11-1966 के अनुसार अंत:स्थापित।

(2) विभागाध्यक्ष, निदेशक के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए विभाग के सम्पूर्ण कामकाज के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यह देखना विभागाध्यक्ष का काम होगा कि संस्थान के और निदेशक के विनिश्चयों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

21· **अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, मैडलों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना :**

निम्नलिखित अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियां, नि:शुल्क अध्ययन-वृत्तियां, छात्रसहायता वृत्तियां, मैडल और पुरस्कार संस्थान द्वारा संस्थित किए जाएंगे :–

(1) ऐसी छात्रवृत्तियाँ जिनमें से प्रत्येक 75 रु0 प्रतिमास की होगी, विज्ञान में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों और मास्टर की उपाधि में परिणत होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों में से 25% को इस निमित्त अध्यादेश में किए गए उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(2) (क) संस्थान द्वारा विज्ञान में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों और मास्टर की उपाधि में परिणत होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई सभी छात्रवृत्तियों के साथ नि:शुल्क अध्यापन का विशेषाधिकार जुड़ा होगा।

(ख) विज्ञान में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों और मास्टर की उपाधि में परिणत होने होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की कुल संख्या के 10% को केवल साधनों को ध्यान में रखकर नि:शुल्क अध्ययन वृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी।

ये प्रदान, इस निमित्त अध्यादेशों में किए गए उपबंध के अनुसार किए जाएंगे।

(3) 250 रु. प्रति मास मूल्य की स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां संस्थान के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशप्राप्त सभी छात्रों को प्रदान की जाएंगी।

ये छात्रवृत्तियां ऐसी शर्तों के अधीन होंगी जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं।

(4) संस्थान द्वारा 150 रु. प्रतिमास मूल्य की प्रत्येक व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका 1 अगस्त, 1965 से उन स्नातकों को प्रदान की जाएगी जो पहले अंतिम वर्ष कक्षा में संस्थान की छात्रवृत्ति पा रहे थे। ये वृत्तियां एक वर्ष की अवधि के लिए होंगी और ये ऐसी शर्तों के अधीन होंगी जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-24-26/65–टी. 6 तारीख 27–4–1966 के अनुसार संशोधित (1–8–1965 से प्रभावी)

(5) नीचे वर्णित मूल्य की अनुसंधान छात्रवृत्तियां संस्थान में प्रवेश प्राप्त सभी अनुसंधानविदों को प्रदान की जाएंगी :

(क) इंजीनियरी और प्रौद्योगिक विषयों में अनुसंधान कार्यकर्ता को तब जब कि छात्रों ने दो वर्ष की कालावधि की इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी मे मास्टर उपाधि सफलतापूर्वक पूरी की हो या उन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् संस्थान द्वारा अनुमोदित अध्ययन/अनुसंधान में दो वर्ष बिताए हों और वे संस्थान द्वारा पी. एच. डी. उपाधि के लिए रजिस्टर किए गए हों — 400 रु. प्रतिमास

(ख) (i) विज्ञान और अन्य विषयों में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को तब जब कि छात्रों के पास समुचित क्षेत्र में मास्टर उपाधि हो — 300 रु. प्रतिमास

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ–11–2/68–टी. 6 ता. 14–2–1974 के अनुसार संशोधित (9-2-1974 से प्रभावी)

(ii) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विषयों में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को तब जब कि छात्रों के पास इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि हो — 300 रु. प्रतिमास

ये छात्रवृत्तियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं, अनुसंधान की कालावधि के लिए होंगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-1/71-टी. 6 ता. 10-12-1971 के अनुसार संशोधित (5-12-1971 से प्रभावी)

(6) अध्येताओं को 500 रु. प्रतिमास मूल्य की पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्ति संस्थान में उनके कार्य की कालावधि के लिए प्रदान की जाएगी।

यह प्रदान अध्यादेशों में किए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा और यह ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो उनमें अधिकथित की जाएं।

(7) बोर्ड सिनेट की सिफारिश पर ऐसी छात्र सहायता वृत्तियां, मैडल और पुरस्कार संस्थित कर सकेगा जो वह वांछनीय समझता है। इनका प्रदान इस निमित्त किए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा।

22. फीस

परिनियम 22(1)(क) के नीचे का परन्तुक शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-2/78-टी. 6 तारीख के अनुसार अंतःस्थापित (30-6-1978 से प्रभावी)

(1) संस्थान द्वारा प्रभारित फीसें निम्नलिखित होंगी :—

(क) केवल स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस जो आवेदन फीस के रूप में अग्रिम संदेय है — 15 रु.

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अभ्यर्थी से कोई रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित नहीं की जाएगी — 15 रु.

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश फीस जो प्रवेश के समय देय है — 10 रु.

(ग) (i) विज्ञान में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों और मास्टर उपाधि में परिणत होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन फीस जो आठ बराबर किस्तों में संदेय है — 200 रु. प्रति वर्ष

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 24-46/63 ता. 2-7-1964 के अनुसार

(ii) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन फीस जो आठ बराबर किस्तों में संदेय है — 300 रु. प्रति वर्ष

शिक्षा मन्त्रालय के पत्र सं. एफ 11-4/79-टी 6- ता. 4-5-1982 के अनुसार संशोधित (19-4-1982 से प्रभावी)

(घ) छात्र निवासों में जहां छात्र निवास करते हैं, स्थान किराया जिसमें विद्युत और जल प्रभार भी सम्मिलित हैं :

	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर
(क) 1 सेमेस्टर, चार बराबर किस्तों में संदेय	40 रु.	80 रु.
(ख) 11 सेमेस्टर, चार बराबर किस्तों में संदेय	40 रु.	80 रु.
(ग) ग्रीष्म दीर्घावकाश, उनके लिए जिनसे उस दीर्घावकाश के दौरान संस्थान की अनुज्ञा से छात्र निवास में ठहरना अपेक्षित है —एक किस्त में	15 रु.	15 रु.
(घ) शरद दीर्घावकाश, उनके लिए जिनसे उस दीर्घावकाश के दौरान, संस्थान की अनुज्ञा से छात्र निवास में ठहरना अपेक्षित है— एक किस्त में	5 रु.	5 रु.

(ङ) (i) स्वास्थ्य परीक्षा फीस — 2 रु. प्रतिवर्ष

(ii) जीमखाना फीस — 20 रु. प्रतिवर्ष

(iii) प्रवेश के समय संदेय चिकित्सीय - निधि और उन छात्रों की दशा में जो पहले से संस्थान में हैं, यह अध्यापन फीस की पहली किस्त के साथ संदेय — 5 रु. प्रतिवर्ष

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-1/67 टी. 6 ता. 23-3-1968 के अनुसार।

(च) निम्नलिखित के लिए परीक्षा फीस—
मास्टर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम — 100 रु.
उच्चतर उपाधि — 200 रु.

(छ) डिप्लोमाओं के लिए फीस-यदि वे अनुपस्थिति में प्रदान किए जाएं–सभी छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं के लिए — 10 रु.

(ज) ग्रेड कार्ड के लिए फीस — 5 रु.

(झ) पी-एच0 डी0 उपाधि के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस — 5 रु.

(ञ) (i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए फीस-आवेदन फीस के रूप में अग्रिम संदेय — 5 रु.

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 24-50/65 टी. 6 ता. 28-10-1968 के अनुसार (10-10-1968 से प्रभावी)

(ii) अनुसंधानविदों और डाक्टर की उपाधि के पश्चात् अध्येताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस (प्रवेश के समय संदेय) — 5 रु.

(ट) प्रवास प्रमाणपत्र जारी करने की फीस — 5 रु.

(ठ) क्रास लिस्ट जारी करने की फीस — 5 रु.

(ड) संस्थान की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की फीस — 5 रु. प्रति पर्चा

(ढ) ग्रेड कार्ड की दूसरी प्रति जारी करने की फीस 3 रु.

(ण) डिप्लोमा की दूसरी प्रति जारी करने की फीस 10 रु.

(त) प्रवास प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने की फीस — 3 रु.

(थ) क्रास लिस्ट की दूसरी प्रति जारी करने की फीस — 2 रु.

(द) अवधान द्रव्य :

(i) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए–अग्रिम संदेय — 25 रु.

(ii) अनुसंधानविदों और डाक्टर की उपाधि के पश्चात् अध्येताओं के लिए–अग्रिम संदेय — 100 रु.

(ध) उन पाठयक्रमों के लिए जिनके लिए ऊपर उपबंध नहीं किया गया है* — बोर्ड द्वारा यथाअधिकथित

अनुसंधानविदों और अध्येताओं से अवधानद्रव्य निक्षेप की वसूली का विशेष मामला में, संस्थान या सरकार के किसी जिम्मेदार स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति पेश किए जाने के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा अधित्यजन किया जा सकेगा।

*शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-3/70 टी. 6 ता. 31-5-1971 के अनुसार संशोधित (27-5-1971 से प्रभावी)

अवधान द्रव्य छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं को, उनके द्वारा संस्थान छोड़े जाने के चार वर्ष के भीतर, उसमें से सुसंगत बकाया राशियों को, यदि

कोई हों, कटौती करने के पश्चात् प्रतिदेय है। यदि प्रतिदाय के लिए कोई दावा उस अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो अवधान द्रव्य संस्थान की निधि में जमा कर दिया जाएगा। निदेशक, पर्याप्त कारणों से, इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् अवधान द्रव्य के प्रतिदाय के लिए दावों का अन्वेषण और उन्हें ग्रहण कर सकेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-7/76 टी 6 ता. 26-10 1977 के अनुसार संशोधित (22-10 1977 से प्रभावी)

(2) यदि कोई छात्र, विद्वान या अध्येता अपनी देय राशियां अधिसूचित तारीखों तक जमा कराने में असफल रहता है तो वह उस स्थिति में जिसमें वह अपनी देय राशियों का भुगतान उस मास की समाप्ति से पूर्व कर देता है जिसमें वे देय राशियां संदेय थीं, 1 रु0 के विलम्ब जुर्माने का और यदि वह देय राशियों का भुगतान पश्चात्वर्ती मास की 15 तारीख तक करता है तो 5 रु0 के जुर्माने का संदाय करने का दायी होगा।

इस तारीख के पश्चात् छात्र का नाम काट दिया जाएगा और पुनर्प्रवेश फीस का संदाय करने पर उसे पुन: प्रवेश दिया जा सकेगा और कोई विलम्ब जुर्माना प्रभारित नहीं किया जाएगा।

यदि वह इस तारीख तक अपनी देय राशियों का संदाय नहीं करता है तो उसका नाम नामावली से काटा जा सकेगा। निदेशक, पर्याप्त कारणों से किसी भी ऐसे छात्र, विद्वान या अध्येता को जिसका नाम नामावली से इस प्रकार काट दिया गया है, बकाया देय राशियों का 3 रु0 के जुर्माने और 5 रु0 की प्रवेश फीस सहित संदाय किए जाने पर पुन: प्रवेश दे सकेगा परन्तु यह तब होगा जबकि ऐसे पुन: प्रवेश के लिए अनुरोध उस मास के, जिसमें उसका नाम काटा गया है, अंत के पूर्व किया जाता है।

निदेशक, योग्य मामलों में विलम्ब फीस और पुन: प्रवेश फीस की वसूली का अधित्यजन कर सकेगा। वह यह प्राधिकार, रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित और ऐसी शर्तें, जो वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, विहित भी कर सकेगा।

(3) सभी फीस और निक्षेपों की बाबत अपेक्षित है कि उनका संदाय नकदी में, क्रास पोस्टल आर्डर द्वारा, क्रास बैंक ड्राफ्टों द्वारा या क्रास चैकों द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक पर लिखे गए हों किया जाए। संस्थान को देय राशियों का संदाय धनादेश द्वारा भी किया जा सकेगा और प्रेषण की तारीख को संदाय की तारीख माना जाएगा।

23. छात्र निवास और छात्रावास

(1) संस्थान आवासीय संस्था होगी और सभी छात्र, अनुसंधानविद, अनुसंधान अध्येता संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्मित छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास करेंगे।

आपवादिक मामलों में, निदेशक किसी छात्र, विद्वान या अध्येता को उसके माता-पिता या अभिभावक के साथ निवास करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु जहां किसी छात्र, विद्वान या अध्येता को ऐसी अनुज्ञा प्रदान की जाती है वहां, यथास्थिति, ऐसा छात्र, विद्वान या अध्येता ऐसे स्थान किराए के संदाय के लिए दायी होगा जिसका संदाय करने के लिए वह तब दायी होता जब कि वह छात्रावास में निवास करता।

(2) छात्र निवासों और छात्रावासों का प्रत्येक निवासी, सिनेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित नियमों का अनुपालन करेगा।

(3) प्रत्येक छात्र निवास के लिए एक वार्डन और उतने सहायक वार्डन और अन्य कर्मचारी होंगे जितने बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं।

(4) वार्डन और सहायक वार्डन के पद संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों द्वारा धारण किए जाएंगे। नियुक्तियाँ, निदेशक द्वारा की जाएंगी।

(5) वार्डन और सहायक वार्डन निःशुल्क असज्जित क्वार्टरों के लिए जो इस प्रकार के क्वार्टरों के समान होंगे जिनके लिए वे संस्थान के शिक्षक के रूप में सामान्यतया हकदार हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें 50 रु0 प्रतिमास का भत्ता दिया जाएगा परन्तु यदि कोई आचार्य, वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह कोई भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

24. **सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना :-**

सम्मानिक उपाधियों के प्रदान के लिए सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किए जाएंगे और पुष्टि के लिए कुलाध्यक्ष को भेजे जाने से पूर्व उनके लिए बोर्ड की सम्मति अपेक्षित होगी। परन्तु अत्यावश्यकता की दशा में अध्यक्ष, बोर्ड की ओर से, ऐसा प्रस्ताव कुलाध्यक्ष को भेज सकेगा।

अनुसूची क

सेवा संविदा

(परिनियम 7 (3) देखिए)

यह सेवा करार एक पक्षकार के रूप में.................... .... (जिसे इसमें आगे नियुक्त व्यक्ति कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 29) द्वारा संशोधित प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) के अधीन निगमित इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली (जिसे इसमें आगे संस्थान कहा गया है) के बीच आज एक हजार नौसो .... के .... के .... दिन किया गया।

अनुसूची 'क', शिक्षा मन्त्रालय के पत्र सं. एफ.-10-1/75 टी. 6 ता. 20-11-1976 के अनुसार अन्तःस्थापित (29-11-1976 से प्रभावी)

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 (1) और संस्थान के परिनियम (जिसे इसमें आगे परिनियम कहा गया है) के परिनियम 15 (3) (खड़गपुर के मामले में 17 (3)) के निबंधनों के अनुसार, अधिनियम में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् (जिसे इसमें आगे परिषद् कहा गया है) ने कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, नियुक्त व्यक्ति की संस्थान के निदेशक के रूप में, संविदा पर .... वर्ष के लिए नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है और नियुक्त व्यक्ति ने इस नियुक्ति को इसमें आगे वर्णित निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार कर लिया है। अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और इसके पक्षकार क्रमशः यह करार करते हैं कि :-

(1) यह सेवा करार सभी समय अधिनियम और परिनियम के, जिसके अंतर्गत संस्थान हैं, समय समय पर प्रवृत्त और स्थायी पुष्ट कर्मचारियों को लागू होने वाले उपबंधों के अधीन रहते हुए, किया गया समझा जाएगा।

(2) नियुक्त व्यक्ति तारीख............ से, अर्थात् पदग्रहण करने की तारीख से .... वर्ष की अवधि के लिए,करार के अधीन सेवा में होगा। परन्तु यदि नियुक्त व्यक्ति ऊपर वर्णित सेवा अवधि की समाप्ति पर 60 वर्ष की आयु से कम है तो उसकी सेवा उस शैक्षणिक वर्ष की जिसमें, नियुक्त व्यक्ति उक्त सेवा अवधि समाप्त करता है, 30 जून तक या उस समय तक जब तक कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, जारी रहेगी।

(3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और वह उक्त अधिनियम और परिनियम में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों सहित संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा।

(4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में लगाएगा और वह आचरण नियमों तथा अधिनियम और परिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा के और उस काम के जिसमें वह लगा हुआ है, दौरान या संबंध में प्राप्त कोई भी जानकारी गुप्त और गोपनीय मानी जाएगी और नियुक्त व्यक्ति सभी दृष्टि से, समय समय पर यथासंशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन होगा।

(5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा अवधि के दौरान, निलम्बन की किसी अवधि और वेतन बिना छुट्टी की किसी अवधि के बारे में छोड़कर, भारतीय, आय-कर के अधीन रहते हुए ....रु. के वेतनमान में.................. रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा परन्तु यदि किसी समय नियुक्त व्यक्ति भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे जो शासक बोर्ड द्वारा तय किए जाएं। इसके

अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता आदि जैसे भत्ते, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय समय पर अनुज्ञेय हों, लेगा।

(6) नियुक्त व्यक्ति इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान, परिनियम में किए गए उपबंधों के अनुसार और ऐसे उपांतरों के अधीन जो इन उपबंधों में समय समय पर किए जाए, संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि और उपदान में अभिदाय करेगा और वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पुष्ट कर्मचारियों को अनुज्ञेय संस्थान के अभिदाय का हकदार भी होगा। यदि नियुक्त व्यक्ति किसी अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कर्मचारी है और वह अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम के अथवा साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम के अधीन फायदों का उपभोग कर रहा है तो वह उस संस्थान की तत्समान स्कीम में सम्मिलित होगा और परिनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय उसके संचय इसमें अंतरित हो जाएंगे।

यदि नियुक्त व्यक्ति इस संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम अथवा साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम द्वारा, इस संविदाधीन नियुक्ति के ठीक पूर्व की स्थिति के समान, शासित होता रहेगा और वह परिनियम के अनुसार, संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों के समान, इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि के लिए उस स्कीम के फायदों का हकदार होगा।

(7) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्त व्यक्ति, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, वेतनमान के और सेवानिवृत्ति फायदों के पुनरीक्षण में ऐसे सुधारों के जो संस्थान द्वारा किए जाएं, फायदों के लिए, संस्थान की उस शाखा के, जिसकी सेवा में वह तत्समय हो, सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के

अनुसार इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए पूर्णतः या भागतः, जैसा कि संस्थान द्वारा तय किया जाए, हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के बारे में संस्थान का विनिश्चय ऐसे प्रवृत्त होगा कि वह उस विस्तार तक इस विलेख के उपबंधों को उपांतरित करता है।

(8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियम के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-दीर्घावकाश कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी का हकदार होगा।

(9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के कैम्पस (निवेश) में ऐसे सज्जित अनुज्ञप्ति फीस मुक्त आवास का हकदार होगा जो संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाए।

(10) नियुक्त व्यक्ति चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में उस विशेषाधिकार के लिए जो परिनियम में उपबंधित है, पात्र होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को सार्वजनिक हित में स्थानान्तरण पर मानते हुए, ऐसे यात्रा व्यय दिए जाएंगे जो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नियम के अधीन समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के काम के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ता नियमों में उपबंधित मापमान से यात्रा भत्ते का हकदार होगा। इसी प्रकार, नियुक्त व्यक्ति अपने स्वनगर की यात्रा करने के लिए, संस्थान के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

(12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से उसे प्राप्त कोई रकम उसके पास उस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में रहने दी

जाएगी। उसे परामर्श देने का कार्य करने और उसके फायदों को अपने पास रखने की अनुज्ञा भी, बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(13) संविदा की अवधि के दौरान, नियुक्त व्यक्ति की सेवा, कोई कारण बताए बिना इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय लिखित रूप में तीन कलैण्डर मास की सूचना देकर संस्थान द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। परन्तु सदा ही यह कि संस्थान इसमें उपबंधित सूचना के बदले में, नियुक्त व्यक्ति को तीन मास के उसके मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा।

नियुक्त व्यक्ति, संस्थान को लिखित रूप में तीन कलैण्डर मास की सूचना देकर अपनी सेवा को समाप्त कर सकेगा।

(14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी सुविधानुसार.................... विभाग में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में भाग लेने के लिए .... के आचार्य की प्रास्थिति अनुज्ञात की जाएगी।

(15) ऐसे किसी विषय के बारे में जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियम द्वारा शासित होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को, संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष ने और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं।

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी······ के लिए उस संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और परिदान किया गया	·························· अध्यक्ष, शासक बोर्ड, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी·······
साक्षी और उनके पते उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और परिदान किया गया।	························· निदेशक
साक्षी और उनके पते	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी·············

अनुसूची - कक

(परिनियम 13 (16) देखिये)

चिकित्सीय परिचर्या और उपचार जिसके अंतर्गत कर्मचारिवृन्द सदस्यों द्वारा स्वयं अपने पर और अपने परिवारों पर उपगत चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति भी है

(1) इस अनुसूची के उपबंध संस्थान के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे किन्तु वे निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे–

(क) कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य जो विदेश में छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ख) कर्मचारिवृन्द के सेवानिवृत्त सदस्य, और

(ग) निर्धारित कर्मचारिवृन्द जिसने एक वर्ष की निरंतर सेवा सम्पन्न नहीं की है, और जो वेतन की मासिक दरों पर नियोजित नहीं है, कर्मचारिवृन्द जिसे आकस्मिक व्ययों में से संदाय किया जाता है, दैनिक श्रमिक और अंशकालिक कर्मचारी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6-68 - टी - 6 तारीख 14-1-1969 के अनुसार संशोधित (9-1-1969 से प्रभावी)

(2) चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारिवृन्द सदस्यों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :–

(1) निदेशक के सचिव और अनुभागों के अधीक्षकों को छोड़कर, वे जो ऐसे पद धारण करते हैं जिसके वेतनमान का आरंभिक वेतन 400 रु. प्रतिमास या अधिक है	वर्ग क
(2) निदेशक का सचिव, अनुभागों के अधीक्षक और वे सभी जो ऐसे पद धारण करते हैं जिसके वेतनमान का आरंभिक वेतन 110 रु. प्रतिमास या उसके अधिक किन्तु 400 रु. प्रतिमास से कम है	वर्ग ख

(3) वे जो ऐसे पद धारण करते हैं जिसके वेतनमान का आरंभिक वेतन 110 रु. प्रति मास से कम है } वर्ग ग

(3) इस अनुसूची में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,–

(क) "प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक" से अभिप्रेत हैं–

(1) संस्थान के वर्ग क के सदस्यों के बारे में (2) संस्थान के वर्ग ख के सदस्यों के बारे में	संस्थान का चिकित्सा सलाहकार और उसकी अनुपस्थिति में संस्थान का चिकित्सा अधिकारी
(3) संस्थान के वर्ग ग के सदस्यों के बारे में	संस्थान का चिकित्सा अधिकारी।
(4) भारत में (मुख्यालय से बाहर) ड्यूटी पर या छुट्टी पर, संस्थान के सदस्यों के बारे में	(i) उनके लिए जो पैरा 2 के वर्ग "क" के हैं–किसी जिले में सरकार का मुख्य या प्रधान चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रेसीडेंसी सर्जन या किसी नगर में समतुल्य पंक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी। (ii) उनके लिए जो पैरा 2 के वर्ग "ख" और "ग" के हैं : किसी जिले में सरकार का सहायक सर्जन या किसी नगर में समतुल्य पंक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी

(ख) "अस्पताल" से शासक बोर्ड द्वारा इन उपबंधों के प्रयोजन के लिए अस्पताल के रूप में मान्यता प्राप्त अस्पताल अभिप्रेत है।

(ग) "परिवार" पद से किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य की, यथास्थिति, पत्नी या पति और उस कर्मचारिवृन्द सदस्य पर पूर्णतया आश्रित उसके माता-पिता, बालक और सौतेले बालक अभिप्रेत हैं।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-024-52165-टी-6 ता. 14-4-1967 के अनुसार संशोधित।

(घ) "छुट्टी" पद के अंतर्गत दीर्घावकाश भी है।

(4) कर्मचारिवृन्द सदस्य द्वारा स्वयं अपने और अपने परिवारों की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति की लागत की, बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित मापमान के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

टिप्पण – कर्मचारिवृन्द सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य के, जो किसी अस्पताल में अंतरंग रोगी हैं, चिकित्सीय उपचार के लिए कोई अग्रिम उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो ऊपर वर्णित हैं, मंजूर किया जा सकेगा।

(5) (i) चिकित्सीय परिचर्या के अंतर्गत कर्मचारिवृन्द सदस्य के निवास स्थान पर या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के परामर्शी कक्ष में, उसके साथ तय करके परिचर्या भी है।

(ii) चिकित्सीय उपचार से अभिप्रेत है उस अस्पताल में जिसमें उस व्यक्ति का उपचार किया जाता है, उपलब्ध सभी चिकित्सीय और शल्यचिकित्सा संबंधी सुविधाएं और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(क) विकृति विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, विकिरण-चिकित्सा विज्ञान के और अन्य तरीके काम में लाना जो प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं;

(3) वे जो ऐसे पद धारण करते हैं जिसके वेतनमान का आरंभिक वेतन 110 रु. प्रति मास से कम है	वर्ग ग

(3) इस अनुसूची में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,–

(क) "प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक" से अभिप्रेत है–

(1) संस्थान के वर्ग क के सदस्यों के बारे में (2) संस्थान के वर्ग ख के सदस्यों के बारे में	संस्थान का चिकित्सा सलाहकार और उसकी अनुपस्थिति में संस्थान का चिकित्सा अधिकारी
(3) संस्थान के वर्ग ग के सदस्यों के बारे में	संस्थान का चिकित्सा अधिकारी ।
(4) भारत में (मुख्यालय से बाहर) डियूटी पर या छुट्टी पर, संस्थान के सदस्यों के बारे में	(i) उनके लिए जो पैरा 2 के वर्ग "क" के हैं–किसी जिले में सरकार का मुख्य या प्रधान चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रेसीडेंसी सर्जन या किसी नगर में समतुल्य पंक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी । (ii) उनके लिए जो पैरा 2 के वर्ग "ख" और "ग" के है : किसी जिले में सरकार का सहायक सर्जन या किसी नगर में समतुल्य पंक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी

(ख) "अस्पताल" से शासक बोर्ड द्वारा इन उपबंधों के प्रयोजन के लिए अस्पताल के रूप में मान्यता प्राप्त अस्पताल अभिप्रेत है ।

(ग) "परिवार" पद से किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य की, यथास्थिति, पत्नी या पति और उस कर्मचारिवृन्द सदस्य पर पूर्णतया आश्रित उसके माता-पिता, बालक और सौतेले बालक अभिप्रेत हैं । शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-024-52165-टी-6 ता. 14-4-1967 के अनुसार संशोधित ।

(घ) "छुट्टी" पद के अंतर्गत दीर्घावकाश भी है ।

(4) कर्मचारिवृन्द सदस्य द्वारा स्वयं अपने और अपने परिवारों की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति की लागत की, बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित मापमान के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

टिप्पण – कर्मचारिवृन्द सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य के, जो किसी अस्पताल में अंतरंग रोगी हैं, चिकित्सीय उपचार के लिए कोई अग्रिम उन्हीं निबधनों और शर्तों पर जो ऊपर वर्णित हैं, मंजूर किया जा सकेगा ।

(5) (i) चिकित्सीय परिचर्या के अंतर्गत कर्मचारिवृन्द सदस्य के निवास स्थान पर या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के परामर्श कक्ष में, उसके साथ तय करके परिचर्या भी है ।

(ii) चिकित्सीय उपचार से अभिप्रेत है उस अस्पताल में जिसमें उस व्यक्ति का उपचार किया जाता है, उपलब्ध सभी चिकित्सीय और शल्यचिकित्सा संबंधी सुविधाए और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(क) विकृति विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, विकिरण-चिकित्सा विज्ञान के और अन्य तरीके काम में लाना जो प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं;

(ख) ऐसी औषधियां, वैक्सीन, सीरम और चिकित्सा शास्त्र संबंधी अन्य पदार्थों का जो अस्पताल में साधारणतया उपलब्ध हैं, प्रदाय;

(ग) ऐसी औषधियों, वैक्सीन, सीरम और चिकित्सा शास्त्र संबंधी अन्य पदार्थों का, जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं किन्तु जो राज्य के या राज्य सहायता प्राप्त अस्पताल में मिल सकते हैं, प्रदाय;

(घ) ऐसी वास सुविधा जो अस्पताल में साधारणतया दी जाती है और जो उसकी प्रास्थिति के अनुकूल है;

(ङ) ऐसी परिचर्या (नर्सिंग) जो अस्पताल द्वारा अंतरंग रोगियों को साधारणतया दी जाती है;

(च) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह पर विशेषज्ञ परामर्श;

(छ) इसके अंतर्गत कर्मचारिवृन्द सदस्य के अनुरोध पर वैसे आहार या उस वास सुविधा की व्यवस्था नहीं है जो उससे उच्चतर हैं जिसके लिए वह उक्त उप-खण्ड (घ) के अनुसार हकदार है।

टिप्पण 1 :—स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक द्वारा समय समय पर जारी की गई ऐसी निर्मितियों की, जो औषधियां नहीं हैं बल्कि जो मुख्य रूप से खाद्य, टानिक, प्रसाधन निर्मितियां या रोगाणु-नाशी हैं, लागत का प्रतिदाय ग्राह्य नहीं हैं।

टिप्पण 2 :—प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा विहित मिश्रणों (मिक्सचरों) की बाबत प्रतिदाय उस समय तक अनुज्ञात होगा जब तक संस्थान के पास ऐसे प्रयोजनों के लिए अपना औषधालय है।

टिप्पण 3 :—ऐसे अस्पतालों के मामले में जिनके टैरिफों में प्रति दिन का एक सपाट समावेशी प्रभार (फ्लैट इन्क्लूसिव चार्ज) उपदर्शित होता है, उसके 40 प्रतिशत की गणना आहार और आवास के लिए प्रभार के रूप में की जाएगी। इस 40 प्रतिशत में से आधे भाग को आहार के लिए प्रभार और अन्य आधे भाग को वास सुविधा के लिए प्रभार माना जाना चाहिए।

टिप्पण 4 :—साधारण मामलों में, 400 रु. प्रतिमास और क्षय रोग तथा मानसिक रोगों के लिए 640 रु. प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले पदधारियों के लिए आहार प्रभार अनुज्ञात हैं। किन्तु किसी ऐसी विशेष वस्तु का दाम, जो अस्पताल द्वारा अपने अंतरंग रोगियों को साधारणतया नहीं दी जाती हैं, प्रतिदेय नहीं है। **शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.11-8178-टी.6 तारीख 1-10-1980 के अनुसार संशोधित (29-9-1980 से प्रभावी)।**

(6) दन्त चिकित्सा, नियमों के अंतर्गत नहीं है किन्तु यदि शारीरिक और अन्य निर्योग्यता के, जिससे कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य पीड़ित है, निदान से यह दर्शित होता है कि दांत उस गड़बड़ी के वास्तविक स्रोत हैं तो वह निःशुल्क दंत चिकित्सा का हकदार है, परन्तु यह तब जब कि वह 'भारी' किस्म की हो जैसे कि जबड़े की हड्डी के रोग का उपचार, सभी दांतों का निकाला जाना आदि। दांतों पर से परत उतारना, पाइरिया और मसूढ़ा-शोथ के लिए उपचार या कृत्रिम दंतावली का प्रदाय अथवा किसी प्राइवेट दंत चिकित्सक से या अस्पताल के बाहर उपचार भले ही वह प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह पर किया गया हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।

(7) चश्मे की व्यवस्था के लिए व्ययों की कोई प्रतिपूर्ति ग्राह्य नहीं है।

(8) विशेष परिचर्या के प्रभारों की कोई प्रतिपूर्ति तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक और अस्पताल के चिकित्सीय अधीक्षक ने प्रमाणित नहीं किया है कि उनकी सेवाएं नितान्त आवश्यक थीं।

टिप्पण :— विशेष परिचर्या के ऐसे मामलों का विनिश्चय, रोग की प्रकृति को और जहां कठिनाई हों उसे ध्यान में रखते हुए, गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। ऐसे मामलों में कर्मचारिवृन्द सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें विशेष परिचर्या आवश्यक थी, अपने मासिक वेतन के 25 प्रतिशत तक व्यय को वहन करना चाहिए, शेष व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

(9) यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की राय है कि किसी रोगी का मामला इतनी गंभीर या विशेष प्रकृति का है कि स्वयं उससे भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय परिचर्या अपेक्षित है तो वह—

(क) उस रोगी को निकटतम विशेषज्ञ या अन्य सरकारी चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकेगा जिसके द्वारा, उसकी राय में, चिकित्सीय परिचर्या उस रोगी के लिए अपेक्षित है, या

(ख) यदि रोगी इतना बीमार है कि वह यात्रा नहीं कर सकता है तो, उस रोगी की परिचर्या के लिए ऐसे विशेषज्ञ या अन्य सरकारी चिकित्सा अधिकारी को बुलवा सकेगा।

(10) पैरा 9 के खण्ड (क) के अधीन भेजा गया रोगी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का इस निमित्त लिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर विशेषज्ञ या अन्य सरकारी चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय तक और वहां से यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(11) पैरा 9 के खण्ड (ख) के अधीन बुलाया गया कोई विशेषज्ञ या अन्य सरकारी चिकित्सा अधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का इस निमित्त लिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उस स्थान तक और वहां से, जहां रोगी निवास करता है, यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(12) पैरा 9 के अधीन अनुज्ञेय यात्रा भत्ते की संगणना दौरे पर यात्रा के लिए भत्ते के रूप में की जाएगी किन्तु विरामों के लिए कोई दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा। यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह पर कोई अनुरक्षक आवश्यक हो तो उसे संस्थान के यात्रा भत्ता नियमों के अधीन अनुज्ञेय यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।

(13) जहां कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य या उसके परिवार का सदस्य प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह पर, अनुसूची के अधीन किसी अस्पताल में निःशुल्क उपचार का हकदार है वहां ऐसे उपचार के लेखे उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की प्रतिपूर्ति, शासक बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित किए जाने वाले प्ररूप में ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, संस्थान द्वारा की जाएगी।

(14) यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की राय है कि रुग्णता की गंभीरता के कारण किसी रोगी (कर्मचारिवृन्द सदस्य) का उपचार प्राधिकृत अस्पतालों में नहीं किया जा सकता है तो वह रोगी ऐसा उपचार अपने निवास स्थान पर प्राप्त कर सकेगा।

(15) अपने निवास स्थान पर उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के, पैरा 14 में निर्दिष्ट मामलों में वह उसके द्वारा ऐसे उपचार पर उपगत व्यय लेखे ऐसे उपचार के जिसे तब निःशुल्क प्राप्त करने के लिए वह इस अनुसूची के अधीन हकदार रहा होता यदि उसका उपचार उसके निवास स्थान पर न किया गया होता, व्यय के समतुल्य राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पण :–पैरा 15 के अधीन अनुज्ञेय राशियों के दावों के साथ प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का एक लिखित प्रमाणपत्र होगा जिसमें–

(क) उसने पैरा 14 में निर्दिष्ट राय के लिए अपने कारण बताए हों, और

(ख) पैरा 15 में निर्दिष्ट के समान उपचार का व्यय बताया गया हो।

(16) कर्मचारिवृन्द सदस्य और उनके परिवारों के सदस्य क्षय रोग के उपचार के संबंध में व्ययों की, बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित सीमा तक, प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

(17) कर्मचारिवृन्द सदस्यों के परिवारों की दशा में, विशेष औषधियों (जिनके अंतर्गत मिक्सचर भी हैं) के दाम की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जा सकेगी जब वे प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा उस समय जब रोगी की परिचर्या या तो अस्पताल में या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के परामर्श कक्ष में की जाती है, या जब रोगी बाह्य रोगी विभाग में या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारिक की सिफारिश पर अस्पताल के अतरंग रोगी के रूप में उपचार करा रहा है।

टिप्पण :–(i) किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य के साथ ड्यूटी छुट्टी / दीर्घावकाश पर जाने वाला उसका परिवार, स्वयं कर्मचारिवृन्द सदस्य के लिए पैरा 3 (4) के अधीन उपबंधित कर्मचारिवृन्द सदस्य के प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की प्रास्थिति वाले किसी सरकारी डाक्टर से परामर्श कर सकेगा।

(ii) ऊपर टिप्पण (i) में अंतर्विष्ट रियायत उस दशा में नहीं दी जाएगी जहां दौरे, छुट्टी / दीर्घविकाश पर जाते समय अपने

परिवार के किसी सदस्य को अपने मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान में प्रशिक्षण उपचार प्राप्त करने के इरादे से ले जाता है।

(18) किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य के परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सीय परिचर्या और / या उपचार के संबंध में की गई सेवाओं के प्रभार का अस्पताल प्राधिकारियों को संदाय उसके द्वारा किया जाएगा। संस्थान चिकित्सीय परिचर्या और / या उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति अस्पताल के ऐसे बिलों के प्रस्तुत किए जाने पर करेगा जिस पर सरकारी अस्पताल के ऐसे बिलों को छोड़कर, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।

टिप्पण :–किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य के परिवार के किसी सदस्य का प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक वही है जो स्वयं उस कर्मचारिवृन्द सदस्य का प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक है।

(18क) किसी ऐसे कर्मचरिवृन्द सदस्य का जो संस्थान के कैम्पस के भीतर आवास सुविधा नहीं दी जा सकी है अथवा जो (मुख्यालय के बाहर) भारत में ड्यूटी पर या छुट्टी पर है, परिवार किसी राज्य अस्पताल या राज्य सहायता प्राप्त अस्पताल में अंतरंग या बाह्य रोगी के रूप में चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर सकेगा

(19) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के साथ तय करके, उसके द्वारा रखे गए किसी परामर्श कक्ष में चिकित्सीय परिचर्या और उपचार को किसी अस्पताल में चिकित्सीय परिचर्या और उपचार माना जाएगा।

(20) चिकित्सीय उपचार के अंतर्गत किसी महिला कर्मचारिवृन्द सदस्य या पुरुष कर्मचारी की पत्नी की अस्पताल में प्रसवावस्था भी है। कर्मचारिवृन्द सदस्य के निवासस्थान पर प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर उपचार अनुज्ञात नहीं है।

टिप्पण :—अस्पताल में या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के परामर्श कक्ष में प्राप्त प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर उपचार के लिए निश्चेतक फीस और प्रभार की, जिसके अंतर्गत विहित औषधियों के दाम भी हैं, प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(21) चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के बिल भेजने में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन भी किया जाएगा :—

(i) बिल, अपेक्षित रसीदों, कैश मेमो, नुसखों, आवश्यकता के प्रमाणपत्रों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों द्वारा, जो शासक बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित की जाएं, सम्यक् रूप से समर्थित होने चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन औषधियों की कीमत की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है वे ऐसी औषधियां नहीं हैं जो समय समय पर संशोधित उपचार नियमों और आदेशों के केन्द्रीय सरकार के संकलन में दर्शित अपवर्जित औषधियों और निर्मितियों की सूची में सम्मिलित हैं।

(iii) अस्पतालों में किए गए परीक्षणों या उपचार जैसे कि एक्स-रे, रक्त परीक्षण आदि के प्रभार की प्रतिपूर्ति के दावों के समर्थन में आवश्यक वाउचर और रसीदें संलग्न की जानी चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्तरंग रोगी के रूप में उपचार के लिए अस्पताल के बिलों में चिकित्सीय परिचर्या, बिस्तर, आहार, परिचर्या, विशेष परिचर्या और औषधियों के अधीन प्रभारों का आबंटन दर्शित हो और यह कि केवल अनुज्ञेय औषधियों का दावा किया किया जाता है।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होमियोपैथी की औषधियों की कीमत की प्रतिपूर्ति भी अनुज्ञेय है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-011-4178-टी6 ता. 23-2-76 के अनुसार संशोधित (16-2-1979 से प्रभावी)।

(22) संस्थान के कर्मचारिवृन्द सदस्यों के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के बिल संस्थान के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे और निदेशक, स्वविवेकानुसार, यह कार्य उप-निदेशक और रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 24-7165-टी. 6 ता. 16-10-1968 के अनुसार संशोधित (18-9-1968 से प्रभावी)।

टिप्पण :—निदेशक, स्वयं अपने चिकित्सीय परिचर्या बिलों के संबंध में नियन्त्रक प्राधिकारी होगा।

अनुसूची–ख

(परिनियम 13 (17) देखिए)

आचरण नियम

1. लागू होना

इस अनुसूची के उपबंध संस्थान के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है–

(i) निदेशक की दशा में "शासक बोर्ड"

(ii) अन्य सभी कर्मचारियों की दशा में "निदेशक"।

(ख) किसी कर्मचारी के संबंध में "परिवार के सदस्य" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं–

(i) ऐसे कर्मचारी की पत्नी, बालक या सौतेला बालक जो उसके साथ निवास करता हो और उस पर आश्रित हो तथा ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो महिला हैं, उसके साथ निवास करने वाला और उस पर आश्रित उसका पति, और

(ii) ऐसे कर्मचारी से या ऐसे कर्मचारी की पत्नी से रक्त द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित और संस्थान के ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित कोई अन्य व्यक्ति, किन्तु इसके अन्तर्गत उस कर्मचारी से वैध रूप से पृथक पत्नी या पति अथवा बालक या सौतेला बालक या सौतेला बालक जो अब उस पुरुष या महिला

कर्मचारी पर किसी भी रूप में आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से वह कर्मचारी विधि द्वारा वंचित किया गया है, नहीं है।

(ग) "सेवा" से संस्थान के अधीन सेवा अभिप्रेत है।

3–साधारण

(क) प्रत्येक कर्मचारी सभी समय कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखेगा और अपने शासकीय व्यवहारों में सर्वथा ईमानदार और निष्पक्ष भी रहेगा।

(ख) कर्मचारी को कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों, छात्रों और जन साधारण के साथ अपने व्यवहार में सभी समय शिष्ट रहना चाहिए।

(ग) जब तक कि नियुक्ति के निबंधनों में विनिर्दिष्टतः अन्यथा कथित न हो, प्रत्येक कर्मचारी, संस्थान का पूर्णकालिक कर्मचारी है और उससे काम के अनुसूचित घंटों के परे और अवकाश दिनों तथा रविवारों को ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने की मांग की जा सकेगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएं। इन कर्त्तव्यों में अन्य बातों के साथ उन समितियों के, जिनमें वह संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाए, अधिवेशनों में उपस्थित रहना सम्मिलित है।

(घ) किसी भी कर्मचारी से काम के अनुसूचित घंटों का पालन करना अपेक्षित होगा और उन घंटों के दौरान उसे अपनी ड्यूटी के स्थान पर अवश्य उपस्थित रहना होगा।

(ङ) विधिमान्य कारणों और/या अप्रत्याशित अनिश्चित स्थितियों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी पूर्व अनुज्ञा के बिना ड्यूटी से अनुपस्थिति नहीं होगा।

(च) कोई भी कर्मचारी, छुट्टी या दीर्घावकाश के दौरान भी, उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपने स्टेशन (स्थान) को नहीं छोड़ेगा।

(छ) कोई भी कर्मचारी अपने स्थान को छोड़ते समय उस विभाग के जिससे वह सम्बद्ध है, अध्यक्ष को या यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है तो निदेशक को उस पते की जानकारी देगा जहाँ वह उस स्थान से अपनी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उपलब्ध होगा।

4. राजनीति और निर्वाचन में भाग लेना

(i) कोई भी कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं लेगा, न वह किसी ऐसे दल या संगठन से सम्बद्ध होगा जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में किसी भी रीति में सहायता के रूप में चंदा देगा या उसकी मदद करेगा।

(ii) कोई भी कर्मचारी विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी निर्वाचन के संबंध में न तो संयाचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा।

परन्तु ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित, संस्थान का कोई भी कर्मचारी मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा किन्तु जहां वह ऐसा करता है वहां वह उस रीति का कोई संकेत नहीं देगा जिसमें वह मत देने का विचार करता है या उसने मत दिया है।

5. प्रेस या रेडियो या पेटेंटों से संबंध

(1) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का न तो पूर्णतया या भागत: स्वामित्व रखेगा और न उसके संपादन या प्रबंध का संचलन करेगा या उसमें भाग लेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के और अपने कर्तव्यों के सद्भावी निर्वहन के सिवाय, न तो

किसी रेडियो प्रसारण में भाग लेगा, न अनाम से या स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, किसी समाचारपत्र या नियतकालिक पत्रिका में कोई लेख या कोई पत्र लिखेगा।

परन्तु यदि ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का है तो ऐसी कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

टिप्पण :–नीचे लिखे निबंधनों के अधीन रहते हुए, कर्मचारिवृन्द सदस्य, उपर्युक्त पैरा 5 (2) में सोची गई किसी मंजूरी के बिना, भारत और विदेश के ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अपनी मौलिक वैज्ञानिक कृतियां प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। किन्तु यदि वे उन लेखों में जिन्हें वे प्रकाशित करना चाहते हैं, अपना शासकीय पदनाम उपदर्शित करना चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

ऐसे लेख विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक विषयों तक पूर्णत: सीमित होंगे और उनमें प्रशासनिक विषयों की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वे सभी राजनीतिक पुट से मुक्त होंगे।

भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के संबध में लेखों का, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रकाशन प्रतिषिद्ध है।

6. संस्थान की आलोचना

कोई भी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या अनाम से या स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित दस्तावेज में या प्रेस के लिए किसी पत्रादि में या किसी सार्वजनिक उद्गार में तथ्य का ऐसा कोई कथन या राय प्रकट नहीं करेगा—

(i) जिसका प्रभाव संस्थान की किसी चालू या नूतन नीति या कारंबाई की प्रतिकूल आलोचना है, या

(ii) जो संस्थान और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या जनसाधारण के बीच के संबंधों में उलझन उत्पन्न करने में सक्षम है।

परन्तु इस पैरा की कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में या उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन में किए गए किसी कथन या अभिव्यक्त किसी विचार को लागू नहीं होगी।

7. **समिति या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य**

(1) आगे उप-पैरा (3) में जैसा उपबंधित है उसे छोड़कर कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकरण द्वारा सचालित किसी जांच के संबध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां उप-पैरा (1) के अधीन कोई मंजूरी प्रदान की गई है वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी संस्थान या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कारंवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस पैरा की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) संस्थान, संसद् या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकरण के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ग) संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा आदिष्ट किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

8. **जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना**

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकरण के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार अथवा उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावी पालन के सिवाय, किसी ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, कोई शासकीय दस्तावेज या जानकारी संसूचित नहीं करेगा, जिसे ऐसी दस्तावेज या जानकारी की संसूचना देने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है।

9. **उपहार**

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, नातेदारों से भिन्न व्यक्तियों से बहुत थोड़े मूल्य से अधिक का कोई उपहार न तो स्वीकार करेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुज्ञा देगा। 'बहुत थोड़ा मूल्य' पद का निर्वचन वही होगा जो सरकारी सेवक आचरण नियमों में अधिकथित है।

10. **प्राइवेट व्यापार या नियोजन**

कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: न तो किसी भी व्यापार या कारबार या प्राइवेट अध्यापन में लगेगा और न उसे सौंपे गए शासकीय काम के बाहर किसी नियोजन को स्वीकार करेगा।

परन्तु उपर्युक्त निर्बन्धन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से आरंभ किए गए शैक्षणिक कार्य और परामर्श व्यवसाय को लागू नहीं होंगे। ऐसी अनुज्ञा पारिश्रमिक स्वीकार करने के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं।

11. **विनिधान, उधार देना और उधार लेना**

(1) कोई भी कर्मचारी न तो किसी कारबार में सट्टेबाजी करेगा और न ऐसा कोई विनिधान करेगा या अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को करने की अनुज्ञा

देगा जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसे उलझन होने या उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(2) कोई भी कर्मचारी न तो किसी ऐसे व्यक्ति को ब्याज पर धन उधार देगा और न किसी ऐसे व्यक्ति से धन उधार लेगा जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार होने की संभावना है।

12. **दिवालियापन, आभ्यासिक ऋणिता और दाण्डिक कार्यवाही**

(1) कोई भी कर्मचारी अपने निजी मामलों का प्रबंध ऐसे करेगा कि वह आभ्यासिक ऋणिता या दिवालियापन से बचा रहे। जब कोई कर्मचारी ऋण के लिए गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन पाया जाता है या उसने दिवाले का आश्रय लिया है या जब यह पाया जाता है उसके वेतन का आधा भाग निरन्तर कुर्क किया जा रहा है तब वह पदच्युत किए जाने के दायित्व के अधीन हो सकेगा। वह कर्मचारी जो दिवाले के लिए विधिक कार्यवाही का विषय बनता है, पूरे तथ्यों की रिपोर्ट संस्थान को तत्काल देगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जो किसी दाण्डिक कार्यवाही में अंतर्वलित हो जाता है, उस विभाग के, जिससे वह संबद्ध है अध्यक्ष के माध्यम से, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वह जमानत पर छोड़ा गया है या नहीं, सक्षम प्राधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा।

ऐसा कर्मचारी जो किसी आरोप पर या अन्यथा 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है, संस्थान में अपनी ड्यूटी पर तब तक नही आएगा जब तक कि उसने संस्थान के अध्यक्ष से उस आशय की लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

13. **जंगम स्थावर और बहुमूल्य सम्पत्ति**

कर्मचारिवृन्द का प्रत्येक सदस्य संस्थान की सेवा में प्रथम नियुक्ति पर और उसके पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर जो सक्षम प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विहित किए जाएं, ऐसी सभी स्थावर सम्पत्ति की जो उसके स्वामित्वाधीन है, उसके द्वारा अर्जित या विरासत में प्राप्त की गई है अथवा उसके द्वारा, स्वयं उसके अपने नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पट्टे या बंधक पर धारित है, विवरणी ऐसे प्ररूप में जो संस्थान इस निमित्त विहित करे, प्रस्तुत करेगा।

14. **कर्मचारी के कार्यों और चरित्र की रक्षा**

कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी ऐसे शासकीय कार्य के रक्षण के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का आश्रय नही लेगा, जो प्रतिकूल आलोचना की विषयवस्तु या मानहानिकारक स्वरूप का मामला रहा है।

परन्तु इस नियम की कोई भी बात किसी कर्मचारी को अपने प्राइवेट चरित्र की या अपनी प्राइवेट हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की रक्षा करने से प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी।

15. **विवाह आदि**

ऐसा कर्मचारी जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का इरादा रखता है जो किसी दूसरे विदेश की नागरिकता धारण करता है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

कोई भी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि उसे तत्समय लागू स्वीय और धार्मिक विधि के अधीन कोई पश्चात्वर्ती विवाह अनुज्ञेय है, बोर्ड की अनुज्ञा पहले प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा और इस नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संस्थान की सेवा से तुरंत पदच्युति की जा सकेगी।

16. **अभ्यावेदन**

(क) जब कभी कोई कर्मचारी कोई दावा प्रस्तुत करना चाहता है या किसी शिकायत या उसके प्रति किए गए किसी अन्याय को दूर करवाना चाहता है, तब उसे अपना मामला उचित

प्रणाली से भेजना चाहिए और जब तक कि निम्नतर प्राधिकारी ने उस दावे को नामंजूर न कर दिया हो या अनुतोष देने से इंकार न कर दिया हो या मामले का निपटारा तीन मास से अधिक समय से विलम्बित न हो, वह अपने आवेदन की अग्रिम प्रतियां किसी उच्चतर प्राधिकारी को नहीं भेजेगा।

(ख) कोई भी कर्मचारी किसी शिकायत को दूर करने के लिए या किसी अन्य विषय के लिए, प्राधिकारियों को संबोधित किसी सयुक्त अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

17. **दण्ड, अपीलें आदि**

कोई भी कर्मचारी, इन नियमों में से किसी को भंग करने के लिए शास्तियों के अधिरोपण और उसके विरुद्ध की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने के सम्बन्ध में, सुसंगत नियमों के उपबंधों से शासित होगा।

18. **निर्वचन**

इन उपबंधों के निर्वचन से संबंधित सभी प्रश्नों पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची–ग

(परिनियम 16 (1) देखिए)

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर की अभिदायी भविष्य निधि

1. (1) इस अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे :–

(क) संस्थान का ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो इस अनुसूची के आरंभ की तारीख को स्थायी है,

(ख) ऐसी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसके निबंधन ऐसे व्यक्तियों को इस निधि में अभिदाय करने के लिए पात्र बनाते हैं,

(ग) भारत सरकार द्वारा समय समय पर विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, पुनर्नियोजित पेंशनभोगी। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं एफ 07-7/63 टी. 06 तारीख 15-3-1965 के अनुसार संशोधित।

परन्तु संस्थान का ऐसा कोई भी कर्मचारी इस निधि के फायदों के लिए हकदार नहीं होगा, संस्थान में जिसकी सेवा उसे पेंशन और उपदान के लिए हकदार बनाती है या जिसके लेखे संस्थान पेंशन के हेतु अभिदाय करता है या जो संस्थान द्वारा किसी समेकित वेतन पर या ऐसे निबंधनों पर जो इस निधि के फायदों को अपवर्जित करते हैं, नियुक्त किया गया है।

(2) किसी अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध, परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति की तारीख से निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा। किन्तु संस्थान का अभिदाय उसके पुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् उसके खाते में भूतलक्षी रूप से जमा किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-024-44/66-टी. 6 तारीख 12-12 1968 के अनुसार संशोधित (2-12-1968 से प्रभावी)

(2क) अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति भी एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात् इस निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा। किन्तु ऐसे मामले में अभिदाय, अभिदाता द्वारा निधि में सम्मिलित होने की वास्तविक तारीख से आरम्भ होंगे।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-7-7/67-टी. 6 ता. 15-3-1965 के अनुसार संशोधित।

ऐसे मामलों में अभिदायों की बकाया का संदाय सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अनधिक बारह मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। संस्थान का अभिदाय, अभिदाता के खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, वर्ष के दौरान उसके अपने अभिदाय की सीमा तक, बकाया की पूरी तरह से वसूली के पश्चात् अन्तिम समायोजन के अधीन रहते हुए, जमा किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-7/68 - टी. 6 ता. 9 - 5 - 1969 के अनुसार संशोधित (7-5-1969 से प्रभावी)।

(3) यदि निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया कोई कर्मचारी पहले, केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी अभिदायी / गैर-अभिदायी भविष्यनिधि का अभिदाता है तो उस अभिदायी या गैर-अभिदायी भविष्य निधि मे उसके संचयों की रकम इस निधि में उसके नाम में अंतरित हो जाएगी।

(4) निधि के फायदों के लिए हकदार, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि वह परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूप में इस आशय की एक लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि उसने यह अनुसूची पढ़ी है और वह इसके उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत है।

परिभाषाएं

(2) इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) "लेखा अधिकारी" से संस्थान का लेखा अधिकारी अभिप्रेत है,

(ii) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से संस्थान का (आन्तरिक) लेखा परीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है,

(iii) 'उपलब्धि' में महंगाई वेतन, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान सहित वेतन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत अन्यत्र सेवा के संबंध में प्राप्त (महंगाई वेतन, यदि कोई हो, सहित) वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक भी है,

(iv) 'परिवार' से अभिप्रेत है–

(क) किसी पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बालक तथा अभिदाता के किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाए और उसके बालक,

परन्तु यदि कोई अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिकतः पृथक हो गई है या उस समुदाय की जिसकी वह है, रुढ़िजन्य विधि के अधीन, भरणपोषण की हकदार नहीं रह गई है तो अब से उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं है, जब तक कि अभिदाता तत्पश्चात् लिखित रूप में अभिव्यक्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार को यह उपदर्शित नहीं करता है कि वह इस रूप में मानी जाती रहेगी,

(ख) किसी महिला अभिदाता की दशा में अभिदाता का पति और उसके बालक तथा अभिदाता के किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक :

परन्तु यदि कोई अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार को, अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो अब से उस पति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं है, जब तक कि अभिदाता तत्पश्चात् उसे (पति को) अपवर्जित करने वाली अपनी अधिसूचना को लिखित रूप में औपचारिक रूप से रद्द नहीं करती है।

टिप्पण 1—"बालक" से धर्मज बालक अभिप्रेत है।

टिप्पण 2—जब रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार के मस्तिष्क में सन्देह उत्पन्न होने की स्थिति में संस्थान के विधि अधिकारी, को यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण को अकृत्रिम बालक की प्रास्थिति प्रदान करने वाले के रूप में वैध रूप से मान्यता प्राप्त है तो दत्तक बालक को बालक माना जाएगा, किन्तु ऐसा केवल इस मामले में ही होगा,

(v) "अन्यत्र सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें संस्थान का कोई कर्मचारी, बोर्ड की मंजूरी से, अपना अधिष्ठायी वेतन संस्थान की निधि से भिन्न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है,

(vi) "निधि" से संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है,

(vii) "छुट्टी" से अनुसूची "घ" में उपबंधित किसी प्रकार की छुट्टी जो अभिदाता को लागू हो, अभिप्रेत है,

(viii) "वेतन" से संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिमास ली गई रकम अभिप्रेत है—

(i) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत अर्हताओं को देखते हुए मंजूर किए गए वेतन से भिन्न वेतन जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से या किसी स्थानापन्न हैसियत में धारित पद के लिए मंजूर किया गया है,

(ii) विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, और

(iii) कोई अन्य पारिश्रमिक जो बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत किया जाए,

(iv) "अभिदाय" से अभिदाता द्वारा संदत्त कोई रकम अभिप्रेत है और "अंशदान" से संस्थान द्वारा अभिदत्त कोई रकम अभिप्रेत है,

(v) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

निधि का गठन और प्रबन्ध

3. (1) निधि, रुपयों में रखी जाएगी, अभिदाता द्वारा संदत्त अभिदायों और संस्थान द्वारा किए गए अंशदान से गठित होगी और उसके अंतर्गत पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन अभिदाताओं के खाते में जमा किए जाने के लिए संदत्त ब्याज भी है। **शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11-5/68-टी.6 ता. 6-5-1969 के अनुसार संशोधित (3-5-1969 से प्रभावी)।**

(2) निधि का प्रबंध, बोर्ड में निहित है। बोर्ड के नियन्त्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए निदेशक, बोर्ड के लिए और उसकी ओर से, निधि का प्रशासन करेगा।

(3) निधि भारतीय स्टेट बैंक में, निधि के नाम में निक्षिप्त की जाएगी। निक्षेप, मासिक लेखाओं के बन्द किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. जे. 11011/7/77 ता. 20 - 7 - 1979 के अनुसार संशोधित (25-6-1979 से प्रभावी)

(4) संस्थान, निधियों के ऐसे भाग को जो समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों / प्रमाणपत्रों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत परकाम्य बंधपत्रों में और केन्द्रीय सरकार की ऐसी निक्षेप स्कीमों में, जो इस सम्बन्ध में, समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, विनिहित कर सकेगा तथा ऐसे विनिधानों पर प्राप्त ब्याज या लाभ प्रकीर्ण प्राप्तियों के रूप में संस्थान के नाम जमा किए जाएंगे। सभी विनिधान और प्रतिभूतियां संस्थान के नाम में धारण की जाएंगी।

नाम निर्देशन

4. (1) कोई भी अभिदाता, निधि में सम्मिलित होते समय, रजिस्ट्रार को एक नाम-निर्देशन भेजेगा जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा जो उस रकम के संदेय होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में, निधि में उसके नाम जमा है अथवा जो संदेय हो जाने पर भी संदत्त नहीं की गई है।

परन्तु यदि नाम-निर्देशन करने के समय अभिदाता का कोई परिवार है तो वह नाम-निर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि के बारे में, जिसमें वह इस निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदाय कर रहा था, किया गया नाम-निर्देशन, तब जब कि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकम अंतरित करके इस निधि में उसके नाम जमा कर दी गई है, इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नाम निर्देशन तब तक समझा जाएगा जब तक कि वह इस उप-पैरा के अनुसार कोई नाम-निर्देशन नहीं करता है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-1/66 - टी. 6 ता. 1/3 - 2 - 1967 के अनुसार संशोधित।

टिप्पण :–इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है, एक वचन या बहुवचन "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, भी है।

(2) यदि कोई अभिदाता उप-पैरा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह उस नाम निर्देशन में, नाम निर्देशितियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश, इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि निधि में किसी भी समय उसके नाम पूरी रकम उसके अन्तर्गत आ जाए।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन परिशिष्ट 2 में उपवर्णित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में होगा जो परिस्थितियों को देखते हुए समुचित हो।

(4) कोई भी अभिदाता, किसी भी समय, रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेजकर अपने नामनिर्देशन को रद्द कर सकेगा।

परन्तु अभिदाता ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(5) कोई भी अभिदाता नामनिर्देशन में—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के बारे में यह उपबंध कर सकेगा कि यदि उसके नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएंगे जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं तो, ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा/ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे। जहां अभिदाता ऐसा कोई अधिकार इस खण्ड के अधीन, एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है, वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि नामनिर्देशिती को संदेय पूरी रकम उसके अन्तर्गत आ जाए।

(ख) यह उपबन्ध कर सकेगा कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर

अमान्य हो जाएगा, परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध करेगा कि बाद में परिवार अर्जित करने की दशा में वह (नामनिर्देशन) अविधिमान्य हो जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के परिवार का केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में उपबंध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, तत्पश्चात् उसके द्वारा अपने परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों को अर्जित करने की दशा में, अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) किसी ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने पर जिसके बारे में उप-पैरा (5) के खण्ड (क) के अधीन, नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण नामनिर्देशन उप-पैरा (5) के खण्ड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाएगा, अभिदाता रजिस्ट्रार को, नामनिर्देशन रद्द करते हुए और उसके साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजते हुए, तुरन्त लिखित सूचना भेजेगा।

(7) किसी अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गई रद्दकरण की प्रत्येक सूचना उस विस्तार तक जिस तक वह विधिमान्य है, ऐसी तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख को वह संस्थान द्वारा प्राप्त की गई है।

(8) सभी नामनिर्देशनों को अभिलिखित करने के लिए संस्थान द्वारा एक अद्यतन रजिस्टर रखा जाएगा।

अभिदाता का लेखा

5. प्रत्येक अभिदाता के नाम में, परिशिष्ट 3 में उपवर्णित प्ररूप में एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दिखाए जाएंगे–

(i) अभिदाता के अभिदाय,

(ii) उसके लेखा में संस्थान द्वारा, पैरा 9 के अधीन किए गए अंशदान,

(iii) अभिदाय पर पैरा 10 द्वारा यथाउपबंधित ब्याज,

(iv) अंशदानों पर पैरा 10 द्वारा यथाउपबंधित, ब्याज, और

(v) उसके लेखा में से अग्रिम और प्रत्याहरण।

अभिदाय की शर्तें और दरें

6. (1) प्रत्येक अभिदाता, जब वह ड्यूटी पर या अन्यत्र सेवा पर है किन्तु निलम्बन के दौरान नहीं, निधि में मासिक रूप से अभिदाय करेगा। परन्तु किसी भी अभिदाता को निलम्बन के अधीन काटी गई अवधि के पश्चात् यथापूर्व (बहाल) किए जाने पर उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदायों की बकाया की अधिकतम रकम से अनधिक किसी राशि का एकमुश्त या किस्तों में संदाय करने का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) कोई भी अभिदाता अपने विकल्प पर, 30 दिन की कालावधि से कम की औसत वेतन पर छुट्टी या अर्जित छुट्टी से भिन्न छुट्टी के दौरान, चाहे तो, छुट्टी पर जाने से पूर्व या जाने के शीघ्र पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेजकर, अभिदाय न करे।

सम्यक और समय से सूचना देने में असफल रहने को अभिदाय करने का चुनाव करना समझा जाएगा।

इस उप-पैरा के अधीन सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

(3) ऐसा अभिदाता जिसने पैरा 29 के अधीन, अभिदायों और उन पर व्याज की रकम प्रत्याहृत कर ली है, ऐसे प्रत्याहरण के पश्चात् निधि में तब तक अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर लौट नहीं आता है।

7. (1) अभिदाय की रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियत की जाएगी :—

(क) यह पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी (50 नए पैसे और उससे अधिक को अनला उच्चतर रुपया गिना जाएगा)।

(ख) यह कोई भी ऐसी राशि हो सकती है जो अभिदाता की परिलब्धियों से अधिक न हो।

(2) उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी अभिदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी—

(क) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को संस्थान की स्थायी सेवा में था, वह परिलब्धियाँ जिसके लिए वह उस तारीख को हकदार था।

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को संस्थान की स्थायी सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिसके लिए वह अपनी स्थायी सेवा के प्रथम दिन हकदार था।

(3) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम में वृद्धि या कमी किसी वर्ष के दौरान केवल एक बार की जा सकेगी।

परन्तु यदि कोई अभिदाता किसी मास के एक भाग के लिए ड्यूटी पर है और मास के शेष भाग के लिए छुट्टी पर है और यदि उसने छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चुनाव किया है तो संदेय अभिदाय की रकम उस मास में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी।

(4) जब कोई अभिदाता अस्थायी रूप से अन्यत्र सेवा को अंतरित कर दिया जाता है या भारत के बाहर भेजा जाता हैं तब वह इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन उसी रीति में बना रहेगा मानो वह इस प्रकार अंतरित नहीं किया गया था या बाहर नहीं भेजा गया था।

अभिदायों की वसूली

8. (1) जब परिलब्धियां संस्थान की निधि में से ली जाती हैं तब इन परिलब्धियों के लेखे अभिदायों तथा अग्रिमों के मूलधन और व्याज की रकम की वसूली इन परिलब्धियों में से ही की जाएगी।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तब अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास संस्थान को भेजेगा।

ान द्वारा अंशदान

(1) संस्थान प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा।

परन्तु यदि किसी वर्ष के दौरान अभिदाता सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्वगामी वर्ष की अंतिम तारीख और दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में अंशदान जमा किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी भी अवधि के बारे में जिसके लिए इस अनुसूची के अधीन अभिदाता को निधि में अभिदाय न करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या जिसके लिए वह ऐसा अभिदाय नहीं करता है, कोई अंशदान संदेय नहीं होगा।

(2) अंशदान एक ऐसी राशि होगी जो अभिदाता की, यथास्थिति, वर्ष के दौरान या वर्ष में किसी अवधि के लिए ली गई परिलब्धियों के $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत के बराबर है।

(3) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चुनाव करता है तो इस नियम के प्रयोजन के लिए, उसके छुट्टी वेतन को ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां समझा जाएगा।

(4) अन्यत्र सेवा की किसी अवधि के बारे में संदेय किसी अंशदान की रकम, जब तक कि वह नियोजक से वसूल नहीं की जाती, संस्थान द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(5) अंशदान की संदेय रकम को निकटतम पूरे रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा (50 नए पैसे और उससे अधिक को अगला उच्चतर रुपया माना जाएगा)।

ब्याज

10. (1) संस्थान, अभिदाता के खाते में ऐसी दर से ब्याज जमा करेगा जो केन्द्रीय सरकार, अपने कर्मचारियों के मामले में समय समय पर विहित करे।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से, निम्नलिखित रूप में, जमा किया जाएगा :

(i) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से ऐसी राशियां घटा कर जो चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत की गई हैं, आने वाली रकम पर बारह मास के लिए ब्याज,

(ii) चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत राशियों पर चालू वर्ष की पहली अप्रैल से प्रत्याहरण के मास से पूर्वगामी मास के अन्तिम दिन तक ब्याज,

(iii) अभिदाता के लेखा में पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् जमा की गई सभी राशियों पर-निक्षेप (जमा करने) की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक ब्याज,

(iv) ब्याज की कुल रकम को पैरा (9) के उप-पैरा (5) में उपबंधित रीति में, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई है तब उस पर ब्याज केवल, यथास्थिति, चालू वर्ष के आरंभ से या जमा की तारीख से उस तारीख तक की जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो जाती है, अवधि के बारे में, इस उप-पैरा के अधीन जमा किया जाएगा।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख उस मास का जिसमें वह जमा की गई है, प्रथम दिन समझी जाएगी।

परन्तु जहां किसी अभिदाय के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण मे और परिणामस्वरूप निधि में उसके अभिदाय की वसूली में विलम्ब हुआ है वहां ऐसे अभिदायों पर ब्याज उस मास से जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह वस्तुतः कब लिया गया था, संदेय होगा।

(4) सभी मामलों में, उस मास से जिसमें संदाय किया गया है पूर्वगामी मास के अंत तक या उस मास के जिसमें ऐसी रकम संदेय हुई, पश्चात् छठे मास के अंत तक, इनमें जो भी अवधि कम हो, किसी अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के बारे में ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(5) उप-पैरा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख के पश्चात् जो रजिस्ट्रार ने उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को ऐसी तारीख के रूप में सूचित की हैं जिसको वह संदाय करने के लिए तैयार है, किसी अवधि के बारे में किसी ब्याज का संदाय नहीं किया जाएगा।

निधि से अग्रिम

11. किसी भी अभिदाता को, निधि में उसके नाम जमा रकम से अस्थायी अग्रिम, पैरा 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेकानुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा :—

(क) कोई भी अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक की धनीय परिस्थितियों को देखते हुए वह उचित है और यह कि वह निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाएगा, अन्यथा नहीं,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ11-1/70-टी. 6 ता. 29-6-1971 के अनुसार संशोधित (22-6-1971 से प्रभावी)।

(कक) मंजूरी प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को तब किसी अग्रिम के संदाय को मंजूर कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को खण्ड (क) में वर्णित कारणों से भिन्न कारणों से उस अग्रिम की आवश्यकता है।

(i) आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की लम्बी बीमारी या प्रसवावस्था के संबंध में व्ययों का संदाय करने के लिए,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ21-3/65-टी. 6 ता. 10-1-1969 के अनुसार संशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)।

(ii) आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या उसकी शिक्षा के कारणों से समुद्रपार यात्रा के लिए संदाय करने के लिए,

(iii) विवाह, अन्त्येष्टि या ऐसे समारोहों के संबंध में जिन्हें करना उसके लिए धर्म द्वारा लाजिमी है, आवेदक की प्रस्थिति के अनुसार उपयुक्त पैमाने पर बाध्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए,

(iv) भारत के बाहर, आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की, हाई स्कूल प्रक्रम से परे शिक्षा के संबंध में व्ययों का संदाय करने के लिए,

(v) हाई स्कूल प्रक्रम से परे, भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम या अन्य साधारण उच्चतर शिक्षा के संबंध में आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के व्ययों का संदाय करने के लिए,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.24-3/65-टी.6 ता. 10-1-1971 के अनुसार संशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)।

परन्तु यह तब जब कि उस पाठ्यक्रम की कालावधि तीन वर्ष से कम नहीं है।

(vi) जहां अभिदाता पर सरकार या संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है या जहां अभिदाता उसकी ओर से किसी अभिकथित शासकीय अवचार के बारे में किसी जांच में अपनी अभिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियोजित करता है वहां उसकी अभिरक्षा के खर्च की पूर्ति करने के लिए,

(vii) ऐसी विधिक कार्यवाही के जो अभिदाता द्वारा, उसके शासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध किए गए किन्हीं अभिकथनों के सबंध अपनी स्थिति की रक्षा के लिए संस्थित की गई है, खर्च की पूर्ति करने के लिए,

(viii) अपने निवास के लिए किसी भूखण्ड या किसी मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट के खर्च की पूर्ति करने के लिए या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी भूखण्ड या बने फ्लैट के आबंटन मद्दे कोई संदाय करने के लिए।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.11-3/80-टी.6 ता. 24-3-1982 के अनुसार अन्तःस्थापित (15-3-1982 से प्रभावी)।

टिप्पण :— उपर्युक्त उप-खण्ड (vi) के अधीन अग्रिम आवेदक को ऐसे किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा जो किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए

अनुज्ञेय है किन्तु किसी भी अभिदाता को उक्त उपखण्ड के अधीन अग्रिम न तो उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के या सेवा की किसी शर्त के संबंध में सरकार संस्थान के विरुद्ध किसी न्यायालय में संस्थित किसी विधिक कार्यवाही के बारे में और न उसके शासकीय कर्तव्यों से असबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी विधिक कार्यवाही के बारे में अनुज्ञेय होगा।

(ख) कोई भी अग्रिम, विशेष कारणों के सिवाय, तीन मास के वेतन से अधिक नहीं होगा और किसी भी दशा में वह निधि में अभिदाता के जमा खाते में अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगा।

(ग) कोई भी अग्रिम, विशेष कारणों के सिवाय, तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी पूर्वतन अग्रिमों और उस पर ब्याज का अंतिम प्रतिसंदाय बीत न गया हो।

(घ) जहां अग्रिम ऐसे कारणों से मंजूर किए जाते हैं वहां मंजूरी प्राधिकारी लिखित रूप में उन विशेष कारणों को अभिलिखित करेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 24-7/65-टी. 6 ता. 16-10-1968 के अनुसार संशोधित (18-9-1968 से प्रभावी)।

(ङ) निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट 4 में सपर्वणित प्ररूप में भेजा जाएगा।

12. (1) निधि से, निदेशक से भिन्न अभिदाताओं को अस्थायी अग्रिम निदेशक द्वारा मंजूर किया जाएगा जो अपने विवेकानुसार यह कार्य उपनिदेशक या रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) निदेशक को, निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए अध्यक्ष की मंजूरी अपेक्षित होगी।

13. (1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली उतनी संख्या में समान मासिक किस्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निदेशित की जाएं किन्तु ऐसी संख्या तब तक बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा चुनाव न करे अथवा किसी भी दशा में चौबीस से अधिक नहीं होगी।

कोई भी अभिदाता अपने विकल्प पर विहित से कम संख्या में किस्तों में प्रतिसंदाय कर सकेगा। प्रत्येक किस्त पूर्णाङ्कित रुपयों की एक संख्या होगी तथा ऐसी किस्तों के नियतन की गुंजाइश करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अग्रिम की रकम में वृद्धि या कमी की जाएगी।

(2) वसूली पैरा 8 में अभिदाय की वसूली के लिए उपबंधित रीति में की जाएगी और वह उस मास के, जिसमें अग्रिम प्राप्त किया गया है, पश्चात्वर्ती मास के लिए वेतन जारी करने के साथ आरम्भ होगी।

जब अभिदाता छुट्टी पर है या वह निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है तब उसकी सम्मति के सिवाय, वसूली नहीं की जाएगी तथा वह अभिदाता को मंजूर किए गए वेतन की अग्रिम की वसूली के दौरान मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मुल्तवी की जा सकेगी।

(3) यदि किसी अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिए गए हैं तो वसूली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अग्रिम को पृथकतः माना जाएगा।

(4) अग्रिम के मूल का पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय कर दिए जाने के पश्चात्, आहरण और मूल के पूर्ण प्रतिसंदाय के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक मास या उसके खण्डित भाग के लिए मूल के एक बटा पांच प्रतिशत की दर से उस (मूल) पर ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(5) ब्याज साधारणतया, मूल के पूर्ण प्रतिसंदाय के पश्चातवर्ती मास में एक किस्त में वसूल किया जाएगा किन्तु यदि उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट अवधि बीस मास से अधिक है तो, यदि अभिदाता ऐसा चाहे तो, ब्याज दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकेगा। वसूली का तरीका वही होगा जो उप-पैरा (2) में उपबंधित है। संदाय पैरा (1) के उप-पैरा (5) मे उपबंधित रीति में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां, ज्यों ज्यों वे की जाती हैं, निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएंगी।

निधि से प्रत्याहरण

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/8-टी. 6 ता. 24-3-1982 के अनुसार अनुसूचित (15-3-1982 से प्रभावी)।

14. इसके अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा किए गए प्रत्याहरण की दशा में वह अध्यक्ष द्वारा और किसी अन्य मामलों में निदेशक द्वारा किसी भी निम्नलिखित रूप में मंजूर किए जा सकेंगे–

(क) किसी अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा (जिसके अंतर्गत सेवा की खंडित अवधियां, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से दस वर्ष पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्—

(i) निम्नलिखित मामलों में, उच्चतर शिक्षा के खर्च की पूर्ति के लिए जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक है, अभिदाता का या अभिदाता के किसी बालक का यात्रा व्यय भी है, अर्थात् :–

(क) हाई स्कूल प्रक्रम से परे शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत के बाहर शिक्षा के लिए, और

(ख) हाई स्कूल प्रक्रम से परे भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए

(ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वस्तुत: आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार की सगाई / विवाह के व्यय की पूर्ति के लिए,

(iii) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय की, जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए।

(ख) किसी अभिदाता की पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अंतर्गत सेवा की खंडित अवधि, यदि कोई हो, भी है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के दस वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्,–

(i) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसके अंतर्गत भूमि का मूल्य भी है,

(ii) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए किसी उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए,

(iii) अपने निवास के लिए मकान निर्मित करने के लिए कोई भू-खंड क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए,

(iv) अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पहले ही अर्जित किसी मकान या बने बनाए फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए,

(v) ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी पैतृक मकान के या ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरकार से लिए गए किसी उधार की सहायता से निर्मित किसी मकान के नवीकरण, उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने या उसकी देखभाल के लिए,

(vi) खण्ड (ग) के अधीन क्रय किए गए भू-खण्ड पर किसी मकान के निर्माण के लिए।

(ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर, कोई फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों अर्जित करने के प्रयोजन के लिए, निधि में उसके नाम जमा रकम में से।

15. (1) किसी अभिदाता द्वारा, निधि में उसके नाम जमा रकम में से पैरा 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार में प्रत्याहृत कोई राशि साधारणतया, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम के या छह मास के वेतन के आधे, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। किन्तु मंजूरी प्राधिकारी (i) उस उद्देश्य को जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है, (ii) अभिदाता की प्रास्थिति, और (iii) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम को ध्यान में रखते हुए, इस सीमा से अधिक, अभिदाता के नाम जमा राशि तक किसी रकम के प्रत्याहरण की मंजूरी दे सकेगा।

(2) ऐसा अभिदाता जिसे पैरा 14 के अधीन निधि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गई है, युक्तियुक्त अवधि के, जो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भीतर उस प्राधिकारी का यह समाधान कराएगा कि उस धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत किया गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उस प्रकार प्रत्यहृत पूरी राशि या उसका उतना भाग जिसका उपयोजन उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत की गई थी, उस पर पैरा 10 के अधीन अवधारित दर से ब्याज सहित, अभिदाता द्वारा निधि को प्रतिसंदत्त की जाएगी तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी उस अभिदाता की उपलब्धियों में से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जो संस्थान द्वारा अवधारित की जाएं, उसकी वसूली का आदेश देगा।

16. ऐसा कोई अभिदाता जो पैरा 14 के उप पैरा (1) के खंडों (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए पैरा 11 के अधीन कोई अग्रिम ले चुका है या भविष्य में ले, अपने विवेकानुसार, मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को सम्बोधित लिखित अनुरोध द्वारा, उसके विरुद्ध बकाया अतिशेष को, पैरा 14 और 15 में अधिकथित शर्तों की पूर्ति करके, उसे अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकेगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.024 31/55-टी.06 ता. 10-1-1969 के अनुसार संशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)।

बीमा पालिसियों और परिवार पेंशन लेखे संदाय

17. निधि के किसी अभिदाता से लिखित आवेदन मिलने पर और पैरा 18 से 25 तक में अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए :

(क) (i) किसी परिवार पेंशन निधि में अभिदायों और

(ii) बीमा पालिसी लेखे संदायों को निधि में अभिदायों के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकेगा,

(ख) निधि के किसी अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम निम्नलिखित की पूर्ति के लिए प्रत्याहृत की जा सकेगी—

(i) किसी बीमा पालिसी लेखे संदाय,

(ii) एकल संदाय बीमा पालिसी का क्रय,

(iii) एकल प्रीमियम या परिवार पेंशन निधि में अभिदायों का संदाय ।

परन्तु (क) और (ख), दोनों के बारे में परिवार पेंशन (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है, और (ii) बीमा पालिसी ऐसी है जो स्वयं अभिदाता द्वारा संस्थान के पक्ष में वैध रूप से समनुदिष्ट की जा सके और निधि से किए गए संदाय के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में वह रजिस्ट्रार को उसके द्वारा इस प्रकार समनुदिष्ट और परिदत्त की जाती है ।

18. (1) स्वयं अभिदाता द्वारा अपने जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवनों पर कराई गई बीमा पालिसी, जो स्वयं अभिदाता के जीवन पर पालिसी समझी जाएगी, संस्थान के पक्ष में समनुदेशन के लिए स्वीकार की जा सकेगी ।

(2) ऐसी पालिसी जो अभिदाता की पत्नी को समनुदिष्ट की गई है तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि या तो पालिसी पहले अभिदाता को पुन: समनुदिष्ट नहीं की जाती है या अभिदाता और उसकी पत्नी, दोनों, समुचित समनुदेशन में सम्मिलित नहीं होते हैं ।

(3) बीमा पालिसी, इस बात के अनुसार कि पालिसी अभिदाता के जीवन पर है या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर है या वह पालिसी अभिदाता की पत्नी को पहले समनुदिष्ट की जा चुकी, परिशिष्ट 5 में दिए हुए प्ररूपों में से प्ररूप (1), या प्ररूप (2) या प्ररूप (3) में स्वयं पालिसी पर किए गए पृष्ठांकन द्वारा संस्थान को समनुदिष्ट की जाएगी ।

(4) पालिसी के समनुदेशन की सूचना अभिदाता द्वारा बीमा कंपनी को दी जाएगी और कंपनी द्वारा उस सूचना की अभिस्वीकृति, समनुदेशन की तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(5) जहां कोई बीमा पालिसी संस्थान को समनुदिष्ट की गई है वहां रजिस्ट्रार, जहां संभव हो, बीमा कंपनी को निर्देशित करके अपना यह समाधान करेगा कि उस पालिसी का कोई पूर्व समनुदेशन विद्यमान नहीं है ।

19. (1) हिन्दू परिवार (पेंशन) वार्षिकी निधि और डाक जीवन बीमा पालिसियों के मामलों के, जिनके बारे में अभिदायों और प्रीमियमों का संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है, सिवाय संस्थान अभिदाताओं की ओर से बीमा कंपनियों को न तो कोई संदाय करेगा और न किसी पालिसी को जीवित रखने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(2) ऐसा अभिदाता जो अपने निधि अभिदायों को पूर्णत: या भागत:, परिवार पेंशन निधि या बीमा के संदाय के लिए, पैरा 17 के खंड (1) के अधीन प्रतिस्थापित करना चाहता है, निधि में अपने अभिदाय को उसकी सीमाओं के भीतर कम कर सकेगा :

परन्तु उप-पैरा (1) में वर्णित अभिदायों या प्रीमियमों के मामलों के सिवाय, अभिदाता, संदाय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां रजिस्ट्रार को यह समाधान करने के लिए भेजेगा कि निधि में अभिदाय की रकम में जितनी कमी की गई है उसका सम्यक् उपयोग पैरा 17 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था ।

(3) ऐसा अभिदाता जो निधि में अपने अभिदाय की सीमा के भीतर, पैरा 17 के खंड (ख) के अधीन कोई रकम प्रत्याहृत करना चाहता है, निधि में अपने अभिदाय से दी जाने वाली रकम के लिए रजिस्ट्रार के साथ इंतजाम करेगा ।

परन्तु अभिदाता संदाय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां, रजिस्ट्रार को, यह समाधान करने के लिए भेजेगा कि प्रत्याहृत रकम का सम्यक् उपयोग पैरा 17 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(4) पैरा 17 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन प्रत्याहृत कोई रकम, पैरा 9 के उपपैरा (5) में उपबंधित रीति में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित पूरे रुपयों में संदत्त को जाएगी।

20 (1) यदि किन्हीं अभिदायों या पैरा 17 के खण्ड (क) के अधीन प्रतिस्थापित संदाय की कुल रकम पैरा 7 के अधीन निधि को संदेय न्यूनतम अभिदाय की रकम से कम है तो अन्तर को पैरा 9 के उप पैरा (5) में उपबंधित रीति में निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा और अभिदाता द्वारा उसका संदाय निधि में अभिदाय के रूप में किया जाएगा।

(2) यदि अभिदाता निधि में अपने नाम जमा कोई रकम पैरा 17 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रत्याहृत करता है तो वह पैरा 7 के अधीन संदेय अभिदाय, निधि में संदत्त करता रहेगा।

21. किसी बीमा पालिसी के, निधि से वित्त पोषित किए जाने के प्रयोजनों के लिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर, निदेशक की पूर्व सम्मति के बिना न तो पालिसी के निबंधनों में परिवर्तन किया जाएगा और न वह पालिसी किसी दूसरी पालिसी से बदली जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस उपबंध के अधीन समनुदिष्ट जीवन बीमा पालिसियों के प्रीमियम वार्षिक रूप से अन्यथा संदेय नहीं होंगे।

22. अभिदाता, पालिसी के चालू रहने के दौरान ऐसा कोई बोनस नहीं लेगा जिसका ऐसे चालू रहने के दौरान लिया जाना पालिसी के निबंधनों के अधीन वैकल्पिक है तथा किसी ऐसे बोनस की रकम, जिसे पालिसी के चालू रहने के दौरान लेने से प्रविरत रहने का कोई

विकल्प अभिदाता को पालिसी के निबंधनों के अधीन नहीं है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में संदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम होने पर, उसकी उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा जैसा बोर्ड निर्देश दे, कमी करके वसूल की जाएगी।

23. (1) पैरा 25 के उप पैरा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, जब अभिदाता—

(क) सेवा छोड़ देता है, या

(ख) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है और पालिसी के पुनः समनुदेशन या उसके लौटाए जाने के लिए संस्थान को आवेदन करता है,

(ग) उस समय जब वह छुट्टी पर है, सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, और आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और पालिसी के पुनः समनुदेशन या उसके लौटाए जाने के लिए संस्थान को आवेदन करता है, या

(घ) पैरा 17 के खंड (क) के उपखंड (ii) और पैरा 17 के खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए निधि से विधारित या प्रत्याहृत पूरी रकम का उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, निधि में संदाय या प्रतिसंदाय करता है, तब रजिस्ट्रार, यदि पालिसी पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदिष्ट की गई है तो, उस पालिसी को, परिशिष्ट 6 में उपवर्णित प्रथम प्ररूप में, यथास्थिति, अभिदाता को या अभिदाता और संयुक्त रूप में बीमाकृत व्यक्ति को पुनःसमनुदिष्ट करेगा और बीमा कम्पनी को सम्बोधित, पुनः समनुदेशन की एक हस्ताक्षरित सूचना के साथ उसे अभिदाता को सौंप देगा।

(2) पैरा 25 के उप-पैरा (2) में जैसा उपबंध है, उसके सिवाय, जब अभिदाता सेवा छोड़ने से पूर्व मर जाता है तब रजिस्ट्रार वह पालिसी परिशिष्ट 6 में उपवर्णित द्वितीय प्ररूप में, ऐसे व्यक्ति को पुनः समनुदिष्ट करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए वैधरूप से हकदार हो और बीमा कंपनी को सम्बोधित, पुनः समनुदेशन की एक हस्ताक्षरित सूचना के साथ वह पालिसी उस व्यक्ति को सौंप देगा ।

24. यदि पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदिष्ट कोई पालिसी अभिदाता द्वारा सेवा छोड़े जाने से पूर्व परिपक्व हो जाती है या यदि किसी अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवनों पर कोई पालिसी जो उक्त पैरा के अधीन समनुदिष्ट है, पत्नी की मृत्यु के कारण संदाय के लिए देय हो जाती है तो वसूल की जाने पर पालिसी की रकम अभिदाता के नाम निधि में जमा की जाएगी ।

25. (1) यदि परिवार पेंशन निधि में अभिदाता का हित किसी भी कारण से पूर्णतः या भागतः समाप्त हो जाता है तो अभिदाता का भविष्य निधि खाता, परिवार पेंशन निधि से अभिदाता द्वारा प्राप्त प्रतिदाय की, यदि कोई है, रकम द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा, और वह रकम, प्रतिपूर्ति का व्यतिक्रम होने पर, अभिदाता की उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा, जैसा बोर्ड निदेश दे, काट ली जाएगी ।

(2) यदि संस्थान निम्नलिखित की सूचना प्राप्त करता है-

(क) (पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदेशन से भिन्न) कोई समनुदेशन, या

(ख) उस पर विल्लगंम का भार, या

(ग) पालिसी या उस पर वसूल की गई किसी रकम के संबंध में व्यवहार करने से अवरुद्ध करने वाला किसी न्यायालय का आदेश,

तो रजिस्ट्रार-

(i) पालिसी को पुनः समनुदिष्ट नहीं करेगा या उसे पैरा 23 में यथा उपबंधित, सौंपेगा नहीं,

(ii) पैरा 24 में यथा उपबंधित, पालिसी द्वारा बीमाकृत रकम वसूल करेगा किन्तु वह मामला तुरंत बोर्ड को निर्देशित करेगा ।

26. इस अनुसूची की किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि पैरा 17 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन विधारित या प्रत्याहृत धन का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए निधि से उस धन के विधारण या प्रत्याहरण की मंजूरी दी गई थी तो प्रश्नगत धन, पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, निधि के अभिदाता द्वारा तुरन्त संदत्त किया जाएगा या इसमें व्यतिक्रम होने पर, वह आदेश दिया जाएगा कि अभिदाता की परिलब्धियों में से, चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न हो, एकमुश्त कटौती करके उसकी वसूली की जाए । यदि दी जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों की मासिक किस्तों में वसूलियां तब तक की जाएंगी जब तक कि वसूलनीय सम्पूर्ण रकम का उसके द्वारा संदाय नहीं कर दिया जाता है ।

टिप्पण -इस नियम में प्रयुक्त "परिलब्धियां" पद के अंतर्गत निर्वाह अनुदान नहीं है ।

पालिसियों के वित्तपोषण संबंधी उपबंधों के निर्बंधन

27. पैरा 17 से पैरा 26 तक के उपबंध केवल उन अभिदाताओं को लागू होंगे जो उस तारीख से जिसको ये परिनियम प्रवृत्त हुए, पूर्व जीवन बीमा की पालिसियों के लेखे संदायों को निधि के अभिदायों के लिए, पूर्णतः या भागतः प्रतिस्थापित कर रहे थे या ऐसे संदायों के लिए निधि से प्रत्याहरण कर रहे थे ।

परन्तु ऐसे अभिदाताओं को, निधि को देय अभिदायों के लिए ऐसे संदाय प्रतिस्थापित करने या किसी नई पालिसी के बारे में ऐसे संदाय करने के लिए निधि से प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परिस्थितियाँ जिनमें संचित धन संदेय है

28. जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम, पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, उसे संदेय हो जाएगी :

परन्तु ऐसा अभिदाता जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और तत्पश्चात् सेवा में बहाल किया जाता है, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, इस पैरा के अनुसरण में निधि से उसे संदत्त किसी रकम का उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से, ब्याज सहित प्रतिसंदाय पैरा 29 के परन्तुक में उपबंधित रीति में करेगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी जिसका एक भाग उसके अभिदायों और उन पर ब्याज के रूप में है और उस भाग का जो संस्थान के अंशदान और उस पर ब्याज के रूप में है, लेखा जोखा पैरा 5 में उपबंधित रीति में दिया जाएगा।

29. जब कोई अभिदाता –

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है यदि वह किसी प्रावकाश विभाग में नियोजित है, दीर्घावकाश सहित सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर है, या

(ख) छुट्टी पर रहते हुए, सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा और आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम, उसके द्वारा उस निमित्त, निदेशक को आवेदन किए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी।

परन्तु यदि अभिदाता ड्यूटी पर लौटता है तो वह यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, उसे इस नियम के अनुसरण में निधि से संदत्त कोई रकम, उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, नकदी में या प्रतिभूतियों के रूप में अथवा भागत: नकदी में और भागत: प्रतिभूतियों के रूप में, किस्तों में या अन्यथा, जैसा संस्थान निदेश दे, निधि को उसके खाते में जमा करने के लिए पूर्णत: या भागत: प्रतिसंदत्त करेगा।

30. किसी अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर या जहां वह रकम संदाय किए जाने से पूर्व संदेय हो गई है, पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए—

(i) जब कोई अभिदाता कोई परिवार छोड़ता है—

(क) यदि उस अभिदाता द्वारा अपने परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के पक्ष में पैरा 4 के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में वह नामनिर्देशन है, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग के संबंध में है तो, यथास्थिति, पूरी रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में वह नामनिर्देशन नहीं है, उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में होना तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्य को समान अंशों में संदेय हो जाएगी/जाएगा परन्तु कोई भी अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा—

(1) वे पुत्र जो प्राप्तवय हो गए हैं,

(2) किसी मृत पुत्र के वे पुत्र जो प्राप्तवय हो गए हैं,

(3) ऐसी विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं,

(4) किसी मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं–यदि खंड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य है।

परन्तु यह भी कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और एक या अधिक बालक अपने बीच समान भागों में केवल वह अंश प्राप्त करेगा/करेंगे जो उस पुत्र को तब प्राप्त हुआ होता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और परन्तुक के खण्ड (1) के उपबंध से उसे छूट प्राप्त होती;

टिप्पण : (i) किसी अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य को इन नियमों के अधीन संदेय कोई राशि ऐसे सदस्य में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 के उपधारा (2) के अधीन निहित होगी।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है तब यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार

उसके द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसका नाम निर्देशन से संबद्ध है, उसके नाम निर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नाम-निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेह हो जाएगा।

टिप्पण :–जब कोई नामनिर्देशिती अभिदाता को, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित, आश्रित है तब वह रकम ऐसे नामनिर्देशिती में उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निहित होती है। जब अभि-दाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है और पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या यदि ऐसे नामनिर्देशन का सम्बन्ध, निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से है, तब भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उपखंड (ii) के सुसंगत उपबंध उस पूरी रकम या उसके उस भाग को, जिसके संबंध में में वह नामनिर्देशन नहीं है, लागू होंगे।

30. (क) **निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम**

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-16.24/78 टी.6 ता. 1-3-1989 के अनुसार अत:स्यापित (1-8-1978 से प्रभावी)।

किसी अभिदाता की मृत्यु पर, उस अभिदाता के नाम जमा रकम को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के तुरन्त पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान खाते में जमा अभिदाय की औसत रकम और उस पर ब्याज के बराबर अतिरिक्त राशि का संदाय इन शर्तों के अधीन किया जाएगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम, जमा, अभिदाय और उस पर ब्याज के रूप में अतिशेष मृत्यु के मास के पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित सीमाओं से कम न हुआ हो—

(i) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 1300/-रु0 या अधिक है, 4000/-रु0

(ii) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 900/-रु0 या अधिक किन्तु 1300/ रु0 से कम है, 2500/-रु0

(iii) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है; जिसके वेतनमान का अधिकतम 291/-रु0 या अधिक किन्तु 900/-रु0 से कम है, 1500/-रु0

(iv) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291/-रु0 से कम है, 1000/-रु0

(ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 10.000/रु0 से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष सेवा की है।

टिप्पण :– (1) औसत अतिशेष का हिसाब उस मास के जिसमें मृत्यु घटित होती है, पूर्वगामी प्रत्येक 36 मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर लगाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जाँच करने के लिए भी–

(क) मार्च के अंत में अतिशेष के अंतर्गत पैरा 10 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया अभिदाय पर वार्षिक ब्याज भी है, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च नहीं है तो उक्त अंतिम मास के अंत में अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु घटित होती है आरंभ से अंतिम मास के अंत तक की अवधि के बारे में अभिदाय पर ब्याज भी होगा।

टिप्पण (2) इस स्कीम के अधीन संदाय पूरे रुपयों में होने चाहिए। यदि देय रकम के अंतर्गत एक रुपए की भिन्न है तो उसे निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए (50 पैसे को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जाएगा।)

टिप्पण (3) इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा धन के रूप में है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लागू नहीं होता है।

टिप्पण (4) यह स्कीम उन अभिदाताओं को भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के एक स्वशासी संगठन में परिवर्तित किए जाने के परिणाम स्वरूप ऐसे निकाय को अंतरित किए जाते हैं और जो ऐसे अंतरण पर, उनको दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार, इस निधि में इन नियमों के अनुसार अभिदाय करने का चुनाव करते हैं।

टिप्पण (5) (क) संस्थान के ऐसे कर्मचारी की दशा में जो परिनियम 16 (2) परिनियम 16क (1) के अधीन निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया है किन्तु यथास्थिति, निधि में उसको सम्मिलित किए जाने की तारीख से यथास्थित, तीन वर्ष या पांच वर्ष की सेवा

पूरी होने से पूर्व मर जाता है, पूर्व नियोजक के अधीन उसकी सेवा की अवधि जिसकी बाबत उसके अभिदाय और नियोजक के अंशदान की रकम, यदि कोई है, तथा ब्याज प्राप्त हो गया है, खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) सेवावृति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में और पुनर्वियोजित, पेंशनभोगियों की दशा में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह स्कीम संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होती है।

टिप्पण (6) इस स्कीम के बारे में व्यय के बजट प्राक्कलन, निधि का लेखा रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिसमें अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

कटौतियां

31. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई कटौती नहीं की जा सकेगी जो जमा रकम में, संस्थान द्वारा किसी अंशदान और उस पर ब्याज की उस रकम से जो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के निधि में से संदत्त किए जाने के पूर्व जमा की गई है,

अधिक की कमी की गई है, बोर्ड उसमें से निम्नलिखित की कटौती और संस्थान को उसके संदाय का निदेश दे सकेगा—

(क) यदि कोई अभिदाता सेवा से गंभीर कदाचार के लिए पदच्युत किया गया है तो कोई भी रकम,

परन्तु यदि पदच्युति का आदेश तत्पश्चात्, रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार कटौती की गई रकम सेवा में उसकी बहाली पर निधि में उसके नाम प्रतिस्थापित कर दी जाएगी,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-11बी/78-टी. 6 ता. 7-6-1980 के अनुसार संशोधित (3-6-1980 से प्रभावी)।

(ख) यदि कोई अभिदाता संस्थान में अपने नियोजन से उसके आरम्भ होने के पांच वर्ष के भीतर, अधिवर्षिता के कारण या द्वारा यह घोषणा कि वह और आगे सेवा के लिए अयोग्य है किए जाने के कारण से अन्यथा त्यागपत्र दे देता है तो कोई भी रकम,

(ग) अभिदाता द्वारा संस्थान के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय कोई रकम।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-24-7/65-टी. 6ता. 16-10-1968के अनुसार संशोधित (18-9-1968 से प्रभावी)।

32. (1) (क) जब निधि में किसी अभिदाता के नाम जमा रकम या पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के पश्चात् उसका अतिशेष संदेय हो जाता है तब निदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् और जब ऐसी कोई कटौती उस पैरा के अधीन निर्दिष्ट नहीं की गई है, तब अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि कोई कटौती नहीं की जानी है, रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में उपबंधित संदाय करे।

(ख) अभिदायी भविष्य निधि में से निदेशक को अंतिम संदाय की दशा में, उस संदाय की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी शासक बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इस अनुसूची के अधीन किसी रकम या पालिसी का संदाय, समनुदेशन, पुनःसमनुदेशन या परिदान किया जाना है; पागल है जिसकी सम्पदा के लिए इस निमित्त कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो संदाय या पुनःसमनुदेशन या परिदान, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबंधों के अधीन नियुक्त ऐसे प्रबंधक को किया जाएगा न कि उस पागल को।

(3) कोई भी व्यक्ति जो इस पैरा के अधीन संदाय का दावा करना चाहता है, उस निमित्त एक लिखित आवेदन, निदेशक को भेजेगा। प्रत्याहृत रकमों का संदाय केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को वे रकमें संदेय हैं वे भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए स्वयं अपना इंतजाम करेंगे।

टिप्पण – जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम पैरा 28, 29 या 30 के अधीन संदेय हो गई है तब संस्थान अभिदाता के नाम जमा रकम के उस भाग के तत्परता से संदाय की व्यवस्था करेगा जिसके बारे में कोई विवाद या संदेह नहीं है और अतिशेष का तत्पश्चात् यथाशीघ्र समायोजन किया जाएगा।

प्रक्रिया

33. निधि में संचित रकमें जिनका संदाय इस अनुसूची के अधीन उनके संदेय हो जाने के छह मास के भीतर नहीं लिया गया है, वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् "निक्षेप" को अंतरित कर दी जाएगी और उनसे निक्षेपों संबंधी उपबंधों के अधीन व्यवहार किया जाएगा।

34. जब परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकदी में, भारत में किसी अभिदाय का संदाय किया जाए तब अभिदाता निधि में अपने खाते का संख्यांक जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा संसूचित किया जाएगा, उत्कथित करेगा। इसी प्रकार उस संख्यांक में कोई परिवर्तन होने पर उसकी संसूचना लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को दी जाएगी।

35. (1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् यथाशीघ्र और निधि लेखाओं की लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात् लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखा का एक विवरण परिशिष्ट 7 में उप-वर्णित प्ररूप में भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान निक्षेपों की कुल रकम और उस तारीख को अंत अतिशेष दर्शित होगा ।

लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह पूछेगा कि क्या—

(क) अभिदाता पैरा 4 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता हैं;

(ख) अभिदाता ने कोई परिवार अर्जित किया है (उन मामलों में जहां अभिदाता ने पैरा 4 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है) ।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण के ठीक होने के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिए और त्रुटियां उस विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिए । यदि इस अवधि के भीतर अभिदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने उस विवरण को स्वीकार कर लिया है ।

(3) जहां वार्षिक विवरण की त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं वहां अभिदाता को समाधानप्रद निपटारे के लिए उनका समाधान करना लेखा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा ।

परिशिष्ट-1

(पैरा 1 (4) देखिए)

घोषणा का प्ररूप

मैं ....(अभिदाता), इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......................का एक स्थायी कर्मचारी, इसके द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......... की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं ।

आज तारीख..........................को दिनांकित ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी — अभिदाता के हस्ताक्षर

1. ....
2. ....

परिशिष्ट २

(पैरा 4 (3) देखिए)

नामनिर्देशन के प्ररूप

1. जब अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी··················की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 2 में यथापरिभाषित मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह रकम जो इस निधि में मेरे नाम जमा हो; उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित करता हूँ।

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम पता, नातेदारी, जिसे नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रात होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख······························को·························में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी: अभिदाता के हस्ताक्षर

1. ························
2. ························

2. जब अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी·······························की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 2 में यथा परिभाषित मेरे परिवार के सदस्य हैं, वह रकम जो इस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने पर प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ और निदेश देता हूँ कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उसके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा :

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*प्रत्येक को संदत्त किए जाने वाले संचयों के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधि मान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशित कीमृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख························को·······················में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : अभिदाता के हस्ताक्षर

1. ··························
2. ··························

*टिप्पण : यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अंतर्गत आ जाए।

3. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं, जिसका इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी............. की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 2 में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति, को वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशित का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	* आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी, जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रात होगा जब नाम निर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख..................... को.................... में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी: अभिदाता के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

*टिप्पण :- जहाँ ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नाम निर्देशन करता है, वहां वह इस कालम में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित कर लिए जाने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

4. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं, जिसका इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी............... की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधो के पैरा 2 में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, इस के द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिससे वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ और निर्देश देता हूँ कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उनके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा :

नाम-निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	†प्रत्येक को संदत्त किए जाने वाले संचयों के अंश की रकम	*आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम, पता नातेदारी जिसे नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में सक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज की तारीख..................को......................मैं दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : अभिदाता के हस्ताक्षर

1........................

2........................

टिप्पण * यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए।

टिप्पण † जहां ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है, वहां तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित किए जाने पर यह नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

परिशिष्ट ३
अभिदायी भविष्य निधि खाता
(पैरा 5 देखिए)

लेखा सं ....

नामनिर्देशन की प्राप्ति की तारीख .... नाम .... पदनाम .... किस तारीख को पदग्रहण किया ....

	वर्ष 19.................19..................									वर्ष 19.................19...............								
	अभिदाय						संस्थान का अंशदान			अभिदाय						संस्थान का अंशदान		
मास	परिलब्धियां	अभिदाय	प्रत्याहरणों के प्रतिदाय	योग	प्रत्याहरण	मासिक अति शेष-जिस पर ब्याज की संगणना की जाती है	000 कृपया नीचे देखिए	प्रत्याहरण	टिप्पणी	परिलब्धियां	अभिदाय	प्रत्याहरणों के प्रतिदाय	योग	प्रत्याहरण	मासिक अति शेष जिस पर ब्याज की संगणना की जाती है	000 कृपया नीचे देखिए	प्रत्याहरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल																		
मई																		
जून																		
जुलाई																		
अगस्त																		
सितंबर																		
अक्टूबर																		
नवम्बर																		
दिसम्बर																		
जनवरी																		

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
फरवरी																		
मार्च																		
रोजनामचा प्रविष्टियां																		
योग																		

000 ड्यूटी पर या छुट्टी के दौरान या विदेश में प्रति नियुक्ति पर ली गई अभिदाता की परिलब्धियां

19-19 के अतिशेष .... रु0
उपर्युक्त निक्षेप और प्रतिदाय .... रु0

19-19 के लिए ब्याज .... रु0

योग .... रु0

उपर्युक्त प्रत्याहरण
घटाइए .... रु.

31 मार्च, ... को
अतिशेष .... रु.

.... द्वारा संगणना की गई
.... द्वारा जांच की गई

...... रु0 पर संस्थान का $8\frac{1}{3}$ %की दर से अंशदान ...... रु.

19-19 से अतिशेष .... रु.
19-19 के लिए ब्याज .... रु

योग .... रु.

उपर्युक्त प्रत्याहरण .... रु.
घटाइए

31 मार्च, 19 .... को
अतिशेष .... रु.

19 19 से अतिशेष .... रु.
उपर्युक्त निक्षेप और प्रतिदाय .... रु.

19-19 के लिए ब्याज .... रु.

योग .... रु.

उपर्युक्त प्रत्याहरण .... रु.
घटाइए

31 मार्च, 19 .... को
अतिशेष .... रु.

.... द्वारा संगणना की गई
.... द्वारा जांच की गई।

.... रु. पर संस्थान का $8\frac{1}{3}$ की दर से अंशदान .... रु.

19 19 से अतिशेष ...... रु.
19-19 के लिए ब्याज .... रु.
योग .... रु.

उपर्युक्त प्रत्याहरण
घटाइए .... रु.

31 मार्च, 19 .... को
अतिशेष .... रु.

परिशिष्ट 4

(पैरा 11 देखिए)

अभिदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन

1. अभिदाता का नाम और उसका लेखा संख्यांक

2. पदनाम

3. वेतन

4. आवेदन की तारीख को अभिदाता के नाम जमा अभिदाय का अतिशेष

5. अपेक्षित अग्रिम की रकम

6. प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है–[अभिदायी भविष्य निधि नियमों का पैरा 11 (क)]

7. उन मासिक किस्तों की संख्या (और रकम) जिनमें उक्त अग्रिम का प्रतिसंदाय करने का विचार है

8. पहले यदि कोई अग्रिम लिया या लिए गए हैं तो उनकी रकम। अग्रिम की विशिष्टियां और तारीख जिसको वह लिया गया है, प्रतिसंदाय की किस्तें और बकाया अतिशेष बताइए

9. अभिदाता की उन धनीय परिस्थितियों की पूरी विशिष्टियां जो अस्थायी प्रत्याहरण के आवेदन को उचित ठहराती हैं

आवेदक के हस्ताक्षर

मद 3, 4, 8 और 9 के सामने लिखी विशिष्टियां सही सत्यापित की गई है।

हस्ताक्षर........................

पदनाम : लेखा अधिकारी

(सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी)

सं0..........................तारीख..................................

....................................को अग्रेषित

मेरा समाधान हो गया है कि पदधारी की धनीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे वह अग्रिम मंजूर करना उचित है जिसके लिए उसने आवेदन किया है और जो अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 11 के अधीन अनुज्ञेय है तथा उपर्युक्त के पैरा 12 के अधीन........................की मंजूरी के लिए उसकी, एक विशेष मामले के रूप में, सिफारिश की जाती है।

वह अग्रिम .... रु0 प्रतिमास की............... किस्तों में, विहित दर से ब्याज के रूप एक/दो किस्तों के साथ वसूलनीय है।

हस्ताक्षर..................

पदनाम.....................

सं0......... ....तारीख.................................

.........................रु0 के अग्रिम के लिए.....................

की मंजूरी की सूचना दी जाती है। यह अग्रिम.................रु0 प्रतिमास की.................... किस्तों में, विहित दर से ब्याज के रूप में ½ किस्तों में वसूल किया जाएगा।

हस्ताक्षर.........................

पदनाम........................

टिप्पण : (i) आवेदन सर्वप्रथम रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए जो लेखा अधिकारी से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों के साथ वह आवेदन, यथास्थिति, निदेशक की मंजूरी के लिए भेजेगा या निदेशक की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् उच्चतर प्राधिकारी को भेजेगा।

(ii) आवेदन मंजूर हो जाने पर उसे और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए लेखा अनुभाग में भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट ५

(पैरा 18 देखिए)

समनुदेशन के प्ररूप

(1)

मैं.......................का निवासी...........................
इसके द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......................
को इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी
.......................की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबन्धों के अधीन सभी राशियों के संदाय की प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित करता हूँ।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख..................19..................को दिनांकित
स्थान.....................

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी...................

(2)

हम,........................ के निवासी................ ......
(अभिदाता) और........................का निवासी..... ....
(संयुक्त बीमाकृत व्यक्ति), इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी...................हमारे अनुरोध पर इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी लेखे संदायों को मेरे अर्थात् उक्त..............
..................द्वारा इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी.. ....
की अभिदायी भविष्य निधि में संदेय अभिदायों के लिए प्रतिस्थापन में स्वीकार करने के लिए तथा इसमें ऊपर दी हुई बीमा पालिसी के प्रीमियम के संदाय के लिए इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी
................की अभिदायी भविष्य निधि में उक्त.............के नाम जमा राशि से.............. ....रु0 की राशि के प्रत्याहरण को

स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है, इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी उक्त नियमों के अधीन सभी राशियों के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.....................
को इसके द्वारा संयुक्ततः और पृथकतः समनुदेशित करते हैं। अब से उक्त.............. ....उस निधि में संदाय करने के लिए दायी होगा।

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख..................को दिनांकित।
स्थान........................

अभिदाता और संयुक्त
बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी
....

टिप्पण : यह समनुदेशन स्वयं पालिसी पर अभिदाता के हस्तलेख में या टाइप करके निष्पादित किया जा सकेगा अथवा अनुकल्पतः एक टाइप की हुई या मुद्रित पर्ची जिसमें समनुदेशन अन्तर्विष्ट हो, पालिसी पर उस प्रयोजन के लिए दिए हुए खाली स्थान पर चिपकाई जा सकती है। टाइप किया हुआ पृष्ठांकन सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है और यदि पृष्ठांकन पालिसी पर चिपकाया गया है तो उसके चारों हाशियों के आरपार आद्यक्षर दिए जाने आवश्यक हैं।

(3)

मैं,.............. ....की पत्नी................ और इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी की नामनिर्देशिती, बीमाकृत व्यक्ति..................
....................के अनुरोध पर पालिसी में अपने हित की..........
के पक्ष में इस दृष्टि से छोड़ देने के लिए सहमत हो गई हूं कि.........
..................उस पालिसी को इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी
...............को समनुदेशित कर सके और वह निकाय,..............

द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में संदेय अभिदायों के लिए प्रतिस्थापन में, इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी लेखे संदायों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। मैं.......... ....के अनुरोध पर और उसके निर्देशन से इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी का उन सभी राशियों के संदाय के लिए जिनका उक्त निधि के नियमों के अधीन निधि को संदाय करने के लिए उक्त..............................इसके पश्चात् दायी हो जाए, प्रतिभूति के रूप में इसके द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी ....को समनुदेशन और पुष्टि करता हूं।

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख....................19............को दिनांकित।
स्थान..........................

समनुदेशिती और अभिदाता
के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

(4)

समनुदेशन का प्ररूप जिसका उपयोग उस दशा में किया जाएगा जहां साधारण भविष्य निधि का कोई अभिदाता जिसने उस निधि के नियमों के अधीन बीमा पालिसी कराई है, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी....................की अभिदायी भविष्य निधि में सम्मिलित किया जाता है।

मैं........................का निवासी....................इनमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी का, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी ....की अभिदायी भविष्य निधि की शासित करने वाले उपबंधों के अधीन संदेय सभी राशियों के संदाय की प्रतिभूति के रूप में और आगे समनुदेशन इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी...... ....को इसके द्वारा करता हूं। अब से मैं इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी..................की अभिदायी भविष्य निधि को संदाय करने का दायी हो जाऊंगा।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति को, उन सभी राशियों के जिनके लिए मैं साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन संदाय करने के लिए दायी हो गया हूं, संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन के सिवाय अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख......................को दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

....

परिशिष्ट 6

(पैरा 23 देखिए)

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी..........................
द्वारा पुनःसमनुदेशन और समनुदेशन का प्ररूप ।

उन सभी राशियों का संदाय कर दिया गया है जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी..................................की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबन्धों के अधीन ऊपर नामित ....द्वारा संदेय हो गई हैं और भविष्य में उसके द्वारा ऐसी किसी राशि के संदाय का दायित्व समाप्त हो गया हैं, अतः संस्थान इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी उक्त..........................को इसके द्वारा पुनःसमनुदेशित करता है ।

आज तारीख..................19............को दिनांकित ।

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.. ....के लिए और उसकी ओर से, संस्थान के रजिस्ट्रार...........द्वारा निष्पादित ।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम
और पता लिखना चाहिए)

(2)

ऊपर नामित..................को तारीख... ....को मृत्यु हो गई है, अतः इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.............. इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी.......................*को इसके द्वारा समनुदेशित करता है ।

---

* पालिसी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्तियों की विशिष्टियां लिखिये :

आज तारीख..................को दिनांकित ।

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......................के लिए और उसकी ओर से, संस्थान के रजिस्ट्रार...............द्वारा निष्पादित ।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना नाम और
पता लिखना चाहिए)

(3)

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी..............द्वारा पुनःसमनुदेशन का प्ररूप

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी..........................इसके द्वारा इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी उक्त..........................को पुनःसमनुदेशित करता है ।

आज तारीख ....19..................को दिनांकित ।

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......................के लिए और उसकी ओर से इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के रजिस्ट्रार ....द्वारा निष्पादित ।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम
और पता लिखना चाहिए)

परिशिष्ट 7

(पैरा 35 देखिए)

31-3-19····को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अभिदाता का लेखा विवरण

———

अभिदाता का नाम·······················

लेखा संख्यांक··························

विशिष्टियाँ	आरंभिक अतिशेष	निक्षेप	ब्याज	योग	प्रत्याहरण	अंतअतिशेष
अभिदाय और प्रत्याहरणों के प्रतिदाय संस्थान के अंशदान						
योग						

टिप्पण : (i) अभिदाता को चाहिए कि वह विवरण के सही होने के बारे में अपना समाधान कर ले और यदि कोई त्रुटियाँ हों तो उन्हें, विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में ले आए। यदि अभिदाता से इस अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि उसने उस विवरण को स्वीकार कर लिया है।

(ii) अभिदाता को यह बताना चाहिए कि क्या वह निधि के अधीन किए गए नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है।

(iii) उस दशा में जिसमें अभिदाता ने उस समय अपना कोई परिवार न होने के कारण, अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नाम निर्देशन नहीं किया है किंतु तत्पश्चात् वह परिवार अर्जित कर लेता है, उस तथ्य की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को तुरन्त भेजी जानी चाहिए।

लेखा अधिकारी
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ
टेक्नालाजी·····················

तारीख··························

(लेखा अधिकारी को लौटाया जाने वाला भाग)

मैं इसके द्वारा वर्ष 19··········· के लिए अपने अभिदायी भविष्य निधि लेखा के वार्षिक विवरण की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ और/किन्तु इसके पृष्ठभाग पर दिए हुए कारणों से, उस विवरण में दर्शित अतिशेष को सही स्वीकार नहीं करता हूँ।

अतिशेष को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, और उसके समर्थन में आवश्यक विशिष्टियाँ।

अभिदाता के हस्ताक्षर

तारीख····················

अनुसूची घ

(परिनियम 17 (i) देखिए)

छुट्टी संबंधी उपबंध

1. लागू होना

इस अनुसूची के उपबंध संस्थान के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "परिवर्तित छुट्टी" से पैरा 17 में यथा उपबंधित छुट्टी अभिप्रेत है।

(ख) "सेवा के संपूरित वर्ष" से संस्थान के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि की निरंतर सेवा अभिप्रत है और इसके अंतर्गत ड्यूटी पर और प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधियां और असाधारण छुट्टी भी है।

(ग) "अर्जित छुट्टी" से ड्यूटी पर बिताई गई अवधियों के बारे में अर्जित छुट्टी अभिप्रेत है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 25-1/64 - टी. 06 ता. 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (14-5-1969 से प्रभावी)।

(घ) "अर्ध-वेतन-छुट्टी" से इसमें आगे दिए हुए उपबंधों के अनुसार संगणित सेवा के संपूरित वर्षों के बारे में अर्जित छुट्टी अभिप्रेत है।

(ङ) "छुट्टी" के अंतर्गत अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अजंवशोध्य छुट्टी और असाधारण छुट्टी भी हैं।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-42/63 टी 06 जिल्द 2 तारीख 26-2-1976 के अनुसार संशोधित।

(च) "अध्ययनार्थ (सेबेटिकल) छुट्टी" से पैरा 21-ग में उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए परिनियम (11) के खंड (क) में निर्दिष्ट शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को मंजूर की गई छुट्टी अभिप्रेत है।

3. छुट्टी का अधिकार

छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और जब अत्यावश्यकताओं की ऐसी मांग हो तो किसी भी वर्णन की छुट्टी, उस छुट्टी को मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा इंकार या प्रतिसंहृत की जा सकेगी।

4. छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी

(1) छुट्टी के आवेदन, निदेशक द्वारा बोर्ड को और कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों द्वारा निदेशक को सम्बोधित होंगे।

(2) छुट्टी, निदेशक द्वारा या कर्मचारिवृन्द के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जिसे निदेशक द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, मंजूर की जा सकेगी।

(3) बोर्ड, निदेशक को छुट्टी मंजूर कर सकेगा किन्तु निदेशक स्वयं अपने प्राधिकार से आकस्मिक छुट्टी का उपभोग कर सकता है।

5. छुट्टी का आरम्भ और समाप्ति

(1) छुट्टी साधारणतया उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको उस छुट्टी का वस्तुत: उपभोग किया जाता है और वह उस दिन से जिस दिन ड्यूटी पुनरारंभ की जाती है, पूर्वगामी दिन को समाप्त होती है।

(2) रविवार या अन्य अवकाश दिन या दीर्घावकाश, प्रत्येक प्रवर्ग की छुट्टी के अधीन विहित छुट्टी पर अनुपस्थिति की सीमा के अधीन रहते हुए, छुट्टी के पूर्व और उसके पश्चात् जोड़े जा सकेंगे।

6. **छुट्टी का संयोजन**

इस अनुसूची में जैसा उपबंध है, उसके सिवाय, इन उपबंधों के अधीन किसी किस्म की छुट्टी, किसी अन्य किस्म की छुट्टी के संयोजन या क्रम में, अनुपस्थिति की कुल अवधि संबंधी किसी सीमा के, जो ऐसे मामलों में विहित की जाए, अधीन रहते हुए, मंजूर की जा सकेगी।

7. **सेवानिवृत्ति की तारीख के परे और पदत्याग की दशा में छुट्टी का मंजूर किया जाना :**

(1) उस तारीख के, जिस तारीख को कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए, परे कोई छुट्टी मंजूर नही की जाएगी।

परन्तु छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी कर्मचारिवृन्द के किसी ऐसे सदस्य को जिसे सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण, अर्जित छुट्टी, पूर्णतः या भागतः इंकार की गई थी, इस प्रकार इंकार की गई पूरी छुट्टी या उसका कोई भाग अनुज्ञात कर सकेगा चाहे उसका विस्तार उस तारीख के परे होता है जिस तारीख को कर्मचारिवृन्द का ऐसा सदस्य अनिवार्यतः सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए।

परन्तु यह और कि कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्य को जिसकी सेवा उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के परे, लोक सेवा के हित में, विस्तारित की गई है, अर्जित छुट्टी निम्नलिखित रूप में मंजूर की जा सकेगी :

(i) विस्तार की अवधि के दौरान, ऐसे विस्तार की अवधि की बाबत शोध्य कोई अर्जित छुट्टी और आवश्यक विस्तार तक वह अर्जित छुट्टी जो उसे पूर्वगामी परन्तुक के अधीन तब मंजूर की गई होती यदि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवानिवृत्ति हुआ होता,

(ii) विस्तार की अवधि के बीतने के पश्चात्

(क) वह अर्जित छुट्टी जो उसे पूर्वगामी परन्तुक के अधीन तब मंजूर की गई होती यदि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवानिवृत्त हुआ होता किन्तु उसमें से उतनी छुट्टी कम कर दी जाएगी जिसका उपभोग विस्तार की अवधि के दौरान किया गया है, और

(ख) विस्तार की अवधि के दौरान अर्जित कोई छुट्टी जिसके लिए विस्तार की अवधि के दौरान पर्याप्त समय से, उसकी ड्यूटी के अंतिम रूप से समाप्त होने से पूर्व छुट्टी के रूप में औपचारिक रूप से आवेदन किया गया है और जो लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण उसे इंकार कर दी गई है,

(iii) विस्तार की अवधि के दौरान शोध्य अर्जित छुट्टी की मात्रा अवधारित करने में पूर्वगामी परन्तुक के अधीन अर्जित छुट्टी को, यदि कोई है, हिसाब में लिया जाएगा।

टिप्पण (1) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को छुट्टी से इंकार किया गया केवल तब समझा जाएगा यदि उस तारीख से जिसको उसे अनिवार्यतः सेवानिवृत्त अवश्य होना है अथवा उस तारीख से जिसको उसकी ड्यूटी अंतिम रूप से समाप्त होती है, पर्याप्त समय पूर्व उसने या तो छुट्टी के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है और वह छुट्टी उसे सेवा की अत्यावश्यकताओं के आधार पर इंकार कर

दी गई है या उसने मंजूरी प्राधिकारी से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित कर लिया है कि यदि छुट्टी के लिए आवेदन किया जाता है तो वह उपर्युक्त आधार पर मंजूर नहीं की जाएगी।

(2) यदि संस्थान का कोई कर्मचारी पदत्याग करता है तो उसे उसके पश्चात्, उसके नाम शोध्य छुट्टी उसे मंजूर नहीं की जाएगी। परन्तु निदेशक, किसी भी मामले में किसी कर्मचारी को उसके पदत्याग से पूर्व छुट्टी तब मंजूर कर सकेगा यदि निदेशक की राय में मामले की परिस्थितियों को देखते हुए छुट्टी की ऐसी मंजूरी उचित है।

8. एक प्रकार की छुट्टी का अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ-25-1/64-टी. 6 तारीख 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (9-5-1969 से प्रभावी)

(1) कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के अनुरोध पर मंजूरी प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी को जिसके अन्तर्गत असाधारण छुट्टी भी है, भूतलक्षी रूप से किसी भिन्न प्रकार की छुट्टी में, जो उस तारीख को, जिसको कर्मचारिवृन्द का वह सदस्य छुट्टी पर गया है, अनुज्ञेय हो, परिवर्तित कर सकेगा। किन्तु कर्मचारिवृन्द का वह सदस्य ऐसे परिवर्तन के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।

(2) यदि एक प्रकार की छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित की जाती है तो छुट्टी वेतन और अनुज्ञेय भत्तों की रकम की पुनःसंगणना की जाएगी और, यथास्थिति, छुट्टी वेतन और भत्तों की बकाया का संदाय किया जाएगा या अध्यादान की गई रकमें वसूल की जाएंगी।

9. चिकित्सीय आधारों पर छुट्टी से लौटने पर ड्यूटी पुनरारंभ करना।

कर्मचारिवृन्द के उस सदस्य से जिसे चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी मंजूर की गई है, ड्यूटी पुनरारंभ करने से पूर्व आरोग्य का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

10. छुट्टी समाप्त होने से पूर्व ड्यूटी का पुनरारंभ

उस प्राधिकारी की जिसने छुट्टी मंजूर की है, अनुज्ञा के सिवाय, कर्मचारिवृन्द का कोई भी सदस्य जो छुट्टी पर है उसे मंजूर की गई छुट्टी की अवधि के बीतने से पूर्व ड्यूटी पर लौट नहीं सकेगा।

11. साधारण

(1) आपात मामलों में और संतोषप्रद कारणों के सिवाय, छुट्टी लेने से पूर्व सदैव छुट्टी के लिए आवेदन किया जाना चाहिए और वह मंजूर होनी चाहिए।

(2) निरंतर अस्थायी सेवा और उसके पश्चात् किसी बिराम के बिना स्थायी सेवा को छुट्टी की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थायी सेवा में सम्मिलित किया जाएगा।

12. छुट्टी के प्रकार

निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को अनुज्ञेय होंगी :–

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेष आकस्मिक छुट्टी

(ग) विशेष छुट्टी

(घ) अर्ध-वेतन छुट्टी

(ङ) परिवर्तित छुट्टी

(च) अर्जित छुट्टी

(छ) असाधारण छुट्टी

(ज) प्रसूति छुट्टी

(झ) अस्पताल छुट्टी

(ञ) करंतीन छुट्टी

(ट) अर्जनशोध्य छुट्टी

(ठ) अध्ययनार्थ (सेबेटिकल) छुट्टी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र एफ. 25-1/64-टी 06 तारीख 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (9-5-1969 से प्रभावी)

13. **आकस्मिक छुट्टी**

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-42/63-टी 06 ता. 26-2-1976 (25-2-1976 से प्रभावी)

(1) आकस्मिक छुट्टी ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं होती है। आकस्मिक छुट्टी पर कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन रुकता नहीं है। आकस्मिक छुट्टी के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और उसकी मंजूरी सदैव एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम कुल 12 दिन के अधीन रहते हुए है।

(2) जब भी अवसर उत्पन्न होता है, आकस्मिक छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार मंजूर की जा सकेगी परन्तु बीच में पड़ने वाले, पहले या बाद में जोड़े गए रविवारों और अन्य अवकाश दिनों सहित अनुपस्थिति की कुल अवधि साधारणतया एक बार में आठ दिन से अधिक नहीं होगी। रविवारों और अवकाश दिनों को, चाहे वे बीच में पड़ते हों अथवा पहले या बाद में जोड़े जाएं, आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(3) आकस्मिक छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से संयोजित नहीं किया जा सकता है।

14. **विशेष आकस्मिक छुट्टी**

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-39/65-टी 06 ता. 14-1-1969 के अनुसार संशोधित (9-1-1969 से प्रभावी)

(1) आकस्मिक छुट्टी लेखे न गिनी जाने वाली विशेष आकस्मिक छुट्टी किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को तब मंजूर की जा सकेगी जब वह—

(i) जूरी सदस्य या असेसर के रूप में सेवा करने या किसी ऐसे सिविल या आपराधिक मामले में जिसमें उसके प्राइवेट हित विवाद्य विषय नहीं है, एक साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए समन किया जाता,

(ii) संस्थान के हित में अन्य संस्थानों के निर्देश पुस्तकालयों में या विद्वत्त और वृत्तिक सोसायटियों के सम्मेलनों और वैज्ञानिक बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है,

(iii) शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अनुपस्थित रहने के लिए अपेक्षित है।

(2) किसी एक वर्ष में अनुज्ञेय ऐसी छुट्टी की अवधि साधारणतया पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी किन्तु वह आवश्यक अनुपस्थिति की अवधि अपने अंतर्गत करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी छुट्टी मंजूर की जाएगी, यदि आवश्यक हो तो, बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएंगी।

15. **विशेष छुट्टी**

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-42/63-टी. 06 ता. 26-2-1976 के अनुसार संशोधित (25-2-1976 से प्रभावी)

भारत में या भारत के बाहर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारिवृन्द सदस्य ऐसी विशेष छुट्टी के हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित की जाए।

परन्तु शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सेबेटिकल (अध्ययन) छुट्टी–

(i) संस्थान के साथ छह् वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा के पूरे होने के पश्चात्,

(ii) जहां वह विशेष छुट्टी का उपभोग करता है, ऐसी विशेष छुट्टी से उसके लौटने के पश्चात्,

(iii) जहां वह विशेष छुट्टी का उपभोग करता है, ऐसी विशेष छुट्टी से उसके लौटने के पश्चात् संस्थान के साथ छह वर्ष या अधिक की सेवा पूरी होने के पश्चात्, अनुज्ञेय होगी किन्तु हर दशा में ऐसी छुट्टी ऐसे सदस्य की सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक नहीं होगी (इसके अन्तर्गत विशेष छुट्टी भी है, यदि ऐसी छुट्टी मंजूर की गई है)।

16. अर्ध-वेतन छुट्टी

(1) किसी भी कर्मचारिवृन्द सदस्य को सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के सम्बन्ध में अनुज्ञेय अर्ध-वेतन छुट्टी 20 दिन की होगी।

(2) किसी भी कर्मचारिवृन्द सदस्य को अर्ध-वेतन छुट्टी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर या प्राइवेट कामकाज के आधार पर मंजूर की जा सकेगी। अस्थाई नियुक्ति में किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को, चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर के सिवाय, कोई अर्ध-वेतन छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।

परन्तु अस्थायी कर्मचारिवृन्द सदस्य की दशा में कोई भी अर्ध-वेतन छुट्टी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने के लिए तैयार न हो कि ऐसे अधिकारी के मामले को छोड़कर जो चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा, और आगे सेवा के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से अशक्त घोषित कर दिया गया है, अधिकारी, छुट्टी बीतने पर ड्यूटी पर वापस आएगा।

17. परिवर्तित छुट्टी

(1) अर्धवेतन छुट्टी की मात्रा के आधे से अनधिक परिवर्तित छुट्टी, किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर की जा सकेगी :–

पैरा 17(1)(क) और (ख), शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-5/78-टी. 6 ता. 23-2-1979 के अनुसार संशोधित (16-2 1979 से प्रभावी)

(क) जब परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाती है तब ऐसी छुट्टी की मात्रा की दुगनी मात्रा, शोध्य अर्ध वेतन छुट्टी में से कम कर दी जाएगी।

(ख) एक साथ ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल कालावधि 240 दिन से अधिक नहीं होगी परन्तु इस उपबंध के अधीन कोई भी परिवर्तित छुट्टी तब तक मंजूर नहीं की जा सकेगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह अधिकारी उस (छुट्टी) के बीत जाने पर ड्यूटी पर लौट आएगा।

(2) अधिकतम 180 दिन तक की अर्ध वेतन छुट्टी पूरी सेवा के दौरान वहां जहां ऐसी छुट्टी का उपयोग किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए, जैसे कि कोई ऐसा पाठ्यक्रम जो छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होने वाला प्रमाणित किया गया है, परिवर्तित किए जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.11-6/76-टी. 6 तारीख 16-7-1978 के अनुसार जोड़ा गया।

18. अर्जित छुट्टी

दीर्घावकाश कर्मचारिवृन्द सदस्यों को अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी :

(1) एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे कर्मचारी के लिए जो दीर्घावकाश का हकदार है, दीर्घावकाश की अवधि 60 दिन होगी।

(2) यदि ऐसे कर्मचारिवृन्द सदस्य से पूरे दीर्घावकाश या उसके किसी भाग के दौरान ड्यूटी पर बने रहने की अपेक्षा की जाती है तो वह पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी की निम्नलिखित मात्रा के लिए पात्र होगा :—

दीर्घावकाश के दौरान ड्यूटी की कालावधि	पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी के लिए पात्रता
पूरा दीर्घावकाश	30 दिन
दीर्घावकाश का भाग	$30 \times \frac{\text{दीर्घावकाश के उन दिनों की संख्या जिनका उपभोग नहीं किया गया}}{\text{पूरे दीर्घावकाश के दिनों की संख्या}}$

गैर-दीर्घावकाश कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी

(3) दीर्घावकाश कर्मचारिवृन्द से भिन्न कर्मचारिवृन्द के सदस्य को अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की होगी।

(4) उक्त प्रत्येक स्थायी कर्मचारी के छुट्टी लेखा में प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई को प्रत्येक बार 15 दिन की दो किस्तों में अग्रिम अर्जित छुट्टी जोड़ी जाएगी।

(5) पूर्वतन आधे वर्ष की समाप्ति पर किसी कर्मचारी के नाम जमा छुट्टी का योग 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

(6) कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य तब अर्जित छुट्टी अर्जित करना बन्द कर देगा जब अर्जित छुट्टी का योग 180 दिन हो जाता है।

(7) कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को अर्जित छुट्टी की जो अधिकतम मात्रा मंजूर की जा सकती है वह एक समय में 120 दिन होगी। 120 दिन से अधिक अवधि के लिए अर्जित छुट्टी तब मंजूर की जा सकेगी यदि इस प्रकार मंजूर की गई पूरी छुट्टी या उसका कोई भाग भारत, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के बाहर बिताया जाता है परन्तु जब 120 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी इस प्रकार मंजूर की जाती है तब भारत, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के भीतर बिताई गई ऐसी छुट्टी की अवधि कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

19. असाधारण छुट्टी

(1) असाधारण छुट्टी सदैव छुट्टी वेतन बिना होगी और यह तब मंजूर की जा सकेगी जब अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी अनुज्ञेय नहीं है या जब अन्य छुट्टी अनुज्ञेय तो है किन्तु संबंधित कर्मचारिवृन्द सदस्य ने विनिर्दिष्टतः असाधारण छुट्टी के मंजूर किए जाने के लिए लिखित रूप में आवेदन किया है।

(2) असाधारण छुट्टी की अवधि सिवाय उस दशा के जिसमें ऐसी छुट्टी बीमारी के कारण चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर या उच्चतर अध्ययन अग्रसर करने के लिए मंजूर की गई है, वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी, परन्तु इस बारे में सन्देह की दशा में कि क्या ली गई असाधारण छुट्टी उच्चतर अध्ययन अग्रसर करने के लिए थी या नहीं, अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 25-1/64-टी. 6 ता. 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (9-5-1969 से प्रभावी)।

(3) (क) सिवाय स्थायी कर्मचारी की दशा में, असाधारण छुट्टी की कालावधि किसी एक अवसर पर निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी—

(i) तीन मास,

(ii) छह मास, उस कर्मचारी की दशा में जिसने नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय छुट्टी की समाप्ति की तारीख को तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है।

(iii) अट्ठारह मास, जहां कर्मचारी यक्ष्मा या कुष्ठरोग से पीड़ित है और किसी मान्यताप्राप्त क्लीनिक में या किसी विशेषज्ञ के अधीन उपचार करा रहा है ।

(ख) जहां स्थायी कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी उसे मंजूर की गई असाधारण छुट्टी की अधिकतम मात्रा के समाप्त होने पर अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभालने में असफल रहता है या जहां ऐसा कोई कर्मचारी जिसे अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा मंजूर की गई, ड्यूटी से किसी ऐसी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है जो उसको मंजूर की गई असाधारण छुट्टी की अवधि के साथ मिलकर उस सीमा से अधिक हो जाती है जिस सीमा तक उसे उप-नियम (क) के अधीन असाधारण छुट्टी की जा सकती थी, वहां उसकी बाबत, जब तक कि मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड अन्यथा अवधारित न करे, यह समझा जाएगा कि उसने अपनी नियुक्ति का त्याग कर दिया है और वह संस्थान के नियोजन में नहीं रहेगा ।

(4) छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, छुट्टी बिना अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण छुट्टी में भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगा ।

टिप्पण : छुट्टी बिना अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी में भूतलक्षी रूप से परिवर्तित करने की शक्ति आत्यंतिक है और वह ऊपर (i) में उल्लिखित शर्तों के अधीन नहीं है ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-1/80-टी. 6 के अनुसार संशोधित (1 - 11 - 1980 से प्रभावी)

20. प्रसूति छुट्टी

(1) (क) प्रसूति छुट्टी कर्मचारिवृन्द की किसी महिला सदस्या को, उसके आरम्भ होने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि के लिए पूरे वेतन पर मन्जूर की जा सकेगी ।

(ख) प्रसूति छुट्टी गर्भपात के मामलों में भी, जिसके अंतर्गत गर्भस्राव भी है, इस शर्त के अधीन कि आवेदित छुट्टी छह सप्ताह से अधिक की नहीं है और छुट्टी का आवेदन चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित है, पूरे वेतन पर मन्जूर की जा सकेगी ।

(2) प्रसूति छुट्टी, छुट्टी लेखा में से विकलित नहीं की जाएगी ।

(3) प्रसूति छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकेगी किन्तु प्रसूति छुट्टी के क्रम में आवेदित कोई छुट्टी केवल तभी मन्जूर की जा सकेगी जब कि आवेदन चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है ।

21. अस्पताल छुट्टी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 25-1/64-टी. 6 ता. 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (9-5-1969 से प्रभावी)

(1) अस्पताल छुट्टी रुग्णता या क्षति के लिए उपचार करा रहे किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को तब मंजूर की जा सकेगी यदि ऐसी रुग्णता या क्षति सीधे उसके शासकीय कर्त्तव्यों के अनुक्रम में उपगत जोखिमों के कारण है । यह रियायत कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्यों को उपलब्ध होगी जिनके कर्त्तव्यों की प्रकृति उन्हें ऐसी रुग्णता या क्षति के लिए उच्छन्न करती हैं और जिनका नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक है ।

(2) अस्पताल छुट्टी या तो औसत या अर्ध औसत, जैसा छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, छुट्टी वेतन पर मंजूर की जा सकेगी ।

(3) अस्पताल छुट्टी के पात्र कर्मचारिवृन्द सदस्य ऐसी छुट्टी के लिए छुट्टी की मात्रा पर किसी निर्बंधन के बिना हकदार होंगे और यह छुट्टी ऐसी अवधि के लिए मंजूर की जा सकती है जो उसे मन्जूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए ।

(4) अस्पताल छुट्टी, छुट्टी लेखा में से विकलित नहीं की जाती है और वह किसी अन्य छुट्टी के, जो अनुज्ञेय हो, साथ जोड़ी जा सकेगी परन्तु ऐसे जोड़े जाने के पश्चात छुट्टी की कुल अवधि 28 मास से अधिक नहीं होगी।

21. (क) करंतीन छुट्टी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 25-1/64-टी. 6 ता. 14-5-1969 के अनुसार संशोधित (9-5-1969 से प्रभावी)

(1) करंतीन छुट्टी तब मंजूर की जाती है जब कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों के अधीन, उसके परिवार या गृहस्थी में किसी संक्रामक रोग के परिणामस्वरूप, कार्यालय में हाजिर होने से प्रवारित होता है। ऐसी छुट्टी किसी चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाणपत्र पर ही मंजूर की जा सकती है। करंतीन छुट्टी की अधिकतम कालावधि साधारणतया इक्कीस दिन है और वह असाधारण परिस्थितियों में तीस दिन तक बढ़ाई जा सकेगी। इन सीमाओं से परे किसी अनुपस्थिति को नियमित छुट्टी के रूप में मानना होगा। करंतीन छुट्टी पर कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसके वेतन में व्यवधान नहीं पड़ता है।

(2) यदि कर्मचारिवृन्द सदस्य स्वयं किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो करंतीन छुट्टी अनुज्ञेय नहीं है।

(3) करंतीन छुट्टी मंजूर किए जाने के लिए हैजा, चेचक, रोहिणी (डिफथीरिया), टाइफस ज्वर और सेरिको-स्पाइनल मेनिनजाइटिस को संक्रामक रोग माना जा सकता है। किन्तु खसरा (चिकन पाक्स) की दशा में, कोई भी करंतीन छुट्टी तब तक मंजूर नहीं की जा सकती है जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी यह नहीं समझता है कि रोग की प्रकृति के बारे में कुछ संदेह को दृष्टि में रखते हुए ऐसी छुट्टी को मंजूर करने का कारण है।

21. (ख) अर्जनशोध्य छुट्टी

(1) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की दशा में जैसा है उसके सिवाय अर्जनशोध्य छुट्टी कर्मचारिवृन्द के किसी स्थायी सदस्य को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर और प्राइवेट कामकाज के आधार पर, दोनों पर, उसकी सम्पूर्ण सेवा के दौरान अनधिक 360 दिन की अवधि के लिए मंजूर की जा सकेगी जिसमें से अधिक से अधिक कुल 180 दिन प्राइवेट कामकाज के लिए हो सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र एफ. 25-1/64-टी. 6 तारीख 14-5-1969 के अनुसार जोड़ा गया (9-5-1969 से प्रभावी)

(2) अर्जनशोध्य छुट्टी, कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को केवल तब मंजूर की जाएगी जब कि मंजूरी प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि छुट्टी समाप्त होने पर उस कर्मचारिवृन्द सदस्य की ड्यूटी पर वापस आने की युक्तियुक्त संभावना है और वह छुट्टी उस अर्ध-वेतन छुट्टी तक सीमित होगी जो वह तत्पश्चात् संभवत: अर्जित करेगा।

(3) अर्जनशोध्य छुट्टी तब अनुज्ञेय है जब अन्य प्रकार की कोई भी छुट्टी शोध्य और अनुज्ञेय नहीं है।

(4) कर्मचारिवृन्द का कोई भी सदस्य, जब वह शोध्य छुट्टी पर है, उसी छुट्टी वेतन का हकदार है जो अर्ध-वेतन छुट्टी के दौरान दिया जाता है।

21. (ग) अध्ययनार्थ (सैबेटिकल) छुट्टी

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-44/65 टी. 6 (जिल्द 2) ता. 26-2-1976 के अनुसार संशोधित (25-2-1976 से प्रभावी)।

(1) अध्ययनार्थ (सैबेटिकल) छुट्टी निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए मंजूर की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) भारत में या विदेश में अनुसंधान या उच्च अध्ययन करने के लिए,

(ख) पाठ्य पुस्तकें, मानक कृतियां और अन्य साहित्य लिखने के लिए,

(ग) औद्योगिक समुत्थानों और सरकार के तकनीकी विभागों का उनके अपने अपने क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए दौरा करने या उनमें काम करने के लिए,

(घ) भारत या विदेश में किसी विश्वविद्यालय, उद्योग या सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं का दौरा करने या उनमें काम करने के लिए, और

(ङ) कर्मचारिवृन्द सदस्य के शैक्षणिक विकास के लिए अन्य कोई प्रयोजन जो शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों।

(2) अध्ययनार्थ (सेबेटिकल) छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) अध्ययनार्थ (सेबेटिकल छुट्टी की अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और इसके अंतर्गत दीर्घावकाश, यदि कोई हों, भी हैं, किंतु बोर्ड इसके अतिरिक्त अधिकतम 120 दिन तक की कोई अन्य छुट्टी, जो उस सदस्य ने संस्थान में सेवा के दौरान अर्जित की हो, मंजूर कर सकेगा।

(ख) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को, सेबेटिकल छुट्टी की अवधि के दौरान वह पूरा वेतन और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो प्रसामन्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय है किन्तु वह भारत या विदेश में किसी यात्रा भत्ते या किसी अतिरिक्त भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(ग) रिक्त स्थान में कोई प्रतिस्थानी नियुक्त नहीं किया जाएगा और उसका काम संकाय के अन्य सदस्यों द्वारा आपस में बांट लिया जाएगा।

(घ) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य, सैबेटिकल छुट्टी के दौरान भारत या विदेश में किसी अन्य संगठन के अधीन कोई नियमित नियुक्ति नहीं लेगा, किंतु वह कोई छात्रवृत्ति या अध्येतावृति या वजीफा या अपने नियमित नियोजन से भिन्न कोई अन्य तदर्थ मानदेय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ङ) अध्ययनार्थ (सेबेटिकल) छुट्टी का उपभोग करने वाला शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य ड्यूटी पर लौटने पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थान की सेवा करने के लिए एक बंधपत्र विहित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।

22. दीर्घावकाश और छुट्टी वेतन

(1) दीर्घावकाश का हकदार, संस्थान का कर्मचारी दीर्घावकाश की अवधि के दौरान पूरी दर से वेतन और भत्ते के लिए पात्र होगा।

(2) (क) आगे उप-पैरा 22 (2) (ख) में जैसा उपबंध है उसे छोड़कर अर्जित अवकाश पर कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य उस मास के जिसमें छुट्टी आरंभ होती है, तुरन्त पूर्वगामी 10 पूरे मास के दौरान प्राप्त किए गए औसत मासिक वेतन के या उस अधिष्ठायी वेतन के जिसके लिए वह छुट्टी आरंभ होने के तुरन्त पूर्व हकदार है, जो भी अधिक है, बराबर छुट्टी वेतन का हकदार है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-8/68 - टी. 6 ता 18 - 1 - 1969 के अनुसार संशोधित (15-1-1969 से प्रभावी)।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-5/78 - टी. 6 तारीख 23-2-1979 के अनुसार संशोधित (16-2-1979 से प्रभावी)।

(ख) कर्मचारिवृन्द का वह सदस्य जो अर्जित छुट्टी पर जाता है, छुट्टी पर जाने के तुरन्त पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार है।

(3) अर्ध-वेतन छुट्टी पर कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य, यथास्थिति, उप-पैरा (2) (क) या (2) (ख) में विनिर्दिष्ट रकम के आधे के बराबर छुट्टी वेतन का, अधिकतम 750 रु० की सीमा के अधीन रहते हुए, हकदार होगा। परन्तु यह सीमा तब लागू नहीं होगी यदि वह छुट्टी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर है।

(4) परिवर्तित छुट्टी पर कोई कर्मचारिवृन्द सदस्य उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञेय रकम के दो गुने के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार है।

23. छुट्टी के दौरान वेतनवृद्धि

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-1/68 - टी. 6 तारीख 18-1-1969 के अनुसार संशोधित (15-1-1969 से प्रभावी)।

यदि वेतनवृद्धि, आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी के दौरान पड़ती है तो वेतन में वृद्धि का प्रभाव उस छुट्टी के समाप्त होने के दिन (अंतिम दिन) के पश्चातवर्ती दिन से, वेतनवृद्धि की प्रसामान्य तारीख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दिया जाएगा।

24. कुल अनुपस्थिति की सीमा

कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य तब संस्थान की सेवा में नहीं रहता है यदि वह ड्यूटी से पांच वर्ष तक, चाहे छुट्टी लेकर या छुट्टी के बिना, निरन्तर अनुपस्थित रहता है, जब तक कि ऐसी अनुपस्थिति भारत में अन्यत्र सेवा पर अनुपस्थिति नहीं है।

25. कतिपय मामलों में छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/76 - टी. 6 तारीख 16-7-1978 के अनुसार जोड़ा गया।

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उस समय होती है जब वह सेवा में है तो उसके परिवार को उस छुट्टी वेतन का, जो उस मृत कर्मचारी को तब मिला होता यदि वह अपनी मृत्यु की तारीख को अर्जित छुट्टी पर गया होता, अधिकतम 180 दिन के छुट्टी वेतन के अधीन रहते हुए, नकद समतुल्य दिया जाएगा।

26. सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुपभुक्त अर्जित छुट्टी के बदले में नकद संदाय

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 11-5/78-टी. 6 तारीख 23-2-1979 के अनुसार जोड़ा गया।

किसी भी कर्मचारी को अर्जित छुट्टी की उस अवधि के बारे में जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय उसके नाम जमा है, अनुज्ञेय छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य, अधिकतम 180 दिन की सीमा के अधीन और अन्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा समय - समय पर अधिकथित की जाएं, एक बार में निपटारे के रूप में संदत्त किया जएगा।

अनुसूची (ङ)

(परिनियम 16 क देखिए)

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर की अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम

---

1. लागू होना आदि

(1) इस अनुसूची के उपबंध परिनियम 16 क के खंड (1) में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को लागू होंगे।

(2) यदि निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया कोई कर्मचारी पहले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी अभिदायी या गैर-अभिदायी भविष्यनिधि का अभिदाता था तो उस अभिदायी या गैर अभिदायी भविष्यनिधि में उसके संचयों की रकम इस निधि में उसके नाम में अंतरित की जाएगी।

(3) निधि के फायदों के लिए हकदार, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि वह परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूप में इस आशय की लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि उसने वह अनुसूची पढ़ी है और वह इसके उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत है।

2. परिभाषा

इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "लेखा अधिकारी" से संस्थान का लेखा अधिकारी अभिप्रेत है,

(ii) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से संस्थान का (आंतरिक) लेखा परीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है;

(iii) "परिलब्धियों" से मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान सहित वेतन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा के संबंध में प्राप्त (मंहगाई वेतन, यदि कोई है सहित) वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक भी है।

(iv) "परिवार" से अभिप्रेत है—

(क) किसी पुरुष अभिदाता की दशा में मृत अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बालक तथा अभिदाता के किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और उसके बालक;

परन्तु यदि कोई अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उसके न्यायिकत: पृथक हो गई है या उस समुदाय की, जिसकी वह है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो अब से उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं है जब तक कि अभिदाता तत्पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अभिव्यक्त सूचना द्वारा यह उपदर्शित नहीं करता है कि वह इस रूप में मानी जाती रहेगी;

(ख) किसी महिला अभिदाता की दशा में, अभिदाता का पति और उसके बालक तथा अभिदाता के किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक;

परन्तु यदि कोई अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार को अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो अब से उस पति की, बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं है जब तक कि

अभिदाता, तत्पश्चात् उसे अपवर्जित करने वाली अपनी अधिसूचना को लिखित रूप में औपचारिक रूप से रद्द नहीं करती है।

टिप्पण (1) "बालक" से धर्मज बालक अभिप्रेत हैं।

टिप्पण (2) जब रजिस्ट्रार, या यदि रजिस्ट्रार के मस्तिष्क में कोई शंका उत्पन्न होती है तो, संस्थान का विधिक अधिकारी का वह समाधान हो जाता है कि अभिदाता की स्वीय विधि के अधीन, दत्तक ग्रहण को अकृत्रिम बालक की प्रास्थिति प्रदान करने वाले के रूप में वैध रूप से मान्यता प्राप्त है तो दत्तक बालक को बालक माना जाएगा किन्तु ऐसा केवल इस मामले में होगा।

(v) "अन्यत्र सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें संस्थान का कोई कर्मचारी, बोर्ड की मंजूरी से, अपना अधिष्ठायी वेतन संस्थान की निधि से भिन्न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है;

(vi) "निधि" से संस्थान की नई अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत हैं;

(vii) "छुट्टी" से अनुसूची "घ" में उपबंधित किसी प्रकार की छुट्टी जो अभिदाता को लागू, हो अभिप्रेत है;

(viii) "वेतन" से संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिमास ली गई रकम अभिप्रेत है–

(i) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत अर्हता को देखते हुए मंजूर किए गए वेतन से भिन्न वेतन जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न हैसियत में धारित किसी पद के लिए मंजूर किया गया है;

(ii) विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, और

(iii) कोई अन्य पारिश्रमिक जो बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत किया जाए;

(ix) "अभिदाय" से अभिदाता द्वारा संदत्त कोई रकम अभिप्रेत है, और "अंशदान" से संस्थान द्वारा अभिदत्त कोई रकम अभिप्रेत है;

(x) "वर्ष" से कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निधि का गठन और प्रबंध :

(1) निधि जो रुपयों में रखी जाएगी, अभिदाताओं द्वारा संदत्त अभिदायों और संस्थान द्वारा किए गए अंशदान से गठित होगी और उसके अंतर्गत पैरा 10 के उप-पैरा (1) के अधीन अभिदाताओं के खाते में जमा किए जाने के लिए संदत्त ब्याज भी है।

(2) निधि का प्रबंध बोर्ड में निहित है। बोर्ड के नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए, निदेशक, बोर्ड के लिए और उसकी ओर से, निधि का प्रशासन करेगा।

(3) निधि, भारतीय स्टेट बैंक में निधि के नाम में निक्षिप्त की जाएगी। निक्षेप, मासिक लेखाओं के बन्द किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किए जाएंगे।

(4) संस्थान निधियों का ऐसे भाग को जो समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों / प्रमाण पत्रों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत परक्राम्य बंधपत्रों में और केन्द्रीय सरकार की ऐसी निक्षेप स्कीमों, में जो इस संबंध में समय समय पर अधिसूचित की जाएं, विनिहित कर सकेगा तथा ऐसे विनिधानों पर प्राप्त ब्याज या लाभ प्रकीर्ण प्राप्तियों के रूप में संस्थान के नाम जमा किए जाएंगे।

सभी विनिधान और प्रतिभूतियां संस्थान के नाम में धारण की जाएंगी।

4. **नाम निर्देशन :**

(1) कोई भी अभिदाता, निधि में सम्मिलित होते समय, रजिस्ट्रार को एक नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा जो उस रकम के संदेय होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में निधि में उसके नाम जमा है अथवा जो संदेय हो जाने पर भी संदत्त नहीं की गई है।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करने के समय अभिदाता का कोई परिवार है तो वह नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि के बारे में जिसमें वह इस निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदाय कर रहा था, किया गया नामनिर्देशन तब जब कि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकम अंतरित करके इस निधि में उसके नाम जमा कर दी गई है, इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नामनिर्देशन तब तक समझा जाएगा जब तक कि वह इस उप-पैरा के अनुसार कोई नामनिर्देशन नहीं करता है।

टिप्पण :- इस पैरा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हैं, एकवचन या बहुवचन "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई कपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, भी है।

(2) यदि कोई अभिदाता उप-पैरा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह उस नामनिर्देशन में, नामनिर्देशितियो में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश, इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि निधि में किसी भी समय उसके नाम जमा पूरी रकम उसके अंतर्गत आ जाए।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन परिशिष्ट 2 में उपवर्णित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में होगा जो परिस्थितियो को देखते हुए समुचित हो।

(4) कोई भी अभिदाता, किसी भी समय, रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेजकर अपने नामनिर्देशन को रद्द कर सकेगा।

परन्तु अभिदाता ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(5) कोई भी अभिदाता, नामनिर्देशन में,—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के बारे में यह उपबंध कर सकेगा कि यदि उसके नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है तो उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएंगे जो नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हों तो, ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा/ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे। जहां अभिदाता ऐसा कोई अधिकार, इस खंड के अधीन, एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है, वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि नामनिर्देशिती को संदेय पूरी रकम उसके अन्तर्गत आ जाए।

(ख) यह उपबंध कर सकेगा कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर अमान्य हो जाएगा, परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध करेगा कि बाद में परिवार अर्जित करने की दशा में वह नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के परिवार का केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में उपबंध करेगा कि खंड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, तत्पश्चात् उसके द्वारा अपने परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों को अर्जित करने की दशा में, अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) किसी ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने पर जिसके बारे में उप-पैरा (5) के खंड (क) के अधीन, नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण नामनिर्देशन उप-पैरा (5) के खंड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाएगा, अभिदाता रजिस्ट्रार को, नामनिर्देशन रद्द करते हुए और उसके साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजते हुए तुरन्त लिखित सूचना भेजेगा।

(7) किसी अभिदाता द्वारा किया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गई रद्दकरण की प्रत्येक सूचना उस विस्तार तक जिस तक वह विधिमान्य है, ऐसी तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख को वह संस्थान द्वारा प्राप्त की गई है।

(8) सभी नामनिर्देशनों को अभिलिखित करने के लिए संस्थान द्वारा एक अद्यतन रजिस्टर रखा जाएगा।

5. अभिदाता का लेखा

प्रत्येक अभिदाता के नाम में, परिशिष्ट 3 में उपवर्णित प्ररूप में, एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दिखाए जाएंगे :—

(i) अभिदाता के अभिदाय,

(ii) उसके लेखा में संस्थान द्वारा, पैरा 9 के अधीन किए गए अंशदान,

(iii) अभिदाय पर पैरा 10 द्वारा यथाउपबंधित ब्याज,

(iv) अंशदानों पर पैरा 10 द्वारा यथाउपबंधित ब्याज, और

(v) उसके लेखा में से अग्रिम और प्रत्याहरण।

6. अभिदाय की शर्तें और दरें :–

(1) प्रत्येक अभिदाता, जब वह ड्यूटी पर या अन्यत्र सेवा पर है, किन्तु निलम्बन के दौरान नहीं, निधि में मासिक रूप से अभिदाय करेगा। परन्तु किसी भी अभिदाता को, निलम्बन के अधीन काटी गई अवधि के पश्चात् यथापूर्व (बहाल) किए जाने पर उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदायों की बकाया की अधिकतम रकम से अनधिक किसी राशि का एकमुश्त या किश्तों में संदाय करने का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) कोई भी अभिदाता अपने विकल्प पर, 30 दिन की कालावधि से कम की औसत वेतन पर छुट्टी या अर्जित छुट्टी से भिन्न छुट्टी के दौरान, चाहे तो, छुट्टी पर जाने से पूर्व या जाने के शीघ्र पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेज कर अभिदाय न करे।

सम्यक् और समय से सूचना देने में असफल रहने को अभिदाय करने का चुनाव करना समझा जाएगा।

इस उप-पैरा के अधीन सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा।

(3) ऐसा अभिदाता जिसने पैरा 29 के अधीन अभिदायों और उन पर ब्याज के रकम प्रत्याहृत कर ली है, ऐसे प्रत्याहरण के पश्चात्, निधि में तब तक अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर लौट नहीं आता है।

7. (1) अभिदाय की रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियत की जाएगी—

(क) यह पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी (50 नए पैसे और उससे अधिक को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा)।

(ख) यह कोई भी ऐसी राशि हो सकती है जो अभिदाता की परिलब्धियां के $8\frac{1}{3}\%$ से कम न हो।

(2) उप पैरा (1) के खड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी अभिदाता की परिलब्धियां—

वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को हकदार था;

(3) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम में वृद्धि या कमी किसी वर्ष के दौरान केवल एक बार की जा सकेगी।

परन्तु यदि कोई अभिदाता किसी मास के एक भाग के लिए ड्यूटी पर है और मास के शेष भाग के लिए छुट्टी पर है और यदि उसने छुट्टी के दौरात अभिदाय न करने का चुनाव किया है तो संदेय अभिदाय की रकम उस मास में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी।

(4) जब कोई अभिदाता अस्थायी रूप से अन्यत्र सेवा को अंतरित कर दिया जाता है या भारत के बाहर भेजा जाता है तब वह इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन उसी रीति में बना रहेगा मानो वह उस प्रकार अंतरित नहीं किया गया था या बाहर नहीं भेजा गया था।

8. **अभिदायों की वसूली**

(1) जब परिलब्धियां संस्थान की निधि में से ली जाती हैं तब इन परिलब्धियों के लेखे अभिदायों तथा अग्रिमों के मूल धन और ब्याज की रकम की वसूली इन परिलब्धियों में से ही की जाएगी।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तब अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास संस्थान को भेजेगा।

9. **संस्थान द्वारा अंशदान**

(1) संस्थान, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में, अंशदान करेगा।

परन्तु यदि किसी वर्ष के दौरान अभिदाता सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्वगामी वर्ष की अंतिम तारीख और दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में अंशदान जमा किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी भी अवधि के बारे में जिसके लिए इस अनुसूची के अधीन अभिदाता को निधि में अभिदाय न करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या जिसके लिए वह ऐसा अभिदाय नहीं करता है, कोई अंशदान संदेय नहीं होगा।

(2) अंशदान एक ऐसी राशि होगी जो अभिदाता की यथास्थिति, वर्ष के दौरान या वर्ष में किसी अवधि के लिए की गई परिलब्धियों के 8 प्रतिशत के बराबर है।

(3) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चुनाव करता है तो इस नियम के प्रयोजन के लिए, उसके छुट्टी वेतन को ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां समझा जाएगा।

(4) अन्यत्र सेवा की किसी अवधि के बारे में संदेय किसी अंशदान की रकम, जब तक कि वह नियोजक से वसूल नहीं की जाती, संस्थान द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(5) अंशदान की संदेय रकम को निकटतम पूरे रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा (50 नए पैसे और उससे अधिक को अगला उच्चतर रुपया माना जाएगा)।

10. ब्याज

(1) संस्थान, अभिदाता के खाते में ऐसी दर से ब्याज जमा करेगा जो केन्द्रीय सरकार, अपने कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर विहित करे।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्नलिखित रूप में जमा किया जाएगा :

(i) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से ऐसी राशियां घटाकर जो चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत की गई हैं, आने वाली रकम पर बारह मास के लिए ब्याज;

(ii) चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत राशियों पर चालू वर्ष की पहली अप्रैल से प्रत्याहरण के मास से पूर्वगामी मास के अंतिम दिन तक ब्याज;

(iii) अभिदाता के लेखा में पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च, के पश्चात् जमा की गई सभी राशियों पर निक्षेप (जमा करने) की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल रकम को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में उपबंधित रीति में, निकटतम रुपए तक पूर्णाङ्कित किया जाएगा।

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई है तब उस पर ब्याज केवल, यथास्थिति चालू वर्ष के आरंभ से या जमा की तारीख से उस तारीख तक की जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो जाती है, अवधि के बारे में, इस पैरा के अधीन जमा किया जाएगा।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख उस मास का जिसमें वह जमा की गई है, प्रथम दिन समझी जाएगी।

परन्तु जहां किसी अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण में और परिणामस्वरूप निधि में उसके अभिदाय की वसूली में विलम्ब हुआ है वहां ऐसे अभिदायों पर ब्याज उस मास से जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह वस्तुत: कब लिया गया था, संदेय होगा।

(4) सभी मामलों में उस मास से जिसमें संदाय किया गया है, पूर्वगामी मास के अंत तक या उस मास के जिसमें ऐसी रकम संदेय हुई, पश्चात् छठे मास के अंत तक, इनमें जो भी अवधि कम हो, किसी अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के बारे में ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(5) उप-पैरा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस तारीख के पश्चात् जो रजिस्ट्रार ने उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को ऐसी तारीख के रूप में सूचित की है जिसको वह संदाय करने के लिए तैयार है, किसी अवधि के बारे में किसी ब्याज का संदाय नहीं किया जाएगा।

11. निधि से अग्रिम :

किसी भी अभिदाता को, निधि में उसके नाम जमा रकम से अस्थायी अग्रिम, पैरा 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेकानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संजूर किया जा सकेगा—

(क) कोई भी अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक की धनीय परिस्थितियों को देखते हुए वह उचित है और यह कि वह निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाएगा, अन्यथा नहीं;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-1/70-टी. 6 ता. 29-6-1971 के अनुसार अन्तःस्थापित (25-6-1971 से प्रभावी)।

(कक) मंजूरी प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को तब किसी अग्रिम के संदाय को मंजूर कर सकेगा यदि समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को खंड (क) में वर्णित कारणों से भिन्न कारणों से उस अग्रिम की आवश्यकता है।

(i) आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की लम्बी बीमारी या प्रसवावस्था के सबंध में व्ययों का संदाय करने के लिए;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं एफ. 21-3/65-टी. 6 ता. 10-1-1969 के अनुसार सशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)

(ii) आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या उसकी शिक्षा के कारणों से समुद्र पार यात्रा के लिए संदाय करने के लिए;

(iii) विवाह, अंत्येष्टि या ऐसे समारोहों के संबंध में जिन्हे करना उसके लिए धर्म द्वारा लाजिमी है, आवेदक की प्रास्थिति के अनुसार उपयुक्त पैमाने पर बाध्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए;

(iv) भारत के बाहर, आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की, हाईस्कूल प्रक्रम से परे शिक्षा के संबंध में व्ययों का संदाय करने के लिए;

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-3/65-टी. 6 ता. 10-1-1969 के अनुसार अन्तःस्थापित (8-1-1969 से प्रभावी)

(v) हाईस्कूल प्रक्रम से परे, भारत में किसी आयुर्विज्ञान इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम या अन्य साधारण उच्चतर शिक्षा के संबंध में आवेदक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के व्ययों का संदाय करने के लिए;

परन्तु यह तब जब कि उस पाठ्यक्रम की कालावधि तीन वर्ष से कम नहीं है।

(vi) जहां अभिदाता पर सरकार या संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है या जहां अभिदाता उसकी ओर से किसी अभिकथित शासकीय

अवचार के बारे में किसी जांच में अपनी अभिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियोजित करता है वहां उसकी अभिरक्षा के खर्च की पूर्ति करने के लिए;

(vii) ऐसी विधिक कार्यवाही के जो अभिदाता द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध किए गए किन्हीं अभिकथनों के संबंध में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए संस्थित की गई है, खर्च की पूर्ति करने के लिए;

(viii) अपने निवास के लिए किसी भूखंड या किसी मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट के खर्च की पूर्ति करने के लिए या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी भूखंड या बने बनाए फ्लैट के आबंटन मद्धे कोई संदाय करने के लिए।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/80-टी. 6 ता. 24-3-82 के अनुसार अंतःस्थापित (15-3-1982 से प्रभावी)

टिप्पण : उपर्युक्त उपखंड (vi) के अधीन अग्रिम आवेदक को ऐसे किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा जो किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय है किन्तु किसी भी अभिदाता को उक्त उपखंड के अधीन अग्रिम न तो उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के या सेवा की किसी शर्त के संबंध में सरकार/संस्थान के विरुद्ध किसी न्यायालय में संस्थित किसी विधिक कार्यवाही के बारे में और न उसके शासकीय कर्त्तव्यों से असंबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी विधिक कार्यवाही के बारे में अनुज्ञेय होगा।

(ख) कोई भी अग्रिम, विशेष कारणों के सिवाय, तीन मास के वेतन से अधिक नहीं होगा और किसी भी दशा में वह निधि में अभिदाता के जमाखाते में अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगा।

(ग) कोई भी अग्रिम विशेष कारणों के सिवाय, तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी पूर्वतन अग्रिमों और उन पर ब्याज का अंतिम प्रतिसंदाय बीत न गया हो।

(घ) जहां अग्रिम ऐसे कारणों से मंजूर किए जाते हैं वहां मंजूरी प्राधिकारी लिखित रूप में उन विशेष कारणों को अभिलिखित करेगा।

(ङ) निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट 4 में उपवर्णित प्ररूप में भेजा जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 24-7/65 - टी. 6 ता. 16-10-1968 के अनुसार संशोधित (18-9-1868 से प्रभावी)

12. (1) निधि से, निदेशक से भिन्न अभिदाताओं को अस्थाई अग्रिम निदेशक द्वारा मंजूर किया जाएगा जो अपने विवेकानुसार यह कार्य उपनिदेशक या रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) निदेशक को विधि से अस्थायी अग्रिम के लिए अध्यक्ष की मंजूरी अपेक्षित होगी।

13. (1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली उतनी संख्या में समान मासिक किस्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निदेशित की जाएं किन्तु ऐसी संख्या तब तक बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा चुनाव न करे अथवा किसी भी दशा में चौबीस से अधिक नहीं होगी।

कोई भी अभिदाता अपने विकल्प पर विहित से कम संख्या में किस्तों में प्रतिसंदाय कर सकेगा। प्रत्येक किस्त पूर्णांकित रुपयों की एक संख्या होगी तथा ऐसी

किस्तों के नियतन की गुन्जाइश करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अग्रिम की रकम में वृद्धि या कमी की जाएगी।

(2) (क) वसूली पैरा 8 में अभिदाय की वसूली के लिए उपबन्धित रीति में की जाएगी और वह उस मास के जिसमें अग्रिम प्राप्त किया गया है, पश्चात्‌वर्ती मास के लिए वेतन जारी करने के साथ आरम्भ होगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 24-3/65-टी. 6 ता. 10-1-1969 के अनुसार संशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)

(ख) जब अभिदाता छुट्टी पर है या वह निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है तब उसकी सम्मति के सिवाय वसूली नहीं की जाएगी तथा वह अभिदाता को मंजूर किए गए वेतन की अग्रिम की वसूली के दौरान मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मुल्तवी की जा सकेगी।

(3) यदि किसी अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिए गए हैं तो वसूली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अग्रिम को प्रथकत: माना जाएगा।

(4) अग्रिम के मूल का पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय कर दिए जाने के पश्चात् आहरण और मूल के पूर्ण प्रतिसंदाय के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक मास या उसके खंडित मास के लिए मूल के एक बटा पांच प्रतिशत की दर से उस (मूल) पर ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(5) (क) ब्याज साधारणतया, मूल के पूर्ण प्रतिसंदाय के पश्चात्‌वर्ती मास में एक किस्त में वसूल किया जाएगा किन्तु यदि उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट अवधि बीस मास से अधिक है तो, यदि अभिदाता ऐसा चाहे तो ब्याज दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकेगा। वसूली का तरीका वही होगा जो उप-पैरा (2) में उपबंधित है।

(ख) संदाय पैरा (1) के उप-पैरा (5) में उपबंधित रीति में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां ज्यों ज्यों वे की जाती हैं निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएंगी ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/8 टी. 6 ता. 24-3-82 अनुसार प्रतिस्थापित (15-3-1982 से प्रभावी)।

14. इसके अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निदेशक द्वारा किए गए प्रत्याहरण की दशा में यह अध्यक्ष द्वारा और किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित रूप में मंजूर किए जा सकेंगे ।

(क) किसी अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा (जिसके अंतर्गत सेवा की खंडित अवधियां, यदि कोई हों भी हैं) पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दस वर्ष पूर्व जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के मास अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात् :-

(i) निम्नलिखित मामलों में, उच्चतर शिक्षा के खर्च की पूर्ति के लिए जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक है, अभिदाता या अभिदाता के किसी बालक का यात्रा व्यय भी है, अर्थात् :-

(क) हाईस्कूल प्रक्रम से परे, शैक्षणिक, तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत के बाहर शिक्षा के लिए, और

(ख) हाईस्कूल प्रक्रम से परे भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए,

(ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार की सगाई/विवाह के व्यय की पूर्ति के लिए,

(iii) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय की, जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए;

(ख) किसी अभिदाता की पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अंतर्गत सेवा की खंडित अवधि, यदि कोई हो, भी है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृति की तारीख के दस वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम से जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात्, :-

(i) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसके अंतर्गत भूमि का मूल्य भी है;

(ii) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए किसी उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए;

(iii) अपने निवास के लिए मकान निर्मित करने के लिए कोई भूखंड क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए;

(iv) अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पहले ही अर्जित किसी मकान या बने बनाए फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए;

(v) ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी पैतृक मकान के या ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरकार से लिए गए किसी उधार की

सहायता से निर्मित किसी मकान के नवीकरण, उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने या उसकी देखभाल के लिए;

(iv) खंड (ग) के अभी क्रय किए भू-खंड पर किसी मकान के निर्माण के लिए।

(ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर, कोई फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों अर्जित करने के प्रयोजन के लिए, निधि में उसके नाम जमा रकम से।

15. (1) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके नाम जमा रकम में से पैरा 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार में प्रत्याहृत कोई राशि साधारणतया निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम के या छह मास के वेतन के आधे, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। किन्तु मंजूरी प्राधिकारी (i) उस उद्देश्य को उसके द्वारा प्रत्याहरण किया जा रहा है, (ii) अभिदाता की प्रास्थिति, और (iii) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम को ध्यान में रखते हुए इस सीमा से अधिक, अभिदाता के नाम जमा राशि तक किसी रकम के प्रत्याहरण की मंजूरी दे सकेगा।

(2) ऐसा अभिदाता जिसे पैरा 14 के अधीन निधि से धन प्रत्यहृत करने की अनुज्ञा दी गई है, युक्तियुक्त अवधि के, जो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भीतर उस प्राधिकारी का यह समाधान कराएगा कि उस धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत किया गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत पूरी राशि या उसका उतना भाग जिसका उपयोजन उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत की गई थी, उस पर पैरा 10 के

अधीन अवधारित दर से ब्याज सहित, अभिदाता द्वारा निधि को प्रतिसंदत्त की जाएगी तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी उस अभिदाता की परिलब्धियों में से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जो संस्थान द्वारा अवधारित की जाएं, उसकी वसूली का आदेश देगा।

16. ऐसा कोई अभिदाता जो पैरा 14 के उप पैरा (1) के खंडों (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए पैरा 11 के अधीन कोई अग्रिम ले चुका है या भविष्य में ले, अपने विवेकानुसार, मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकार को सम्बोधित लिखित अनुरोध द्वारा, उसके विरुद्ध बकाया अतिशेष को, पैरा 14 और 15 में अधिकथित शर्तों की पूर्ति करके, उसे अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकेगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 24-3/55 - टी. 6 तारीख 10-1-1969 के अनुसार संशोधित (8-1-1969 से प्रभावी)

17. बीमा पालिसियों और परिवार पेंशन निधि लेखे संदाय :

निधि के किसी अभिदाता से लिखित आवेदन मिलने पर और पैरा 18 से 25 तक में अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए :

(क) (i) किसी परिवार पेंशन निधि में अभिदायों और

(ii) बीमा पालिसी लेखे संदायों को निधि में अभिदायों के संपूर्ण या उसके भाग के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकेगा;

(ख) निधि के किसी अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम निम्नलिखित की पूर्ति के लिए प्रत्याहृत की जा सकेगी—

(i) किसी बीमा पालिसी लेखे संदाय;

(ii) एकल संदाय बीमा पालिसी का क्रय;

(iii) एकल प्रीमियम या परिवार पेंशन निधि में अभिदायों का संदाय।

परन्तु (क) और (ख), दोनों के बारे में परिवार पेंशन (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है, और (ii) बीमा पालिसी ऐसी है जो स्वयं अभिदाता द्वारा संस्थान के पक्ष में वैध रूप से समनुदिष्ट की जा सके और निधि से किए गए संदाय के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में वह रजिस्ट्रार को उसके द्वारा इस प्रकार समनुदिष्ट और परिदत्त की जाती है।

18. (1) स्वयं अभिदाता द्वारा अपने जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवनों पर कराई गई बीमा पालिसी, जो स्वयं अभिदाता के जीवन पर पालिसी समझी जाएगी, संस्थान के पक्ष में समनुदेशन के लिए स्वीकार की जा सकेगी।

(2) ऐसी पालिसी जो अभिदाता की पत्नी को समनुदिष्ट की गई है, तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि या तो पालिसी पहले अभिदाता को पुनः समनुदिष्ट नहीं की जाती है या अभिदाता और उसकी पत्नी दोनों समुचित समनुदेशन में सम्मिलित नहीं होते है।

(3) बीमा पालिसी, इस बात के अनुसार कि पालिसी अभिदाता के जीवन पर है या अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवन पर है या वह पालिसी अभिदाता की पत्नी को पहले समनुदिष्ट की जा चुकी है, परिशिष्ठ 5 में दिए हुए प्ररूपों से प्ररूप (1), या प्ररूप (2) या प्ररूप (3) में स्वयं पालिसी पर किए गए पृष्ठांकन द्वारा संस्थान को समनुदिष्ट की जाएगी।

(4) पालिसी के समनुदेशन की सूचना अभिदाता द्वारा बीमा कंपनी को दी जाएगी और कंपनी द्वारा उस सूचना की अभिस्वीकृति, समनुदेशन की तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(5) जहां कोई बीमा पालिसी संस्थान को समनुदिष्ट की गई है वहां रजिस्ट्रार, जहां संभव हो, बीमा कम्पनी को निर्देशित करके अपना यह समाधान करेगा कि उस पालिसी को कोई पूर्व समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

19. (1) हिन्दू परिवार (पेंशन) वार्षिकी निधि और डाक जीवन बीमा पालिसियों के मामलों, के जिनके बारे में अभिदायों और प्रीमियमों का मासिक वेतन बिलों में से वस्तुतः की गई वसूलियों के विस्तार तक, सदाय संस्थान द्वारा किया जाता है, सिवाय संस्थान अभिदाताओं की ओर से बीमा कंपनियों को न तो कोई संदाय करेगा और न किसी पालिसी को जीवित रखने के लिए कार्यवाही करेगा।

(2) ऐसा अभिदाता जो अपने निधि अभिदायों को पूर्णतः या भागतः परिवार पेंशन निधि या बीमा के संदाय के लिए, पैरा 17 के खंड (क) के अधीन प्रतिस्थापित करना चाहता है, निधि में अपने अभिदाय को उसकी सीमा के भीतर कम कर सकेगा।

परन्तु उप-पैरा (1) में वर्णित अभिदायों या प्रीमियमों के मामलों के सिवाय, अभिदाता, संदाय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां रजिस्ट्रार को यह समाधान करने के लिए भेजेगा कि निधि में अभिदाय की रकम में जितनी कमी की गई है उसका सम्यक् उपयोग पैरा 17 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(3) ऐसा अभिदाता जो निधि में अभिदाय की सीमा के भीतर पैरा 17 के खंड (ख) के अधीन कोई रकम प्रत्याहृत करना चाहता है, निधि में अपने अभिदाय से दी जाने वाली रकम के लिए रजिस्ट्रार के साथ इंतजाम करेगा।

परन्तु अभिदाता संदाय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां रजिस्ट्रार को, यह समाधान करने के लिए भेजेगा कि प्रत्याहृत रकम का सम्यक् उपयोग पैरा 17 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(4) पैरा 17 के खंड (क) या (ख) के अधीन प्रत्याहृत कोई रकम, पैरा 9 के उप-पैरा (5) में उपबंधित रीति में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित पूरे रुपयों में संदत्त की जाएगी।

20. (1) यदि किन्हीं अभिदायों या पैरा 17 के खंड (क) के अधीन प्रतिस्थापित संदाय की कुल रकम पैरा 7 के अधीन निधि को संदेय न्यूनतम अभिदाय की रकम से कम है तो अन्तर को पैरा 9 के उप-पैरा (5) में उपबंधित रीति में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और अभिदाता द्वारा उसका संदाय निधि में अभिदाय के रूप में किया जाएगा।

(2) यदि अभिदाता निधि में अपने नाम जमा कोई रकम पैरा 17 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रत्याहृत करता है तो वह पैरा 7 के अधीन संदेय अभिदाय, निधि में संदत्त करता रहेगा।

21. किसी बीमा पालिसी के, निधि से वित्तपोषित किए जाने के प्रयोजनों के लिए एक बार स्वीकार कर किए जाने पर, निदेशक की पूर्व-सम्मति के बिना न तो पालिसी के निबंधनों में परिवर्तन किया जाएगा और न वह पालिसी किसी दूसरी पालिसी से बदली जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस उपबंध के अधीन समनुदिष्ट जीवन बीमा पालिसियों के प्रीमियम वार्षिक रूप से अन्यथा संदेय नहीं होंगे।

22. अभिदाता, पालिसी के चालू रहने के दौरान ऐसा कोई बोनस नहीं लेगा जिसका ऐसे चालू रहने के दौरान लिया जाना पालिसी के निबंधनों के अधीन वैकल्पिक है तथा किसी ऐसे बोनस की रकम, जिसे पालिसी के चालू रहने के दौरान लेने से प्रविरत रहने का कोई विकल्प अभिदाता को पालिसी के निबंधनों के अधीन नहीं है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में संदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम होने पर, उसकी परिलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा जैसा बोर्ड निदेश दे, कमी करके वसूल की जाएगी।

23. (1) पैरा 25 के उप-पैरा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, जब अभिदाता—

(क) सेवा छोड़ देता है, या

(ख) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है और पालिसी के पुन:समनुदेशन या उसके लौटाए जाने के लिए संस्थान को आवेदन करता है, या

(ग) उस समय जब वह छुट्टी पर है, सेवानिवृत्ति होने के लिए अनुज्ञात किया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, और आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और पालिसी के पुन:समनुदेशन या उसके लौटाए जाने के लिए संस्थान को आवेदन करता है, या

(घ) पैरा 17 के खण्ड (क) के उपखंड (ii) और पैरा 17 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) और (ii) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए निधि से विधारित या या प्रत्याहृत पूरी रकम का उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, निधि में संदाय या प्रतिसदाय करता है,

तब रजिस्ट्रार, यदि पालिसी पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदिष्ट की गई है तो, उस पालिसी को, परिशिष्ट 6 में उपवर्णित प्रथम प्ररूप में, यथास्थिति, अभिदाता को या अभिदाता और संयुक्त रूप से बीमाकृत

व्यक्ति को पुन:समनुदिष्ट करेगा और बीमा कंपनी को सम्बोधित, पुन:समनुदेशन की एक हस्ताक्षरित सूचना के साथ उसे अभिदाता को सौंप देगा।

(2) पैरा 25 के उप-पैरा (2) में जैसा उपबंध है, उसके सिवाय, जब अभिदाता सेवा छोड़ने से पूर्व मर जाता है तब रजिस्ट्रार वह पालिसी परिशिष्ट 6 में उपवर्णित द्वितीय प्ररूप में, ऐसे व्यक्ति को पुन:समनुदिष्ट करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए वैधरूप से हकदार हो और बीमा कम्पनी को सम्बोधित, पुन:समनुदेशन की एक हस्ताक्षरित सूचना के साथ वह पालिसी उस व्यक्ति को सौंप देगा।

24. यदि पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदिष्ट कोई पालिसी अभिदाता द्वारा सेवा छोड़े जाने से पूर्व परिपक्व हो जाती है या यदि किसी अभिदाता और उसकी पत्नी के संयुक्त जीवनों पर कोई पालिसी जो उक्त पैरा के अधीन समनुदिष्ट है, पत्नी की मृत्यु के कारण संदाय के लिए देय हो जाती है तो वसूल की जाने पर पालिसी की रकम अभिदाता के नाम निधि में जमा की जाएगी।

25. (1) यदि परिवार पेंशन निधि में अभिदाता का हित किसी भी कारण से, पूर्णत: या भागत: समाप्त हो जाता है तो अभिदाता का भविष्य निधि खाता, परिवार पेंशन निधि से अभिदाता द्वारा प्राप्त प्रतिदाय की, यदि कोई है, रकम द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा और यह रकम प्रतिपूर्ति का व्यतिक्रम होने पर, अभिदाता की परिलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा, जैसा बोर्ड निदेश दे, काट ली जाएगी।

(2) यदि संस्थान निम्नलिखित की सूचना प्राप्त करता है—

(क) (पैरा 18 के अधीन संस्थान के पक्ष में समनुदेशन से भिन्न) कोई समनुदेशन, या

(ख) उस पर विल्लंगम का भार, या

(ग) पालिसी या उस पर वसूल की गई किसी रकम के संबंध में व्यवहार करने से अवरुद्ध करने वाला किसी न्यायालय का आदेश,

तो रजिस्ट्रार—

(i) पालिसी को पुन: समनुदिष्ट नहीं करेगा या उसे पैरा 23 में यथा उपबंधित सौंपेगा नहीं,

(ii) पैरा 24 में यथा उपबंधित, पालिसी द्वारा बीमाकृत रकम वसूल करेगा किन्तु वह मामला तुरन्त बोर्ड को निर्देशित करेगा।

26. इस अनुसूची की किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि पैरा 17 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन विधारित या प्रत्याहृत धन का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए निधि से उस धन के विधारण या प्रत्याहरण की मंजूरी दी गई थी तो प्रश्नगत धन, पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, निधि के अभिदाता द्वारा तुरन्त संदत्त किया जाएगा या इसमें व्यतिक्रम होने पर, यह आदेश दिया जाएगा कि अभिदाता की परिलब्धियों में से, चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न हो, एक मुश्त कटौती करके उसकी वसूली की जाए। यदि दी जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों के अर्धांशों की मासिक किस्तों में वसूलियां तब तक की जाएंगी जब तक कि वसूलनीय सम्पूर्ण रकम का उसके द्वारा संदाय नहीं कर दिया जाता है।

टिप्पण— इस नियम में प्रयुक्त 'परिलब्धियां' पद के अंतर्गत निर्वाह अनुदान नहीं है।

पालिसियों के वित्तपोषण संबंधी उपबंधों के निर्बंधन

27. पैरा 17 से पैरा 26 तक के उपबंध केवल उन अभिदाताओं को लागू होंगे जो 6 नवम्बर, 1962 से पूर्व जीवन बीमा की

पालिसियों के लेखे संदायों को निधि के अभिदायों के लिए, पूर्णतः या भागतः प्रतिस्थापित कर रहे थे या ऐसे संदायों के लिए निधि से प्रत्याहरण कर रहे थे,

परन्तु ऐसे अभिदाताओं को, निधि को देय अभिदायों के लिए ऐसे संदाय प्रतिस्थापित करने या किसी नई पालिसी के बारे में ऐसे संदाय करने के लिए निधि से प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परिस्थितियां जिनमें संचित धन संदेय है

28. जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम, पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, उसे संदेय हो जाएगी :

परन्तु ऐसा अभिदाता जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और तत्पश्चात् सेवा में बहाल किया जाता है, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, इस पैरा के अनुसरण में निधि से उसे संदत्त किसी रकम का उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से, ब्याज सहित प्रतिसंदाय पैरा 29 के परन्तुक में उपबंधित रीति में करेगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी जिसका एक भाग उसके अभिदायों और उन पर ब्याज के रूप में है और उस भाग का जो संस्थान के अंशदान और उस पर ब्याज के रूप में है, लेखा जोखा पैरा 5 में उपबंधित रीति में दिया जाएगा।

29. जब कोई अभिदाता –

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह किसी प्रावकाश बिभाग में नियोजित है, दीर्घावकाश सहित सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है, या

(ख) छुट्टी पर रहते हुए, सेवानिवृत्ति होने के लिए अनुज्ञात किया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा और आगे सेवा के

लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम, उसके द्वारा उस निमित्त, निदेशक को आवेदन किए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी।

परन्तु यदि अभिदाता ड्यूटी पर लौटता है तो वह, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, उसे इस नियम के अनुसरण में निधि से संदत्त कोई रकम, उस पर पैरा 10 में उपबंधित दर से ब्याज सहित, नकदी में या प्रतिभूतियों के रूप में अथवा भागतः नकदी में और भागतः प्रतिभूतियों के रूप में, किस्तों में या अन्यथा, जैसा संस्थान निदेश दे, निधि को उसके खाते में जमा करने के लिए पूर्णतः या भागतः प्रतिसंदत्त करेगा।

30. किसी अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर या जहां वह रकम संदाय किए जाने से पूर्व संदेय हो गई है, पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए–

(i) जब कोई अभिदाता कोई परिवार छोड़ता है –

(क) यदि उस अभिदाता द्वारा अपने परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के पक्ष में पैरा 4 के उपबंधों के अनुसरण में किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में वह नामनिर्देशन है, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं हैं या ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग के संबंध में है तो, यथास्थिति, पूरी रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में वह

नामनिर्देशन नहीं है, उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में होना तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्य को समान अंशों में संदेय हो जाएगी। जाएगा :

परन्तु कोई भी अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा –

(1) वे पुत्र प्राप्तवय हो गए हैं,

(2) किसी मृत पुत्र के वे पुत्र जो प्राप्तवय हो गए हैं,

(3) ऐसी विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं,

(4) किसी मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं - यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य है।

परन्तु यह भी कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और एक या अधिक बालक अपने बीच समान भागों में केवल वह अंश प्राप्त करेगा / करेंगे जो उस पुत्र को तब प्राप्त हुआ होता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबंध से उसे छूट प्राप्त होती :

टिप्पण (1) (i) किसी अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य को इस पैरा के अधीन संदेय कोई राशि ऐसे सदस्य में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 के उप - धारा (2) के अधीन निहित होगी।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है तब यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसका नामनिर्देशन से संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा।

टिप्पण (2) जब कोई नामनिर्देशिती, अभिदाता का, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित, आश्रित है तब वह रकम ऐसे नामनिर्देशिती में उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निहित होती है। जब अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है और पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध, निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से है, तब भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबंध उस पूरी रकम या उसके उस भाग को, जिसके सम्बन्ध में वह नामनिर्देशन नहीं है, लागू होंगे।

30. (क) निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम

किसी अभिदाता की मृत्यु पर, उस अभिदाता के नाम जमा रकम को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के तुरन्त पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान खाते में जमा अभिदाय की औसत रकम और उस पर ब्याज के बराबर अतिरिक्त राशि का संदाय

पैरा 30 (क) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 16-24/78-टी. 6 तारीख 1-3-1979 के अनुसार अन्तःस्थापित 1-8-1979 से प्रभावी)

इन शर्तों के अधीन किया जाएगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा, अभिदाय और उस पर ब्याज के रूप में अतिशेष मृत्यु के मास के पूर्वगामी तीन वर्षों के दौराव किसी भी समय निम्नलिखित सीमाओं से कम न हुआ हो—

(i) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 1300/- रु0 या अधिक है; 4000/- रु0

(ii) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भान में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 900/- रु0 या अधिक किन्तु 1300/- रु0 से कम है, 2500/- रु0

(iii) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291/- रु0 या अधिक किंतु 900/- रु0 से कम है, 1500/- रु0

(iv) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारध किया जिसके वेतनमान का अधिकतम 291/- रु0 से कम है, 1000/- रु0

(ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 10,000/- रु0 से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है।

टिप्पण 1 :– औसत अतिशेष का हिसाब उस मास के जिसमें मृत्यु घटित होती है, पूर्वगामी प्रत्येक 36 मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर लगाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी –

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत पैरा 10 के निबन्धनों के अनुसार जमा किया गया अभिदाय पर वार्षिक ब्याज भी है, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च नहीं है तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें मृत्यु घटित होती है, आरंभ से अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के बारे में अभिदाव पर ब्याज भी होगा।

टिप्पण (2) इस स्कीम के अधीन संदाय पूरे रुपयों में होने चाहिए। यदि देय रकम के अंतर्गत एक रुपए की भिन्न है तो उसे निकटतम रुपए तक पूर्णाङ्कित किया जाना चाहिए (50 पैसे को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा)।

टिप्पण (3) इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा धन के रूप में है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925

का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लागू नहीं होता है।

टिप्पण (4) यह स्कीम उन अभिदाताओं को भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के एक स्वशासी संगठन में परिवर्तित किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को अंतरित किए जाते हैं और जो ऐसे अंतरण पर, उन को दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार, इस निधि में इन नियमों के अनुसार अभिदाय करने का चुनाव करते हैं।

टिप्पण (5) (क) संस्थान के ऐसे कर्मचारी की दशा में जो परिनियम 16 (2)/ परिनियम 16 क (1) के अधीन निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया है किन्तु यथास्थिति, निधि में उसको सम्मिलित किए जाने की तारीख से यथास्थित, तीन वर्ष या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व मर जाता है, पूर्व नियोजक के अधीन उसकी सेवा की अवधि जिसकी बाबत उसके अभिदाय और नियोजक के अंशदान की रकम, यदि कोई है, तथा ब्याज प्राप्त हो गया है खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) सेवावृति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों की दशा में यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या पुर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह स्कीम संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होती है।

टिप्पण 6 :– इस स्कीम के बारे में व्यय के बजट प्राक्कलन निधि का लेखा रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिसमें अन्य सेवा निवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

कटौतियां

31. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई कटौती नहीं की जा सकेगी जो जमा रकम में संस्थान द्वारा किसी अंशदान और उस पर ब्याज की उस रकम से जो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के निधि में से संदत्त किए जाने के पूर्व जमा की गई है, अधिक की कमी की गई है, बोर्ड उसमें से निम्नलिखित की कटौती और संस्थान को उसके संदाय का निदेश दे सकेगा –

(क) यदि कोई अभिदाता सेवा से गंभीर कदाचार के लिए पदच्युत किया गया है तो कोई भी रकम;

परन्तु यदि पदच्युति का आदेश तत्पश्चात् रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार कटौती की गई रकम सेवा में उसकी बहाली पर निधि में उसके नाम प्रतिस्थापित कर दी जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/78 - टी. 6 तारीख 7-6-1980 के अनुसार संशोधित (3-6-1980 से प्रभावी)।

(ख) यदि कोई अभिदाता संस्थान में अपने नियोजन से उसके आरंभ होने के पांच वर्ष के भीतर, अधिवर्षिता के कारण या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा कि वह और आगे सेवा के लिए अयोग्य है, किए जाने के कारण से अन्यथा त्याग-पत्र दे देता है तो कोई भी रकम;

(ग) अभिदाता द्वारा संस्थान के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय कोई रकम।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 24-7/65 - टी. 6 ता. 16-10-1968 के अनुसार संशोधित (18-9-1968 से प्रभावी)।

32. (1) (क) जब निधि में किसी अभिदाता के नाम जमा रकम या पैरा 31 के अधीन किसी कटौती के पश्चात् उसका अतिशेष संदेय हो जाता है तब निदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात और जब ऐसी कोई कटौती उस पैरा के अधीन निदिष्ट नहीं की गई है तब अपना बह समाधान करने के पश्चात् कि कोई कटौती नहीं की जानी है, रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में उपबंधित संदाय करे।

(ख) अभिदायी भविष्य निधि में से निदेशक को अंतिम संदाय की दशा में उस संदाय की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी शासक बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इस अनुसूची के अधीन किसी रकम या पालिसी का संदाय, समनुदेशन, पुनः समनुदेशन या परिदान किया जाना है, पागल है जिसकी संपदा के लिए इस निमित्त

कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो संदाय या पुनः समनुदेशन या परिदान, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबंधों के अधीन नियुक्त ऐसे प्रवन्धक को किया जाएगा न कि उस पागल को।

(3) कोई भी व्यक्ति जो इस पैरा के अधीन संदाय का दावा करना चाहता है, उस निमित्त एक लिखित आवेदन, निदेशक को भेजेगा। प्रत्याहृत रकमों का संदाय केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को वे रकमें संदेय है वे भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए स्वयं अपना इंतजाम करेंगे।

टिप्पण– जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम पैरा 28, 29 या 30 के अधीन संदेय हो गई है तब संस्थान अभिदाता के नाम जमा रकम के उस भाग के तत्परता से संदाय की व्यवस्था करेगा जिसके बारे में कोई विवाद या सन्देह नहीं है और अतिशेष का तत्पश्चात् यथाशीघ्र समायोजन किया जाएगा।

प्रक्रिया

33. निधि में संचित रकमें जिनका संदाय, इस अनुसूची के अधीन उनके संदेय हो जाने के छह मास के भीतर नहीं किया गया है, वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् "निक्षेप" को अंतरित कर दी जाएगी और उनसे निक्षेपों संबंधी उपबन्धों के अधीन व्यवहार किया जाएगा।

34. जब परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकदी में, भारत में किसी अभिदाय का संदाय किया जाए तब अभिदाता निधि में अपने खाते का संख्यांक जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा संसूचित किया जाएगा, उत्कथित करेगा। इसी प्रकार उस संख्यांक में कोई परिवर्तन होने पर उसकी संसूचना लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को दी जाएगी।

35. (1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् यथाशीघ्र और निधि लेखाओं की लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा किए जाने के पश्चात् लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखा का एक विवरण परिशिष्ट 7 में उपवर्णित प्ररूप में भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान निक्षेपों की कुल रकम और उस तारीख को अंत अतिशेष दर्शित होगा।

लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह पूछेगा कि क्या—

(क) अभिदाता पैरा 4 के अधीन किए गए किसी नाम-निर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) अभिदाता ने कोई परिवार अर्जित किया है (उन मामलों में जहां अभिदाता ने पैरा 4 के उप पैरा (1) के परन्तुक के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है)।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण के ठीक होने के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिए और त्रुटियां उस विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अभिदाता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विवरण को स्वीकार कर लिया है।

(3) जहां वार्षिक विवरण की त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं वहां अभिदाता को समाधानप्रद निपटारे के लिए उनका समाधान करना लेखा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

36. उपदान :

(क) उपदान, संस्थान के पूर्णकालिक कर्मचारियों को अच्छी, दक्ष, निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए मंजूर किया जाएगा और

निम्नलिखित उससे अपवर्जित होंगे :-

(i) आकस्मिक और गैर नियमित कर्मचारी;

(ii) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी;

(iii) संविदा के अधार पर कर्मचारी;

(iv) शिक्षु और प्रशिक्षणार्थी;

(v) पुनर्नियोजित व्यक्ति;

(ख) यह निम्नलिखित परिस्थितियों में मंजूर किया जाएगा :-

(i) पद के उत्सादन पर सेवोन्मुक्ति;

(ii) शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण स्थायी अशक्तता;

(iii) परिनियम 15 (2), 13 (2) में यथाउपबंधित, 60 वर्ष की आयु होने पर अधिवर्षिता, और

(iv) 30 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्ति, परन्तु–

(i) ऐसे कर्मचारी को उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा जो सेवा से त्यागपत्र दे देता है (30 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वेच्छया निवृत्ति से पदत्याग गठित नहीं होगा) या जिसकी सेवाएं अवचार, दिवालापन या अदक्षता के कारण समाप्त कर दी जाती है;

(ii) सिवाय मृत्यु की दशा में, उपदान 5 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा।

(ग) अर्हक सेवा से अभिप्रेत है 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् संस्थान में शिक्षु के रूप में की गई सेवा की और छुट्टी वेतन बिना असाधारण छुट्टी की अवधियों को छोड़कर, की गई सभी सेवा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-6/76-टी. 6 ता. 16 - 7 - 1978 के अनुसार संशोधित ।

(घ) (i) उपदान, परिलब्धियों के $16\frac{1}{2}$ गुने या 30,000 रु0, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सेवा की प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि की परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगा ।

(ii) मृत्यु की दशा में, उपदान की रकम की संगणना (i) के अधीन या नीचे लगाए गए हिसाब के अनुसार, जो भी अधिक हो, की जाएगी :

(क) सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान	2 मास की परिलब्धियां	इसमें से कर्मचारी के अभिदायी भविष्य निधि लेखा में जमा संस्थान के अंशदान और उस पर ब्याज को कम कर दिया जाएगा ।
(ख) सेवा के एक वर्ष के पश्चात् किन्तु 5 वर्ष के पूर्व	6 मास की परिलब्धियां	
(ग) सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात्	12 मास की परिलब्धियां	

स्पष्टीकरण :—

इस पैरा के प्रयोजन के लिए "परिलब्धियों" से मंहगाई भत्ता, यदि कोई हो, छुट्टी वेतन या जीवन निर्बाह अनुदान सहित वेतन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसकी सेवानिवृत्ति या सेवात्याग से ठीक पूर्व अन्यत्र सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त (मंहगाई वेतन, यदि कोई है, सहित) वेतन की प्रकृति का कोई 2500/- रु0 प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पारिश्रमिक भी है ।

37. (1) प्रत्येक कर्मचारी परिशिष्ट 8 में दिए हुए प्ररूप में एक नामनिर्देशन अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों को उस दशा में उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए करेगा, जब कि सेवा में रहते हुए या सेवा छोड़ने के पश्चात् किन्तु उपदान का संदाय किए जाने से पूर्व, उसकी

मृत्यु हो जाए । उस नामनिर्देशन में वह प्रत्येक सदस्य को संदेय अंश उपदर्शित करेगा । ऐसे कर्मचारी की दशा में जिसका कोई परिवार नहीं है, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा निगमित या अनिगमित व्यक्तिनिकाय के पक्ष में किया जा सकेगा ।

(2) कोई नामनिर्देशन न होने की दशा में, मृत्यु होने पर उपदान का संदाय नीचे उपदर्शित रीति में किया जा सकेगा :–

(क) यदि परिवार का एक या अधिक उत्तरजीवी सदस्य हैं, जैसा कि आगे (i) से (iv) में है, तो उसका संदाय, ऐसे किसी सदस्य से जो विधवा हुई पुत्री है, भिन्न ऐसे सभी सदस्यों को बराबर अंशों में किया जा सकेगा ।

(ख) यदि परिवार का ऐसा कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं है किन्तु एक या अधिक उत्तरजीवी विधवा पुत्रियां और / या आगे (v) से (ix) तक मे बताए गए अनुसार परिवार के और अधिक उत्तरजीवी सदस्य हैं तो उपदान का संदाय ऐसे सभी सदस्यों को बराबर अंशों में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—

इस पैरा के प्रयोजन के लिए "परिवार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, पत्नी;
(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, पति;
(iii) पुत्र जिनके अन्तर्गत सौतेले बालक और दत्तक बालक भी हैं;
(iv) अविवाहिता और विधवा पुत्रियां;
(v) 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहिता और विधवा बहिनें (जिनके अतर्गत सौतेले भाई और सौतेली बहिनें भी हैं)
(vi) पिता
(vii) माता
(viii) विवाहिता पुत्रियां, और
(ix) पूर्वमृत पुत्र के बालक ।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ11-4/80-टी. 6 ता. 18-6-1982 के अनुसार संशोधित (29-5-1982 से प्रभावी)।

38. जब बोर्ड का समाधान हो जाता है कि इन उपबंधों में से किसी के प्रवर्तन से किसी कर्मचारी को असम्यक् कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वह, इन उपबंधों की किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारियों के मामलों से ऐसी रीति में, जो उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, व्यवहार करेगा।

परिशिष्ट 1

प्ररूप-1 विकल्प के लिए आवेदन

(परिनियम 16 क (2))

मैं ....इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी ....का एक कर्मचारी, इसके द्वारा, संस्थान के परिनियमों के परिनियम 16 क में और अनुसूची ड0 में अधिकथित अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम द्वारा शासित होने का निर्वाचन करता हूं और उन सभी निबंधनों और शर्तों द्वारा, जिनके अन्तर्गत, सेवानिवृत्ति के फायदों के निबंधन और शर्तें भी हैं, जो 1 जनवरी, 1971 से तुरन्त पूर्व मुझे लागू थीं, शासित होने के अपने दावे का परित्याग करता हूं। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह निर्वाचन अन्तिम है और यह कि यह 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर.......................................
(यदि निरक्षर हो तो, अंगूठे का निशान)

पदनाम.......................................

निर्वाचन की तारीख.......................

साक्षी :–

1.

2.

प्ररूप 2 – घोषणा

(पैरा 1 (3) देखिए)

मैं..........................(अभिदाता), इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी......................का एक स्थायी कर्मचारी, इसके द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.......... को अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबंधों को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

आज तारीख..................................को दिनांकित

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1............................

2............................

परिशिष्ट 2

(पैरा 4 (3) देखिए)

नाम निर्देशन के प्ररूप

1. जब अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी................की अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबन्धों के पैरा 2 में यथापरिभाषित मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं।

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है

आज तारीख..................को..............में दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1............................

2............................

2. जब अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी…………………की अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 2 में यथापरिभाषित मेरे परिवार के सदस्य हैं, वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा के जिसमें वह संदेय तो हो गई है किंतु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने पर प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं और निदेश देता हूं कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उनके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा :

नाम-निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*प्रत्येक को संदत्त किए जाने वाले संचयों के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके होने पर यह नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में सक्रात होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है ।

आज तारीख……………………को……………………में दिनांकित ।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1……………………

2……………………

* टिप्पण :– यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए ।

3. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं, जिसका इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी…………… की अभिदायी भविष्य निधि और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबन्धों के पैरा 2 में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को, वह रकम जो उस विधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं ।

नाम-निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है ।

आज तारीख………………को………………में दिनांकित ।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1……………………

2……………………

* टिप्पण—जहां ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है, वहां वह इस कालम में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित कर लिए जाने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।

4. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं, जिसका इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी............ की अभिदायी भविष्यनिधि और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 2 में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नाम-निर्देशित करता हूँ और निदेश देता हूँ कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उनके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा।

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*प्रत्येक को संदत्त किए जाने वाले संचयों के अंश की	2 आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में सक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख .... को .... में दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1......................

2....................

टिप्पण *—यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए।

2—जहाँ ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है, वहाँ तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित किए जाने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

परिशिष्ट 3

अभिदायी भविष्य निधि खाता

(पैरा 5 देखिए)

लेखा सं॰...............

नाम निर्देशन की प्राप्ति की तारीख..................नाम...............पदनाम...............किस तारीख को पद ग्रहण किया ....

	वर्ष..............19				19.................					वर्ष 19..............				19..............				
	अभिदाय				संस्थान का अंशदान					अभिदाय				संस्थान का अंशदान				
मास	उपलब्धियाँ	अभिदाय	प्रत्याहरणों के प्रतिदाय	योग	प्रत्याहरण	मासिक अतिशेष जिस पर ब्याज की संगणना की जाती है	UUU कृपया नीचे देखिए	प्रत्याहरण	टिप्पणी	उपलब्धियां	अभिदाय	प्रत्याहरणों के प्रतिदाय	योग	प्रत्याहरण	मासिक अतिशेष जिस पर ब्याज की संगणना की जाती है	UUU कृपया नीचे देखिए	प्रत्याहरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल																		
मई																		
जून																		
जुलाई																		
अगस्त																		
सितम्बर																		
अक्टूबर																		
नवम्बर																		
दिसम्बर																		
जनवरी																		
फरवरी																		
मार्च																		
रोजनामचा प्रविष्टियां																		
योग																		

UUU ड्यूटी पर या छुट्टी के दौरान या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर ली गई अभिदाता की उपलब्धियां

19-19 - के अतिशेष ………रु0 उपर्युक्त निक्षेप और प्रतिदाय ………रु0	………रु0 पर संस्थान का $8\frac{1}{3}$% की दर से अंशदान ………रु0	19-19 - के अतिशेष ………रु0 उपर्युक्त निक्षेप और प्रतिदाय ………रु0	………रु0 पर संस्थान का $8\frac{1}{3}$% की दर से अंशदान ………रु0
19-19 - के लिए ब्याज ………रु0 योग ………रु0	19-19 - के अतिशेष ………रु0 19-19 - के लिए ब्याज ………रु0 योग ………रु0	19-19 - के लिए ब्याज ………रु0 योग ………रु0	19-19 - के अतिशेष ………रु0 19-19 - के लिए ब्याज ………रु0 योग ………रु0
उपर्युक्त प्रत्याहरण घटाइए ………रु0	उपर्युक्त प्रत्याहरण घटाइए ………रु0	उपर्युक्त प्रत्याहरण घटाइए ………रु0	उपर्युक्त प्रत्याहरण घटाइए ………रु0
31 मार्च, 19…… को अतिशेष ………रु0,	31 मार्च, 19…… को अतिशेष ………रु0,	31 मार्च, 19…… को अतिशेष …… रु0	31 मार्च, 19 …… को अतिशेष ………रु0

………द्वारा संगणना की गई ………द्वारा संगणना की गई

…… द्वारा जांच की गई ………द्वारा जांच की गई।

परिशिष्ट 4

(पैरा 11 देखिए)

अभिदायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन

1. अभिदाता का नाम और उसका लेखा संख्यांक
2. पदनाम
3. वेतन
4. आवेदन की तारीख को अभिदाता के नाम जमा अभिदाय का अतिशेष
5. अपेक्षित अग्रिम की रकम
6. प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है- (अभिदायी भविष्य निधि नियमों का पैरा 11 (क) देखिए)
7. उन मासिक किस्तों की संख्या (और रकम) जिनमें उक्त अग्रिम का प्रतिसंदाय करने का विचार है
8. पहले यदि कोई अग्रिम लिया या लिए गए हैं तो उनकी रकम। अग्रिम की विशिटियां और तारीख जिसको वह लिया गया है, प्रतिसंदाय की किस्तें और बकाया अतिशेष बताइए।
9. क्या पहले लिया गया कोई अग्रिम प्रतिसंदाय के अनुक्रम में है या उसके ब्याज सहित पूरे प्रतिसंदाय से अबतक 12 मास नहीं बीते हैं
10. अभिदाता की उन घनीय परिस्थितियों की पूरी विशिष्टियां जो अस्थायी प्रत्याहरण के आवेदन को उचित ठहराती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

मद 3, 4, 8 और 9, के सामने लिखी विशिष्टियां सही सत्यापित की गई हैं

हस्ताक्षर…………

पदनाम…………लेखा अधिकारी

(सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी)

सं0 .... तारीख ....

.... को अग्रेषित

मेरा समाधान हो गया है कि पदधारी की धनीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे वह अग्रिम मंजूर करना उचित है जिसके लिए उसने आवेदन किया है और जो अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के पैरा 11 के अधीन अनुज्ञेय है तथा उपर्युक्त के पैरा 12 के अधीन .... की मंजूरी के लिए उसकी, एक विशेष मामले के रूप में सिफारिश की जाती है।

यह अग्रिम .... रु0 प्रतिमास की .... किस्तों में, विहित दर से व्याज के रूप में एक, दो किस्तों के साथ वसूलनीय है।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

सं0 .... तारीख ....

.... रु0 के अग्रिम के लिए .... की मंजूरी की सूचना दी जाती है। यह अग्रिम .... रु0 प्रतिमास की .... किस्तों में, विहित दर से व्याज के रूप में एक, दो किस्तों में वसूल किया जाएगा।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

टिप्पण (i) आवेदन सर्वप्रथम रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए जो लेखा अधिकारी से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, अपनी सिफारिशों के साथ वह आवेदन, यथास्थिति निदेशक की मंजूरी के लिए भेजेगा या निदेशक की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् उच्चतर प्राधिकारी को भेजेगा।

(ii) आवेदन मंजूर हो जाने पर उसे और आगे आवश्यक कारवाई के लिए लेखा अनुभाग में भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 5

(पैरा 18 देखिए)

समनुदेशन के प्ररूप

(1)

मैं .... का निवासी .... इसके द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... को इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के अधीन सभी राशियों के संदाय की प्रतिभूति के रूप में समनुदेशित करता हूं। अब से मैं इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि में संदाय करने के लिए दायी हो जाऊंगा।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख .... 19 .... को दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

(2)

हम, ... के निवासी ....

(अभिदाता) और .... का निवासी ....

.... (संयुक्त बीमाकृत व्यक्ति, इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... हमारे अनुरोध पर इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी लेखे संदायों को मेरे अर्थात् उक्त .... द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि में संदेय अभिदायों के लिए प्रतिस्थापन में स्वीकार करने के लिए तथा इसमें ऊपर दी हुई बीमा पालिसी के प्रीमियम के संदाय के लिए

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि में उक्त .... के नाम जमा राशि से .... रु0 की राशि के प्रत्याहरण को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है, इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी, उक्त नियमों के अधीन सभी राशियों के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... को इसके द्वारा संयुक्ततः और पृथकतः समनुदेशित करते हैं। अब से उक्त .... उस निधि में संदाय करने के लिए दायी होगा।

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख .... को दिनांकित।

स्थान......................

अभिदाता और संयुक्त
बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

....

टिप्पण : यह समनुदेशन स्वयं पालिसी पर अभिदाता के हस्तलेख में या टाइप करके निष्पादित किया जा सकेगा अथवा अनुकल्पतः एक टाइप की हुई या मुद्रित पर्ची जिसमें समनुदेशन अन्तर्विष्ट हो, पालिसी पर उस प्रयोजन के लिए दिए हुए खाली स्थान पर चिपकाई जा सकती है। टाइप किया हुआ पृष्ठांकन सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है और यदि पृष्ठांकन पालिसी पर चिपकाया गया है तो उसके चारों हाशियों के आरपार आद्यक्षर किए जाने आवश्यक हैं।

(3)

मैं, ... की पत्नी .... और इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी की नामनिर्देशिती, बीमाकृत व्यक्ति .... के अनुरोध पर पालिसी में अपने हित को .... के पक्ष में इस दृष्टि से छोड़ देने के लिए सहमत हो गई हूँ कि .... उस पालिसी को इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... को समनुदेशित कर सके और वह निकाय .... द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में संदेय अभिदायों के लिए प्रतिस्थापन में, इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी लेखे संदायों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। मैं .... के अनुरोध पर और उसके निदेशन से इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी का उन सभी राशियों के संदाय के लिए जिनका उक्त निधि के नियमों के अधीन निधि को संदाय करने के लिए उक्त .... इसके पश्चात् दायी हो जाए, प्रतिभूति के रूप में इसके द्वारा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... को समनुदेशन और पुष्टि करती हूँ।

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते है कि इसमें अन्तर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख .... 19 ...... को दिनांकित।

स्थान..................

समनुदेशिती और अभिदाता
के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

....

समनुदेशन का प्ररूप जिसका उपयोग उस दशा में किया जाएगा जहां साधारण भविष्य निधि का कोई अभिदाता जिसने उस निधि के नियमों के अधीन बीमा पालिसी कराई है, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि में सम्मिलित किया जाता है।

मैं .... का निवासी .... इसमें अन्तर्विष्ट बीमा पालिसी का, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबधों के अधीन संदेय सभी राशियों के संदाय की प्रतिभूति के रूप में और आगे समनुदेशन इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... को इसके द्वारा करता हूँ। अब से मैं इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि को संदाय करने का दायी हो जाऊँगा।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति को, उन सभी राशियों के जिनके लिए मैं साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन सदाय करने के लिए दायी हो गया हूँ संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन के सिवाय अंतर्विष्ट पालिसी का कोई पूर्वतन समनुदेशन विद्यमान नहीं है।

आज तारीख .... को दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का एक साक्षी

....

परिशिष्ट 6

(पैरा 23 देखिए)

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... द्वारा पुनःसमनुदेशन और समनुदेशन का प्ररूप

उन सभी राशियों का संदाय कर दिया गया है जो इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... की अभिदायी भविष्य निधि को शासित करने वाले उपबंधों के अधीन ऊपर नामित .... द्वारा सदेय हो गयी हैं और भविष्य में उसके द्वारा ऐसी किसी राशि के सदाय का दायित्व समाप्त हो गया है। अतः संस्थान इसमें अंतर्विष्ट पालिसी उक्त .... को इसके द्वारा पुनः समनुदेशित करता है।

आज तारीख .... 19 ...... को दिनांकित।

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... के लिए और उसकी ओर से, संस्थान के रजिस्ट्रार .... द्वारा निष्पादित।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम और पता लिखना चाहिए)

(2)

ऊपर नामित .... की तारीख .... को मृत्यु हो गई है, अतः इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... इसमें अंतर्विष्ट पालिसी ....*को इसके द्वारा समनुदेशित करता है।

आज तारीख .... को दिनांकित।

---

* पालिसी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्तियों की विशिष्टियां लिखिए।

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.....................के लिए और उसकी ओर से, संस्थान के रजिस्ट्रार.....................द्वारा निष्पादित

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना नाम और पता लिखना चाहिए)

(3)

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.....................द्वारा पुन: समनुदेशन का प्ररूप

इंडियन इस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.............. इसके द्वारा इसमें अंतर्विष्ट पालिसी उक्त.....................को पुन: समनुदेशित करता है।

आज तारीख.................19................. को दिनांकित।

इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी.............. के लिए और उसकी ओर से इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के रजिस्ट्रार.......................द्वारा निष्पादित।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

(एक साक्षी जिसे अपना पदनाम और पता लिखना चाहिए)

परिशिष्ट 7

(पैरा 35 देखिए)

31-3-19..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अभिदाता का लेखा विवरण

अभिदाता का नाम.......................................

लेखा संख्यांक.......................................

विशिष्टियां	आरंभिक अतिशेष	निक्षेप	ब्याज	योग	प्रत्याहरण	अंत अतिशेष
अभिदाय और प्रत्याहरणों के प्रतिदाय						
संस्थान के अंशदान						
योग :						

टिप्पण : (i) अभिदाता को चाहिए कि वह विवरण के सही होने के बारे में अपना समाधान कर ले और यदि कोई त्रुटियां हों तो उन्हें विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में ले आए। यदि अभिदाता से इस अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि उसने उस विवरण को स्वीकार कर लिया है।

(ii) अभिदाता को यह बताना चाहिए कि क्या वह निधि के अधीन किए गए नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है।

(iii) उस दशा में जिसमें अभिदाता ने उस समय अपना कोई परिवार न होने के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नाम निर्देशन नहीं किया है किन्तु तत्पश्चात् वह परिवार अर्जित कर लेता है, उस तथ्य की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को तुरन्त भेजी जानी चाहिए ।

लेखा अधिकारी
इंडियन इंस्टीच्यूट आफ
टेक्नालाजी..............

तारीख......................

(लेखा अधिकारी को लौटाया जाने वाला भाग)

मैं इसके द्वारा वर्ष 19..............के लिए अपने अभिदायी भविष्य निधि लेखा के वार्षिक विवरण की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ और/किन्तु इसके पृष्ठभाग पर दिए हुए कारणों से, उस विवरण में दर्शित अतिशेष को सही स्वीकार नहीं करता हूँ ।

अतिशेष को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, और उसके समर्थन में आवश्यक विशिष्टियां

तारीख

अभिदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 8

नामनिर्देशन का प्ररूप

प्ररूप 1

(पैरा 37 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

जब कर्मचारी का परिवार है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं इसके द्वारा, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, नामनिर्देशित करता हूँ और उसे ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करने के लिए अधिकार तथा मेरी मृत्यु पर ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किन्तु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :—

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रान्त होगा जब नाम-निर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या उसके अंश ।

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा..........................को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

आज तारीख..................19......को दिनांकित

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1. ....   कर्मचारी के हस्ताक्षर

2. ....

टिप्पण :— अंतिम कालम इस प्रकार भरा जाए कि उसके अंतर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए।

नामनिर्देशन करने वाला..............................

पद नाम........................   रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

विभाग........................   तारीख.....................

प्ररूप 2

(पैरा 37 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

जब कर्मचारिवृन्द के सदस्य का कोई परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामनिर्देशित करता हूँ और उनको नीचे विनिर्दिष्ट बिस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करने का अधिकार तथा मेरी मृत्यु होने की दशा में, नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किन्तु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :-

नाम निर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	प्रत्येक को संदेय उपदान के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम पता नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नाम-निर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है।	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा .... को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

ध्यान दें :–कर्मचारिवृन्द के सदस्य को चाहिए कि वह अंतिम प्रविष्टि में नीचे खाली स्थान के आर-पार लाइनें उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी नाम के अंत:स्थापित किए जाने को रोकने के लिए खींचें।

आज तारीख.......................19........को....... में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : कर्मचारी हस्ताक्षर

1............................

2............................

टिप्पण 1. चौथा कालम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए।

2. अंतिम कालम में दर्शित उपदान की रकम/का अंश मूल नामनिर्देशितियों को संदेय पूरी रकम/अंश होना चाहिए।

नामनिर्देशन करने वाला.....................

पदनाम...

विभाग...........................

प्ररूप 3

(पैरा 37 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है और वह एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है

मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामनिर्देशित करता हूँ और उसे वह उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार और ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय हो गया था किन्तु मेरी मृत्यु पर असंदत्त रहता है, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :—

नाम निर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटना जिनके घटित होने पर यह नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नाम निर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो गई है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है।	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या उसके अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा.......................किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

आज तारीख..................19......को दिनांकित

हस्ताक्षर के दो साक्षी : कर्मचारी के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

नामनिर्देशन करने वाला रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

.... तारीख.................

पदनाम..................................

विभाग..................................

प्ररूप 4

(पैरा 37 देखिए)

मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन

जब कर्मचारिवृन्द के सदस्य का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं जिसका कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूँ और उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक वह उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार और नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक वह उपदान जो सेवानिवृति पर मुझे अनुज्ञेय हो गया था किंतु मेरी मृत्यु पर असंदत रहता है, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :-

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	प्रत्येक को संदेय उपदान के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाए जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रात होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किंतु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा.........को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

ध्यान दें-कर्मचारिवृन्द के सदस्य को चाहिए कि वह अंतिम प्रविष्टि में नीचे खाली स्थान के आरपार लाइनें, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात किसी नाम के अन्तःस्थापित किए जाने को रोकने के लिए खींचे।

आज की तारीख............19............को.........में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1......................... कर्मचारी के हस्ताक्षर

2.........................

टिप्पण 1. चौथा कालम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए।

2. अंतिम कालम में दर्शित उपदान की रकम का अंश मूल नामनिर्देशितियों को संदेय पूरी रकम अंश होना चाहिए।

नामनिर्देशन करने वाला...........................

पदनाम...........................

विभाग...........................

अनुसूची "च"

(परिनियम 16 ख देखिए)

इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर की साधारण भविष्यनिधि और पेंशन-उपदान स्कीम

---

1. लागू होना

इस अनुसूची के उपबंध परिनियम 16 ख के खड (1) में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को लागू होंगे।

2. अभिदायी या गैर अभिदायी भविष्य निधि में संचय का अंतरण

यदि निधि के फायदे में सम्मिलित किया गया कोई कर्मचारी पहले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी अभिदायी / गैर अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता था तो ऐसी अभिदायी या गैर अभिदायी भविष्य निधि में उसके संचय की रकम इस निधि में उसके नाम में अंतरित कर दी जाएगी।

3. घोषणा :

निधि के फायदों के लिए हकदार, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षित होगा कि वह परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूप में इस आशय की एक लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि उसने यह अनुसूची पढ़ी है और वह इसके उपबन्धों का पालन करने के लिए सहमत है।

4. परिभाषाएं :

इस अनुसूची में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "दुर्घटना" से अभिप्रेत है–

(क) कोई अचानक और अपरिहार्य अनिष्ठ; या

(ख) सेवा से और उसके अनुक्रम में हिसा द्वारा से अन्यथा किसी आपात स्थिति में कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा के किसी कार्य के कारण अनिष्ट;

(ii) "लेखा अधिकारी" से संस्थान का लेखा अधिकारी अभिप्रेत है।

(iii) "उपाबंध" से अनुसूची से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है,

(iv) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से संस्थान का (आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है,

(v) "औसत उपलब्धियां" से सेवा के अंतिम 10 मास पर संगणित औसत उपलब्धियां,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/76-टी. 06 ता. 23-11-1976 के अनुसार संशोधित (29-2-1976 से प्रभावी)।

(vi) "बोर्ड" से संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है,

(vii) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है,

(viii) "रोग" से अभिप्रेत है –

(i) मात्र या सीधे किसी दुर्घटना से हुआ माना जा सकने वाला रोग, या

(ii) ऐसा महामारी रोग जो किसी कर्मचारी को किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें ऐसा रोग फैला हुआ है, ड्यूटी पर जाने के लिए के लिए आदिष्ट किए जाने के परिणाम स्वरूप या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वह अपने कर्तव्यों के प्रालन के सिलसिले में है, मानवीय प्रेरणा से स्वेच्छया किसी ऐसे रोगी की परिचर्या करने के परिणामस्वरूप जो ऐसे किसी रोग से पीड़ित है लग गया है, या

(iii) रतिज रोग या पूतिजीवरक्तता, जहां ऐसा रोग किसी चिकित्सा अधिकारी को उसके शासकीय कर्त्तव्य के

अनुक्रम में किसी संक्रामित रोगी की परिचर्या करने के या उस कर्त्तव्य के अनुक्रम में कोई मरणोत्तर परीक्षा करने के परिणामस्वरूप लग जाता है,

(iv) "उपलब्धियां" से अभिप्रेत है महंगाई वेतन, यदि कोई है, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान सहित वेतन और इसके अंतर्गत अन्यत्र सेवा के संबंध में प्राप्त (मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, सहित) वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक भी है,

(v) "कर्मचारी" से संस्थान का कर्मचारी अभिप्रेत है,

(vi) "परिवार" से अभिप्रेत है –

(i) किसी पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बालक तथा अभिदाता के किसी मृतपुत्र की विधवा या विधवाएं और उसके बालक :

परन्तु यदि कोई अभिदाता वह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिकतः पृथक हो गई है या उस समुदाय की जिसकी वह है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरणपोषण की की हकदार नहीं रह गई है तो अब से उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिनसे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं है, जब तक कि अभिदाता, तत्पश्चात्, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अभिव्यक्त सूचना द्वारा यह उपदर्शित नहीं करता है कि वह उस रूप में मानी जाती रहेगी।

(ii) किसी महिला अभिदाता की दशा में अभिदाता का पति और उसके बालक तथा अभिदाता के किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक,

परन्तु यदि कोई अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार को, अपने परिवार से अपने पति को अपवर्जित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो अब से उस पति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन विषयों में जिससे यह अनुसूची संबंधित है, अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं है, जब तक कि अभिदाता, तत्पश्चात् उसे अपवर्जित करने वाली अपनी अधिसूचना को लिखित रूप में औपचारिक रूप से रद्द नहीं करती है।

टिप्पण : 'बालक' से धर्मज बालक अभिप्रेत है और जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक ग्रहण मान्यता प्राप्त है वहां दत्तक बालक भी इसके अंतर्गत है।

(xii) "प्ररूप" से इन उपबधों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(xiii) 'निधि' से संस्थान की साधारण भविष्य निधि अभिप्रेत है।

(xiv) "क्षति" से हिंसा, दुर्घटना या रोग के परिणामस्वरूप शारीरिक क्षति अभिप्रेत है जो संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा गंभीर से अन्यून निर्धारित की गई है।

टिप्पण– कतिपय प्रवर्ग की क्षतियों के उदाहरण परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं।

(xv) "संस्थान" से इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी अभिप्रेत है।

(xvi) "छुट्टी" से संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसी किसी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है जो परिनियम 19/17 के अधीन अनुसूची घ में उल्लिखित है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/76 - टी. 6 तारीख 16-7-1978 के अनुसार प्रतिस्थापित

(xvii) "वेतन" से किसी कर्मचारी द्वारा अधिष्ठायी रूप से या किसी स्थानापन्न हैसियत में धारित पद के लिए मंजूर किए गए वेतन के रूप में, जिसके अंतर्गत, जहां अनुज्ञेय है, मंहगाई वेतन भी है, प्रतिमास प्राप्त की गई रकम अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हों, भी है,

(xviii) "वैयक्तिक वेतन" से अभिप्रेत है वह अतिरिक्त वेतन जो किसी कर्मचारी को–

(क) स्थायी पद के संबंध में, अधिष्ठायी वेतन को, वेतन में पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अधिष्ठायी वेतन में, अनुशासनात्मक कार्रवाई से भिन्न रूप में किसी कमी के कारण किसी हानि से बचाने के लिए, या

(ख) असाधारण परिस्थितियों में, अन्य वैयक्तिक आधारों पर, मंजूर किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/83-टी. 6 ता. 31-1-1984 के अनुसार प्रतिस्थापित (28-1-1984 से प्रभावी)।

(xiv) 'अर्हक सेवा" से अभिप्रेत है कर्मचारी के रूप में किसी अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा जिसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि भी है। संस्थान के अधीन या राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी स्वशासी संगठन के अधीन या राज्य/केन्द्रीय सरकार के निगम निकाय के अधीन निरन्तर/अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की, जिसके पश्चात् बिना किसी बाधा के उसी या अन्य पद में पुष्टि हुई हो, पूरी अवधि, सिवाय "निर्धारित कर्म" स्थापन में सेवा की अवधि और सेवा की उन अवधियों के जिनके लिए "आकस्मिक व्ययों" में से संदाय किया जाता है, बारे में, अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1

भत्तों सहित छुट्टी की सभी अवधियां अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएंगी।

टिप्पण :– इस खंड की कोई भी बात विशेष प्रकार की छुट्टी या पेंशन के लेखा संबंधी अन्य अवधियों को प्रभावित नहीं करेगी।

(क) किसी कर्मचारी द्वारा उपभुक्त विशेष अशक्तता छुट्टी या अध्ययन छुट्टी की कोई अवधि अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

(ख) जहां किसी कर्मचारी द्वारा या तो एकल रूप से या (विशेष अशक्तता छुट्टी को छोड़ कर) पूरे वेतन कर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ उपभुक्त प्रसूति छुट्टी की अवधि 120 दिन से अधिक है वहां छुट्टी की पूरी अवधि में से केवल प्रथम 120 दिन अर्हक सेवा के रूप में गिने जाएंगे।

(ग) प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर या किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधि को, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के के देश को और वहां से यात्रा की अवधि भी है, अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, परन्तु यदि कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान भत्तों के बिना किसी असाधारण छुट्टी का उपभोग किया है तो ऐसी असाधारण छुट्टी की अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण 2

किसी कर्मचारी की सेवा में निम्नलिखित अवधियां अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएंगी :–

(i) यदि निलम्बन के तुरन्त पश्चात् यथापूर्वकरण नहीं होता है तो उसके आचरण के संबंध में जांच होने तक निलम्बन के अधीन काटा गया समय,

(ii) छुट्टी वेतन और भत्तों के बिना असाधारण छुट्टी,

(iii) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी के क्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति।

स्पष्टीकरण 3

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय काडरों की दशा में, अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक सेवा में अनधिक पांच वर्ष की अवधि निम्नलिखित शर्तों के अधीन जोड़ी जा सकेगी :–

(क) पद के लिए स्नातकोत्तर, अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताएं अथवा वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक या वृत्तिक क्षेत्र में अनुभव अपेक्षित होना चाहिए,

(ख) पद ऐसा है कि 25 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यार्थी सामान्यता भर्ती किए जाते हैं,

(ग) रियायत तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि किसी अधिकारी की, उस समय जब वह सरकारी सेवा छोड़ता है, वास्तविक अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम नहीं है।

(xx) "रजिस्ट्रार" से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है,

(xxi) "पद की जोखिम" से अभिप्रेत है दुर्घटना या रोग की कोई ऐसी जोखिय, जो विशेष जोखिम नहीं है, जिसके लिए कोई कर्मचारी अपने कर्त्तव्यो के अनुक्रम में और उसके परिणामस्वरूप उच्छन्न है किन्तु कोई भी ऐसी बात जो भारत की वर्तमान परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम है, तब तक पद की जोखिम नहीं समझी जाएगी जब तक की ऐसी जोखिम सेवा की प्रकृति, दशाओं, बाध्यताओं या प्रसंगति द्वारा प्रकार और मात्रा में निश्चित रूप से बढ़ नही जाती है।

टिप्पण : "पद की जोखिम" पद के अंतर्गत मृत्यु या क्षति की वह जोखिम भी है जिसके लिए कोई कर्मचारी उस समय उच्छन्न होता है जब वह इलाके में किसी बल्वे या सिविल अशांति के दौरान अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए अपने नियोजन के स्थान पर किसी कार्य दिवस को उपस्थित रहता है या जब उससे

किसी अवकाश दिन को ऐसे उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है और अपने निवास स्थान से नियोजन के स्थान तक और इसके विपरीत जाते हुए वह ऐसे किसी बल्वे या सिविल अशांति का शिकार हो जाता है।

(xxii) "विशेष वेतन" से अभिप्रेत है किसी पद या किसी कर्मचारी के नियोजनों में, उसके विशेष रूप से कठिन प्रकार के कर्त्तव्यो अथवा उसके काम या उत्तरदायित्व में किसी विनिर्दिष्ट परिवर्धन के प्रतिफलस्वरूप मंजूर किया गया वेतन की प्रकृति का कोई परिवर्धन।

(xxiii) "विशेष जोखिम" से अभिप्रेत है –

(i) हिंसा द्वारा क्षति होने की जोखिम,

(ii) किसी ऐसी दुर्घटना द्वारा क्षति की जोखिम जिसके लिए कोई कर्मचारी किसी विशिष्ट कर्त्तव्य के पालन के अनुक्रम में या परिणामस्वरूप उच्छन्न होता है, जिसका प्रभाव उसके पद की सामान्य जोखिम से परे ऐसी क्षति के लिए उसका दायित्व सारवान् रूप से बढ़ाना है।

(iii) ऐसा कोई रोग लगने की जोखिम जिसके लिए कोई चिकित्सा अधिकारी अपने शासकीय कर्त्तव्य के दौरान किसी रतिज रोग या पूतजीवरक्तता के रोगी की परिचर्या करने या उस कर्त्तव्य के अनुसरण में कोई मरणोत्तर परीक्षा करने के परिणामस्वरूप उच्छन्न रहता है।

(xxiv) "हिंसा" से ऐसे व्यक्ति का कार्य अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को,

(i) हमला करके या उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में या उसे उसके कर्त्तव्यों का पालन करने से भयोपरत करने या रोकने के उद्देश्य से उसका प्रतिरोध करके क्षति पहुँचाता है, या

(ii) इस कारण क्षति पहुँचाता है कि ऐसे किसी कर्मचारी द्वारा या कर्मचारिवृन्द के किसी अन्य सबस्य द्वारा, उसके कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में कोई बात की गई है या किए जाने का प्रमास किया गया है,

(iii) उसकी शासकीय स्थिति के कारण क्षति पहुँचाता है ।

(xxv) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

साधारण भविष्य निधि

5. नामनिर्देशन

(1) कोई भी अभिदाता, निधि में सम्मिलित होते समय, रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में एक नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम, जो निधि में उसके नाम जमा हो, उस रकम के संदेय होने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में, अथवा संदेय हो जाने पर भी यदि वह संदत्त नहीं की गई है तो प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा ।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करने के समय अभिदाता का कोई परिवार है तो वह नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य विधि के बारे में, जिसमें वह इस विधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदाय कर रहा था, किया गया नामनिर्देशन, तब जब कि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकम अंतरित करके इस निधि में उसके नाम जमा कर दी गई है, इस पैरा के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नामनिर्देशन तब तक समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन नहीं करता है ।

(2) यदि कोई अभिदाता उप-पैरा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह उस नामनिर्देशन में, नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश, इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि विधि में किसी भी समय उसके नाम जमा पूरी रकम उसके अंतर्गत आ जाए ।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन ऐसे प्ररूप में होगा जो परिस्थितियों को देखते हुए समुचित है ।

(4) (i) कोई भी अभिदाता, किसी भी समय, रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेजकर अपने नामनिर्देशन को रद्द कर सकेगा । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया एक नया नामनिर्देशन भेजेगा ।

(ii) कोई भी अभिदाता, नामनिर्देशन में –

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के बारे में यह उपबंध कर सकेगा कि यदि उसके नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएंगे जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए। परन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य सदस्य हैं तो, ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा/ऐसें अन्य सदस्य होगा / होंगे । जहाँ अभिदाता ऐसा कोई अधिकार इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है, वहां यह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश इस रीति में विनिर्दिष्ट करेगा कि नामनिर्देशिती को संदेय पूरी रकम उसके अंतर्गत आ जाए।

(ख) यह उपबंध कर सकेगा कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर अविधिमान्य हो जाएगा, परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का

कोई परिवार न हो तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध करेगा कि बाद में परिवार अर्जित करने की दशा में वह (नामनिर्देशन) अविधिमान्य हो जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के परिवार का केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में उपबंध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, तत्पश्चात् उसके द्वारा अपने परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों को अर्जित करने की दशा में, अविधिमान्य हो जाएगा।

(5) किसी ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने पर जिसके बारे में उप-पैरा (4) के खण्ड (ii) के उपखण्ड (क) के अधीन, नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण उप-पैरा (4) के खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाएगा, अभिदाता रजिस्ट्रार को, नामनिर्देशन रद्द करते हुए और उसके साथ इस पैरा के उपबंधों के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजते हुए, तुरन्त लिखित सूचना भेजेगा।

(6) (i) किसी अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गई रद्दकरण की प्रत्येक सूचना उस सीमा तक जिस तक वह विधिमान्य है, ऐसी तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख को वह रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की गई है।

(ii) संस्थान, निष्पादित किए गए ऐसे समनुदेशन या सृजित किए जाने के लिए प्रयतित ऐसे विल्लंगम से न तो आबद्ध होगा और न उसे मान्यता देगा जो

किसी अभिदाता के नाम जमा रकम के, जिसकी मृत्यु उस रकम के संदेय होने से पूर्व हो जाती है, व्ययन को प्रभावित करता है।

6. अभिदाता का खाता

प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जाएगा जिसमें अभिदाता का अभिदाय और उस अभिदाय पर इन उपबंधों द्वारा उपबंधित ब्याज जमा किया जाएगा।

7. अभिदाय की शर्तें और दरें

(1) प्रत्येक अभिदाता उस समय जब वह संस्थान की सेवा में या अन्यत्र सेवा पर ड्यूटी में है, निधि में प्रतिमास अभिदाय करेगा।

परन्तु अभिदाता उस अवधि के दौरान जब वह निलम्बनाधीन है, अभिदाय नहीं करेगा तथा वह चाहे तो तीस दिन से कम कालावधि की, यथास्थिति, औसत वेतन पर छुट्टी या अर्जित छुट्टी से भिन्न छुट्टी की किसी अवधि के दौरान अभिदाय न करे।

परन्तु यह भी कि किसी भी अभिदाता को, निलम्बन के अधीन काटी गई अवधि के पश्चात् यथापूर्व किए जाने पर उस अवधि के लिए संदेय अभिदायों की बकाया की अधिकतम रकम से अनधिक किसी राशि का एक मुश्त या किस्तों में संदाय करने का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने के अपने निर्वाचन की सूचना, छुट्टी पर जाने से पूर्व रजिस्ट्रार को सम्बोधित एक लिखित संसूचना द्वारा देगा। सम्यक् और समय से सूचना देने में असफलता को अभिदाय करने का निर्वाचन गठित करने वाला समझा जाएगा। इस उप-पैरा के अधीन सूचित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

8. **अभिदाय की दरें**

(1) अभिदाय की दरें स्वयं अभिदाता द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत की जाएंगी :–

(i) अभिदाय की दर उसकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकेगी। इस प्रकार संगणित रकम को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा परन्तु न्यूनतम या अधिकतम दरों से अभिदायों की दशा में, पूर्णाङ्कन क्रमशः अगले उच्चतर या अगले निम्नतर रुपए तक किया जाएगा।

(ii) इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, अभिदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :

(क) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को सेवा में था, वे परिलब्धियां जिसके लिए वह उस तारीख को हकदार था, परन्तु

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का निर्वाचन किया था अथवा वह उक्त तारीख को निलम्बनाधीन था तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह ड्यूटी पर लौटने के पश्चात् प्रथम दिन हकदार था।

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और अभी तक छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का निर्वाचन किया है तो उसकी परिलब्धियां वे

परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह तब हकदार होता यदि वह भारत में ड्यूटी पर रहा होता।

(iii) यदि अभिदाता प्रथम बार निधि में उक्त तारीख के पश्चात्वर्ती किसी दिन सम्मिलित हुआ है तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को हकदार था।

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को सेवा में नहीं था, वे परिलब्धियां जिनके लिए वह अपनी सेवा के प्रथम दिन हकदार था अथवा यदि वह प्रथम बार निधि में अपनी सेवा की प्रथम तारीख के पश्चात्वर्ती किसी तारीख को सम्मिलित हुआ था तो वे परिलब्धियां जिनके लिए वह ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को हकदार था।

(2) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम – शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/80-टी.6 (ता.24-3-1982) के अनुसार प्रतिस्थापित।

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार कम की जा सकेगी,

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी,

(ग) यथाउपयुक्त घटाई और बढ़ाई जा सकेगी।

9. **ब्याज**

(1) संस्थान प्रत्येक अभिदाता के खाते में ऐसी दर से ब्याज जमा करेगा जो बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष के आरंभ में अवधारित की जाए।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से निम्नलिखित रूप में जमा किया जाएगा :

(i) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से ऐसी राशियां घटा कर जो चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत की गई हैं, आने वाली रकम पर बारह मास के लिए ब्याज,

(ii) चालू वर्ष के दौरान प्रत्याहृत राशियों पर-चालू वर्ष की पहली अप्रैल से प्रत्याहरण के मास से पूर्वगामी मास के अन्तिम दिन तक ब्याज,

(iii) अभिदाता के लेखा में पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् जमा की गई सभी राशियों पर-निक्षेप (जमा करने) की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक ब्याज,

(iv) ब्याज की कुल रकम को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा (50 पैसे और उससे अधिक को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा)

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई है तब उस पर ब्याज केवल, यथास्थिति, चालू वर्ष के आरम्भ से या जमा की तारीख से उस तारीख तक की जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो जाती है, अवधि के बारे में इस उप पैरा के अधीन जमा किया जाएगा ।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए जमा की तारीख उस मास का जिसमें वह जमा की गई है, प्रथम दिन समझी जाएगी ।

(4) सभी मामलों में ब्याज, उस मास के जिसमें संदाय किया जाता है, पूर्वगामी मास के अंत तक या उस मास के जिसमें ऐसी रकम संदेय होती है, पश्चात् छह मास के अंत तक, इन में से जो भी अवधि कम हो, अभिदाता के नाम जमा

अतिशेष के बारे में संदत्त किया जाएगा, परन्तु उस तारीख के जो रजिस्ट्रार ने अभिदाता या उसके अभिकर्ता को ऐसी तारीख के रूप में सूचित की है जिसको वह संदाय करने के लिए तैयार है, पश्चात् किसी अवधि के बारे में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

10. निधि से अग्रिम

(1) निधि में से अग्रिम का संदाय किसी भी अभिदाता के उसके नाम जमा उसके अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से निदेशक द्वारा और निदेशक की दशा में अध्यक्ष द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा ।

(2) कोई भी अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक की धनीय परिस्थितियों को देखते हुए वह उचित है और यह कि वह निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

(i) आवेदक, आवेदक की पत्नी, धर्मज बालकों, सौतेले बालकों, माता-पिता, बहिनों और अवयस्क भाइयों की, जो उस पर वस्तुतः आश्रित हैं, बीमारी के संबंध में उपगत व्ययों का संदाय करने के लिए,

(ii) आवेदक या आवेदक की पत्नी, धर्मज बालकों, सौतेले बालकों, माता-पिता, बहिनों या अवयस्क भाइयों की, जो उस पर वस्तुतः आश्रित हैं, स्वास्थ्य या शिक्षा के कारणों से समुद्रपार यात्रा के लिए संदाय करने के लिए,

(iii) आवेदक पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के खर्चे की पूर्ति करने के लिए । यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति आवेदक के परिवार का सदस्य हो,

(iv) विवाह, अन्त्येष्टि या ऐसे समारोहों के संबंध में जिन्हें करना उसके लिए, उसके धर्म द्वारा लाजिमी है, आवेदक की प्रास्थिति के अनुसार उपयुक्त पैमाने पर बाध्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए,

(v) ऐसी विधिक कार्यवाही के जो अभिदाता द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध किए गए किन्हीं अभिकथनों के संबंध में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए संस्थित की गई है, खर्चे की पूर्ति करने के लिए,

परन्तु इस खंड के अधीन अग्रिम ऐसे आवेदक को अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी न्यायालय कोई विधिक कार्यवाही अपने शासकीय कर्तव्य से असंबद्ध किसी विषय के बारे में या उस पर अधिरोपित किसी सेवा शर्त या शास्ति के बारे में संस्थान के विरुद्ध संस्थित करता है।

(vi) जहां आवेदक पर संस्थान द्वारा किसी न्यायालय में, उसकी ओर से किए गए किसी अभिकथित शासकीय अवचार के बारे में अभियोजन चलाया जाता है वहां अपनी अभिरक्षा के खर्च की पूर्ति करने के लिए,

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/80-टी. 6 ता. 24-3-1982 के अनुसार जोड़ा गया (15 - 3 - 1982 से प्रभावी)

(vii) अपने निवास के लिए किसी भू-खंड या किसी भवन के निर्माण या बने बनाए फ्लैट के खर्च की पूर्ति करने के लिए या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी भू-खंड या बने बनाए फ्लैट के आबंटन मद्धे कोई संदाय करने के लिए।

(3) कोई भी अग्रिम निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगा :

(i) जब उप पैरा (2) के खंड (i) से (vi) तक में उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए मंजूर किया गया है	अभिदाता का तीन मास का वेतन

परन्तु किसी भी दशा में अग्रिम की रकम निधि में अभिदाता के नाम जमा सदस्य के अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) कोई भी अग्रिम, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों के सिवाय, किसी भी अभिदाता को इसके उप-पैरा (3) में अधिकथित सीमा के आधिक्य में या किसी पूर्व अग्रिम की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किए जाने तक मंजूर नहीं किया जाएगा।

(5) मंजूरी प्राधिकारी अग्रिम मंजूर करने के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(6) यदि अग्रिम उप-पैरा (2) के खंड (i) से (vi) तक में उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए मंजूर किया गया था तो उस अग्रिम की रकम अनधिक चौबीस समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी। प्रत्येक किस्त पूरे पूरे रुपयों की एक संख्या होगी और यदि आवश्यक हो तो ऐसी किस्तों का नियतन करने के लिए अग्रिम की रकम में वृद्धि या कमी की जाएगी। अभिदाता अपने विकल्प पर, अग्रिम के मंजूर किए जाने के समय तय पाई गई किस्तों की संख्या से कम संख्या में या एक मुश्त प्रतिसंदाय कर सकेगा।

(7) अग्रिम की वसूली अभिदाता की परिलब्धियों में से की जाएगी और वह अग्रिम दिए जाने के पश्चात् उस प्रथम अवसर पर

जब अभिदाता पूरे मास की परिलब्धियां लेता है, आरम्भ होगी।

(8) अग्रिमों पर ब्याज वह होगा जो संस्थान द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए और वह संस्थान द्वारा किसी अभिदाता के खाते में संदत्त दर के एक प्रतिशत से अधिक आधिक्य में नहीं होगा। वह साधारणतया, मूल का पूरा प्रतिसंदाय कर दिए जाने के पश्चात्वर्ती मास में एक किस्त में वसूल किया जाएगा। यदि प्रतिसंदाय की अवधि बीस मास से अधिक है तो यदि अभिदाता चाहे तो ब्याज दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकेगा और मासिक संदाय दो समान मासिक किस्तों में पूरा किया जाएगा तथा मासिक संदाय को निकटतम पूरे रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा। इस पैरा के अधीन की गई वसूलियां ज्यों ज्यों वे की जाती हैं, निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएंगी।

(9) इन उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि पैरा (2) के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में प्रत्याहृत धन का उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है तो प्रश्नगत रकम, उप-पैरा (8) के अधीन उपबन्धित दर के अतिरिक्त 3% की दर से संगणित शास्तिक ब्याज के साथ, अभिदाता द्वारा निधि में प्रतिसंदत्त की जाएगी या इसमें व्यतिक्रम होने पर वह अभिदाता की उपलब्धियों से एक राशि में कमी करके वसूल किए जाने के लिए आदिष्ट की जाएगी। यदि प्रतिसंदत्त की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की उपलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उस समय तक जब तक कि संपूर्ण वसूलनीय रकम का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता है, उसकी परिलब्धियों के आधे भाग की मासिक किस्तों में किया जाएगा।

टिप्पण : इस पैरा में प्रयुक्त 'परिलब्धियां' पद के अन्तर्गत किसी कर्मचारी के अभिकथित अवचार की जांच होने तक निलम्बन के मामलों में मंजूर किया गया जीवन निर्वाह भत्ता, यदि कोई हो, नहीं है।

11. निधि से प्रत्याहरण

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ.11-3/80-टी.6 ता. 24-3-1982 के अनुसार प्रतिस्थापित (15-3-1982 से प्रभावी)

इसके अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा किए गए प्रत्याहरण की दशा में वह अध्यक्ष द्वारा और किसी अन्य मामले में निदेशक द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित रूप में मंजूर किए जा सकेंगे।

(क) किसी अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत सेवा की खंडित अवधियां, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से दस वर्ष पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात् :-

(i) निम्नलिखित मामलों में, उच्चतर शिक्षा के खर्च की पूर्ति के लिए जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक है, अभिदाता का या अभिदाता के किसी बालक का यात्रा व्यय भी हैं, अर्थात् :-

(क) हाई स्कूल प्रक्रम से परे शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत के बाहर शिक्षा के लिए, और

(ख) हाई स्कूल प्रक्रम से परे भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए

(ii) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार की सगाई, विवाह के व्यय की पूर्ति के लिए,

(iii) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय की, जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए,

(ख) किसी अभिदाता की पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत सेवा की खंडित अवधि, यदि कोई हो, भी है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के दस वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात् :–

(i) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है,

(ii) अपने निवास के लिए किसी उपयुक्त मकान के निर्माण या बने बनाए फ्लैट को अर्जित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए किसी उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए,

(iii) अपने निवास के लिए मकान निर्मित करने के लिए कोई भूखंड क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए उधार लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए,

(iv) अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पहले ही अर्जित किसी मकान या बने बनाए फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए,

(v) ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी पैतृक मकान के या ड्यूटी के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरकार से लिए गए किसी उधार की सहायता से

निर्मित किसी मकान के नवीकरण, उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने या उसकी देखभाल के लिए,

(vi) खंड (ग) के अधीन क्रय किए गए भू-खंड पर किसी मकान के निर्माण के लिए ।

(ग) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर, कोई फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों अर्जित करने के प्रयोजन के लिए, निधि में उसके नाम जमा रकम में से ।

12. निधि में संचयों के अंतिम प्रत्याहरण

जब कोई अभिदाता संस्थान की सेवा छोड़ देता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम उसे संदेय हो जाएगी, परन्तु ऐसा अभिदाता जो संस्थान की सेवा से पदच्युत किया गया है और बाद में सेवा में यथापूर्व कर दिया जाता है, यदि उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, इस पैरा के अनुसरण में निधि से उसे संदत्त किसी रकम का, इन उपबन्धों में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय उपबन्धित रीति में करेगा । इस प्रकार प्रति संदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

उस अभिदाता के बारे में जिसे अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की जाती है, यह समझा जाएगा कि उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से या सेवा के किसी विस्तार के बीतने पर सेवा छोड़ी है ।

13. अभिदाता की सेवा निवृत्ति

जब कोई अभिदाता (क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह दीर्घावकाश से संयुक्त सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर दीर्घावकाश का हकदार है, या (ख) छुट्टी पर रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दे दी गयी है या उसे संस्थान के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी द्वारा या किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए,

और आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो निधि में उसके नाम जमा रकम, उसके द्वारा रजिस्ट्रार को उस निमित्त आवेदन किए जाने पर, अभिदाता को संदेय हो जाएगी।

परन्तु अभिदाता, यदि वह ड्यूटी पर लौटता है तो, यदि उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो उसे इस पैरा के अनुसरण में संदत्त पूरी रकम या उसके भाग का उपवन्धित दर से उस व्याज सहित, निधि को, उसके खाते में जमा करने के लिए किस्तों में या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा या अन्यथा जैसा निदेशक निदेश दे, प्रतिसंदाय करेगा।

14. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया

किसी अभिदाता की, उसके नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व मृत्यु होने पर या जहां रकम, उसका सन्दाय किए जाने से पूर्व संदेय हो गई है :

(1) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार छोड़ता है

(क) यदि अभिदाता द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में, पैरा 5 के उप पैरा (1) या इसके पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी उपबध के अनुसार किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसके सम्बन्ध में वह नामनिर्देशन है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा,

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग के संबंध में है तो, यथास्थिति, पूरी रकम या वह भाग जिसके संबंध में वह नामनिर्देशन नहीं है, उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने के लिए तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को समान अंशों में संदेय हो जाएगा,

परन्तु यदि नीचे वर्ग (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट से भिन्न परिवार का कोई सदस्य है तो निम्नलिखित को कोई भी अंश संदेय नहीं होगा :

(i) पुत्र जिन्होंने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है,

(ii) किसी मृत पुत्र के पुत्र जिन्होंने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है,

(iii) विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं,

(iv) किसी मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं,

परन्तु यह भी कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और बालक या बालकों को अपने बीच केवल वह अंश समान भाग में मिलेगा जो उसने तब प्राप्त किया होता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और प्रथम परन्तुक के खंड (i) के उपबंध से उसे छूट प्राप्त होती।

(2) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है

यदि उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पैरा 5 के उप-पैरा (1) या उससे पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी उपबंध के अनुसार किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग

जिसके संबंध में वह नामनिर्देशन है, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

15. **लेखा विवरण**

(1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् यथाशीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखा का एक विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान आकलित (जमा की गई) और विकलित कुल रकम, वर्ष की 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अंत अतिशेष दर्शित होंगे। लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह पूछेगा कि क्या अभिदाता :

(क) अभिदाता द्वारा किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है,

(ख) ने (उन मामलों में जहां अभिदाता ने नियम के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है) कोई परिवार अर्जित किया है,

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण के सही होने के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिए और त्रुटियां, विवरण की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिए।

(3) यदि किसी अभिदाता द्वारा अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार वर्ष में केवल एक बार किंतु एक बार से अधिक नहीं, अभिदाता को अंतिम मास के, जिसके लिए उसका लेखा अद्यतन किया गया है, अंत में निधि में उसके नाम जमा कुल रकम सूचित करेगा।

16. नियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी राशियां संस्थान की बहियों में इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के "साधारण भविष्य निधि खाता" नामक खाते में जमा की जाएंगी। भारतीय स्टेट बैंक में एक निक्षेप खाता खोला जाएगा जिसे ऐसी रीति में चलाया जाएगा जिसका बोर्ड निदेश दे। संस्थान, निधि का ऐसा भाग जो समीचीन समझा जाए, सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत परकाम्य बंधपत्रों में और केन्द्रीय सरकार की ऐसी निक्षेप स्कीमों में जो समय समय पर इस संबंध में अधिसूचित की जाएं, विनिहित कर सकेगा और ऐसे विनिधानों से प्राप्त ब्याज या लाभ संस्थान के नाम प्रकीर्ण प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. जे. 11011/7/77-टी. 6 तारीख 20-7-1979 के अनुसार प्रतिस्थापित (25-6-1979 से प्रभावी)

सभी विनिधान और प्रतिभूतियां संस्थान के नाम में धारित की जाएंगी।

पेंशन

17. **अधिवर्षिता, अशक्तता और प्रतिकर पेंशन**

(1) अधिवर्षिता, अशक्तता और प्रतिकर पेंशन की रकम परिशिष्ट 2 में यथाउपवर्णित समुचित रकम होगी।

(2) कोई भी कर्मचारी 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किन्तु 60 वर्ष की आयु के पूरा होने के पूर्व, किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकेगा परन्तु वह उस तारीख से, जिस तारीख को वह सेवा निवृत्त होना चाहता है, कम से कम 3 मास पूर्व समुचित प्राधिकारी को इस निमित्त लिखित सूचना देगा।

(3) संस्थान किसी भी कर्मचारी से, जब वह 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ले उसके पश्चात् किसी भी समय, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व भी, सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा भी कर सकेगा, परन्तु समुचित प्राधिकारी, उस कर्मचारी को

इस निमित्त एक लिखित सूचना उस तारीख से जिस तारीख को उससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई है, कम से कम 3 मास पूर्व देगा।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/76-टी. 6 ता. 16-6-1978 के अनुसार संशोधित (1-1-1973 से प्रभावी)

(4) ऐसे कर्मचारी को जो उप पैरा (3) में उपदर्शित रीति में सेवानिवृत्त हो जाता है या कर दिया जाता है, औसत परिलब्धियों के 33/80 से अनधिक सेवा निवृत्ति पेंशन, 12000 रु0 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मंजूर की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण :

इस उपबंध के प्रयोजन के लिए किसी भी कर्मचारी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई कोई सेवा पेंशन के लेखे नहीं गिनी जाएगी।

18. अर्हक सेवा

(1) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए जो खंड (2) में उपवर्णित पेंशन के प्रवर्गों को लागू हो, पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, अधिवर्षिता पर कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा करेगा।

(2) न्यूनतम अर्हक सेवा के अधीन रहते हुए, कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित पेंशनों में से किसी एक या अन्य के लिए पात्र होगा :

(क) **प्रतिकर पेंशन–**

यदि कर्मचारी स्थायी पद के समाप्त कर दिए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया जाता है तो उसे पैरा 19 में विहित मापमान पर प्रतिकर पेंशन मंजूर की जाएगी।

(ख) **अशक्तता पेंशन–**

किसी भी कर्मचारी को अशक्तता पेंशन, और आगे सेवा के लिए उसे असमर्थ बनाने वाली स्थायी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के, यदि वह संस्थान के परामर्शी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, कारण संस्थान की सेवा से निवृत्ति पर पैरा 19 में विहित मापमान के अनुसार मंजूर की जाएगी।

(ग) अधिवर्षिता या सेवानिवृति पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाएगी जो 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने पर या 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर, जो भी पूर्वतर हो, मंजूर की जाएगी, परन्तु 30 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् किंतु 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व सेवानिवृत्ति की दशा में संबंधित कर्मचारी इस निमित्त एक लिखित सूचना निदेशक को, उस तारीख से जिस तारीख की वह सेवानिवृत्ति होना चाहता है, कम से कम 3 मास पूर्व देगा।

19. पेंशन का मापमान

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-3/80 - टी. 6 तारीख 24/3/82 के अनुसार प्रतिस्थापित (15-3-82 से प्रभावी)

(1) पैरा 17 में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी के अधीन पेंशन/सेवानिवृत्ति उपदान के पात्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि के लिए, परिशिष्ट 2 में अनुबद्ध अधिकतम पेंशन के अधीन रहते हुए और इस बात के भी अधीन रहते हुए कि कुल पेंशन औसत परिलब्धियों के 33/80 वें भाग से अधिक नहीं होगी, औसत परिलब्धियों का 12/80 वां भाग मंजूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी ऐसे मंहगाई भत्ते का भी हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर मंजूर किया जाए।

(2) (क) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और उस तारीख को या उसके पश्चात् सेवा से निवृत्त हुए थे, पेंशन की रकम की संगणना निम्नलिखित स्तरों (स्लैब) के अनुसार की जाएगी :–

(i) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के प्रथम 1000 रुपयों तक	औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
(ii) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के अगले 500 रुपयों तक	औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
(iii) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों का अतिशेष	औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत

(ख) उपर्युक्त स्तरों के आधार पर निकलने वाली पेंशन की रकम को 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा से संबद्ध किया जाएगा। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होने सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या उससे अधिक किंतु 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है, उनकी पेंशन की रकम अधिकतम अनुज्ञेय पेंशन का ऐसा अनुपात होगी जो उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा का 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा के साथ है।

(ग) उपर्युक्त स्तरों के अनुसार अवधारित पेंशन और किसी भी कर्मचारी को 1-12-78 को अनुज्ञेय 100 रु0 प्रतिमास की दर से पेंशन पर अधिकतम राहत का योग 1500 रु0 प्रतिमास की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन होगा। यदि स्वयं पेंशन 1500 रु0 प्रतिमास से अधिक है तो 33 वर्ष की पूरी सेवा के लिए अधिकतम पेंशन 1500 रु0 प्रतिमास तक निर्बंधित होगी और सूचकांक स्तर 328 तक कोई राहत संदेय नहीं होगी।

(घ) जहां मंहगाई वेतन को ध्यान में रखकर संगणित या मंहगाई वेतन को अपवर्जित करने के पश्चात् किन्तु तदर्थ वृद्धियों को सम्मिलित करके संगणित पेंशन की रकम चालीस रुपए प्रतिमास से कम है वहां अंतर की प्रतिपूर्ति पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि मंजूर करके की जाएगी।

20. पेंशन का संराशिकरण

(1) कोई भी कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अपनी पेंशन के किसी भाग या भागों को, जो उसे मंजूर की गई पेंशन के एक तिहाई से अधिक न हो, एक मुश्त संदाय के लिए संराशीकृत कराने के लिए अनुज्ञात होगा।

(2) कोई भी संराशीकरण तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्थान का परामर्शी चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करता है कि पेंशनभोगी का स्वास्थ्य और जीवन कालावधि की संभावना ऐसी है जिससे कि संराशीकरण उचित है।

परन्तु ऐसे कर्मचारी की जो अधिवर्षिता पर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, चिकित्सीय परीक्षा नही की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-5-78टी.6 ता. 23-2-1979 के अनुसार जोड़ा गया (16-2-79 से प्रभावी)

परन्तु यह भी कि पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् किया जाएगा और संराशीकरण आत्यंतिक हो जाएगा, अर्थात् सेवानिवृत कर्मचारी संराशीकृत मूल्य उस तारीख को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। जिस तारीख को उसका आवेदन कार्यालय के प्रधान को प्राप्त होता है।

(3) संराशीकरण पर संदेय एकमुश्त राशि की संगणना परिशिष्ट 3 से संलग्न सारणी के अनुसार की जाएगी।

(4) मंजूर किए जाने पर संराशीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा जो आदेश में विसिर्दिष्ट की जाए और ऐसी कोई भी तारीख किसी भी मास की पहली तारीख और साधारणतया, आदेश की तारीख से लगभग एक मास पश्चात् की तारीख होगी तथा सभी संगणना विनिर्दिष्ट तारीख के प्रति निर्देश से की जाएगी।

21. मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान

(1) ऐसे किसी कर्मचारी को जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, तब जब कि वह सेवा से निवृत्त होता तथा पैरा 19 के अधीन उपदान या पेंशन का पात्र है, उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक अतिरिक्त उपदान मंजूर किया जा सकेगा।

(2) यदि ऐसे कर्मचारी की जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक एक उपदान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संदत्त किया जा सकेगा जिनको पैरा 22 के अधीन उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका संदाय नीचे बताई गई रीति में किया जा सकेगा :

(i) यदि परिवार का एक या अधिक ऐसे उत्तरजीवी सदस्य हैं जिनका उल्लेख पैरा (22) के उप-पैरा (1) के खंड (क) की मदों (i), (ii), (iii) और (iv) में है तो उसका संदाय ऐसे किसी सदस्य से जो विधवा पुत्री है, भिन्न अन्य सभी ऐसे सदस्यों को समान अंशों में किया जा सकेगा।

(ii) यदि (i) में उल्लिखित जैसा परिवार का कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं है किन्तु एक या अधिक विधवा पुत्रियां और/या परिवार के ऐसे और उत्तरजीवी सदस्य हैं जिनका उल्लेख पैरा (22) के उप-पैरा (1) के खंड (क) की मदों (v), (vi) और (vii) में किया गया है, तो उपदान का संदाय ऐसे सभी सदस्यों को समान अंशों में किया जा सकेगा।

(3) उपदान की रकम अर्हक सेवा की संपूरित प्रत्येक छह मास की अवधि के लिए, "परिलब्धियों" के अधिकतम $16\frac{1}{2}$ गुने के अधीन रहते हुए, कर्मचारी की परिलब्धियों की एक चौथाई होगी। सेवा में रहते हुए, कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उपदान कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी परिलब्धियों के न्यूनतम 12 गुने के अधीन होगी :

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ. 11-6/76-टी. 6 ता. 16-7-78 के अनुसार संशोधित (1-11-73 से प्रभावी)।

परन्तु किसी भी दशा में वह 30,000 रुपयों से अधिक नहीं होगी।

(4) यदि ऐसे किसी कर्मचारी को जो पैरा 17 के अधीन किसी पेंशन या पैरा 21 के अधीन उपदान के लिए पात्र हो गया है, सेवा से उसके निवृत्त हो जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है और ऐसे उपदान या पेंशन लेखे उसके द्वारा उसकी मृत्यु के समय वस्तुत: प्राप्त राशियां तथा उसके साथ उप-पैरा (1) के अधीन मंजूर किया गया उपदान और पेंशन के किसी ऐसे भाग का जो उसके द्वारा संराशीकृत किया गया है, संराशीकृत मूल्य उसकी परिलब्धियों, के 12 गुने के बराबर रकम से कम है तो कमी के बराबर एक उपदान उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को मंजूर किया जा सकेगा।

(5) इस पैरा के प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियां' अधिकतम 2500 रु० प्रतिमास के अधीन होंगी।

22. नामनिर्देशन

(1) इस पैरा के प्रयोजन के लिए–

(क) "परिवार" के अन्तर्गत कर्मचारी के निम्नलिखित नातेदार हैं :—

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, पत्नी,

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, पति,

(iii) पुत्र,

(iv) अविवाहिता और विधवा पुत्रियां,

(v) 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहिता या विधवा बहनें,

(vi) पिता और माता,

टिप्पण : उक्त (iii) और (iv) के अन्तर्गत सौतेले और दत्तक बालक भी हैं।

(ख) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यक्ति निकाय भी है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(2) कोई भी कर्मचारी एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसा कोई उपदान जो पैरा (21) के उप-पैरा (2) और (4) के अधीन मंजूर किया जाए, तथा उपदान जो उस पैरा के उप पैरा (1) और उप-पैरा (5) के अधीन उसे अनुज्ञेय तो हो गया है किंतु उसे मृत्यु के पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के पश्चात् नामनिर्देशन करेगा :

परन्तु यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का परिवार है तो नामनिर्देशन उप-पैरा 1 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी उप-पैरा (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करता है तो वह प्रत्येक नामनिर्देशिती को, ऐसी रीति में जिससे कि उपदान की पूरी रकम उसके अंतर्गत आ जाए, संदेय रकम या अंश का कोई नामनिर्देशन विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) कर्मचारी किसी नामनिर्देशन में :

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के बारे में यह उपबंध कर सकेगा कि कर्मचारी से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में, उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय, कोई परिवार है जिसमें एक से अधिक सदस्य हैं तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के किसी से भिन्न व्यक्ति नहीं होगा,

(ख) यह उपबंध कर सकेगा कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिक घटना के घटित होने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(5) ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन जिसका उसे करते समय कोई परिवार नहीं है या किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा उपपैरा (4) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन में किया कोई उपबंध, जिसके परिवार में, नामनिर्देशन करने की तारीख को केवल एक सदस्य है, बाद में उस कर्मचारी द्वारा, यथास्थिति, कोई परिवार या परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य अर्जित करने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) (क) प्रत्येक नामनिर्देशन किसी ऐसे प्रारूप में होगा जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो,

(ख) कोई भी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजकर, किसी नामनिर्देशन को किसी भी समय रद्द कर सकेगा।

परन्तु ऐसा कोई कर्मचारी ऐसी सूचना के साथ इस पैरा के अनुसार किया गया एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(7) किसी ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने पर जिसके बारे में उपपैरा 4 के खण्ड (क) के अधीन, नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण उस उपपैरा के या उपपैरा (5) के खंड (ख) के अनुसरण में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा, कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी को, नामनिर्देशन रद्द करते हुए और उसके साथ इस पैरा के अनुसार किया गया नामनिर्देशन भेजते हुए, तुरन्त लिखित सूचना भेजेगा।

(8) इस पैरा के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गई रद्दकरण की प्रत्येक सूचना, कर्मचारी द्वारा अपने लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी तथा किसी कर्मचारी से नामनिर्देशन की प्राप्ति पर कार्यालय प्रधान उस पर प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते तुरन्त प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(9) किसी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और दी गई रद्दकरण की प्रत्येक सूचना उस विस्तार तक जिस तक वह विधिमान्य है, ऐसी तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख को वह उप-पैरा (8) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई है।

23. अस्थाई कर्मचारियों के लिए उपदान

(1) **सेवांत उपदान**–ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता है या छटनी के कारण सेवान्मुक्त किया जाता है या और आगे सेवा के लिए अशक्त घोषित किया जाता है, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए एक मास के वेतन के लिए एक तिहाई की दर से उपदान के लिए पात्र होगा, परन्तु यह तब जब कि उसने सेवानिवृत्ति, सर्वोन्मुक्ति या अशक्त घोषित किए जाने के समय अन्यून पांच वर्ष की सेवा पूरी की है।

(2) **मृत्यु उपदान**–ऐसे कर्मचारी का, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, परिवार नीचे विनिर्दिष्ट मापमान से और शर्तों के अधीन रहते हुए मृत्यु उपदान का पात्र होगा :–

(क) एक वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् किन्तु तीन वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व मृत्यु होने पर, एक मास के वेतन के बराबर उपदान,

(ख) तीन वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् किन्तु पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व मृत्यु होने पर, दो मास के वेतन के बराबर उपदान,

(ग) पांच वर्ष की या अधिक सेवा पूरी होने के पश्चात्, तीन मास के वेतन के बराबर उपदान या उपपैरा (1) में उल्लिखित सेवांत उपदान की रकम, जो अधिक हो।

टिप्पण : उपपैरा (1) या उपपैरा (2) के अधीन सेवांत या मृत्यु उपदान की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, वेतन से, उन व्यक्तियों की दशा में जो, यथास्थिति, सेवा का त्याग करने या मृत्यु के समय विद्यमान वेतनमान को रखे रहते हैं, केवल मूल वेतन और महंगाई वेतन भी अभिप्रेत है। उसके अन्तर्गत विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और वेतन के रूप में अन्य परिलब्धियां नहीं हैं। यदि संबंधित कर्मचारी सेवा निवृत्ति, अशक्त घोषित किए जाने या मृत्यु के तुरन्त बाद पूर्ण भत्ते सहित या बिना छुट्टी पर है तो इस प्रयोजन के लिए वेतन वह होगा जो उसने तब लिया होता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता।

24. परिवार पेंशन

(1) (क) परिवार पेंशन, सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में तब अनुज्ञेय होगी यदि मृत्यु के समय, सेवानिवृत्ति कर्मचारी को कोई प्रतिकर, अशक्तता, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पेंशन मिल रही थी।

उपपैरा (1) और 2(i) शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-6/76-टी. 6 तारीख 16/7/78 के अनुसार प्रतिस्थापित

परन्तु सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में यह आवश्यक है कि उस कर्मचारी ने एक वर्ष की सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो।

(ख) परिवार पेंशन निम्नलिखित दरों से अनुज्ञेय होगी, अर्थात् :

कर्मचारी का वेतन	विधवा, विधुर, बालकों की मासिक पेंशन
400 रु0 से कम	न्यूनतम 60 रु0 और अधिकतम 100 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 30 प्रतिशत।
400 रु0 और अधिक 1200 रु0 से कम	न्यूनतम 100 रु0 और अधिकतम 160 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए, वेतन का 15 प्रतिशत
1200 रु0 और अधिक (प्रभावी ता. 1-1-73)	न्यूनतम 160 रु0 और अधिकतम 250 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए, वेतम का 12 प्रतिशत

(2) किंतु

(i) (क) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में जिसकी मृत्यु कम से कम सात वर्ष की सेवा करने के पश्चात् हो जाती हैं, परिवार पेंशन अंतिम लिए गए वेतन के 50 प्रतिशत के या उक्त दरों से साधारण परिवार पेंशन की दुगनी के बराबर वर्धित दर से, जो भी कम हो, न्यूनतम सात वर्ष की या यदि वह जीवित रहता तो, 65 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए, जो भी पूर्वतर हो, संदत्त की जाएगी,

(ख) सेवा निवृति के पश्चात् मृत्यु की दशा में, वर्धित दर से परिवार पेंशन की रकम उस सामान्य अधिवर्षिता पेंशन (असंराशीकृत मूल्य) से अधिक नहीं होगी जिसके लिए संस्थान के कर्मचारी अधिवर्षिता पर हकदार होंगे,

(ग) सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में परिवार पेंशन केवल उन्हीं को संदत्त की जाएगी जो उस कर्मचारी के, सेवानिवृत्ति के समय घोषित परिवार के सदस्य थे।

(ii) तत्पश्चात् संदेय पेंशन उपयुक्त सारणी में अधिकथित दर से संदेय होगी,

(iii) खंड (i) के अधीन उल्लिखित दर से पेंशन तब लागू नहीं होगी यदि उस कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व सात वर्ष से कम निरंतर सेवा की थी।

25. इस स्कीम के प्रयोजन के लिए "परिवार" के अंतर्गत निम्नलिखित नातेदार होंगे :–

(क) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी,

(ख) महिला कर्मचारी की दशा में पति,

(ग) अवयस्क पुत्र, और

(घ) अविवाहिता वयस्क पुत्रियां।

टिप्पण : 1. (ग) और (घ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति से पूर्व वैध रूप से दत्तक गृहीत पुत्र भी है।

2. सेवा निवृत्ति के पश्चात् विवाह को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

26. **परिवार पेंशन–**

(क) विधवा / विधुर की दशा में, मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पूर्वतर हो, की तारीख तक अनुज्ञेय होगी,

(ख) अवयस्क पुत्र की दशा में, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अनुज्ञेय होगी,

(ग) अविवाहिता पुत्री की दशा में, उस समय तक अनुज्ञेय होगी जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है या विवाह नहीं कर लेती है, जो भी पूर्वतर हो।

टिप्पण : (1) जहां किसी कर्मचारी की एक से अधिक विधवा उत्तरजीवी हैं वहां उन्हें पेंशन समान अंशों में दी जाएगी। एक विधवा की मृत्यु होने पर, पेंशन में उसका अंश उसके पात्र अवयस्क बालक को संदेय हो जाएगा। यदि कोई विधवा अपनी मृत्यु के समय कोई पात्र अवस्क बालक नहीं छोड़ती है तो पेंशन में उसके अंश का संदाग बन्द हो जाएगा।

(2) जहां किसी कर्मचारी की एक विधवा उत्तरजीवी है किन्तु उसने किसी अन्य पत्नी से एक पात्र अवयस्क यालक अपने पीछे छोड़ा है वहां उस पात्र अवयस्क बालक को पेंशन के उम अंश का संदाय किया जाएगा जो यदि उसकी माता उस कर्मचारी की मृत्यु के समय जीवित होती तो प्राप्त करती।

(घ) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह या मृत्यु होने की दशा में पेंशन अवयस्क बालकों को उनके नैसर्गिक संरक्षकों के माध्यम से मंजूर की जाएगी।

27. मंत्रालय के पत्र सं0 एफ 11/6/76-टी 6 तारीख 20-7-79 के अनुसार, पैरा '27' का लोप किया गया।

28. **असाधारण पेंशन और उपदान**

(1) असाधारण पेंशन और उपदान बोर्ड द्वारा तब मंजूर किया जा सकेगा जब किसी कर्मचारी को क्षति पहुंचती है या किसी क्षति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है या वह मारा जाता है।

(2) अधिनिर्णय करते समय बोर्ड कर्मचारिवृन्द के उस सदस्य की, जिसे क्षति पहुंचती है या किसी क्षति के परिणामस्वरूप जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो मारा जाता है, ओर से व्यतिक्रम या योगदायी उपेक्षा की मात्रा पर विचार कर सकेगा।

(3) असाधारण पेंशन और उपदान स्कीम के प्रयोजन के लिए, क्षति निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होगी :

वर्ग क : क्षतियां जो पद की विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप कारित होती है और जिनकी परिणति एक नेत्र या अंग की स्थायी हानि में हुई है या जो और अधिक गंभीर प्रकृति की हैं।

वर्ग ख : क्षतियां जो पद की विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप कारित होती है और जो उस निःशक्तता की मात्रा के बारे में जो वे कारित करती हैं, किसी अंग की हानि के समतुल्य हैं या जो बहुत गंभीर हैं, अथवा पद की जोखिम के परिणामस्वरूप कारित क्षतियां जिनकी परिणति किसी नेत्र या अंग की स्थायी हानि में हुई है या जो और अधिक गंभीर प्रकृति की हैं।

वर्ग ग : पद की विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप कारित क्षतियां जो गंभीर हैं किंतु बहुत गंभीर नहीं है और जिनके स्थायी होने की संभावना नहीं है अथवा पद की जोखिम के परिणामस्वरूप कारित

क्षतियां जो, उस निःशक्तता की मात्रा के बारे में जो वे कारित करती हैं, किसी अंग की हानि के समतुल्य है या जो बहुत गंभीर या गंभीर हैं और जिनके स्थायी होने की संभावना है।

29. (1) यदि किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को कोई ऐसी क्षति पहुँचती है जो वर्ग 'क' के अन्तर्गत आती है तो उसे,–

(क) परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट लागू रकम का उपदान दिया जाएगा।

(ख) क्षति की तारीख से एक वर्ष बीतने की पश्चात्वर्ती तारीख से,—

(i) यदि क्षति की परिणति एक से अधिक अंग या नेत्र की स्थायी हानि में हुई है तो उच्चतर वेतनमान पेंशन के लिए परिशिष्ट 4 में निर्दिष्ट लागू रकम की एक स्थायी पेंशन दी जाएगी, और

(ii) अन्य मामलों में, एक ऐसी स्थायी पेंशन दी जाएगी जिसकी रकम, उच्चतर वेतनमान पेंशन के लिए, परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट लागू रकम से अधिक और उस रकम के आधे से कम नहीं होगी।

(2) यदि किसी कर्मचारिवृन्द सदस्य को कोई ऐसी क्षति पहुँचती है जो वर्ग 'ख' के अन्तर्गत आती है तो उसे—

(क) यदि क्षति की परिणति एक नेत्र या अंग की स्थायी हानि में हुई है या वह अधिक गंभीर प्रकृति की है तो उस क्षति की तारीख से उतनी रकम की जो किसी निम्नतर वेतनमान पेंशन के लिए परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट लागू रकम से अधिक और उस रकम के आधे से कम नहीं होगी, एक स्थायी पेंशन दी जाएगी।

(ख) अन्य मामलों में,—

(i) क्षति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए एक अस्थाई पेंशन दी जाएगी जिसकी रकम, किसी निम्नतर वेतनमान पेंशन के लिए परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट लागू रकम से अधिक और उस रकम के आधे से कम नहीं होगी, और तत्पश्चात्,

(ii) यदि संस्थान का परामर्शी चिकित्सा अधिकारी वर्ष प्रतिवर्ष यह प्रमाणित करता है कि वह क्षति गंभीर बनी हुई है तो उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर एक पेंशन दी जाएगी।

(3) यदि किसी कर्मचारी को ऐसी कोई क्षति पहुंचती है जो वर्ग 'ग' के अन्तर्गत आती है तो यदि संस्थान का परामर्शी चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारिवृन्द के उस सदस्य को एक वर्ष के लिए सेवा के लिए अयोग्य होने की संभावना है तो परिशिष्ट 4 में विनिर्दिष्ट लागू रकम या यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके एक वर्ष से कम अवधि के लिए अयोग्य होने की संभावना है तो किसी आनुपातिक रकम का एक उपदान ऐसे दिया जाना चाहिए। परन्तु ऐसे किसी मामले में जिसमें क्षति, उस निःशक्तता की मात्रा के बारे में जो उससे कारित होती है, अंग की हानि के समतुल्य हैं, बोर्ड, यदि वह ठीक समझे, उपदान के बदले में उप-पैरा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय रकम से अनधिक की एक पेंशन दे सकेगा।

30. असाधारण पेंशन और उपदान स्कीम के अधीन दी गई अस्थायी पेंशन को स्थायी क्षति पेंशन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(क) जब कर्मचारी उस क्षति के कारण जिसके बारे में अस्थायी पेंशन दी गई थी, अशक्त होकर सेवा से बाहर हो जाता है, या

(ख) जब अस्थायी पेंशन अन्यून पांच वर्ष तक ली गई है, या

(ग) यदि परामर्शी चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि उसे यह विश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि निःशक्तता की मात्रा में कभी भी कोई अवगम्य कमी होगी, तो किसी भी समय।

31. कर्मचारी की विधवा और उसके बालकों को निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा।

(क) यदि कर्मचारी पद की विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप हुई क्षति से मारा जाता है या मर जाता है तो,–

(i) पैरा 21 में विनिर्दिष्ट लागू रकम का उपदान, और

(ii) एक पेंशन जिसकी रकम पैरा 24 में विनिर्दिष्ट लागू रकम से अधिक नहीं होगी,

(ख) यदि कर्मचारी, पद की जोखिम के परिणामस्वरूप हुई क्षतियों से मारा जाता है या मर जाता है तो एक पेंशन जिसकी रकम पैरा 24 में विनिर्दिष्ट लागू रकम से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यदि कर्मचारिवृन्द के मृत सदस्य का वेतन 200 रु0 से कम है तो मासिक पेंशन या उन पेंशनों की राशि जो इस पैरा के अधीन मंजूर की जाएं, पैरा 24 में विनिर्दिष्ट दरों का (जिनके अन्तर्गत न्यूनतम सीमाएं भी है) विचार किए बिना, वेतन के आधे की सीमा से अधिक नहीं होगी और यदि किसी मामले में पैरा 24 के अधीन संगणित ऐसी पेंशनों की राशि उसके वेतन के आधे की सीमा से अधिक है तो अलग अलग प्रत्येक पेंशन की रकम में ऐसी अनुपातिक कमी की जाएगी जिससे कि वह रकम ऐसी सीमा तक कम हो जाएगी।

32. यदि मृत कर्मचारी ने अपने पीछे न तो कोई विधवा और न कोई बालक छोड़ा है तो उसके पिता और उसकी माता को व्यक्तिशः या संयुक्ततः तथा पिता और माता के न होने पर अवयस्क भाइयों और बहनों को व्यक्तिशः या संयुक्ततः तब कोई प्रदान किया जा सकेगा यदि वे अपनी संभाल के लिए उस कर्मचारी पर अधिकांशतः निर्भर थे और उन्हें धन की आवश्यकता है।

परन्तु प्रदान की कुल रकम उस पेंशन के आधे से अधिक नहीं होगी जो पूर्वगामी पैरा के अधीन विधवा को अनुज्ञेय होती।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक अवयस्क भाई या बहन का अंश पैरा 24 में ऐसे "बालक के लिए जो मातृहीन नहीं है" विनिर्दिष्ट पेंशन की रकम से अधिक नहीं होगा।

33. पैरा 32 के अधीन किया गया कोई प्रदान, पेंशन भोगी की धनीय परिस्थितियों में कोई सुधार होने की दशा में ऐसी रीति में जो बोर्ड, आदेश द्वारा विहित करे, पुनर्विलोकन के अधीन होगा।

34. परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात्वर्ती दिन से या ऐसे अन्य दिन से जो बोर्ड अवधारित करे, प्रभावी होगी।

35. परिवार पेंशन साधारणतया–

(क) किसी विधवा या माता की दशा में, मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पूर्वतर घटित हो, मान्य होगी,

(ख) किसी अवयस्क पुत्र या अवयस्क भाई की दशा में, 18 वर्ष की आयु तक मान्य होगी,

(ग) किसी अविवाहिता पुत्री या अवयस्क बहन की दशा में, विवाह होने तक या तब तक जब तक कि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है, जो भी पूर्वतर घटित हो, मान्य होगी,

(घ) पिता की दशा में जीवन पर्यन्त मान्य होगी।

36. असाधारण पेंशन और उपदान स्कीम में अन्यथा जैसा उपबंध है उसके सिवाय, पूर्वगामी पैराओं के अधीन किए गए प्रदान ऐसी किसी अन्य पेंशन या उपदान को प्रभावित नहीं करेंगे जिसके लिए संबंधित कर्मचारी या उसका परिवार अन्य स्कीमों के अधीन पात्र हो।

37. (1) जब असाधारण पेंशन और उपदान स्कीम के अधीन किसी क्षति पेंशन या उपदान या परिवार पेंशन का कोई दावा उत्पन्न होता है तब उस कार्यालय या विभाग का अनुभाग का भारसाधक अधिकारी जिसमें वह क्षतिग्रस्त या मृत व्यक्ति नियोजित था, यह दावा निदेशक के माध्यम से बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित करेगा :–

(क) उन परिस्थितियों का पूरा विवरण जिनमें क्षति पहुँची थी, रोग लगा था या मृत्यु हुई थी,

(ख) यथास्थिति, क्षति पेंशन या उपदान के लिए प्ररूप 10 में आवेदन, या परिवार पेंशन के लिए प्ररूप 11 में आवेदन,

(ग) किसी क्षतिग्रस्त कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जिसे कोई रोग लगा है, दशा में, प्ररूप 12 में स्वास्थ्य रिपोर्ट,

(घ) किसी मृत कर्मचारी की दशा में, मृत्यु के बारे में स्वास्थ्य रिपोर्ट या यदि उस कर्मचारी ने ऐसी परिस्थितियों में अपना जीवन खो दिया है कि कोई स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती है तो मृत्यु के वस्तुतः घटित होने के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य,

(2) निदेशक, बोर्ड के समक्ष उपर्युक्त दस्तावेजें रखते समय उसके साथ, इस बारे में कि क्या स्कीम के अधीन कोई प्रदान अनुज्ञेय है और यदि हो तो कितनी रकम का, लेखा परीक्षा अधिकारी को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगा।

37. (क) **निक्षेप सह बीमा**

मंत्रालय के पत्र सं.एफ.16-24/-76 टी. 6 ता. 1-3-1979 के अनुसार जोड़ा गया (8-1-79 से प्रभावी)

किसी अभिदाता की मृत्यु पर उस अभिदाता के नाम जमा रकम को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के तुरन्त पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान खाते के जमा अभिदाय के औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त राशि का संदाय इन शर्तों के अधीन किया जाएगा कि–

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा, अतिशेष मृत्यु के मास पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित सीमाओं से कम न हुआ हो,–

(i) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 1300 रु0 या अधिक है, 4000 रु0

(ii) ऐसा अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिनके वेतनमान का अधिकतम 900 रु0 या अधिक किंतु 1300 रु0 से कम है, 2500 रु0

(iii) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291 रु0 या अधिक किंतु 900 रु0 से कम है, 1400 रु0

(iv) ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 291 रु0 से कम है, 1000रु0

(ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 10,000 रु0 से अधिक नहीं होगी ।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष सेवा की है ।

टिप्पण 1 : औसत अतिशेष का हिसाब, उस मास के जिसमें मृत्यु घटित होती है, पूर्वगामी प्रत्येक 36 मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर लगाया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी–

(क) मार्च के अंत में अतिशेष के अंतर्गत पैरा 9 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी है, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च, नहीं है तो उक्त अंतिम मास के अंत में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें मृत्यु घटित होती है, आरम्भ से अंतिम मास के अंत तक की अवधि के बारे में ब्याज भी है ।

टिप्पण 2–इस स्कीम के अधीन संदाय पूरे रुपयों में होने चाहिए यदि देय रकम के अन्तर्गत एक रुपए भी भिन्न है तो उसे निकटतम रुपए तक पूर्णाङ्कित किया जाना चाहिए (50 पैसे को अगले उच्चतर रुपए के रूप में गिना जाएगा)

टिप्पण 3–इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा धन के रूप में है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की

धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लागू नहीं होता है ।

टिप्पण 4-यह स्कीम निधि के उन अभिदाताओं को भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के एक स्वशासी संगठन में परिवर्तित किए जाने के परिणाम स्वरूप ऐसे निकाय को अंतरित किए जाते है और जो ऐसे अंतरण पर, उनको दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार, इस निधि में इन नियमों के अनुसार अभिदाय करने का चुनाव करते हैं ।

टिप्पण 5-(क) संस्थान के ऐसे कर्मचारी की दशा में जो परिनियम 16 ख (1) के अधीन निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया है किंतु निधि में उसको सम्मिलित किए जाने की तारीख से, यथास्थिति, तीन वर्ष या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व मर जाता है, पूर्व नियोजक के अधीन उसकी सेवा की अवधि जिसकी बाबत उसके अभिदाय और नियोजक के अंशदान की रकम, यदि कोई है, तथा ब्याज प्राप्त हो गया है, खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी ।

(ख) सेवावृत्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की दशा में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी ।

(ग) यह स्कीम संविदा के अधार पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होती है।

टिप्पण 6 इस स्कीम के बारे में व्यय के बजट प्राक्कलन, निधि का लेखा रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृति को ध्यान में रखकर उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिस में अन्य सेवा निवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

38. **साधारण**

इस स्कीम के अधीन अनुज्ञेय पेंशन और उपदान प्रसुविधाओं की मंजूरी और उनका संदाय ऐसे प्रक्रिया संबधी अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा जो बोर्ड द्वारा समव-समय पर जारी किए जाएं।

39. जब बोर्ड का समाधान हो जाता है कि इन उपबधों में से किसी के प्रवर्तन से किसी कर्मचारी को असम्यक् कष्ट होता है या होने की संभावना है तब वह, इन उपबंधों की किसी यात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी के मामलों के संबंध में उस रीति में कार्यवाही कर सकेगा जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो।

40. (1) बोर्ड को, अलग-अलग मामलों के गुणागुण के आधार पर, पूर्वगामी उपबंधों के प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित अर्हक सेवा की अवधि में तीन मास तक की कमी को माफ करने की शक्ति होगी।

शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एफ 11-6/82टी.6 ता. 31-1-84 के अनुसार संशोधित (28-1-1984 से प्रभावी)

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्थाई/अस्थायी ठेका नियुक्ति सेवा से, उचित अनुज्ञा से, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अधीन निगमित संस्थानों में से किसी के या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधीन अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए, जिनमें की गई सेवा को पेंशन के लिए पूर्णत: या भागत: गिना जाता है, पदत्याग, पदत्याग नहीं है और ऐसे पदत्याग से सेवा में बाधा नहीं पहुंचेगी।

परन्तु ऐसे किसी मामले में आनुपातिक पेंशन संबंधी दायित्व उस नियोजक द्वारा वहन किया जाता है जिसकी सेवाओं से वह कर्मचारी संस्थान में पदग्रहण करता है। यदि दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्थानो में होने के कारण सेवा में बाधा अनिवार्य है तो अन्तरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण की अवधि से अनधिक ऐसी बाधा की, निर्वाचन की तारीख को उस कर्मचारी को शोध्य किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी द्वारा या उस सीमा तक जहां तक वह अवधि, कर्मचारी को शोध्य छुट्टी के अन्तर्गत नहीं आती है, ऊपर निर्दिष्ट औपचारिक माफी द्वारा पूर्ति की जाएगी।

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी से यह अपेक्षित होगा कि वह पदत्याग के समय प्राप्त नियोजक के अंशदानों का, संदाय की तारीख से अंतिम प्रतिदाय की तारीख तक, रकम वस्तुत: प्राप्त होने की तारीख को प्रवृत्त ब्याज सहित एक मुश्त राशि में या संख्या में 12 से अनधिक किस्तों में पूर्णतया अभ्यर्पण करे तथा वह रकम और उस पर ब्याज संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पेंशन निधि में जमा किया जाएगा।

41. यदि इन उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

42. पेंशन आदि पाने वाले व्यक्ति का भावी सदाचरण इन उपबंधों के अधीन किसी पेंशन की प्रत्येक मंजूरी की एक विवक्षित शर्त है और यदि प्राप्तिकर्ता किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या वह बड़े अवचार का दोषी है तो संस्थान ऐसी कोई पेंशन या उसका कोई भाग प्रतिधारित या प्रत्याहृत करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है तथा ऐसे मामलों में पेंशन के मंजूरी प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

परिशिष्ट 1

प्ररूप 1 विकल्प

(परिनियम 16ख (2) देखिए)

मैं ...., इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी .... का एक कर्मचारी, इसके द्वारा, संस्थान के परिनियमों के परिनियम 16 ख में और अनुसूची "च" में अधिकथित साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम द्वारा शासित होने का निर्वाचन करता हूं और उन सभी निबंधनों और शर्तों द्वारा जिनके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के फायदों के निबंधन और शर्तें भी हैं, जो 1 जनवरी, 1971 से तुरंत पूर्व लागू थीं, शासित होने के अपने दावे का परित्याग करता हूं। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह निर्वाचन अंतिम है और यह कि यह 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर ....

(यदि निरक्षर हो तो अंगूठे का निशान)

पदनाम ....

निर्वाचन की

तारीख ....

साक्षी :-

(1) ....

(2) ....

परिशिष्ट 1

प्ररूप -2- विकल्प

परिनियम 16 ख (4 देखिए)

मैं ...., इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी .... का एक कर्मचारी, इसके द्वारा, संस्थान के परिनियमों के परिनियम 16ख में और अनुसूची "च" में अधिकथित साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम द्वारा शासित होने का निर्वाचन करता हूं और उन सभी निबंधनों और शर्तों द्वारा जिनके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के फायदों के निबंधन और शर्तें भी हैं, जो 1 अप्रैल 1970 से तुरंत पूर्व लागू थीं, शासित होने के अपने दावे का परित्याग करता हूं। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह निर्वाचन अंतिम है और यह कि यह 1 अप्रैल, 1970 से प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर ....

(यदि निरक्षर हो तो अंगूठे का निशान)

पदनाम ....

निर्वाचन की

तारीख ....

साक्षी :-

1 ....

2 ....

परिशिष्ट 1

प्ररूप 3 - घोषणा।

(पैरा 1 (3) देखिए)

मैं ....(अभिदाता), इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी ....का एक कर्मचारी, इसके द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी..........................की साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम को शासित करने वाले उपबंधों को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :–

1..................................

2..................................

परिशिष्ट 2

साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान स्कीम

(पैरा 19 देखिए)

	अर्हक सेवा की संपूरित छह मासिक अवधि	उपदान या पेंशन का मापमान	अधिकतम पेंशन (प्रतिवर्ष रुपयों में)
1.	$\frac{1}{2}$	(क) उपदान मास परिलब्धियां	
2.	1	,,	
3.	$1\frac{1}{2}$	,,	
4.	2	,,	
5.	$2\frac{1}{2}$	,,	
6.	3	,,	
7.	$3\frac{1}{2}$	,,	
8.	4	,,	
9.	$4\frac{3}{8}$	,,	
10.	$4\frac{3}{4}$	,,	
11.	$5\frac{7}{8}$	,,	
12.	$5\frac{1}{2}$	,,	
13.	$5\frac{7}{8}$	,,	
14.	$6\frac{1}{4}$	,,	
15.	$6\frac{5}{8}$	,,	
16.	7	,,	
17.	$7\frac{3}{8}$	,,	
18.	$7\frac{3}{4}$	,,	
19.	$8\frac{1}{8}$	,,	

1	2	3	4
	(ख) पेंशन		
20.	औसत परिलब्धियों का	10/80 वां भाग	3,750.00
21.	,,	10½/80 ,,	3,937.50
22.	,,	11/80 ,,	4,125.00
23.	,,	11½/80 ,,	4,312.00
24.	,,	12/80 ,,	4,500 00
25.	,,	12½/80 ,,	4,687.50
26.	,,	13/80 ,,	4,875.00
27.	,,	13½/80 ,,	5,062.00
28.	,,	14/80 ,,	5,250 00
29.	,,	14½/80 ,,	5,437.00
30.	,,	15/80 ,,	5,625.00
31.	,,	15½/80 ,,	5,812.00
32.	,,	16/80 ,,	6,000.00
33.	,,	16½/80 ,,	6,187.50
34.	,,	17/80 ,,	6,375.00
35.	,,	17½/80 ,,	6,562.50
36.	,,	18/80 ,,	6,750.00
37.	,,	18½/80 ,,	6,937.50
38.	,,	19/80 ,,	7,125.00
39.	,,	19½/80 ,,	7,312.50
40.	,,	20/80 ,,	7,500.00
41.	,,	20½/80 ,,	7,687.00
42.	,,	21/80 ,,	7,875.00
43.	,,	21½/80 ,,	8,062.00
44.	,,	22/80 ,,	8,250.00

1	2	3	4
45.	,,	22½/80 ,,	8,437.50
46.	,,	23/80 ,,	8,625.00
47.	,,	23½/80 ,,	8,812 50
48.	,,	24/80 ,,	9,000.00
49.	,,	24½/80 ,,	9,187.50
50.	,,	25/80 ,,	9,375.00
51.	,,	25½/80 ,,	9,562.50
52.	,,	26/80 ,,	9,750.00
53.	,,	26½/80 ,,	9,937.50
54.	,,	27/80 ,,	10,125.00
55.	,,	27½/80 ,,	10,312.50
56.	,,	28/80 ,,	10,500 00
57.	,,	28½/80 ,,	10,687.50
58.	,,	29/80 ,,	10,875.00
59.	,,	29½/80 ,,	11,062.50
60.	,,	30/80 ,,	11,250.00
61.	,,	30½/80 ,,	11,437.50
62.	,,	31/80 ,,	11,625.00
63.	,,	31½/80 ,,	11,812.50
64.	,,	32/80 ,,	12,000.00
65.	,,	32½/80 ,,	12,000.00
66.	,,	33/80 ,,	12,000.00

परिशिष्ट 2

(पैरा 10 देखिए)

संराशीकरण सारणी

(1 रु0 प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य)

आगामी जन्मतिथि पर आयु	क्रय किए गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	आगामी जन्मतिथि पर आयु	क्रय किए गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	आगामी जन्मतिथि पर आयु	क्रय किए गए वर्षों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
1	2	3	4	5	6
17	19.24	40	15.75	63	8.89
18	19.15	41	15.22	64	8.66
19.	19 06	42	15.27	65	8.34
20.	18.96	43	15 02	66	8.01
21.	18.86	44	14.76	67	7 69
22	18.76	45	14.50	68	7.37
23.	18.64	46	14 23	69	7 06
24	18.53	47	13.96	70	6 75
25	18.40	48	13.68	71	6.45
26	18.28	49	13.39	72	6.15
27	18.14	50	13.10	73	5.86
28	18.00	51	12.80	74	5.58
29	17.85	52	12.50	75	5.30
30	17.70	53	12.20	76	5.03
31	17.54	54	11.89	77	4 78
32	17.37	55	11.58	78	4.52
33	17.20	56	11 26	79	4.28
34	17.01	57	10.94	80	4.05
35	16 82	58	10.62	81	3 83
36	16.62	59	10.29	82	3.62
37.	16.42	60	9.97	83	3.42
38	16.20	61	9.64	84	3.23
39.	15.98	62	9.31	85	3.04

परिशिष्ट 4

क्षति उपदान और पेंशन का मापमान

(पैरा 29 देखिए)

क्रम सं0	कर्मचारिवृन्द के सदस्य का क्षति की तारीख को वेतन	उपदान	मासिक पेंशन उच्चतर वेतनमान	मासिक पेंशन निम्नतर वेतनमान
1.	2000 रु0 और अधिक		300 रु0	225 रु0
2.	1500 रु0 और अधिक किन्तु 2000 रु0 से कम	तीन मास का वेतन न्यूनतम 800 रु0 के अधीन रहते हुए	275 रु0	200 रु0
3.	1000 रु0 और अधिक किन्तु 1500 रु0 से कम		200 रु0	150 रु0
4.	900 रु0 और अधिक किन्तु 1000 रु0 से कम		150 रु0	125 रु0
5.	400 रु0 और अधिक किन्तु 900 रु0 से कम		100 रु0	84 रु0
6.	350 रु0 और अधिक किन्तु 400 रु0 से कम		85 रु0	70 रु0
7.	200 रु0 और अधिक किन्तु 350 रु0 से कम		67 रु0	50 रु0
8.	200 रु0 कम	4 मास का वेतन	वेतन का $1/\frac{1}{3}$ भाग न्यूनतम 8 रु0 प्रति मास के अधीन रहते हुए	वेतन का $\frac{1}{5}$वां भाग न्यूनतम 4 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए

परिशिष्ट 5

(पैरा 28 (3) देखिए)

क्षतियों का वर्गीकरण

अंग की हानि के बराबर

वाग्लोप के बिना हेमीप्लेजिया

श्वासनलीच्छेदन नलिका का स्थायी प्रयोग

कृत्रिम गुदा

दोनों कानों की पूर्ण बधिरता

अत्यंत गंभीर

पूर्ण एक पार्श्विक मुख-अंगघात जिसके स्थायी होने की संभावना है।

वृक्क मूत्रवाहिनी या मूत्राशय का घाव

(अंगुल्यस्थियों को छोड़ कर) विवृत अस्थिभंग।

कोमल अंगों का ऐसा सकल नाश जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी निःशक्तता या क्रियाशीलता की हानि होगी।

गंभीर और स्थायी होने की संभावना

निम्नलिखित जोड़ों में से किसी एक का संधि काठिन्य या उसके संचलन में काफी निर्बंधन :–

घुटना, कोहनी, कंधा, कूल्हा, टखना, टामपोरो मैक्सीलारी अथवा मेरुदंड के पृष्ठ-कटि या ग्रीवा अनुभाग की अनम्यता।

एक नेत्र की दृष्टि की आंशिक हानि।

एक वृषण का नाश या हानि :

स्थायी या गंभीर रोग लक्षण कारित न करने वाली विजातीय वस्तुओं का प्रतिधारण।

साधारण भविष्यनिधि के लिए नामनिर्देशन के प्ररूप

प्ररूप 1

(पैरा 5 (1) देखिए)

जब कर्मचारी का परिवार है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान नियमों के पैरा 5 (1) में यथापरिभाषित मेरे परिवार का एक सदस्य है, वह रकम जो निधि में मेरे नाम जमा हो, उस रकम के संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ।

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है

आज तारीख ....19........को.........में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : अभिदाता के हस्ताक्षर

1........................ पदनाम..................

2........................ विभाग..................

प्ररूप 2

(पैरा 5 (1) देखिए)

जब अभिदाता का परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान नियमों पैरा 5 (1) में यथापरिभाषित मेरे परिवार के सदस्य हैं, वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किंतु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने पर प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं और निदेश देता हूं कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उनके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा :

नाम-निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*प्रत्येक को संदत्त किए जाने वाले संचयों के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नाम-निर्देशन अनिभिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में सक्रात होगा जब तामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख..........19..........को....................में दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी : पदनाम..................

1............................ विभाग..................

2............................

* टिप्पण :– यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए।

प्ररूप 3

(पैरा 5 (1) देखिए)

जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और वह एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं, जिसका इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान नियमों के पैरा 5 (1) में यथा परि-भाषित कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेय तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने पर प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ।

नाम-निर्देशिती का नास और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नाम निर्देशन अविधिमान्य हो	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामगिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है।

आज तारीख.........91.........को................में दिनांकित।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी : पदनाम..................

1........................ विभाग..................

2........................

* टिप्पण—जहां ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है, वहां वह इस कालम में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित कर लिए जाने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

प्ररूप 4

(पैरा 5 (1) देखिए)

जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और यह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं, जिसका इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी के साधारण भविष्य निधि और पेंशन और उपदान नियमों के पैरा 5 (1) में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को वह रकम जो उस निधि में मेरे नाम जमा हो, उसके संदेय होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें वह संदेह तो हो गई है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है, मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ और निदेश देता हूँ कि उक्त रकम का उक्त व्यक्तियों के बीच वितरण उनके नाम के सामने दर्शित रीति में किया जाएगा :–

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*प्रत्येक को संदत्त लिए जाने वाले संचयों के अंश की रकम	**आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है ।

आज तारीख··············को··············में दिनांकित ।

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी : पदनाम··················

1······················ विभाग··················

2····················

टिप्पण *–यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि वह पूरी रकम जो निधि में अभिदाता के नाम किसी समय जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए ।

**–जहां ऐसा अभिदाता जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है, वहां तत्पश्चात् उसके द्वारा कोई परिवार अर्जित किए जाने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।

प्ररूप 5

(पैरा 22 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन, जब कर्मचारिवृन्द के सदस्य का परिवार है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं इसके द्वारा, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, नामनिर्दिशित करता हूँ और उसे ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए, प्राप्त करने के लिए अधिकार तथा मेरी मृत्यु पर ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किन्तु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :–

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रान्त होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या उसके अंश ।

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा··················को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है ।

आज तारीख.................19.....................को दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : कर्मचारिवृन्द के सदस्य के हस्ताक्षर

1.........................

2.........................

टिप्पण : अंतिम कालम इस प्रकार भरा जाए कि उसके अंतर्गत उपदाम की पूरी रकम आ जाए।

नामनिर्देशन करने वाला रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

.... तारीख...............

पदनाम.......................

विभाग.......................

प्ररूप 6

(पैरा 22 देखिए)

मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन जब कर्मचारी का परिवार है और वह उसके एक से अधिक सदस्य का नामनिर्देशित करना चाहता है।

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नामनिर्देशित करता हूं और उनको नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी/मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करने का अधिकार तथा मेरी मृत्यु होने की दशा में, नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किंतु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूं :–

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	प्रत्येक को संदेय उपदान के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रात होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किंतु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा......................को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अविक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है ।

ध्यान दें : कर्मचारिवृन्द के सदस्य को चाहिए कि वह अंतिम प्रविष्टि में नीचे खाली स्थान के आर पार लाइनें, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी नाम के अंतःस्थापित किए जाने को रोकने के लिए खींचे ।

आज तारीख..................19..................को में दिनांकित

कर्मचारिवृन्द के सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1...........................

2...........................

टिप्पण : 1. चौथा कालम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए ।

2. अंतिम कालम में दर्शित उपदान की रकम का अंश मूल नामनिर्देशितियों को संदेय पूरी रकम अंश होना चाहिए ।

नामनिर्देशन करने वाला ....

पदनाम...........................

विभाग...........................

प्ररूप 7

(पैरा 22 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन, जब कर्मचारिवृन्द के सदस्य का कोई परिवार नहीं है और वह एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है ।

मैं जिसका कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामनिर्देशित करता हूँ और उसे ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु पर ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किन्तु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :—

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है ।	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या उसके अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा..................को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

आज तारीख..................19............ को दिनांकित।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1......................

2......................

टिप्पण : अंतिम कालम इस प्रकार भरा जाए कि उसके अंतर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन करने वाला तारीख..................

....

पदनाम......................

विभाग......................

प्ररूप 8

(पैरा 22 देखिए)

मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन, जब कर्मचारिवृन्द के सदस्य का कोई परिवार नहीं है और वह एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता है।

———

मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता हूं और उनको नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु की दशा में संस्थान द्वारा मंजूर किया जाए प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर, नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसा कोई उपदान जो सेवानिवृत्ति पर मुझे अनुज्ञेय तो हो गया है किन्तु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रहे, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :—

नाम निर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी के साथ नातेदारी	आयु	प्रत्येक को संदेय उपदान के अंश की रकम	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटित होने पर यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	उस व्यक्ति का नाम पता नातेदारी जिसे नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में संक्रांत होगा जब नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पूर्व हो जाती है या नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है।	प्रत्येक को संदेय उपदान की रकम या अंश

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा..................को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है।

ध्यान दें :– कर्मचारिवृन्द के सदस्य को चाहिए कि वह अंतिम प्रविष्टि में नीचे खाली स्थान के आर पार लाइनें, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी नाम के अन्तःस्थापित किए जाने को रोकने के लिए खींचे।

आज तारीख..........19..........को..........में दिनांकित।

हस्ताक्षर के दो साक्षी : कर्मचारी के सदस्य के हस्ताक्षर

1......................

2......................

टिप्पण : 1 चौथा कालम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत उपदान की पूरी रकम आ जाए।

2 अंतिम कालम में दर्शित उपदान की रकम/अंश का अंश मूल नामनिर्देशितियों को संदेय पूरी रकम/अंश होना चाहिए।

प्ररूप 9

(पैरा 25 देखिए)

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वह परिवार पेंशन जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात् मेरी मृत्यु की दशा में, संस्थान द्वारा मंजूर की जाए, नीचे दर्शित क्रम में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं :—

नामनिर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारिवृन्द सदस्य से नातेदारी	आयु	विवाहित है या अविवाहित

यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा..........................को किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को अधिक्रांत करता है जो रद्द किया जाता है

ध्यान दें :

कर्मचारिवृन्द के सदस्य को चाहिए कि वह अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आरपार लाइनें, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी नाम के अन्तः स्थापित करने को रोकने के लिए खींचे।

आज तारीख..........19......को..........में दिनांकित।

कर्मचारिवृन्द के सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

1............................

2............................

नामनिर्देशन

करने वाला......................

पदनाम..........................

विभाग..........................

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

तारीख...............

प्ररूप 10

(पैरा 37 देखिए)

क्षति पेंशन या उपदान के लिए आवेदन का प्ररूप

1. आवेदक का नाम
. पिता का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम और परगना भी लिखें
4. वर्तमान या अंतिम परिलब्धियां :—
   पदनाम..................................
   विभाग/अनुभाग..............................
5. संस्थान में सेवा आरंभ करने को तारीख
6. सेवा की अवधि, जिसके अंतर्गत व्यवधान भी है
7. क्षति का वर्गीकरण
8. क्षति के समय वेतन
9. प्रस्थापित पेंशन या उपदान
10. क्षति की तारीख
11. संदाय का स्थान
1. आवेदक की ईसवी सन् के अनुसार जन्म तिथि*
13. तारीख जिसको आवेदक ने पेंशन के लिए आवेदन किया.

स्थान.......................... आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख..........................

विभाग/अनुभाग के भारसाधक कर्मचारिवृन्द सदस्य द्वारा विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो।

हस्ताक्षर

*यदि बिल्कुल ठीक ज्ञात न हो तो यह सर्वोत्तम जानकारी या अनुमान के आधार पर बताई जानी चाहिए।

प्ररूप 11

(पैरा 37 देखिए)

परिवार पेंशन के लिए आवेदन का प्ररूप

दिवंगत......................जो पद की विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप पहुंची क्षतियों से मारा गया या मरा था, के परिवार के लिए असाधारण पेंशन के लिए आवेदन।

1 नाम और निवास स्थान, ग्राम, परगना भी बताए
2 आयु

दावेदार का वर्णन

3 ऊँचाई
4 पहचान चिन्ह
5 वर्तमान उपजीविका और धनीय परिस्थितियां
6 मृतक के साथ नातेदारी की डिग्री
7 नाम
8 उपजीविका और सेवा
9 सेवाकाल की लम्बाई

मृतक का वर्णन

10 जब मारा गया उस समय वेतन
11 मृत्यु कारित करने वाली क्षति की प्रकृति
12 प्रस्थापित पेंशन या उपदान की रकम
13 संदाय का स्थान
14 तारीख, जब से पेंशन आरंभ होनी है
15 टिप्पणियां

नाम ईसवी सन् के अनुसार जन्मतिथि

मृतक के उत्तरजीवी रक्त संबंधियों का नाम और आयु

पुत्र
विधवाएं
पुत्रियां
पिता
माता

टिप्पण - (यदि मृतक ने अपना उत्तरजीवी कोई पुत्र, विधवा, पुत्री, पिता या माता नहीं छोड़ी है तो ऐसे नातेदार के सामने "कोई नहीं" या "मृत" शब्द लिखिए)

स्थान ....

तारीख.......................... दावेदार के हस्ताक्षर

स्थान.......................... विभाग/अनुभाग/कार्यालय के भारसाधक कर्मचारिवृन्द

तारीख.......................... सदस्य के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

(पैरा 37 देखिए)

क्षतियों के संबंध में रिपोर्ट देते समय परामर्शी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्ररूप

गोपनीय

......................को..................(क्षति का स्थान आदि) में..................(क्षति की तारीख आदि) कों पहुँची क्षति / लगे रोग की वर्तमान स्थिति के बारे में परामर्शी चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट

(क) संक्षेप में वे परिस्थितियां बताइए जिनमें क्षति पहुँची थी / रोग लगा था।

(ख) कर्मचारिवृन्द के सदस्य की वर्तमान दशा कैसी है ?

(ग) क्या कर्मचारिवृन्द के सदस्य की वर्तमान दशा पूरी तौर से क्षति/रोग के कारण है ?

यदि नहीं तो किन अन्य कारणों से वह हुई/हुआ माना जा सकता है।

(घ) रोग की दशा में, किस तारीख से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारिवृन्द का वह सदस्य अशक्त हुआ है ?

नीचे लिखे प्रश्न पर परामर्शी चिकित्सा अधिकारी की राय निम्नलिखित है :-

भाग 'क'-प्रथम परीक्षा

क्षति की गंभीरता का निर्धारण निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार किया जाना चाहिए और उसका विवरण नीचे टिप्पणी वाले कालम में दिया जाना चाहिए :-

1. क्षति

	हाँ	नहीं
(i) (क) किसी नेत्र या अंग की हानि ?		
(ख) एक से अधिक नेत्र या अंग की हानि ?		
(ii) किसी नेत्र या अंग की हानि से अधिक गंभीर ?		
(iii) एक नेत्र या एक अंग की हानि के समतुल्य ?		
(iv) अत्यन्त गम्भीर		
(v) गम्भीर किन्तु स्थायी होने की संभावना नहीं ?		
(vi) मामूली किन्तु स्थायी होने की संभावना		

2 क्षति की तारीख से कितनी अवधि के लिए–

(क) कर्मचारिवृन्द सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना थी,

(ख) कर्मचारिवृन्द सदस्य के ड्यूटी के लिए अयोग्य रहने की संभावना है

टिप्पणी - यहां उपर्युक्त वर्गीकरण का यदि आवश्यक हो तो प्रवर्धन किया जा सकता है या मुख्य क्षतियों के अतिरिक्त क्षतियों का ब्योरा दिया जा सकता है।

भाग "ख" - द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती परीक्षा

यदि कर्मचारिवृन्द के सदस्य की मूल हालत में परिवर्तन हुआ है तो उपर्युक्त प्रवर्गों में से किस में अब रखा जाना चाहिए?

टिप्पणी - इस स्थान में, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त ब्यौरे दिए जा सकते हैं।

परामर्शी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख........................

परामर्शी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में पालन किए जाने वाले अनुदेश।

1 अपनी राय अभिलिखित करने से पूर्व उसे अनिवार्य रूप से पूर्व रिपोर्टों को, यदि कोई हों और पूर्व परीक्षाओं पर कर्मचारिवृन्द के सदस्य से संबंधित ऐसी सभी चिकित्सीय दस्तावेजें भी जो उसके समक्ष समीक्षा के लिए लाई गई हैं, देख लेनी चाहिए।

2 यदि क्षतियां एक से अधिक हों तो उनका पृथक्तः संख्यांकन और वर्णन करना चाहिए तथा यदि यह समझा जाए कि, 'उदाहरणार्थ यद्यपि वे अपने में केवल 'गंभीर' या 'मामूली' हैं, आपस में मिलकर वे एकल "अत्यन्त गंभीर" के समतुल्य के रूप में हैं तो ऐसी राय उसके लिए दिए गए कालमों में अभिव्यक्त की जा सकेगी।

3 विहित प्ररूप में प्रश्नों के उत्तर देने में वह स्वयं को मामले के अनन्य रूप से चिकित्सीय पहलू तक सीमित रखेगा तथा कर्मचारिवृन्द के सदस्य के असमर्थित कथनों और चिकित्सीय और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के बीच सावधानी पूर्वक विभेद करेगा।

4 वह कर्मचारिवृन्द के उस सदस्य का, जिसकी उसने परीक्षा की है या अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कि वह किसी प्रतिकर के लिए हकदार है या नहीं अथवा उसकी रकम के बारे में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करेगा और न वह कर्मचारिवृन्द के सदस्य को यह सूचित करेगा कि वह क्षति किस रूप में वर्गीकृत की गई है।